BHDC-108

भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा

खंड

2

भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा–2

इकाई 8 सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य	133
इकाई 9 मिश्र वाक्य	161
इकाई 10 अर्थ विज्ञान	186
इकाई 11 हिंदी की बोलियाँ	209
इकाई 12 हिंदी भाषा का स्वरूप और भूमिकाएँ	230
इकाई 13 संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध	243
इकाई 14 राजभाषा अधिनियम और आदेश	259
इकाई 15 देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएँ	279
इकाई 16 देवनागरी लिपि का मानकीकरण	295

खंड 2 का परिचय

बी.ए. हिंदी (ऑनर्स) के विद्यार्थियों के लिए 'भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा' (BHDC-108) पाठ्यक्रम का यह दूसरा खंड है। इस खंड में कुल नौ इकाइयाँ हैं–

इकाई 8 सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य

इकाई 9 मिश्र वाक्य

इकाई 10 अर्थ विज्ञान

इकाई 11 हिंदी की बोलियाँ

इकाई 12 हिंदी भाषा का स्वरूप और भूमिकाएँ

इकाई 13 संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध

इकाई 14 राजभाषा अधिनियम और आदेश

इकाई 15 देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएँ

इकाई 16 देवनागरी लिपि का मानकीकरण

पाठ्यक्रम की आठवीं और खंड की पहली इकाई 'सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य' है। इस इकाई में वाक्य की परिभाषा, स्वरूप, अनिवार्य तत्व, पूर्णांग और अल्पांग वाक्य, वाक्य का अर्थगत वर्गीकरण, सरल वाक्य के प्रकार, संयुक्त वाक्य का स्वरूप, संयुक्त वाक्यों के प्रकार तथा संयुक्त वाक्य की रचना प्रक्रिया आदि पर प्रकाश डाला गया है। खंड की अगली इकाई 'मिश्र वाक्य' है। इस इकाई में मिश्र वाक्य की संरचना, मिश्र वाक्य के प्रकार तथा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य की संरचना एवं प्रकार को समझाया गया है।

पाठ्यक्रम की दसवीं और खंड की तीसरी इकाई 'अर्थ विज्ञान' है। इस इकाई में अर्थ की अवधारणा या स्वरूप, शब्द और अर्थ का संबंध तथा अर्थ निर्णय के साधन आदि का विववेचन किया गया है। खंड की चौथी इकाई 'हिंदी की बोलियाँ' हैं। इस इकाई में हिंदी की प्रमुख बोलियों की आवश्यकतानुसार साहित्यिक और व्याकरणिक विशेषताएँ बतायी गयी हैं। अगली इकाई 'हिंदी भाषा का स्वरूप और भूमिकाएँ' है। इसके अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएँ, हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल तथा संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी भाषा की भूमिकाओं को चित्रित किया गया है।

इकाई तेरह 'संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध' है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में हिंदी की स्थिति, हिंदी संबंधी राजभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रश्न और संविधान में हिंदी संबंधी विविध उपबंधों का विश्लेषणपरक उल्लेख है। इकाई चौदह 'राजभाषा अधिनियम और आदेश' है। इसमें राजभाषा के संदर्भ में 1963 के अधिनियम (1967 में यथा संशोधित) विभाग द्वारा प्रवर्तित नियमों को बताया गया है। पाठ्यक्रम की पंद्रहवीं इकाई 'देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएँ' है। इस इकाई में देवनागरी का नामकरण, वैज्ञानिक लिपि के रूप में देवनागरी के गुण–दोष, समय–समय पर होने वाले सुधार के प्रयास तथा संविधान में देवनागरी की स्थिति पर विचार किया गया है। पाठ्यक्रम और खंड की अंतिम इकाई 'देवनागरी लिपि का मानकीकरण' है। इसमें मानकीकरण का तात्पर्य, मानक हिंदी वर्णमाला और परिवर्धित देवनागरी का परिचय दिया गया है। इकाइयों के अंत में विषय से संबंधित उपयोगी पुस्तकों की सूची दी गई है जिनका अध्ययन कर आप अपनी विषयगत समझ को विस्तार दे सकते हैं। आवश्यकतानुसार इकाइयों में बोध प्रश्न और अभ्यास दिये गये हैं जिन्हें हल कर आप अपनी प्रगति को परख सकते हैं।

शुभकामनाओं के साथ!

इकाई 8 : सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 वाक्य की परिभाषा, स्वरूप और अनिवार्य तत्व

8.3 पूर्णांग तथा अल्पांग वाक्य

8.4 वाक्य का अर्थगत वर्गीकरण

- 8.4.1 कथनात्मक वाक्य
- 8.4.2 आज्ञार्थक वाक्य
- 8.4.3 मनोवेगात्मक वाक्य
- 8.4.4 नकारात्मक वाक्य
- 8.4.5 प्रश्नात्मक वाक्य

8.5 वाक्य बनाम सरल वाक्य

8.6 सरल वाक्य के प्रकार

8.7 संयुक्त वाक्य का स्वरूप

- 8.7.1 समुच्चयबोधक अव्यय

8.8 संयुक्त वाक्यों के प्रकार

- 8.8.1 संयोजक संबंध
- 8.8.2 विभाजक संबंध
- 8.8.3 विरोधवाची संबंध
- 8.8.4 परिणामवाची संबंध

8.9 संयुक्त वाक्य की रचना–प्रक्रिया

- 8.9.1 पूर्णांग संयुक्त वाक्य
- 8.9.2 अल्पांग संयुक्त वाक्य
- 8.9.3 संकुचित संयुक्त वाक्य

8.10 संयुक्त वाक्य रचना के कुछ नियम

8.11 सारांश

8.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम आपको वाक्य की विशेषताएँ बताते हुए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य का परिचय देंगे।

इस इकाई को पढ़कर आप–

- वाक्य की परिभाषा, स्वरूप और अनिवार्य तत्वों को समझा सकेंगे;
- वाक्य के उद्देश्य और विधेय में अंतर कर सकेंगे;

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

- अल्पांग और पूर्णांग वाक्यों के बीच अंतर समझा सकेंगे;
- सरल वाक्य की संरचना और प्रकारों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- संयुक्त वाक्य की संरचना और प्रकारों को समझा सकेंगे;
- सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्यों के बीच भेद कर सकेंगे;
- संयुक्त वाक्यों में समुच्चयबोधक अव्ययों की भूमिका बता सकेंगे;
- उपवाक्यों के बीच संयोजक, विभाजक, विरोधवाची और परिमाणवाची संबंधों को समझा सकेंगे;
- संयुक्त वाक्य की रचना–प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे;
- पूर्णांग, अल्पांग और संकुचित संयुक्त वाक्यों के अंतर को समझा सकेंगे; और
- संयुक्त वाक्य के प्रयोग संबंधी कुछ नियमों और प्रतिबंधों के बारे में बता सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

आप पदबंध के विषय में पूर्व में पढ़ चुके हैं। इस इकाई में हम आपको पदबंध से बड़ी रचना वाक्य के बारे में बताएँगे। जब हम वाक्य को पदबंध से बड़ी रचना करते हैं तो हमारा तात्पर्य सरल वाक्य से है अर्थात् ऐसा वाक्य जिसमें एक ही विधेय होता है, जैसे–

(1) विजय दौड़ रहा है। (सरल वाक्य)

या

(2) पिताजी नाराज हैं। (सरल वाक्य)

उपर्युक्त दोनों वाक्यों से अलग जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं तो ऐसे वाक्य या तो संयुक्त वाक्य होते हैं या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य मुख्य या स्वतंत्र होते हैं, जैसे वाक्य (3); और मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होता है, बाकी गौण या आश्रित जैसे, निम्नलिखित वाक्य (4)।

(3) पिताजी नाराज़ हैं और भाई साहब को डाँट रहे हैं। (संयुक्त वाक्य)

(4) मैंने देखा कि पिताजी नाराज हैं। (मिश्रवाक्य)

हम इस इकाई में सबसे पहले वाक्य की परिभाषा और स्वरूप तथा उसके अनिवार्य तत्वों के विषय में बताएँगे। इसी के अंतर्गत रचना की दृष्टि से आपसे वाक्य के दो भेद पूर्णांग तथा अल्पांग वाक्य की चर्चा करेंगे फिर वाक्य के अर्थगत वर्गीकरण का परिचय देंगे। इस इकाई में हम सरल वाक्य के साथ–साथ संयुक्त वाक्य की चर्चा कर रहे हैं जिसके तहत संयुक्त वाक्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसमें समुच्चयबोधक अव्ययों की भूमिका को बताएँगे। संयुक्त वाक्यों के प्रकार बताते हुए हम इस तरह के वाक्यों की रचना–प्रक्रिया तथा रचना के कुछ नियमों को भी समझने का प्रयास करेंगे। मिश्र वाक्यों के विषय में हम अगली इकाई में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा और स्वरूप पर बात करते हुए इस इकाई का प्रारंभ करते हैं।

8.2 वाक्य की परिभाषा, स्वरूप और अनिवार्य तत्व

हम जब बात करते हैं या लिखते हैं तो एक के बाद एक कई वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। कभी–कभी हम केवल एक वाक्य में ही अपनी पूरी बात कह देते हैं और कभी–कभी एक से अधिक

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 134 8/18/2021 12:21:44 PM

वाक्यों का प्रयोग करके ही अपना संदेश या मंतव्य दूसरों तक पहुँचा पाते हैं। वाक्य में आए अलग–अलग शब्दों के अपने अर्थ तो होते हैं, लेकिन पृथक शब्दों से संदेश या मंतव्य संप्रेषित नहीं होता। किसी भी संदेश को दूसरे तक पहुँचाने या समझने लायक बनाने के लिए कम से कम एक वाक्य की जरूरत पड़ती है– भले ही वह वाक्य कितना ही छोटा क्यों न हो। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो किसी भाव को अपनी पूर्णता में व्यक्त करने की क्षमता रखती है, वाक्य है।

इस कथन से वाक्य के बारे में दो सूचनाएँ मिलती हैं– एक तो यह है कि वाक्य एक पूर्ण विचार या मंतव्य प्रकट करता है और दूसरी यह कि वाक्य शब्द या शब्द–समूहों की एक इकाई है और अपने में पूर्ण और स्वतंत्र है, यानी यह अकेले प्रयुक्त हो सकता है। इस दृष्टि से वाक्य एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द–समूह है।

इन परिभाषाओं में वाक्य के दो पहलू सामने आते हैं– अर्थ और संरचना।

(क) अर्थ के स्तर पर वाक्य एक पूर्ण विचार या भाव व्यक्त करता है। पूर्ण विचार या भाव से क्या तात्पर्य है? नीचे के उदाहरण देखिए :

(1) नीली किताब।

(2) नीली किताब पिताजी की है।

पहली पंक्ति में ''नीली'' और ''किताब'' दोनों शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी इनसे किसी ऐसे मंतव्य या संदेश का पता नहीं चलता जो हम किताब के बारे में किसी को बताना चाहते हैं। अतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत, वाक्य (2) में किताब के बारे में जो बात कही जा रही है (कि वह पिताजी की है) वह अपने में पूरा मंतव्य या भाव है जो वक्ता श्रोता को बताना चाहता है। अतः यह एक वाक्य है।

(ख) संरचना या रूप के स्तर पर देखें तो वाक्य एक व्याकरणिक रचना है– एक ऐसी रचना जिसका एक अंश उद्देश्य (या कर्ता) कहलाता है और दूसरा अंश विधेय (या क्रिया)। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है, जैसे वाक्य (2) में ''नीली किताब''। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है, जैसे वाक्य (2) में 'पिताजी की है'। उद्देश्य और विधेय दोनों के योग से ही वाक्य का विचार या मंतव्य पूर्ण होता है और इच्छित संदेश व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए–

	उद्देश्य	विधेय
(3)	मोहन	बीमार है।
(4)	सभी छात्राएँ	पढ़ रही हैं।
(5)	ऊपर वाले दोनों कमरे	अभी खाली नहीं हैं।
(6)	मिस्त्री ने	मेरी कार की मरम्मत कर दी है।
(7)	यहाँ के लोगों ने	राम प्रकाश को अपना नेता चुना है।

ऊपर के वाक्यों को देखें तो आपको वाक्य के बारे में कुछ और तथ्यों का भी पता चलेगा। वाक्य के शब्द एक के बाद एक बिखरे शब्द–समूहों के रूप में नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक व्याकरणिक रचना के रूप में बंधकर आ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन शब्दों पर वाक्य के कुछ खास नियम लागू हैं–वे एक खास क्रम से एक के बाद एक आते हैं। इन शब्दों के बीच कोई व्याकरणिक संबंध

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 135 8/18/2021 12:21:44 PM

नहीं है, जैसे कोई शब्द या शब्द–समूह कर्ता है, कोई कर्म, कोई पूरक और कोई क्रिया आदि। इतना ही नहीं इन शब्दों के बीच आपस में अन्विति होती है, यानी लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार इन शब्दों के रूपों में आवश्यक परितर्वन होता है। उदाहरण के लिए वाक्यों में क्रिया का क्रम–स्थान सबसे अंत में है, जो वाक्य में शब्द क्रम की व्यवस्था का संकेत है। कुछ शब्दों के बाद कुछ परसर्ग लगे हैं जैसे 'मिस्त्री ने', 'कार की', 'लोगों ने ' और 'राम प्रकाश को'। ये परसर्ग इन शब्दों के बीच व्याकरणिक संबंध सूचित करते हैं जैसे कर्ता, कर्म आदि। 'पढ़ रही हैं', 'कर दी है', नेता चुना है', 'है/हैं' आदि लिंग, वचन, पुरुष से संबंधित रूप–परिवर्तन के सूचक हैं।

वाक्य की रचना को हम एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वाक्य कुछ घटकों से मिलकर बनी एक रचना है। यह घटक है 'पदबंध'। पदबंध एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी। देखिएः

(8) हिंदी के सभी छात्र किताब पढ़ रहे हैं।

(9) रघुवीर अपने भाई को दवा पिला रहा है।

वाक्य (8) के पहले पदबंध में चार शब्द हैं, दूसरे में एक और तीसरे में तीन। वाक्य (9) में पहले और तीसरे पदबंधों में एक–एक शब्द हैं, और दूसरे और चौथे पदबंधों में तीन–तीन। वाक्य का निर्माण करने वाले घटक वास्तव में ये ही पदबंध हैं।

अगर आप बारीकी से देखें तो पदबंध शब्दों से बनता है और शब्द ध्वनियों (या अक्षरों) के योग से बनता है। इस प्रकार आपको इन रचनाओं या घटकों में ऊपर से नीचे तक चलने वाला एक क्रम दिखाई देता है। जैसे :

वाक्य (= सरल वाक्य)

पदबंध

शब्द

ध्वनि

इस आरेख से यह स्पष्ट होगा कि वाक्य पदबंधों से बनी इकाई है और व्याकरण की दृष्टि से यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। (संप्रेषण के स्तर पर वाक्य से बड़ी इकाई प्रोक्ति (डिस्कोर्स) माना गया है। यह इकाई पूर्ण विचार या भाव व्यक्त करने वाली मूल इकाई है। पदबंध से छोटा घटक या छोटी इकाई शब्द है। शब्द अपना स्वतंत्र या पृथक अर्थ तो व्यक्त कर सकता है लेकिन पूर्ण विचार नहीं व्यक्त कर सकता। शब्द स्वयं कई ध्वनियों के योग से बनता है। इसलिए ध्वनि शब्द से छोटी इकाई है। इस प्रकार हर इकाई अपने से बड़ी रचना का अंग या घटक है। इस क्रम से तथा व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वाक्य सबसे बड़ी है। अर्थात् वाक्य अपने से बड़ी किसी रचना का अंग नहीं है। (कुछ लोग प्रोक्ति या संभाषण को वाक्य से बड़ा घटक मानते हैं जो आपके लिए इस समय महत्वपूर्ण नहीं)। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वाक्य एक ऐसी रचना है जो पदबंधों से मिलकर बनता है और व्याकरण की दृष्टि से इससे बड़ी कोई रचना नहीं होती।

ऊपर वाक्य के बारे में जो जानकारी दी गई उससे वाक्य की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है :

1. वाक्य एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 136 8/18/2021 12:21:44 PM

2. वाक्य संपूर्ण भाव या विचार की अभिव्यक्ति की मूल इकाई है।
3. वाक्य शब्दों या पदबंधों से मिलकर बनता है।
4. ये शब्द एक निश्चित क्रम तथा नियम के अनुसार वाक्य में आते हैं।
5. व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है।
6. वाक्य की रचना उद्‌देश्य और विधेय के योग से होती है।
7. वाक्य से छोटी इकाई पदबंध है।

अनिवार्य तत्व

किसी भी वाक्य में निम्नलिखित छः तत्व अनिवार्य तत्व होते हैंः

(1) सार्थकता (2) योग्यता (3) आकांक्षा (4) निकटता

(5) पदक्रम (6) अन्वय।

(1) सार्थकता–सार्थक पदों के प्रयोग के बिना किसी वाक्य की भावाभिव्यक्ति संभव नहीं है अतः वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए।

(2) योग्यता–कोई भी वाक्य लिखते या बोलते समय ध्यान देना चाहिए कि वाक्य में आए शब्द, उस वाक्य में आए पात्र, घटना आदि के अनुकूल हों। जैसे, कोई यह कहे कि 'वह पानी खा रहा है।' तो हम देखते हैं कि इस वाक्य में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता नहीं है। क्योंकि पानी खाया नहीं जाता बल्कि पिया जाता है।

(3) आकांक्षा–वाक्य में एक पद सुनने के उपरांत दूसरा 'पद' सुनने की इच्छा ही आकांक्षा है। यदि किसी वाक्य में यह आकांक्षा शेष रह जाती है तो ऐसा वाक्य अधूरा वाक्य होता है क्योंकि इससे अर्थ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। जैसे– 'गया है' इस वाक्य से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसी के जाने के विषय में बताया जा रहा है अथवा 'गया' जिले (District) के विषय में।

(4) निकटता–बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में निकटता होनी चाहिए। रुक–रुक कर बोले गए या दूर–दूर लिखे गए शब्द वाक्य नहीं होते हैं। अतः शब्दों में निरंतरता का होना आवश्यक होता है। जैसे,

गंगा ..... और ..... यमुना .... का ..... संगम ..... प्रयागराज में ..... है।

गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है।

शब्दों के बीच की दूरी और उनको बोलने में आने वाला समय अंतराल अर्थ ग्रहण में रुकावट पैदा करते हैं जबकि नीचे के वाक्य में शब्दों में पारस्परिक निकटता सहजता से अर्थबोध करा देती है।

(5) **पदक्रम**–वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य में शब्दों का क्रम अव्यवस्थित हो तो उसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है, जैसे–'मीठा संतोष फल का है होता' यहाँ पदों का क्रम व्यवस्थित न होने से इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता है। पदों का क्रम इस तरह होना चाहिए– संतोष का फल मीठा होता है।

(6) **अन्वय**–अन्वय का अर्थ 'मेल' होता है अर्थात् वाक्य में काल, कारक, वचन, पुरुष और लिंग का क्रिया के साथ ठीक–ठीक मेल होना चाहिए। जैसे– 'मोहन

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 137 8/18/2021 12:21:44 PM

और सोहन घर गया। इस वाक्य में कर्त्ता और क्रिया का अन्वय ठीक से नहीं हुआ है। इसका सही रूप होगा 'मोहन और सोहन घर गए'।

8.3 पूर्णांग तथा अल्पांग वाक्य

हमने ऊपर बताया था कि किसी भी वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, वाक्य कम से कम एक संज्ञा और क्रिया के योग से बनता है। हमने यह भी कहा था कि शब्द मात्र पूर्ण विचार नहीं व्यक्त करता और इसलिए केवल एक शब्द वाक्य नहीं होता। अब नीचे दिए गए वाक्य देखिएः

–कौन ?

–डाकिया।

–क्या चाहिए ?

–पानी।

उपर्युक्त वाक्य में 'कौन' शब्द मात्र से संदेश या मंतव्य की पूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है, और इसी तरह 'डाकिया' शब्द भी भाव–संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण है। इनसे हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं वे हैं क्रमशः 'बाहर कौन है? और 'मैं डाकिया हूँ'। इसी प्रकार वाक्य (3) के शब्द 'क्या चाहिए?' और 'पानी' से हम क्रमशः ये अर्थ ग्रहण करते हैंः 'तुमको क्या चाहिए' और 'मैं पानी चाहता हूँ।'

इन उदाहरणों में वाक्य बाहरी सतह पर केवल एक शब्द के रूप में व्यक्त होकर ही आए हैं, लेकिन भीतरी तौर पर, यानी आंतरिक संरचना में, ये पूर्ण वाक्य हैं : देखिए :

– (बाहर) कौन (है)?

– (मैं) डाकिया (हूँ)।

– (तुमको) क्या चाहिए?

– (मैं) पानी (चाहता हूँ)।

इससे यह पता चलता है कि कुछ वाक्य केवल शब्द या अधूरे वाक्य के रूप में भी बोले जाते हैं और किसी संदर्भ से जुड़े होने के कारण वे हमें बोधगम्य हो जाते हैं। ऐसे वाक्यों को अल्पांग वाक्य कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे लघु वाक्य भी कहते हैं। हर अल्पांग वाक्य की आंतरिक संरचना में किसी पूर्ण वाक्य की सत्ता ढूंढी जा सकती है।

इस प्रकार हम रचना–प्रक्रिया की दृष्टि से वाक्यों को दो वर्गों में रख सकते हैंः

1. **पूर्णांग वाक्य** : ऐसा वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय के सभी घटक रचना की बाहरी सतह पर प्रकट हों, जैसे :

   (1) मिस्त्री ने मेरी कार की मरम्मत कर दी है।

   (2) हिंदी के सभी छात्र किताब पढ़ रहे हैं।

2. **अल्पांग वाक्य** : ऐसा वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय में से केवल एक अंश ही रचना की बाहरी सतह पर प्रकट हो, लेकिन जिसकी आंतरिक संरचना में पूरे वाक्य की सत्ता विद्यमान हो। ऐसे अल्पांग वाक्य से पूर्ण भाव का अर्थबोध संदर्भ के कारण संभव होता है या फिर इसके पीछे भाषा–प्रयोग का अपना वैशिष्ट्य रहता है, जैसे :

   नमस्ते; नहीं; अच्छा; जी हाँ; बैठो; कौन; चुप!

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 138 8/18/2021 12:21:44 PM

अल्पांग वाक्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं : प्रकृतिगत अल्पांग वाक्य और संदर्भ आश्रित अल्पांग वाक्य।

(क) **प्रकृतिगत अल्पांग वाक्य** : इस प्रकार के अल्पांग वाक्यों के किसी अंश का लोप संदर्भ की मांग के कारण नहीं होता, बल्कि यह भाषा संरचना की अपनी प्रकृति की विशेषता होती है। इस प्रकार अल्पांग वाक्यों को समझने के लिए आगे–पीछे संदर्भ की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए :

अभिवादन : नमस्ते; हैलो; बधाई; अलविदा!

आज्ञार्थक : बैठिए, चुप रहो; सो जा; उधर देखो; फोन मत करो।

संबोधनवाचक : भाई साहब! कुली! बैरा!

विस्मयादिबोधक : आह्!,छि!, शाबाश!,वाह!

(ख) **संदर्भ–आश्रित अल्पांग वाक्य** : इस प्रकार के अल्पांग वाक्य अपने अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए संदर्भ पर आश्रित रहते हैं। संदर्भ से हटा देने पर ये वाक्य अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति खो देते हैं। इस प्रकार के अल्पांग वाक्य किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में या किसी कथन की अतिरिक्त सूचना के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे :

(1) आप कहाँ रहते हैं?
–शक्ति नगर में। (मैं शक्ति नगर में रहता हूँ।)

(2) आपका नाम? (आपका नाम क्या है?)
–धर्मचंद (मेरा नाम धर्मचंद है।)

(3) मकान कैसा है? (आपका मकान कैसा है?)
– ठीक है। (मेरा मकान ठीक है।)

(4) मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। कभी नहीं! (मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा।)

संदर्भ के बदल जाने पर एक ही अल्पांग वाक्य के अर्थ तथा भाव भी बदल जाते हैं, जैसे :

'शक्ति नगर में' उत्तर के कई संभावित प्रश्न हो सकते हैं। जैसे :

(1) आपका घर कहाँ है? (मेरा घर शक्ति नगर में है)।

(2) दुर्घटना कहाँ हुई? (दुर्घटना शक्ति नगर में हुई)

(3) यह किताब कहाँ मिलेगी? (यह किताब शक्ति नगर में मिलेगी)

अल्पांग वाक्यों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में भी होता है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ दो उदाहरण देखिए :

(1) मैं आपको जानता हूँ आपके पिताजी को नहीं (जानता)।

(2) मुझे हिंदी फिल्में पसंद हैं, बच्चों को अंग्रेजी फिल्में (पसंद हैं)।

बोध प्रश्न

(1) कोष्ठक में दिए उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है। जो सही उत्तर हो उसे रिक्त स्थान में लिखिए :

1. वाक्य किसी भाव या मंतव्य को अपनी पूर्णता में व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे .....इकाई है। (छोटी / बड़ी / विशाल)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 139 8/18/2021 12:21:44 PM

2. जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे .....कहते हैं। (उद्देश्य / विधेय / क्रिया)।

3. अल्पांग वाक्य की .....संरचना में किसी पूर्णांग वाक्य की सत्ता ढूंढी जा सकती है। (बाहरी / आंतरिक / व्याकरणिक)।

4. लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार शब्द–रूपों में हुए परिवर्तन को .... कहते हैं। (शब्दक्रम / व्याकरणिक संबंध / अन्विति)

5. 'कृपया शांत रहिए' ..... वाक्य है।

(पूर्णांग / प्रकृतिगत अल्पांग / संदर्भ आश्रित)

(2) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। सही कथन के आगे (✓) तथा गलत के आगे (✗) का निशान लगाइए :

1. भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। ( )

2. किसी भी संदेश को दूसरे तक पहुँचाने के लिए कम से कम दो वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। ( )

3. व्याकरण की दृष्टि से वाक्य से बड़ी कोई रचना नहीं होती ( )

4. पदबंध में हमेशा दो या अधिक शब्द होते हैं, मात्र एक शब्द नहीं। ( )

5. हर वाक्य में उद्देश्य और विधेय की सत्ता रहती है। ( )

(3) नीचे दिया हर रेखांकित वाक्य इन तीनों में से किसी एक वर्ग का है–

(1) पूर्णांग वाक्य, (2) प्रकृतिगत अल्पांग वाक्य,

(3) संदर्भ आश्रित अल्पांग वाक्य

रेखांकित वाक्यों के नीचे दिए गए खानों में उनकी सही संख्या भरिए :

1. मैं कल तुम्हें फोन करूँगा, घर पर ही रहना।

( ) ( )

2. ठीक है, फोन कहाँ से करोगे?

( ) ( )

3. कनाट प्लेस। तुम तो घर पर ही रहोगे न।

( ) ( )

4. हाँ, तीन बजे तक रहूँगा, तीन के बाद नहीं।

( ) ( ) ( )

5. अच्छा, गुडबाई। कल मिलेंगे।

( ) ( ) ( )

8.4 वाक्य का अर्थगत वर्गीकरण

हर समाज में भाषा का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य या प्रयोजन से किया जाता है। आपने ऊपर पढ़ा कि भाषा में वाक्य के माध्यम से ही हम अपना मंतव्य या संदेश एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। संदेश या मंतव्य को अभिव्यक्त करने का हमारा कोई

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 140 8/18/2021 12:21:44 PM

उद्देश्य या प्रयोजन होता है। कभी हम आज्ञा देकर कोई कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। कभी प्रार्थना करना या मनाना हमारा प्रयोजन होता है। कभी अपने मन की भावनाओं को हम प्रकट करना चाहते हैं। इसी प्रकार विस्मय प्रकट करना, प्रश्न पूछना, डाँटना, नकारना, अनुमति लेना, सामान्य कथन की अभिव्यक्ति करना आदि के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। मोटे रूप से इसी प्रयोजन को प्रायः वाक्य का अर्थ भी कहा जाता है। नीचे के वाक्य देखिए:

(1) मैं आ जाऊँ?

(2) भगवान आपका भला करे!

(3) एक दर्जन अंडे ले आओ।

(4) कितनी शांत जगह है!

वाक्य (1) का प्रयोजन किसी कार्य के लिए अनुमति प्राप्त करना है, वाक्य (2) का प्रयोजन शुभकामना व्यक्त करना है, वाक्य (3) का प्रयोजन किसी से कोई कार्य करवाना (अर्थात् कार्य का आदेश देना) है। प्रयोजन या अर्थ के आधार पर इस प्रकार वाक्य के मुख्यतः पाँच भेद हो सकते हैं, जिनमें से प्रथम तीन मूल भेद हैं और दो रूपांतरण भेद।

8.4.1 कथनात्मक वाक्य

ऐसा वाक्य जिससे किसी बात का होना पाया जाए या जो स्थिति या सामान्य कथन की सूचना दे वह कथनात्मक वाक्य कहलाता है, जैसे :

(1) मनुष्य नश्वर है।

(2) दिल्ली भारत की राजधानी है।

(3) सभी छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं।

8.4.2 आज्ञार्थक वाक्य

ऐसा वाक्य जिससे किसी के कार्य को नियंत्रित किया जाए वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। यह कार्य सामान्यतः आज्ञा या निर्देश देकर या प्रार्थना अथवा विनय करके संपन्न किया जाता है, जैसे :

(1) तुम थोड़ी देर बाहर बैठो।

(2) कृपया पत्र का जवाब जल्दी भेजें।

(3) एक दर्जन अंडे ले आओ।

(4) मेरे जाने से पहले घर लौट आना।

8.4.3 मनोवेगात्मक वाक्य

ऐसा वाक्य जिससे वक्ता के मनोवेग, इच्छा, संदेह, विस्मय आदि मनोभावों का बोध हो वह मनोवेगात्मक वाक्य कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता के अपने मनोवेग, दृष्टिकोण या मानसिकता का आग्रह प्रबल रहता है। देखिए :

(1) आपकी यात्रा शुभ हो!

(2) कितनी शांत जगह है!

(3) शायद आज भी धूप न निकले!

(4) भगवान आपका भला करे!

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 141 8/18/2021 12:21:44 PM

वाक्य के ये उपर्युक्त तीन प्रमुख अर्थगत प्रकार हैं जिनमें क्रमशः विषय, श्रोता और वक्ता की प्रधानता रहती है। उदाहरणके लिए कथनात्मक वाक्य का मुख्य प्रयोजन किसी वस्तु, विषय या कार्य–व्यापार के बारे में सूचना देना होता है।

आज्ञार्थक वाक्यों में श्रोता के कार्य को नियंत्रित या निर्देशित करने का भाव प्रमुख रहता है और मनोवेगात्मक वाक्यों में वक्ता के अपने मनोभावों (इच्छा, संदेह, विस्मय, संभावना आदि) को प्रकट करने का भाव प्रमुख रहता है।

वाक्यों के इन तीन प्रमुख अर्थगत प्रकारों के अलावा दो अन्य प्रकारों की जानकारी भी आपके लिए जरूरी है। ये हैं–नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य। ये उस रूप में तो वाक्य के अर्थगत प्रकार नहीं है जिस रूप में उक्त तीन प्रकार, लेकिन ये वाक्यों के रूपांतरण भेद हैं। रूपांतरण भेद से तात्पर्य यह है कि ऊपर बताए गए अधिकांश वाक्यों को नकारात्मक या प्रश्नात्मक रूपों में बदला जा सकता है। जो वाक्य नकारात्मक नहीं, उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रकार्य या अर्थ के स्तर पर कुछ भिन्न होते हुए भी सुविधा की दृष्टि से इन्हें भी वाक्यों के अर्थगत वर्गों में शामिल किया गया है। अतः उपर्युक्त तीन भेदों के अलावा दो और भेद इस प्रकार हैं :

8.4.4 नकारात्मक वाक्य

सामान्य सकारात्मक वाक्यों में 'नहीं', 'न', 'मत', आदि का प्रयोग कर अधिकांश वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे :

(1) रमेश रोज़ चाय पीता है। (सकारात्मक)
रमेश रोज़ चाय नहीं पीता। (नकारात्मक)

(2) सामान उस कमरे में रख दें। (सकारात्मक)
सामान उस कमरे में न रखें। (नकारात्मक)

(3) बाहर बैठ जाओ। (सकारात्मक)
बाहर मत बैठो (नकारात्मक)

(4) शायद कल धूप निकले। (सकारात्मक)
शायद कल धूप न निकले। (नकारात्मक)

हिंदी में नकारात्मक वाक्य 'नहीं', 'न' तथा 'मत' मात्र से ही नहीं बनता बल्कि अन्य कई युक्तियों से भी वाक्य में नकारात्मकता लाई जा सकती है, जैसे :

(1) मैं तुम से थोड़े डरता हूँ। (= नहीं डरता)

(2) अब वह आने से रहा। (= नहीं आएगा)

(3) अब वे पैसा क्या लौटाएँगे! (= नहीं लौटाएँगे)

(4) अब वे क्यों आने लगे। (= नहीं आएँगे)

8.4.5 प्रश्नात्मक वाक्य

अधिकांश कथनात्मक वाक्यों के प्रश्नात्मक रूप बन सकते हैं। प्रश्नात्मक रूप केवल सकारात्मक वाक्यों के ही नहीं, बल्कि नकारात्मक वाक्यों के भी संभव हैं। आज्ञार्थक और मनोवेगात्मक वाक्यों के प्रश्नात्मक रूप नहीं बनते। देखिए :

(1) क्या रमेश रोज़ चाय पीता है?

(2) क्या रमेश रोज़ चाय नहीं पीता?

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 142 8/18/2021 12:21:44 PM

(3) क्या सभी छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं?

(4) क्या सभी छात्र कमरे में नहीं पढ़ रहे हैं?

8.5 वाक्य बनाम सरल वाक्य

पहले चर्चा की जा चुकी है कि व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के दो मुख्य अवयव होते हैं–उद्देश्य और विधेय। आपको यह भी बताया गया था कि वाक्य शब्दों या पदबंधों से मिलकर बनता है। अब नीचे के वाक्य देखिए :

(1) मैं कल रात नहीं सो सका था।

(2) मैं कल रात नहीं सो सका और पढ़ता रहा।

(3) पिताजी ने कहा कि मैं कल रात नहीं सो सका।

(4) पिताजी ने कहा कि मैं कल रात नहीं सो सका और रात भर पढ़ता रहा।

उदाहरण (1) में एक वाक्य–रचना (या उपवाक्य) है, उदाहरण (2–3) में दो वाक्य–रचनाएँ हैं और उदाहरण (4) में तीन वाक्य–रचनाएँ हैं। इसके बावजूद ये चारों ही वाक्य हैं। एक ही वाक्य में आए इस प्रकार की रचनाओं को उपवाक्य कहते हैं। सामान्यतः एक उपवाक्य में एक विधेय या क्रियापद का होना जरूरी होता है, जैसे :

वाक्य (1) में : 'सो सका'

वाक्य (2) में : 'सो सका', 'पढ़ता रहा'

वाक्य (3) में : 'कहा', 'सो सका'

वाक्य (4) में : 'कहा','सो सका', 'पढ़ता रहा'

एक ही वाक्य में तीन से भी अधिक उपवाक्यों का भी योग हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रचना वाक्य ही कहलाएगी और वाक्य के घटक या अंग के रूप में जुड़ी वाक्य–रचनाओं को उपवाक्य कहा जाएगा।

यहाँ एक बात गौर करने लायक है। वाक्य (1) में केवल एक ही उपवाक्य है, अतः इसकी सत्ता वाक्य के रूप में भी है और उपवाक्य के रूप में भी। इसमें वाक्य और उपवाक्य एकाकार हो गए हैं। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की पहचान यह है कि इसमें केवल एक ही विधेय क्रिया होती है। यहाँ यह विधेय क्रिया है 'सो सका'। जब हमने वाक्य के अनिवार्य तत्वों की चर्चा की थी। तभी हमने बताया था कि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का होना जरूरी है।

वाक्य (2) में दो उपवाक्य हैं जो 'और' के माध्यम से जुड़े हैं। ये दोनों उपवाक्य इस अर्थ में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं कि वे अपने अर्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं।

ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य (3) में भी दो उपवाक्य है, लेकिन इनमें दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित है। 'कि मैं कल रात नहीं सो सका'– यह बताता है कि इससे पूर्व एक और उपवाक्य है जिससे 'कि' की अर्थपूर्ति होगी–अर्थात् 'पिताजी ने कहा'। ऐसे वाक्यों को मिश्र उपवाक्य कहते हैं।

वाक्य (4) में तीन उपवाक्य हैं जिनमें से पहले दो उपवाक्य 'कि' के माध्यम से जुड़े हैं, जो इन्हें मिश्र वाक्य के वर्ग में रखते हैं, लेकिन अंतिम दो उपवाक्य 'और' के माध्यम से जुड़े हैं जो इन्हें संयुक्त वाक्य के वर्ग में रखते है। अतः इस प्रकार के मिले–जुले वाक्य को मिश्र–संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे भी वाक्य संभव हैं जिनमें एक से अधिक संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्यों का संयोग हो, जिन्हें हम आवश्यकतानुसार संयुक्त मिश्र वाक्य या मिश्र–संयुक्त वाक्य कह सकते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 143 8/18/2021 12:21:44 PM

मिश्र वाक्य पर हम इकाई 9 में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के कुछ पक्षों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर रचना की दृष्टि वाक्य के वर्गीकरण की थोड़ी सी जानकारी ही आपके लिए पर्याप्त है।

8.6 सरल वाक्य के प्रकार

आपने ऊपर पढ़ा कि सरल वाक्य एक पूर्ण वाक्य होता है। यही वाक्य जब संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य के साथ जुड़ जाता है, तो यह उस वाक्य का उपवाक्य बन जाता है। अतः जब हम सरल वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो उसके उन घटकों या अवयवों पर विचार करते हैं जिनसे मिलकर ये बनते हैं। वाक्य के घटकों की पहचान हम दो मुख्य आधारों पर करते हैं।

1. **शब्द–वर्गों के आधार पर**, जैसे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया–विशेषण, क्रिया आदि। इसी को शब्दों की संरचनात्मक कोटि भी कहते हैं।
2. **प्रकार्यात्मक आधार पर**, जैसे कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया–विशेषण तथा क्रिया आदि। इन्हें प्रकार्यात्मक कोटि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे वाक्य में शब्दों या पदबंधों की भूमिका के प्रकार्य का बोध होता है, जैसे अमुक घटक (शब्द, पदबंध) वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयुक्त है, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में या क्रिया के रूप में।

दोनों कोटियों के बीच एक खास अंतर पर ध्यान दीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया आदि के रूप में शब्दों की पहचान वाक्य से बाहर भी संभव है, लेकिन कर्ता, कर्म, पूरक आदि के रूप में इन शब्दों की प्रकार्यात्मक कोटि तभी पहचानी जा सकती है, जब वे वाक्य में प्रयुक्त हों। उदाहरण के लिए 'लड़का', 'किताब' और 'अध्यापक' आदि की स्वतंत्र पहचान हमेशा संज्ञा के रूप में है, लेकिन इनकी प्रकार्यात्मक कोटि केवल वाक्य के संदर्भ में ही परिभाषित होती है जैसे :

(1)	लड़का / किताब / पढ़ रहा है।	(कर्ता × कर्म × क्रिया)
(2)	किताब / फट गई।	(कर्ता × क्रिया)
(3)	अध्यापक ने / लड़के को / पीटा।	(कर्ता × कर्म × क्रिया)

इन वाक्यों में 'लड़का', 'किताब' और 'अध्यापक' संज्ञाएँ हैं, लेकिन वाक्य (1) में 'लड़का' कर्ता की भूमिका में है और वाक्य (3) में कर्म की भूमिका में। इसी प्रकार 'किताब' वाक्य (1) में कर्म है और वाक्य (2) में कर्ता। इससे हम दो निष्कर्षों पर पहुँचते हैं– एक तो यह कि कर्ता, कर्म, पूरक आदि की सत्ता मूलतः शब्द में ही निहित है और वाक्य से बाहर भी इनकी कोटि निर्धारित की जा सकती है।

उदाहरण के लिए हम यह तो कह सकते हैं कि 'मेज़', 'किताब' आदि संज्ञाएँ हैं लेकिन यह नहीं कह सकते कि ये कर्ता हैं, कर्म हैं या पूरक, जब तक कि ये वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे सामने न आएँ।

यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। कर्ता, कर्म, पूरक आदि के रूप में केवल शब्द ही नहीं बल्कि पूरे पदबंध को ही शामिल किया जाता है। इसीलिए वाक्य में इन्हें हम कर्ता पदबंध, कर्म पदबंध, पूरक पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक पदबंध के अंतर्गत एक या अधिक शब्द हो सकते हैं। देखिए:

	कर्ता	**कर्म**	**क्रिया**
(1)	लड़का	किताब	पढ़ रहा है।
(2)	मेरा बड़ा लड़का	भूगोल की किताब	पढ़ रहा है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 144 8/18/2021 12:21:44 PM

(3)	सरला	–	हँस रही है।
(4)	किताब	–	फट गई है।
(5)	कल खरीदी हुई किताब	–	फट गई है।

इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए :

	कर्ता	**पूरक**	**है–क्रिया**
(1)	लड़का	बीमार	है।
	चार नंबर कमरे वाला लड़का	बहुत ज्यादा बीमार	है।

सरल वाक्यों के प्रकार संरचनात्मक कोटियों (शब्द–वर्गों) के आधार पर नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक कोटियों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। सामान्यतः वाक्य की क्रिया यह निश्चित करती है कि वाक्य में कितने घटक होंगे और कौन–कौन से घटक होंगे। यानी वाक्य में कर्म होगा या नहीं, पूरक होगा या नहीं, आदि। उदाहरण के लिए, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में केवल कर्ता होता है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। इस प्रकार हर सरल वाक्य कर्ता, कर्म, पूरक, क्रियाविशेषण और क्रिया घटकों या इनमें से कुछ घटकों का एक योग होता है। इनमें से कुछ घटक अनिवार्य होते हैं और कुछ ऐच्छिक। देखिए:

(1) लड़का/तीन दिन से/बीमार/है। (कर्ता × क्रि. वि. × पूरक × क्रिया)

इस वाक्य में 'लड़का' 'बीमार' और 'है' अनिवार्य घटक हैं, क्योंकि इन्हें वाक्य से निकाल देने पर वाक्य टूट जाता है और वाक्य अर्थहीन हो जाता है, जैसे

'लड़का ..... है', ' ..... बीमार है' और 'लड़का बीमार .....'।

इसके विपरीत, इस वाक्य में 'तीन दिन से' घटक (पदबंध), जो क्रियाविशेषण पदबंध है, ऐच्छिक है। इसे वाक्य से हटा देने पर भी वाक्य की रचना भंग नहीं होती, जैसे–

'लड़का बीमार है।'

यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि सरल वाक्यों के प्रकार निर्धारित करते समय हम केवल अनिवार्य घटकों को ही आधार मानते हैं, ऐच्छिक घटकों को नहीं। आपके लिए मोटे रूप से हिंदी के सरल वाक्यों के निम्नलिखित प्रमुख 6 प्रकार महत्वपूर्ण हैं (स्मरण रहे कि कुछ अन्य आधारों को मानने पर या और बारीक भेद करने पर इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है) :

प्रकार 1	**कर्ता**	**पूरक**	**है–क्रिया**
	रमेश	हिंदी का छात्र	है।
	लड़का	बीमार	है।
	सभी लोग	घर पर	हैं।
प्रकार 2	**कर्ता + को**	**पूरक**	**है–क्रिया**
	सीता को	बुखार	है।
	राम प्रसाद को	फुटबाल का शौक	है।
	शेखर को	सावित्री से प्यार	है।
प्रकार 3	**कर्ता**	**क्रिया (अकर्मक)**	
	सीता	रो रही है।	
	स्कूल के बच्चे	दौड़ रहे हैं।	

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 145 8/18/2021 12:21:44 PM

प्रकार 4	कर्ता	कर्म	क्रिया (सकर्मक)
	सुरेश	गणित	पढ़ रहा है।
	मेहमानों ने	खाना	खा लिया है।
	डॉक्टरने	सभी मरीजों को बुलाया है।	

प्रकार 5	कर्ता	कर्म 1 (अपादान)	कर्म 2 क्रिया	(द्विकर्मक)
	श्री रंगनाथ ने	सभी छात्रों को	किताबें	दीं।
	मैंने	पिताजी को	चिट्ठी	लिख दी है।
	मैं	आपको	हिंदी	पढ़ा सकता हूँ।
प्रकार 6	**कर्ता**	**कर्म**	**कर्म पूरक**	**क्रिया**
	मैं	रमेश को	डॉक्टर	समझता था।
	उन्होंने	काशीराम को	अपना नेता	चुना।

इस चरण में आपके लिए सरल वाक्य के उपर्युक्त 6 प्रकारों की जानकारी पर्याप्त है। इनके आधार पर आप सरल वाक्यों की भीतरी संरचना और इनके घटकों के परस्पर संबंधों को समझ सकेंगे।

बोध प्रश्न

(4) नीचे तीन प्रकार के वाक्य दिए जा रहे हैं :

(1) कथनात्मक (2) आज्ञार्थक (3) मनोवेगात्मक

इनमें से प्रत्येक वाक्य के सामने वाले खाने में सही उत्तर की संख्या लिखिए :

1. घर में सभी को मेरा प्यार कह दें। ( )
2. कानपुर वाली गाड़ी अब तीन बजे के बाद मिलेगी। ( )
3. अगर घर न लौटना चाहो तो यहीं रह लो। ( )
4. हो सकता है मैं भी साथ चलूँ। ( )
5. यहाँ के लोग बड़े ईमानदार होते हैं। ( )
6. जुग–जुग जिओ। ( )
7. कितना प्यारा बच्चा है। ( )

(5) कोष्ठक में दिए उत्तरों में से एक उत्तर सही है। जो उत्तर सही हो उसे रिक्त स्थान में लिखिए :

1. आज्ञार्थक वाक्यों में ..... का लोप होता है।
(उद्देश्य / विधेय / क्रिया)
2. ..... वाक्य में वाक्य और उपवाक्य एकाकार हो जाते हैं।
(संयुक्त / मिश्र / सरल)
3. ..... वाक्य में अर्थ पूर्ति के लिए कोई उपवाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं होता। (अल्पांग / संयुक्त / मिश्र)
4. कर्ता, कर्म, पूरक.....कोटियाँ कहलाती हैं।
(प्रकार्यात्मक / संरचनात्मक / व्याकरणिक)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 146 8/18/2021 12:21:44 PM

5. ..... वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है। (सरल / संयुक्त / मिश्र)

6. सरल वाक्यों के प्रकार ..... घटकों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। (अनिवार्य / ऐच्छिक / सभी)

7. दो शब्दों के बीच लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हुआ रूप–परिवर्तन .....कहलाता है। (अन्विति / शब्द–क्रम / व्याकरणिक संबंध)

(6) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। सही कथन के आगे (✓) तथा गलत कथन के आगे (✗) का निशान लगाइए–

1. कथनात्मक वाक्यों के नकारात्मक रूप संभव हैं।
   सही ( ) गलत ( )

2. नकारात्मक वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्यों में नहीं बदला जा सकता।
   सही ( ) गलत ( )

3. प्रकार्यात्मक कोटियों (कर्ता, कर्म आदि) की सत्ता केवल वाक्य के भीतर होती है, वाक्य के बाहर नहीं। सही ( ) गलत ( )

4. 'मैं साइकिल के दफ्तर जाता हूँ' वाक्य में 'साइकिल से' अनिवार्य घटक है। सही ( ) गलत ( )

5. 'मैं घर गया' वाक्य में 'गया' सकर्मक क्रिया है।
   सही ( ) गलत ( )

6. कर्ता तथा कर्म पदबंध में हमेशा दो या अधिक शब्द होते हैं।
   सही ( ) गलत ( )

(7) नीचे पाँच वाक्य दिए जा रहे हैं जिनके पदबंधों (घटकों) के नीचे संख्याएँ लिखी गई हैं। वाक्यों के बाद घटकों की सात कोटियाँ दी गई हैं। इन कोटियों के समाने सही पदबंधों की संख्या लिखिए :

क.	मैं	इस साल	एक कार	खरीदूँगा।
	1	1 2	3	4
ख.	पेड़ के सारे पत्ते	अभी से	झड़ने शुरू हो गए।	
	5	6	7	
ग.	हरीश को	परसों से	फ्लू	है।
	8	9	10	11
घ.	देव ने	अपनी दुकान	बचे दी है।	
	12	13	14	
ङ.	<u>मैंने सतीश को</u>	<u>अपना स्टेनो</u>	<u>नियुक्त</u>	<u>कर लिया है।</u>
	15	16	17	18

1. ऐच्छिक घटक
2. कर्ता
3. कर्ता + को
4. कर्म

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 147 8/18/2021 12:21:45 PM

5. पूरक
6. कर्मपूरक
7. क्रिया

8.7 संयुक्त वाक्य का स्वरूप

प्रस्तावना में हमने संकेत किया था कि संयुक्त वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी उपवाक्य मुख्य (या स्वतंत्र) उपवाक्य होते हैं। मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य से क्या तात्पर्य है– यह समझने के लिए नीचे दिए गए कुछ वाक्य देखिए:

(1) शेखर बाज़ार गया और मेरे लिए एक साइकिल लाया। (संयुक्त वाक्य)

(2) शेखर एक साइकिल लाया जो बहुत पुरानी है। (मिश्र वाक्य)

वाक्य (1) में दो उपवाक्य हैं :

(क) शेखर बाज़ार गया। (स्वतंत्र/मुख्य)

(ख) (शेखर) मेरे लिए एक साइकिल लाया। (स्वतंत्र/मुख्य)

इन दोनों उपवाक्यों का प्रयोग अपनी–अपनी जगह इस रूप में स्वतंत्र है कि वे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं हैं और दोनों का पृथक प्रयोग संभव है। इस प्रकार के वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसके विपरीत वाक्य (2) के दो उपवाक्यों की स्थिति देखिए:

(क) शेखर एक साइकिल लाया (स्वतंत्र/मुख्य)

(ख) जो बहुत पुरानी है (गौण/आश्रित)

इस वाक्य में 'जो बहुत पुरानी है' उपवाक्य अपने अर्थ की पूर्ति के लिए मुख्य उपवाक्य के अर्थ पर आश्रित है, यानी 'जो' का अर्थ तभी पूरा होता है जब इसे मुख्य उपवाक्य के संज्ञापद 'एक साइकिल' से जोड़कर समझा जाए।

'जो बहुत पुरानी है' का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। अतः पहला उपवाक्य मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हुआ और दूसरा गौण या आश्रित। इस प्रकार के उपवाक्यों वाले वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं।

इस प्रकार आप कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होते हैं। इसके विपरीत मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य होता है और शेष गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। इससे आप यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी वाक्य में कम से कम एक मुख्य उपवाक्य का होना जरूरी है।

8.7.1 समुच्चयबोधक अव्यय

ऊपर दिए वाक्य (1–2) में आए शब्द 'और' तथा 'जो' पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये शब्द दो उपवाक्यों के अर्थ को आपस में जोड़ रहे हैं। जब भी दो या अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ते हें तो उनके बीच अक्सर एक ऐसा शब्द होता है जो उनको आपस में जोड़ता है या अर्थ को एक सूत्र में बाँधता है। ऐसे शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। 'समुच्चय' का मूल अर्थ होता है 'समूह' या 'योग'। 'अव्यय' ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनके रूपों में कोई व्याकरणिक परिवर्तन या विकार नहीं होता। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी विकारी शब्द हैं। क्रियाविशेषण को अविकारी शब्द माना जाता है। इसी प्रकार 'और', 'तथा', 'भी', 'तो', 'ही' आदि शब्द भी अविकारी हैं, क्योंकि इनके रूपों पर लिंग, पुरुष, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इन्हें मोटे रूप से अव्यय कहा जाता है। (कुछ विद्वान इसी आधार पर

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 148 8/18/2021 12:21:45 PM

क्रियाविशेषण शब्दों को भी अव्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं, लेकिन हमने फिलहाल अव्यय शब्द का प्रयोग क्रियाविशेषण के लिए नहीं किया है)।

संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले प्रमुख समुच्चयबोधक शब्द हैं :

- और, तथा, एवं
- लेकिन, किंतु, मगर, पर
- फिर, ही नहीं बल्कि
- इसलिए, अतः, अतएव, सो
- या, अथवा, या .....या, न ..... न, कि (या के अर्थ में)
- नहीं तो, अन्यथा
- चाहे ..... चाहे, न कि

मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को जोड़ने वाले ऐसे शब्द हैं– जब, जो, जहाँ, जिधर, जैसा, मानो, ज्यों ही ..... त्योंही, क्योंकि, चूँकि, यदि, अगर, जिससे, ताकि, यद्यपि आदि। इस पर हम इकाई 9 में विस्तार से चर्चा करेंगे।

संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में इन समुच्चयबोधक अव्ययों का बड़ा महत्व है। दोनों उपवाक्यों के बीच अर्थों का परस्पर क्या संबंध है इसकी जानकारी हमें इन्हीं शब्दों से मिलती है। देखिए :

(3) सूरज निकल रहा है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं।

(4) सूरज निकल आया है लेकिन सतीश अभी तक नहीं उठा है।

वाक्य (3) में सूरज निकलने और चिड़ियों के चहचहाने के इन दो कार्य–व्यापारों को एक साथ संयोजित करके रखा गया है। इसमें समुच्चयबोधक अव्यय 'और' के प्रयोग से दो कार्य–व्यापारों के संयोजन का बोध होता है। वाक्य (4) में सूरज निकलने और सतीश के अभी तक न उठने के दो कार्य–व्यापारों के बीच विरोधी स्थिति का आभास होता है, यानी सूरज निकलने पर सतीश को उठ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं उठा। अतः इस वाक्य में 'लेकिन' के प्रयोग से दो उपवाक्यों के अर्थ के बीच विरोधवाची संबंध की सूचना मिलती है।

समुच्चयबोधक अव्ययों की एक विशेषता पर और ध्यान दीजिए। कुछ स्थितियों में जहाँ दो उपवाक्यों के बीच का अर्थगत संबंध बिना समुच्चयबोधक अव्यय की सहायता से स्वतः स्पष्ट हो जाता है, वहाँ वाक्य के प्रयोग से प्रायः इसका स्वैच्छिक लोप हो जाता है और इसके स्थान पर प्रायः कॉमा (,) का चिह्न लगा दिया जाता है जैसे :

(5) जाने वाले चले गए, हम देखते रहे गए। (और)

(6) क्या चाहते थे, क्या हो गया ! (और/लेकिन)

8.8 संयुक्त वाक्यों के प्रकार

आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य होते हैं और ये सभी उपवाक्य मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि दोनों उपवाक्यों के बीच कोई संबंध नहीं होता। यह सच है कि इनमें कोई भी उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर अपने अर्थ की पूर्ति के लिए आश्रित नहीं होता, लेकिन दो उपवाक्यों के बीच अर्थ संगति अवश्य होती है। दूसरे शब्दों में, दो उपवाक्यों के बीच कोई न कोई विशेष प्रकार का अर्थ संबंध होता है। देखिए :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 149 8/18/2021 12:21:45 PM

(7) गिलास नीचे गिरा और चूर–चूर हो गया। (संगत)

(7 क) गिलास चूर–चूर हो गया और नीचे गिरा। (असंगत)

वाक्य (7) में पहला उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य जिस क्रम से आए हैं उससे कार्य और परिणाम का संबंधबोध होता है। यदि ऐसा न होता तो वाक्य (7 क), जिसमें वाक्य का क्रम बदल दिया गया है, ग्राह्य वाक्य होता लेकिन वह ग्राह्य नहीं है। यही कारण है कि वाक्य (7) में 'और' के बाद परिणाम के सूचक अव्यय 'इसलिए' का प्रयोग भी संगत हो जाता है, जैसे :

(7 ख) गिलास नीचे गिरा और इसलिए चूर–चूर हो गया।

इस प्रकार संयुक्त उपवाक्य के दो उपवाक्य एक खास तरह के संबंध से परस्पर जुड़े रहते हैं। इन्हीं अर्थ–संबंधों के आधार पर संयुक्त वाक्य के भेद या प्रकार निर्धारित किए जाते हैं।

सामान्यतः ये अर्थ संबंध चार प्रकार के माने जाते हैं : 1. संयोजक संबंध, 2. विभाजक संबंध, 3. विरोधवाची संबंध और 4. परिणामवाची संबंध। आगे इन पर हम कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे।

8.8.1 संयोजक संबंध

जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों से दो कार्य–व्यापारों या स्थितियों को संयोजित करने या जोड़ने का भाव प्रकट हो तो उनके बीच संयोजक संबंध माना जाता है। संयोजक संबंध से जुड़े दो या अधिक उपवाक्यों से बने वाक्य को संयोजक बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के संयोजक संबंध को व्यक्त करने के लिए दो उपवाक्यों के बीच जिन समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग होता है उनमें प्रमुख हैं : और, तथा, एवं, फिर, ही नहीं ..... बल्कि, आदि। देखिए :

(8) शेखर बाज़ार गया और मेरे लिए एक साइकिल लाया।

(9) बाहर कुहासा छाया हुआ था तथा बिजली भी आ–जा रही थी।

(10) सत्य हमारा संबल है एवं अन्याय हमारा शत्रु।

(11) वह केवल एक ही बार आया, फिर दुबारा कभी नहीं आया।

(12) चोर केवल पैसा ही नहीं ले गया, बल्कि सारे गहने और कपड़े भी ले गया।

ऊपर दिए गए वाक्यों में दो उपवाक्यों के बीच 'और' के अर्थ का आभास हर वाक्य में छिपा है भले ही उसके स्थान पर 'फिर' या 'ही नहीं .....बल्कि' का प्रयोग हुआ हो।

(11 क) वह केवल एक ही बार आया और दुबारा कभी नहीं आया।

(12 क) चोर पैसा ले गया और सारे गहने और कपड़े भी ले गया।

जब किसी संयुक्त वाक्य में दो से अधिक उपवाक्य संयोजक संबंध से जुड़े हों तो केवल अंतिम दो वाक्यों के बीच ही 'और', 'तथा', आदि समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग होता है, शेष में कॉमा (,) का प्रयोग होता है, जैसे :

(13) उसने दरवाज़ा खोला, इधर–उधर देखा, कोट उतारा और शांत भाव से बैठ गया।

8.8.2 विभाजक संबंध

जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों से दो कार्य–व्यापारों या स्थितियों में से एक को स्वीकार करने और दूसरो को त्यागने या फिर दोनों विकल्पों का त्याग करने का

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 150 8/18/2021 12:21:45 PM

बोध होता है तो उनके बीच विभाजक संबंध माना जाता है। विभाजक संबंध से जुड़े दो या अधिक उपवाक्यों से बने वाक्य को विभाजक बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। विभाजक संबंध को व्यक्त करने के लिए दो उपवाक्यों के बीच जिन समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग होता है उनमें प्रमुख हैं– या, अथवा, या ..... या, न ..... न, नहीं तो, अन्यथा, चाहे .....चाहे, न कि, कि ('या' के अर्थ में)। देखिए :

(14) मैं आपको फोन कर दूँगा या किसी के हाथ खबर भिजवा दूँगा।

(15) या आप मुझे जाने दीजिए या खुद चले जाइए।

(16) कंपनी का आदेश मानो अथवा नौकरी छोड़ दो।

(17) न वह मुझे पहचानता है न मैं उसे पहचानता हूँ।

(18) पैसे आज ही जमा कर दो नहीं तो फोन कट जाएगा।

(19) आप ही ने मुझे यह ख्याति दिलायी, अन्यथा मुझे यहाँ कौन जानता था।

(20) चाहे तुम अंग्रेजी में लिख लो चाहे गुजराती में।

(21) मैंने आपको बिल्कुल नई रुई दी थी न कि इतनी पुरानी।

(22) आप मेरी गाड़ी में चलना चाहते हैं कि गुप्ताजी की गाड़ी में ?

इनमें से तीन समुच्चयबोधक अव्यय 'या', 'अथवा' तथा 'कि' से विकल्प की स्पष्ट स्थिति का बोध होता है। विकल्प दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब विकल्प दो से अधिक हों तो इन समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग केवल अंतिम दो उपवाक्यों के बीच ही होता है, शेष में प्रायः कॉमा (,) का प्रयोग कर दिया जाता है, या फिर किसी और युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे :

(23) मैं आपको फ़ोन कर दूँगा, किसी के हाथ ख़बर भिजवा दूँगा या चिट्ठी भेज दूँगा।

(23 क) मैं आपको फोन कर दूँगा या किसी के हाथ खबर भिजवा दूँगा या फिर चिट्ठी भेज दूँगा।

8.8.3 विरोधवाची संबंध

जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों से कार्य–व्यापारों या स्थितियों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो उनके बीच विरोधवाची संबंध माना जाता है। विरोधवाची संबंध से जुड़े दो या अधिक उपवाक्यों से बने वाक्य को विरोधवाची संबंध बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं इस प्रकार के विरोधवाची संबंध को व्यक्त करने के लिए जिन समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग होता है उनमें प्रमुख हैं : लेकिन, किंतु, मगर, पर, बल्कि आदि। देखिएः

(24) मैंने रमा को साथ चलने को कहा लेकिन वह नहीं आयी।

(25) मंत्री ने राजा को बहुत समझाया पर राजा नहीं माना।

(26) कपिल खेल में बहुत अच्छा है मगर पढ़ाई में कमज़ोर है।

(27) हम खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं।

8.8.4 परिणामवाची संबंध

जब संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक से कार्य का बोध हो और दूसरे से उसके परिणाम का, तो इनके बीच कार्य और परिणाम का संबंध माना जाता है। कार्य और परिणाम से जुड़े दो उपवाक्यों से बने वाक्य को परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में दोनों उपवाक्यों के बीच जो प्रमुख समुच्चयबोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं, वे हैं : इसलिए, अतः, अतएव, सो आदि। देखिएः

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 151 8/18/2021 12:21:45 PM

(28) कल दिन भर बारिश रही, इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए।

(29) इस इतवार को हड़ताल है, अतः दुकानें नहीं खुलेंगी।

(30) बच्चे बहुत थक गए थे, अतएव वे जल्दी सो गए।

(31) सतीश आज दफ्तर नहीं जाना चाहता था, सो उसने बहाना बना दिया।

ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उनकी एक विशेषता पर गौर कीजिए। इन सभी वाक्यों में समुच्चयबोधक अव्यय 'इसलिए' के स्थान पर या इनके साथ–साथ 'और' का प्रयोग भी संभव है, जैसे :

(28 क) कल दिनभर बारिश रही और इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए।

(29 क) इस इतवार को हड़ताल है और इसलिए दुकानें नहीं खुलेंगी।

(30 क) बच्चे बहुत थक गए थे और इसलिए जल्दी सो गए।

(31 क) सतीश आज दफ्तर नहीं जाना चाहता था, और इसलिए उसने बहाना बना दिया।

यहाँ यह विशेषता इसलिए महत्वपूर्ण है कि 'इसलिए' का प्रयोग मिश्रवाक्यों में भी होता है जहाँ इसके साथ दूसरे उपवाक्य में 'कि' या 'क्योंकि' का प्रयोग होता है जो गौण या आश्रित उपवाक्य हैं। देखिए :

(32) मैं इसलिए कल कॉलेज नहीं आ पाया कि मैं बीमार था। (मिश्र)

(33) मैं (इसलिए) कल कॉलेज नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था। (मिश्र)

इन वाक्यों में 'इसलिए' से पहले 'और' का प्रयोग संभव नहीं (मैं और इसलिए कॉलेज नहीं आ पाया कि मैं बीमार था)। इसके विपरीत संयुक्त वाक्य में 'इसलिए' के साथ 'और' का प्रयोग संभव है, जैसे :

(34) मैं कल बीमार था और इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया।

इस अंतर को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं:

उपवाक्य 1	**उपवाक्य 2**
(कार्य) मैं कल बीमार था	इसलिए कॉलेज नहीं गया (परिणाम)
(परिणाम) मैं इसलिए कल कॉलेज नहीं गया	क्योंकि मैं बीमार था (कारण)

बोध प्रश्न

(8) कोष्ठक में दिए उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है। जो सही उत्तर हो उसे रिक्त स्थान में लिखिए:

1. संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य ..... होते हैं।
(आश्रित / मुख्य / गौण)

2. दो उपवाक्यों के बीच परस्पर संबंध क्या है इसकी जानकारी हमें ..... से मिलती है।
(मुख्य उपवाक्य / आश्रित उपवाक्य / समुच्चयबोधक अव्यय)

3. जब संयुक्त वाक्य द्वारा व्यक्त दो कार्य व्यापारों में से एक स्वीकार करने और दूसरे को त्यागने का विकल्प हो तो उसे .....संबंध कहते है।
(संयोजक / विभाजक / विरोधवाची)

4. 'जब', 'जो', 'जहाँ समुच्चयबोधक अव्यय ..... वाक्य के दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। (मिश्र / सरल / संयुक्त)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 152 8/18/2021 12:21:45 PM

5. जो उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता उसे ..... उपवाक्य कहते हैं। (गौण / मिश्रित / मुख्य)

(9) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए कौन–से वाक्य सही हैं कौन–से गलत :

1. संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य और शेष गौण होते हैं।
   सही ( ) गलत ( )
2. किसी भी वाक्य में कम से कम एक गौण उपवाक्य का होना जरूरी है।
   सही ( ) गलत ( )
3. संयुक्त वाक्य में किसी भी समुच्चयबोधक अव्यय का ऐच्छिक लोप संभव नहीं। सही ( ) गलत ( )
4. समुच्यबोधक अव्यय 'इसलिए' का प्रयोग संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में होता है। सही ( ) गलत ( )
5. संयुक्त वाक्य में 'इसलिए' से पहले 'और' का प्रयोग असंगत नहीं।
   सही ( ) गलत ( )

(10) संयुक्त वाक्य के प्रकार इन चार संबंधों पर आधारित हैं :

1. संयोजक 2. विभाजन
3. विरोधावाची 4. परिणामवाची

हर वाक्य के सामने इसके सही प्रकार की संख्या भरिए।

1. गाड़ी थोड़ी देर रुकी, फिर तेजी से निकल पड़ी। ( )
2. मैं तो समिति का सदस्य नहीं हूँ इसलिए कुछ नहीं कह सकता। ( )
3. उसने मुझे गाली ही नहीं दी, बल्कि पीटा भी। ( )
4. या तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो या फिर साइकिल दे दो। ( )
5. रामदीन न हिंदी लिखना जानता है न उर्दू लिखना। ( )
6. यहाँ का आम मीठा होता है, लेकिन यह आम मीठा नहीं निकला। ( )
7. मुझे जीवन में यश नहीं मिला बल्कि अपयश मिला। ( )
8. पिताजी बहुत जोर दे रहे थे, अतएव मुझे हाँ कहना पड़ा। ( )

(11) बोध प्रश्न 5 में संयुक्त वाक्य की चार संबंध–कोटियाँ दी गई हैं। नीचे दिए समुच्चयबोधक अव्ययों के सामने उनकी सही संबंध–कोटि की संख्या लिखिए :

1. एवं ( )
2. सो ( )
3. बल्कि ( )
4. ही नहीं..... बल्कि ( )
5. न कि ( )
6. फिर ( )
7. चाहे ..... चाहे ( )

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 153 8/18/2021 12:21:45 PM

8. अतः ( )

9. अन्यथा ..... ( )

10. न ..... न ..... ( )

8.9 संयुक्त वाक्य की रचना–प्रक्रिया

ऊपर हमने कहा था कि संयुक्त वाक्य दो या अधिक उपवाक्यों का योग है। दो उपवाक्य जब संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जुड़ते हैं तो क्या उनका आकार दो पूर्ण उपवाक्यों के रूप में ही रहता है या उनके आकार में कुछ परिवर्तन आ जाता है? नीचे के वाक्य देखिए :

(35) आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी।

(36) मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके भाई से नहीं।

वाक्य (35) में दोनों उपवाक्य अपने पूर्णरूप में वाक्य में आए हैं– 'आसमान में तारे चमक रहे थे' और 'चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी'।

वाक्य (36) में दूसरे उपवाक्य में क्रियापद 'मिलना चाहता हूँ' का लोप हो गया है, क्योंकि दोनों उपवाक्यों का विधेय समान है। भाषा के अपने नियमों के अनुसार एक ही समान शब्द या वाक्यांश प्रायः दोहराए नहीं जाते। देखिए :

(i) मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। (पूर्ण उपवाक्य)

(ii) (मैं) आपके भाई से नहीं मिलना चाहता। (विधेय का लोप)

क) दो या अधिक उपवाक्यों को बिना किसी परिवर्तन के परस्पर जोड़कर, जैसे वाक्य (35) में।

ख) दो या अधिक उपवाक्यों में से किसी एक या दो उपवाक्यों के कुछ शब्दों या अंशों का लोप करके, जैसे वाक्य (36) में।

इस प्रकार वाक्य की रचना या बनावट के आधार पर संयुक्त वाक्यों को दो वर्गों में रखा जा सकता है– पूर्णांग संयुक्त वाक्य और अल्पांग संयुक्त वाक्य।

8.9.1 पूर्णांग संयुक्त वाक्य

पूर्णांग संयुक्त वाक्यों में दो या अधिक उपवाक्य बिना किसी परिवर्तन के अपने पूर्ण रूप में मौजूद रहते हैं। दो उपवाक्यों के बीच आवश्यकता के अनुसार केवल समुच्चयबोधक अव्यय या कॉमा (,) का प्रयोग होता है, जैसे वाक्य (35) और नीचे दिए वाक्य देखिए :

(37) बच्चे पढ़ रहे थे, माँ खाना बना रही थी और बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे।

(38) मैंने बक्सा उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था।

(39) मुझे यहीं रहने दो या तुम भी यहीं चले आओ।

इस प्रकार के पूर्णांग संयुक्त वाक्य सामान्यतः तब बनते हैं जब दोनों उपवाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग–अलग हों या किसी एक उपवाक्य के कार्य–व्यापार का दूसरे उपवाक्य में दोहराव न हो।

8.9.2 अल्पांग संयुक्त वाक्य

अल्पांग संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में दो में से किसी एक उपवाक्य के कुछ अंशों का लोप हो जाता है। इन अंशों का लोप होने पर भी अर्थ इसलिए समझ में आता है कि

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 154 8/18/2021 12:21:45 PM

लुप्त अंश का वही अर्थ दूसरे उपवाक्य में मौजूद रहता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में जब भी समान शब्द या अंश आते हैं तो अक्सर भाषा की यह प्रवृत्ति होती है कि उन शब्दों या अंशों को न दोहराया जाए और केवल एक उपवाक्य में ही उनका उल्लेख हो, शेष में उनका लोप कर दिया जाए। देखिए:

(40) हम लोग हिंदी फिल्म पसंद करते हैं और हमारे बच्चे अंग्रेजी फिल्म (पसंद करते हैं)।

(41) आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी (लेना चाहेंगे)।

(42) मैं जाऊँगा ज़रूर, लेकिन अभी नहीं (जाऊँगा)।

(43) मेरे पास बुद्धि है और तुम्हारे पास धन (है)।

(44) हम चाय नहीं (पिएँगे), (हम) लस्सी पिएँगे।

ऊपर के उदाहरणों में कोष्ठक में दिए अंश दोनों उपवाक्यों में समान हैं, इसलिए इनका एक उपवाक्य में लोप हो गया है। वाक्य (40–42) में यह लोप दूसरे उपवाक्य में हुआ है और वाक्य (42–43) में यह लोप पहले उपवाक्य में हुआ है। लोप किस उपवाक्य में होगा यह शैली के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन सामान्यतः दूसरे या अंतिम उपवाक्य में लोप की प्रवृत्ति अधिक मिलती है।

इन उपवाक्यों में आपने देखा कि अधिकांशतः विधेय (क्रिया वाले अंश) का ही किसी एक उपवाक्य में लोप हुआ है। वाक्य (40–44) में ये लुप्त अंश हैं–पसंद करते हैं, लेना चाहेंगे, जाऊँगा, हैं, पिएँगे। अगर इनका लोप न होता तो हर उपवाक्य में इनका उल्लेख करते रहना पड़ता।

अल्पांग संयुक्त वाक्यों में केवल विधेय ही नहीं, उद्देश्य या कर्ता का लोप भी संभव है। जब संयुक्त वाक्य के दो या अधिक कर्ता समान हों, लेकिन विधेय अलग–अलग हों तो उद्देश्य का उल्लेख केवल पहले उपवाक्य में ही होता है, शेष उपवाक्यों में इनका लोप हो जाता है। जैसे वाक्य (44) और (45) में क्रमशः कर्ता 'उल्लू' और 'मैं' का प्रयोग केवल पहले उपावाक्य के साथ है शेष के साथ नहीं। देखिए :

(44) उल्लू दिन को सोता है और रात को जागता है।

(45) मैं रोज़ सुबह उठता, व्यायाम करता, थोड़ी देर ताज़ी हवा में घूमता और फिर पढ़ने बैठ जाता।

कुछ संयुक्त वाक्यों के एक ही उपवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों के कुछ अंशों का लोप हो जाता है, जैसे :

(46) पिताजी सुबह चाय पीते हैं और (पिताजी) शाम को कॉफ़ी (पीते हैं)।

8.9.3 संकुचित संयुक्त वाक्य

ऊपर हमने बताया था कि अल्पांग संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य के कुछ अंशों का लोप हो जाता है, यानी मूलरूप में वे दो उपववाक्य होते हैं, लेकिन प्रकट रूप में एक उपवाक्य अधूरा रहता है, लेकिन फिर भी अर्थ में कोई हानि नहीं होती। इन दो उपवाक्यों पर गौर कीजिए :

(47) राधा कानपुर गई।

(48) सीता कानपुर गई।

इन दोनों उपवाक्यों को मिलाकर हम दो प्रकार से वाक्य बना सकते हैं :

(48) राधा कानपुर गई और सीता भी।

(49) राधा और सीता कानपुर गईं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 155 8/18/2021 12:21:45 PM

वाक्य (49) को हमने अल्पांग वाक्य कहा है, लेकिन इसी आधार पर क्या वाक्य (50) को भी हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं क्योंकि इनमें भी दो मूल उपवाक्यों (47–48) का भाव निहित है? इस प्रकार के वाक्य को कुछ विद्वान संकुचित संयुक्त वाक्य कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहना ठीक नहीं भले ही मूलरूप में इनमें दो उपवाक्यों की स्थिति है। इनके अनुसार अगर केवल दो या अधिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण आपस में समुच्चयबोधक अव्यय (और आदि) के माध्यम से जुड़े हों और उनके विधेय समान हों, तो उन्हें व्यावहारिक दृष्टि से संयुक्त वाक्य कहना ठीक नहीं है, जैसे :

(51) रमेश और मोहन कॉलेज जा रहे हैं (संज्ञा + संज्ञा) कर्ता

(52) मैंने मकान और गाड़ी बेच दी। (संज्ञा + संज्ञा) कर्म

(53) राजा ने शेखावत को अपना अंगरक्षक और सलाहकार नियुक्त किया। (संज्ञा + संज्ञा) कर्मपूरक

(54) आप और मैं यहीं रहेंगे। (सर्वनाम +सर्वनाम)

(55) बनारस के आम मीठे और रसील होते हैं। (विशेषण + विशेषण)

(56) ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से और सफ़ाई से गाड़ी आगे निकाल ली। (क्रियाविशषण + क्रियाविशेषण)

भीतरी तौर पर ये सभी उपवाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बने हैं और इस नाते ये संयुक्त वाक्य हुए, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें संयुक्त वाक्य कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रकट रूप में दो या दो उपवाक्य एक ही उपवाक्य के कलेवर में इतने अभिन्न रूप में एकाकार हो गए हैं कि इनमें दो उपवाक्यों की अलग सत्ता पहचानना मुश्किल है– दो शब्दों के संयोजन के अलावा इनमें कहीं और संयोजन का कोई संबंध नहीं दिखाई देता। यदि संयोजक संबंध विधेय या क्रियापदों तक विस्तृत होता तो ये अवश्य संयुक्त वाक्य कहला सकते थे। हिंदी संरचना संबंधी आपकी जानकारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाक्यों को हमने संयुक्त वाक्य नहीं माना। इस स्थिति में ये सरल वाक्य के अंतर्गत आएँगे। केवल समझने की सरलता के कारण इसे संयुक्त वाक्य के साथ दर्शाया गया है।

8.10 संयुक्त वाक्य रचना के कुछ नियम

आपने ऊपर पढ़ा कि दो या अधिक उपवाक्यों के योग से आप संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि आप किसी भी प्रकार के दो उपवाक्यों या शब्दों को समुच्चयबोधक अव्ययों के माध्यम से जोड़कर संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। दो उपवाक्यों के बीच अर्थ या संदर्भ का सामंजस्य होना जरूरी है। हम जब किसी से बात करते हैं तो एक के बाद एक कई वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में भी आपस में अर्थ और संदर्भ का तारतम्य होता है। इसी तरह अगर दो उपवाक्यों के बीच अर्थ तथा संदर्भ की संगति न बैठे तो वाक्य असंगत और अग्राह्य हो जाएगा। देखिए:

(57) मुझे भूख लगी।

(58) मुझे प्यास लगी।

(59) मुझे चोट लगी।

इनमें से पहले दो वाक्यों में 'भूख' और 'प्यास' के बीच अर्थ संगति है, लेकिन तीसरे वाक्य में 'चोट' की अर्थ–संगति तथा संदर्भ–संगति उक्त दोनों के साथ नहीं बैठती।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 156 8/18/2021 12:21:45 PM

अतः वाक्य (57) और (58) की संगति नहीं बैठती। अतः इनसे संयुक्त वाक्य नहीं बन सकता। देखिएः

(60) मुझे भूख और प्यास लगी। (ग्राह्य)

(61) मुझे भूख और चोट लगी। (अग्राह्य)

इसी प्रकार दो उपवाक्यों के बीच कुछ अन्य प्रकार की संगति भी जरूरी है। अगर पहला उपवाक्य आज्ञार्थक हो तो दूसरे उपवाक्य की संगति भी प्रायः आज्ञार्थक वाक्य से ही होगी। इसी प्रकार अगर पहला उपवाक्य कथनात्मक है तो दूसरा उपवाक्य भी सामान्यतः कथनात्मक होना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्नात्मक उपवाक्य के साथ प्रश्नात्मक उपवाक्य का योग ही अधिक संगत होता है। देखिए :

(66) मेरा नाम सतीश है और तुम्हारा नाम ?

(67) मैंने तुम्हें काम दिलवाया और तुम मुझे ही बदनाम कर रहे हो।

इस प्रकार आप पाएँगे कि संयुक्त वाक्य, जिसका प्रयोग हम दिनभर अपने व्यवहार में बड़े सहज ढंग से और सही–सही करते हैं, किसी न किसी व्यवस्था से जुड़ी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त वाक्य न केवल अर्थ के स्तर पर बल्कि रचना–प्रक्रिया के स्तर पर भी कई नियमों और प्रतिबंधों में बँधा है।

बोध प्रश्न

(12) कोष्ठक में दिए उत्तरों में से एक उत्तर ही सही है। जो उत्तर सही हो उसे रिक्त स्थान में लिखिए :

1. .....संयुक्त वाक्य में दो या अधिक उपवाक्य बिना किसी परितर्वन के अपने पूर्ण रूप में मौजूद रहते हैं।
(अल्पांग, पूर्णांग, संकुचित)

2. 'मैं नहीं, मेरे पिताजी आपसे मिलेंगे' एक ..... वाक्य है।
(पूर्णांग, अल्पांग, संयोजक संबंधवाची)।

3. संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों के बीच अर्थ और .....की संगति होना जरूरी है। (संदर्भ, अव्यय, क्रिया)

4. ..... वाक्य में दो वाक्य प्रकट रूप में एक ही उपवाक्य में एकाकार हो जाते हैं। (संयुक्त वाक्य, संकुचित संयुक्त वाक्य)

5. अल्पांग संयुक्त वाक्य में अंश या शब्द का लोप .....उपवाक्य में हो सकता है। (पहले, दूसरे, किसी भी)

(13) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथन की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए कौन से वाक्य सही हैं, कौन–से गलतः

1. संयुक्त वाक्य में अधिक से अधिक दो उपवाक्य हो सकते हैं।
सही ( ) गलत ( )

2. अल्पांग वाक्यों में केवल विधेय का ही लोप होता है, उद्देश्य या कर्ता का नहीं। सही ( ) गलत ( )

3. प्रश्नवाचक उपवाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य भी प्रश्नवाचक हो तो अर्थ की संगति मानी जाएगी। सही ( ) गलत ( )

4. पूर्णांग संयुक्त वाक्य में उद्देश्य का लोप होता है और अल्पांग संयुक्त वाक्य में विधेय का। सही ( ) गलत ( )

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 157 8/18/2021 12:21:45 PM

5. पूर्णांग संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में जो अंश समान होते हैं भाषा में उनके लोप की प्रवृत्ति अधिक होती है।

सही ( ) गलत ( )

(14) नीचे दिए संयुक्त वाक्यों के सामने लिखिए कि वे पूर्णांग हैं, अल्पांग हैं या संकुचित हैं :

1. आप मेरी जान ले सकते हैं लेकिन ईमान नहीं। .....
2. रेडियो चल रहा था और लोग तन्मय होकर सुन रहे थे। .....
3. व्यापारी बहुत लालची था और ईर्ष्यालु भी। .....
4. मैंने पैसे और फॉर्म भेज दिए हैं। .....
5. राधा देर से गई और देर से लौटी। .....

(15) नीचे दिए संयुक्त वाक्यों में जिन अंशों का लोप हुआ है उन्हें वाक्य के सामने लिखिए (एक वाक्य में एक से अधिक अंशों का लोप हो सकता है) :

1. मैं अपनी तन्ख़्वाह माँग रहा हूँ न कि भीख। .....
2. वे सुबह की गाड़ी से आएँगे और शाम को गाड़ी से चले जाएँगे। ....
3. आप बस से जाएँगी या कार से? .....
4. नौकर कभी तो समय पर आता है और कभी बहुत देर से। .....
5. आपने मुझसे 100 रुपए नहीं, बल्कि 200 रुपए लिए थे। .....
6. केवल तुम ही नहीं बल्कि सारा ऑफिस मुझसे नाराज है।.....

8.11 सारांश

आपने इस इकाई में वाक्य की संरचना, उसके प्रकार और सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त की।

आपने पढ़ा कि–

- वाक्य एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द–समूह है।
- वाक्य उद्देश्य और विधेय से बनने वाली एक व्याकरणिक रचना है।
- जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है।
- व्याकरण की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है।
- वाक्य के विभिन्न घटकों के बीच शब्द–क्रम, व्याकरणिक संबंध और अन्विति की नियमित व्यवस्था है।
- भाषा में विभिन्न घटकों का क्रम इस प्रकार हैः वाक्य (उपवाक्य)–पदबंध –शब्द–ध्वनि।
- वाक्य तीन प्रकार के होते हैं– सरल, संयुक्त और मिश्र।
- सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है।
- सरल वाक्य में एक ही उपवाक्य होता है। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में दो या अधिक उपवाक्य होते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 158 8/18/2021 12:21:45 PM

- अर्थ के स्तर पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं– कथनात्मक, मनोवेगात्मक और आज्ञार्थक। इनके अलावा इनके दो प्रमुख रूपांतरणपरक भेद हैं– नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य।
- वाक्य के घटक अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो प्रकार के होते हैं।
- सरल वाक्यों के 6 प्रमुख प्रकार होते हैं, जो मूलतः कर्ता, कर्म, पूरक तथा क्रिया पदबंधों के आधार विभाजित किए जाते हैं।
- संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य/स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं।
- समुच्चयबोधक अव्यय संयुक्त वाक्य के विभिन्न उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं।
- संयुक्त वाक्य के विभिन्न उपवाक्यों के बीच चार प्रकार के संबंध होते हैं–संयोजक, विभाजक, विरोधवाची, परिणामवाची।
- संयुक्त वाक्य में संयोजक संबंध को सूचित करने वाले प्रमुख समुच्चयबोधक अव्यय हैं : और, तथा, एवं, फिर, ही नहीं ..... बल्कि।
- विभाजक संबंध को सूचित करने वाले प्रमुख समुच्चयबोधक अव्यय हैं : या, अथवा, या .....या, न ....न, नहीं तो, अन्यथा, चाहे .....चाहे, न कि , कि ('या' के अर्थ में)
- विरोधवाची संबंध को सूचित करने वाले प्रमुख समुच्चयबोधक अव्यय हैं : लेकिन, किंतु, मगर, पर, बल्कि।
- परिणामवाची संबंध सूचित करने वाले प्रमुख समुच्चयबोधक अव्यय हैं : इसलिए अतएव, अतः, सो।
- संयुक्त वाक्यों के अर्थगत प्रकार इन्हीं संबंधों के आधार पर बनते हैं।
- संयुक्त वाक्य की रचना–प्रक्रिया में संयोजन और लोप की भूमिका प्रमुख है।
- रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य दो प्रकार के होते हैं : पूर्णांग तथा अल्पांग संयुक्त वाक्य।
- संकुचित संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य एकाकार हो जाते हैं और भीतरी तौर पर दो उपवाक्यों का योग होते हुए भी प्रकट रूप में सरल वाक्य ही सिद्ध होते हैं।
- संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों के बीच अर्थ और संदर्भ की संगति जरूरी है।

8.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) हिंदी व्याकरण– कामता प्रसाद गुरु, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।

2) हिंदी का वाक्यात्मक व्याकरण (1985) सूरज भान सिंह, साहित्य सहकार, ई/104 कृष्ण नगर, दिल्ली–110051

8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) 1) छोटी 2) उद्देश्य 3) आंतरिक
4) अन्विति 5) प्रकृतिगत अल्पांग

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 159 8/18/2021 12:21:45 PM

2) 1) गलत 2) गलत 3) सही
4) गलत 5) सही

3) 1) 1, 2 2) 2, 3 3) 3, 1
4) 2, 3, 3 5) 2, 2, 3

4) 1) 2 2) 1 3) 2
4) 3 5) 1 6) 3 7) 3

5) 1) उद्देश्य 2) सरल 3) संयुक्त
4) प्रकार्यात्मक 5) सरल 6) अनिवार्य
7) अन्विति

6) 1) सही 2) गलत 3) सही
4) गलत 5) गलत 6) गलत

7) 1) 2, 6, 9, 2) 15, 12, 15 3) 8
4) 3, 13, 16 5) 10 6) 17
7) 4, 7, 11, 14, 18

8) 1) मुख्य 2) समुच्चयबोधक अव्यय 3) विभाजक
4) मिश्र 5) मुख्य

9) 1) गलत 2) गलत 3) गलत
4) सही 5) सही

10) 1) 1 2) 4 3) 1
4) 2 5) 2 6) 3 7) 3

11) 1) 1 2) 4 3) 3
4) 1 5) 2 6) 1
7) 2 8) 4 9) 2 10) 2

12) 1) पूर्णांग 2) अल्पांग 3) संदर्भ
4) संकुचित संयुक्त वाक्य 5) किसी भी

13) 1) गलत 2) गलत 3) सही
4) गलत 5) सही

14) 1) अल्पांग 2) पूर्णांग 3) अल्पांग
4) संकुचित 5) अल्पांग

15) 1) माँग रहा हूँ 2) वे 3) जाएँगी
4) नौकर/आता है 5) लिए थे/आपने 6) नाराज़ हो

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 160 8/18/2021 12:21:45 PM

इकाई 9 : मिश्र वाक्य

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 मिश्र वाक्य की संरचना

9.3 मिश्र वाक्य के प्रकार

9.4 संज्ञा उपवाक्य

- 9.4.1 संरचना
- 9.4.2 संज्ञा उपवाक्य के प्रकार्य
- 9.4.3 संज्ञा उपवाक्य का संज्ञा पद में रूपांतरण
- 9.4.4 क्रिया रूपों पर प्रतिबंध

9.5 विशेषण उपवाक्य

- 9.5.1 विशेषण उपवाक्य की संरचना
- 9.5.2 संबंधवाचक सर्वनाम 'जो'
- 9.5.3 विशेषण उपवाक्य के प्रकार

9.6 क्रियाविशेषण उपवाक्य

- 9.6.1 क्रियाविशेषण उपवाक्य की संरचना
- 9.6.2 क्रियाविशेषण उपवाक्य के प्रकार

9.7 सारांश

9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़कर आप :

- मिश्रवाक्य की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे;
- सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रवाक्य में अंतर बता सकेंगे;
- मुख्य (स्वतंत्र उपवाक्य) और गौण (आश्रित) उपवाक्य के बीच अंतर समझा सकेंगे;
- संज्ञा उपवाक्य की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे;
- वाक्य में संज्ञा उपवाक्य, कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं, इस बारे में बता सकेंगे;
- संज्ञा उपवाक्य कैसे संज्ञा पदों में रूपांतरित हो जाते हैं, इसकी प्रक्रिया समझा सकेंगे;
- संज्ञा उपवाक्यों के मुख्य लक्षण और उन पर लगे प्रतिबंधों की जानकारी दे सकेंगे;

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

- विशेषण उपवाक्य की संरचना को समझा सकेंगे;
- वर्णनात्मक और निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्यों के बीच अंतर बता सकेंगे;
- संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' के विभिन्न विकारी रूपों को समझा सकेंगे;
- क्रियाविशेषण उपवाक्य की संरचना को समझा सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार के क्रियाविशेषण उपवाक्यों के बीच अंतर बता सकेंगे; तथा
- विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्यों के बीच अंतर बता सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप सरल और संयुक्त वाक्यों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि जिस वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे वाक्य (1)। जिन वाक्यों में दो या अधिक उपवाक्य होते हैं वे या तो संयुक्त वाक्य होते हैं या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र/मुख्य होते हैं, जैसे वाक्य (2)। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र/मुख्य होता है और बाकी आश्रित/गौण, जैसे वाक्य (3)।

देखिए :

(1) पिताजी नाराज हैं। (सरल वाक्य)

(2) पिताजी नाराज हैं और भाई साहब को डाँट रहे हैं। (संयुक्त वाक्य)

(3) लगता है कि पिताजी नाराज हैं। (मिश्र वाक्य)

ऊपर बताए तीन वाक्य प्रकारों में से सरल और संयुक्त वाक्यों के बारे में पिछली इकाई में आप पढ़ चुके हैं। इस इकाई में हम आपको मिश्रवाक्य के बारे में बताएँगे।

9.2 मिश्र वाक्य की संरचना

प्रस्तावना में हमने यह संकेत दिया था कि मिश्रवाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र/मुख्य होता है और बाकी उपवाक्य आश्रित/गौण होते हैं। पिछली इकाई में आप स्वतंत्र और आश्रित उपवाक्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।

स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य, वाक्य में अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, लेकिन आश्रित या गौण उपवाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक अन्य उपवाक्य पर आश्रित होता है जो सामान्यतः मुख्य उपवाक्य होता है। इस तथ्य को समझाने के लिए हमने पिछली इकाई में दो उदाहरण दिए थे।

(4) शेखर बाजार गया और मेरे लिए एक साइकिल लाया। (संयुक्त वाक्य)

(5) शेखर एक साइकिल लाया जो बहुत पुरानी है। (मिश्र वाक्य)

वाक्य (4) में दो उपवाक्य हैं : (i) शेखर बाजार गया और (ii) (वह) मेरे लिए एक साइकिल लाया। ये दोनों ही उपवाक्य अपनी–अपनी जगह पर स्वतंत्र हैं और इनका स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग संभव है, क्योंकि ये अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। इसके विपरीत वाक्य (5) का पहला उपवाक्य तो स्वतंत्र है, लेकिन दूसरा उपवाक्य 'जो बहुत पुरानी है' पहले उपवाक्य पर आश्रित है, क्योंकि 'जो' शब्द का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक 'साइकिल' शब्द का उल्लेख न हो और यह शब्द पहले उपवाक्य में मौजूद है। इस प्रकार इस वाक्य में पहला उपवाक्य मुख्य या स्वतंत्र हुआ और दूसरा उपवाक्य आश्रित या गौण। संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों की जो पारिभाषाएँ हमने ऊपर दी हैं उनके आधार पर अब आप स्वयं

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 162 8/18/2021 12:21:45 PM

इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि वाक्य (4) जिसमें दोनों स्वतंत्र/मुख्य उपवाक्य हैं, संयुक्त वाक्य है और वाक्य (5) जिसका एक उपवाक्य स्वतंत्र है और दूसरा आश्रित, मिश्रवाक्य है।

पिछली इकाई में आप यह पढ़ चुके हैं कि वाक्य (4–5) में आए शब्द समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द दो उपवाक्यों को आपस में अर्थ की दृष्टि से जोड़ते हैं। जब भी दो या अधिक उपवाक्य आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच प्रायः एक ऐसा शब्द होता है, जो उनको आपस में जोड़ता है या एक सूत्र में बांधता है। संयुक्त वाक्यों के दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले ऐसे शब्द होते हैं– 'और', 'तथा', 'एवं', 'लेकिन', 'या', आदि। देखिए वाक्य (4) और नीचे के ये वाक्य :

(6) पानी गरम तो हो गया लेकिन अभी उबला नहीं है।

(7) तुम खुद चले जाओ या किसी को भेज दो।

मिश्रवाक्यों के जो विभिन्न उपवाक्यों को जोड़ने वाले इस प्रकार के समुच्चयबोधक अव्यय हैं– 'कि', 'जो', 'जहाँ, 'जब', 'तब/तो', अगर .....तो' आदि। देखिए :

(8) मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारा काम करवा सकता है।

(9) उसने भी वहाँ मकान बनवाया है जहाँ मैं बनवाना चाहता था।

(10) जब आप लौटें तो मुझे फोन कर दें।

(11) उन्होंने बताया कि सरला ने शादी कर ली है।

(12) अगर तुम समय पर नहीं पहुँचे तो तुम्हारा नाम कट जाएगा।

(13) जिन्हें अपना पैसा वापस चाहिए वे इस फार्म को भर लें।

अगर आप ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो आपको मिश्रवाक्यों के बारे में दो और बातों का पता चलेगा–पहला तो यह कि कई वाक्यों में समुच्चयबोधक अव्यय अकेले न आकर जोड़ों के रूप में आते हैं जैसे वाक्य (10) में 'जब–तो' और वाक्य (12) में 'अगर–तो'। दूसरा यह कि मिश्रवाक्यों में उपवाक्यों का एक क्रम हो जरूरी नहीं। कई गौण उपवाक्य संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार वाक्य के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर आ सकते हैं, जैसा कि नीचे के उदाहरणों से आपको स्पष्ट होगा। इन उदाहरणों से आपको यह भी स्पष्ट होगा कि तीनों स्थितियों में, मूल अर्थ के समान रहते हुए भी, क्रम–परिवर्तन से वक्ता के दृष्टिकोण या जिस बात पर वह बल देना चाहता है उसमें थोड़ा–बहुत अंतर आ सकता है। देखिए :

(5) शेखर एक साइकिल लाया जो बहुत पुरानी है।

(14) शेखर जो साइकिल लाया वह बहुत पुरानी है।

(15) जो साइकिल शेखर लाया वह बहुत पुरानी है।

बोध प्रश्न 1

(1) कोष्ठक में दिए विकल्पों में से सही शब्द छाँटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :

1. जिस वाक्य के दोनों उपवाक्य मुख्य उपवाक्य हों, उसे ..... वाक्य कहते हैं। (मिश्र/संयुक्त/सरल)
2. मिश्रवाक्य में एक उपवाक्य मुख्य और दूसरा उपवाक्य .... होता है। (गौण/स्वतंत्र/सरल)
3. 'और', 'लेकिन' 'कि' .....के उदाहरण हैं। (संज्ञा/क्रियाविशेषण/समुच्चयबोधक अव्यय)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 163 8/18/2021 12:21:46 PM

4. मिश्रवाक्यों के गौण उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं :

   संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और..... उपवाक्य।
   (सरल / मुख्य / क्रिया विशेषण)

5. गौण उपवाक्य अपने अर्थ की स्पष्टता के लिए .....उपवाक्य पर आश्रित होता है। (सरल, मुख्य, मिश्र)

(2) नीचे लिखे कथनों के सामने सही / गलत लिखिए।

1. गौण उपवाक्य केवल वाक्य के मध्य और अंत में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। (सही / गलत)
2. संज्ञा उपवाक्य वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। (सही / गलत)
3. संज्ञा उपवाक्य हमेशा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। (सही / गलत)
4. संज्ञा उपवाक्य से पूर्व 'कि' का लोप संभव नहीं। (सही / गलत)
5. समुच्चयबोधक अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ता है। (सही / गलत)

(3) नीचे लिखे वाक्य संयुक्त वाक्य हैं या मिश्रवाक्य। कोष्ठक में लिखिए :

1. मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। ( )
2. अध्यापक ने बताया कि सभी प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से ही पूछे जाएँगे। ( )
3. जो लोग समय पर नहीं पहुँचेंगे उन्हें भीतर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। ( )
4. जब मैं घर पहुँचा तो सभी सो रहे थे। ( )
5. पिताजी अखबार पढ़ रहे थे या सो रहे थे। ( )

9.3 मिश्र वाक्य के प्रकार

आपने ऊपर दिए उदाहरणों में मिश्र वाक्यों के कई प्रकार के नमूने देखे। आपने देखा कि गौण उपवाक्य कई तरह के हो सकते हैं–किसी के पहले 'कि' का प्रयोग होता है, किसी के पहले 'जो', 'जिस', 'जिन' का प्रयोग होता है और किसी के पहले 'जब', 'जहाँ', 'अगर', आदि का। कहने की जरूरत नहीं कि गौण उपवाक्यों की इस विशेषता से पूरे वाक्य में उनकी भूमिका या प्रकार्य पर असर पड़ता है। मुख्य उपवाक्य के साथ गौण उपवाक्य का क्या संबंध है इसका निर्धारण भी इस विशेषता के आधार पर होता है। आइए, गौण उपवाक्यों की इन्हीं विशेषताओं को आधार मानकर मिश्रवाक्यों के इन वर्गों या प्रकारों पर विचार करें।

वाक्य में गौण उपवाक्य संज्ञा, विशेषण या क्रियाविशेषण का काम करते हैं और इसी आधार पर गौण उपवाक्यों के तीन प्रकार माने गए हैं :

क) संज्ञा उपवाक्य

ख) विशेषण उपवाक्य

ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य

संज्ञा उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो भूमिका वाक्य में संज्ञापद की होती है लगभग वही भूमिका संज्ञा उपवाक्यों की होती है। अंतर केवल यह है कि संज्ञापद में एक या अधिक शब्द होते हैं जबकि संज्ञा उपवाक्य में एक पूरा उपवाक्य ही संज्ञापद का काम करता है, जैसे :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 164 8/18/2021 12:21:46 PM

(11) उन्होंने बताया कि सरला ने शादी कर ली है।

(16) पिताजी ने कहा कि कल डॉक्टर बाहर जा रहे हैं।

इसी प्रकार वाक्य में विशेषण **उपवाक्य विशेषण** का काम करते हैं, अर्थात् विशेषण उपवाक्य, मुख्य वाक्य की या मुख्य वाक्य के किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, जैसे :

(8) मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है।

(5) शेखर एक साइकिल लाया है जो बहुत पुरानी है।

इसी प्रकार वाक्य में क्रियाविशेषण उपवाक्य क्रिया–विशेषण का काम करते हैं जिनमें स्थान, समय, रीति, शर्त आदि का बोध निहित होता है, जैसे :

(9) उसने भी वहीं मकान बनवाया है जहाँ मैं बनाना चाहता था।

(10) जब आप लौटें तो मुझे फोन कर दें।

आगे इन्हीं तीन प्रकार के उपवाक्यों से बनने वाले मिश्रवाक्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इस इकाई में आपको मिश्रवाक्यों के प्रकार–संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रियाविशेषण उपवाक्य–का समुचित परिचय दिया जाएगा।

9.4 संज्ञा उपवाक्य

9.4.1 संरचना

ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार्य के लिए संज्ञा उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं, उस प्रकार्य के लिए या उस भूमिका में, संज्ञापद प्रयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, नीचे के वाक्य देखिए :

(16) पिताजी ने कहा कि कल डॉक्टर बाहर जा रहे हैं।

(17) पिताजी ने एक बात कही।

वाक्य (17) में 'एक बात' संज्ञा है और 'कहना' क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त हैं। वाक्य (16) में भी 'कि कल डॉक्टर बाहर जा रहे हैं–उपवाक्य की वाक्य में वही प्रकार्य या भूमिका है जो वाक्य (17) में संज्ञापद 'बात' की। अंतर केवल यह है कि एक संज्ञापद के रूप में प्रयुक्त है और दूसरा उपवाक्य के रूप में। दोनों ही 'कहना' क्रिया के कर्म हैं।

संज्ञा उपवाक्य को आप संरचना या रूप के आधार पर भी पहचान सकते हैं। जिस उपवाक्य से पहले 'कि' का प्रयोग हो वह सामान्यतः (हमेशा नहीं) संज्ञा उपवाक्य होता है लेकिन ध्यान रहे कि कभी–कभी वाक्य में 'कि' का लोप हो जाता है और कुछ संदर्भों में 'कि' के प्रयोग पर प्रतिबंध भी है। नीचे दिए गए वाक्य देखिए :

(18) मैं जानता था कि आप नहीं जाएँगे। ('कि' का प्रयोग)

(19) मैं जानता था आप नहीं जाएँगे। ('कि' का ऐच्छिक लोप)

(20) आप नहीं जाएँगे मैं जानता था। ('कि' के प्रयोग पर प्रतिबंध)

वाक्य (18) में 'कि' का प्रयोग है, वाक्य (19) में 'कि' का ऐच्छिक लोप है, वाक्य (20) में 'कि' के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

क्या आप ऐसा उपवाक्य भी बता सकते हैं जिसमें 'कि' का प्रयोग भी हो और वह संज्ञा उपवाक्य भी न हो ? देखिए, वाक्य (21) और (22) में गौण उपवाक्यों से पूर्व

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 165 8/18/2021 12:21:46 PM

'कि' का प्रयोग भी है और वे संज्ञा उपवाक्य भी नहीं हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं अथवा संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त मुख्य वाक्य हैं :

(21) वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता (क्रिया विशेषण उपवाक्य)

(22) तुम आज यहीं रहोगे कि जाओगे ? (संयुक्त वाक्य)

वाक्य (21) में 'कि चल भी नहीं सकता' क्रियाविशेषण उपवाक्य है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वाक्य (22) में 'कि' का प्रयोग 'या' के अर्थ में हुआ है, जैसे 'तुम आज यहीं रहोगे या (तुम आज) जाओगे'। यह संयुक्त वाक्य है जिसके बारे में आप पिछली इकाई में पढ़ चुके हैं।

9.4.2 संज्ञा उपवाक्य के प्रकार्य

आप जानते हैं वाक्य में संज्ञापद कर्ता और कर्म दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार संज्ञा उपवाक्य भी वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकता है। देखिए :

(क) कर्ता के स्थान पर

(23) यह सच है कि पहल मैंने ही की थी। (अंत)

(24) तुम्हारा यह भय कि घर वाले तुम्हें तंग करेंगे, निर्मूल है। (मध्य)

(25) लगता है कि वह काफी दुखी है। (अंत)

(ख) कर्म के स्थान पर

(26) पिताजी ने कहा कि नाश्ते में वे कुछ नहीं लेंगे।

(27) डॉक्टर ने आते ही पूछा कि कल वाला मरीज कहाँ है।

(28) मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खूब उन्नति करो।

(29) क्या आप जानते हैं यह किसका लड़का है ?

संज्ञा उपवाक्यों का प्रयोग इन्हीं दो प्रकार्यों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप भाषा का वास्तविक प्रयोग देखें तो आप पाएँगे कि संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी पद के पूरक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। यह पद सामान्यतः सर्वनाम 'यह' या 'ऐसा' भी हो सकता है। कोई भाववाचक संज्ञा भी हो सकता है जो 'कि उपवाक्य' (संज्ञा उपवाक्य) की आकांक्षा करता हो। या कृदंत रूप में प्रयुक्त कोई क्रिया भी हो सकती है जो पूरक के रूप में 'कि–उपवाक्य' की आकांक्षा करता हो। देखिए :

(ग) कृदंत आदि के पूरक के रूप में

(30) सतीश यह सुनकर बड़ा खुश हुआ कि उसकी खोई घड़ी मिल गई है।
(कृदंत 'सुनकर' का पूरक)

(31) मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि टाइप का सारा काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। (कृदंत 'देखकर' का पूरक)

(32) भाई साहब इस चिंता में हैं कि दूसरी मंजिल कैसे पूरी की जाए।
(इस चिंता में)

(घ) सर्वनाम 'यह' या भाववाचक संज्ञाओं आदि के पूरक के रूप में।

(33) यह गलत है कि मैंने लोगों को इसके लिए उकसाया। (यह)

(34) मेरा भय कि तुम्हारे घरवाले नहीं मानेंगे, सच निकला। (मेरा भय)

(35) उनका यह कहना कि ऐसा पहले भी होता रहा है, गलत है। (यह कहना)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 166 8/18/2021 12:21:46 PM

(36) कभी–कभी ऐसा होता है कि गाड़ी आती ही नहीं। (ऐसा)

(37) ऐसा है कि तुम अब उस तरफ जाओ ही नहीं। (ऐसा)

(38) एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि उस वीरान कोठी में एक नया परिवार आकर बस गया है। (क्या)

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित सभी उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य हैं लेकिन आप पाएँगे कि इनमें से हर उपवाक्य का एक पूर्व संकेतक मुख्य उपवाक्य में मौजूद है। जैसे : 'यह', 'मेरा', 'भय', 'यह कहना', 'ऐसा', 'क्या' आदि। ये पूर्वसंकेतक इस बात के सूचक हैं कि इनके पूरक दूसरे उपवाक्यों में मौजूद हैं। अगर इनके साथ इनके पूरक उपवाक्य न हों तो इनका अर्थ अपूर्ण है। इसीलिए इस कोटि के संज्ञा उपवाक्यों को कभी–कभी 'पूरक उपवाक्य' भी कहा जाता है।

ऊपर के विवेचन से आपको यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि हर मुख्य उपवाक्य या क्रिया के साथ संज्ञा उपवाक्य (या कि–उपवाक्य) का प्रयोग हो सकता है। वास्तव में संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग बहुत ही कम क्रियाओं के साथ संभव है। सामान्यतः इच्छा, कथन या जानकारी से संबंधित कुछ क्रियाओं के साथ ही संज्ञा उपवाक्यों का प्रयोग सहज है, जैसे चाहना, इच्छा करना, की अभिलाषा होना, मन करना, कहना, बोलना, पूछना, जानना, उत्तर देना, मालूम होना, पता होना आदि।

9.4.3 संज्ञा उपवाक्य का संज्ञा पद में रूपांतरण

आप जानते हैं कि वास्तविक जीवन में हम एक बात को कहने के लिए एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं–कभी उसी बात को एक वाक्य में कहते हैं, कभी दो या तीन वाक्यों में। कभी एक ही बात को एक पद या पदबंध में सिमटा कर कहते हैं और कभी एक उपवाक्य या पूर्ण वाक्य के रूप में फैलाकर कहते हैं। संज्ञा उपवाक्यों के संबंध में भाषा की यह विशेषता और अधिक उभर कर सामने आती है। कुछ संज्ञा उपवाक्यों की यह विशेषता होती है कि वे सामान्य संज्ञापद में रूपांतरित होकर मुख्य उपवाक्य के भीतर ही समाहित हो जाते हैं, जैसे :

(39) मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बाद में बोलूँ।
मैं सबसे बाद में बोलना चाहता हूँ।

(40) उनका विचार है कि वे दो–तीन दिन और रुकें।
उनका विचार दो–तीन दिन और रुकने का है।

(41) मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही लौट जाऊँ।
मेरा आज ही लौटने का मन कर रहा है।

(42) गुरुजी ने कहा है कि मैं कल तक काम खत्म कर दूँ।
गुरुजी ने मुझे कल तक काम खत्म करने को कहा है।

(43) डॉक्टर ने कहा है कि तीन–तीन घंटे में दवा खा लें।
डॉक्टर ने तीन–तीन घंटे में दवा खाने को कहा है।

उपवाक्य से संज्ञापद में रूपांतरित होने की इस प्रक्रिया को नामिकीकरण भी कहा जाता है। यहाँ आपको यह याद रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया सभी संज्ञा उपवाक्यों के साथ संभव नहीं। कुछ खास वर्ग की क्रियाओं और कार्य व्यापारों के संदर्भ में ही संज्ञा उपवाक्यों का संज्ञा पदों में रूपांतरण संभव है। उदाहरण के लिए, वाक्य (44) तो संभव है लेकिन वाक्य (45) संभव नहीं। जैसे :

(44) उन्होंने मुझे कल फिर आने को कहा है। (सही)

(45) उन्होंने मुझे कल फिर आने को बताया है। (गलत)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 167 8/18/2021 12:21:46 PM

9.4.4 क्रिया रूपों पर प्रतिबंध

आप रोज सैंकड़ों–हजारों वाक्य बोलते हैं और संज्ञा उपवाक्यों का भी प्रयोग उनमें कम नहीं होता लेकिन शायद आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग अगर आप मुख्य उपवाक्य में करते हैं तो उनके 'कि–उपवाक्य' (संज्ञा उपवाक्य) में एक खास तरह के क्रिया रूप का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मुख्य उपवाक्यों में चाहना–वर्ग तथा संभावना–वर्ग की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो इसके कि–उपवाक्यों का क्रियारूप भी इच्छार्थक होगा, जैसे 'जाए', 'जाएँ, 'जाऊ', 'जाऊँ', जाओ', 'हो' आदि। देखिए :

(46) मैं चाहता हूँ कि आप लोग बैठ जाएँ। ('जाएँगे, 'रहे हैं)

(47) वह चाहता था कि सीता भी साथ चले। ('चलती है, 'चलेंगी)

(48) मेरी इच्छा है कि मैं भी कुछ बोलूँ। ('बोलूँगा, 'बोला)

(49) संभव है वे आज भी न आएँ। ('आएँगे, 'आते हैं)

(50) हो सकता है कि इस साल भी बारिश न हो। ('होगी, 'हो रही है)

ऊपर के वाक्यों में 'जाएँ', 'चले', 'बोलूँ', 'आएँ', और 'हो' इच्छार्थक रूप हैं। रहना, इच्छा होना, संभव होना, हो सकता, आदि क्रियाओं के साथ 'कि–उपवाक्य' में इन्हीं क्रियारूपों की संगति बैठती है। यहाँ पर 'जाएँगे', 'जा रहे हैं', 'चलती है', आदि क्रिया रूपों का प्रयोग नहीं हो सकता।

इसके विपरीत कुछ अन्य क्रियाओं के साथ इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है, जैसे 'मालूम होना', 'जानना', 'कहना', 'बताना', आदि, जैसे :

(47) मैं जानता हूँ वह क्यों आया/आ रहा है/आता है।

(48) उसने कहा कि मैं कल आया था /आऊँगा/आ सकता हूँ।

बोध प्रश्न

(4) कोष्ठक में दिए विकल्पों में से सही शब्द छाँटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. जो उपवाक्य वाक्य में ..... का काम करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। (विशेषण/क्रियाविशेषण/संज्ञा)
2. संज्ञा उपवाक्य से पूर्व सामान्यतः ..... समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग होता है। (और, कि, लेकिन)
3. उपवाक्य से संज्ञापद में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ..... कहते हैं। (पूरक/रूपांतरण/नामिकीकरण/कृदंत)
4. 'वे चाहते हैं कि हम भी उनके काम में कुछ योगदान दें,' वाक्य में दूसरा उपवाक्य ..... के रूप में प्रयुक्त है। (कर्त्ता, कर्म, पूरक)
5. 'यह सत्य है कि मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था' वाक्य में दूसरा उपवाक्य..... का पूरक है। (सत्य, यह, है)

(5) निम्नलिखित वाक्यों को नमूने के अनुसार मिश्रवाक्यों में रूपांतरित कीजिए :

नमूना : डॉक्टर ने मुझे दो–तीन दिन आराम करने को कहा है।

डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं दो–तीन दिन आराम करूँ।

1. बड़े बाबू ने मुझे चार बजे तक लौट आने को कहा है।
2. मेरा विचार आज ही लौट जाने का है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 168 8/18/2021 12:21:46 PM

3. शीला भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है।
4. मेरा मन कुछ दिन यहीं रहने को कर रहा है।
5. उनकी इच्छा बड़े बेटे के साथ रहने की है।

(6) निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा उपवाक्यों को पहचान कर अलग से लिखें :

1. तुम्हारा यह कथन कि मैंने जानबूझकर उसे जाने दिया, गलत है।
2. मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वह अब भी उसी पद पर काम कर रहा है।
3. आप इतने बड़े आदमी बन गए हैं, कौन नहीं जानता ?
4. मेरा यह कहना कि तुम बीच में दगा दे जाओगे, गलत नहीं निकला।
5. हो सकता है वह अब न आए।

(7) निम्नलिखित प्रकार के मिश्र वाक्यों के 3–3 वाक्य अपनी ओर से लिखिए:

(क) मिश्र वाक्य जिनमें कि उपवाक्य का प्रयोग हो।

.....

.....

.....

.....

(ख) मिश्र वाक्य जिनमें संज्ञा उपवाक्य में 'कि' का लोप हो।

.....

.....

.....

.....

(ग) मिश्र वाक्य जिनमें चाहना–वर्ग की क्रियाओं वाले मुख्य उपवाक्य हों।

.....

.....

.....

.....

(च) इसी इकाई से पाँच ऐसे मिश्रवाक्य छाँटिए जिनमें विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग है।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 169 8/18/2021 12:21:46 PM

(छ) अपनी ओर से तीन ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें मिश्रवाक्य तथा संयुक्त वाक्य दोनों का समावेश हो।

.....

.....

.....

.....

(ज) अपनी ओर से पाँच ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें एक मुख्य वाक्य, एक संज्ञा उपवाक्य और एक विशेषण उपवाक्य का प्रयोग हो।

.....

.....

.....

.....

.....

9.5 विशेषण उपवाक्य

9.5.1 विशेषण उपवाक्य की संरचना

संज्ञा उपवाक्य के बारे में हमने बताया था कि वाक्य में इसकी भूमिका वैसी ही होती है जैसे संज्ञा की। केवल अंतर यह है कि संज्ञा एक शब्द या पद के रूप में व्यक्त होता है, जबकि संज्ञा–उपवाक्य एक उपवाक्य में रूप में व्यक्त होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि संज्ञा उपवाक्य से पहले अक्सर समुच्चयबोधक शब्द 'कि' का प्रयोग होता है (जिसका कभी–कभी वाक्य में लोप भी हो सकता है), जैसे :

(1) मैं जानता था (कि) आप नहीं आएँगे।

इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य के बारे में भी हम कह सकते हैं कि यह मुख्य उपवाक्य मे प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है या उसकी व्याप्ति या फैलाव को सीमित करता है। दूसरे शब्दों में, विशेषण–उपवाक्य मिश्र वाक्य में वही कार्य करता है जो सरल वाक्य में विशेषण करता है। केवल अंतर यह है कि विशेषण अक्सर एक शब्द या पद के रूप में प्रयुक्त होता है। इस उपवाक्य के प्रारंभ में 'जो' या इसके किसी रूप का प्रयोग होता है। देखिए :

(2) क) मेरे पास बैटरी से चलने वाली एक घड़ी है। (विशेषण पद)

ख) मेरे पास एक घड़ी है जो बैटरी से चलती है। (विशेषण उपवाक्य)

(4) क) मेरे घर के पास एक सौ साल पुराना मंदिर है। (विशेषण पद)

ख) मेरे घर के पास एक मंदिर है जो सौ साल पुराना है। (विशेषण उपवाक्य)

(5) क) बाहर एक नीली आँखों वाली लड़की खड़ी है। (विशेषण पद)

ख) बाहर एक लड़की खड़ी है जिसकी आँखें नीली हैं। (विशेषण उपवाक्य)

(6) क) मैंने पिछले साल खरीदी गाड़ी बेच दी। (विशेषण पद)

ख) मैंने वह गाड़ी बेच दी जो पिछले साल खरीदी थी। (विशेषण उपवाक्य)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 170 8/18/2021 12:21:46 PM

इन सभी वाक्यों में विशेषण तथा विशेषण–उपवाक्य दोनों मुख्य उपवाक्यों की संज्ञाओं (क्रमशः 'घड़ी', 'मंदिर', 'लड़की', 'गाड़ी') की विशेषता बताते हैं या उनकी व्याप्ति (फैलाव) को सीमित या मर्यादित करते हैं।

संज्ञा और विशेषण उपवाक्य के बीच के इस संबंध को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं :

2. मेरे पास एक घड़ी है जो बैटरी से चलती है।

4. मेरे घर के पास एक मंदिर है जो सौ साल पुराना है।

5. बाहर एक लड़की खड़ी है जिसकी आँखें नीली हैं।

6. मैंने वह गाड़ी बेच दी जो पिछले साल खरीदी थी।

अगर आप इन वाक्यों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जहाँ वाक्य (2, 4, 5) में विशेषण उपवाक्य संज्ञा (घड़ी, मंदिर, लड़की) की विशेषता या गुण का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ वाक्य (6) में विशेषण उपवाक्य 'गाड़ी' की विशेषता नहीं बता रहा है बल्कि उसकी व्याप्ति या फैलाव को सीमित कर रहा है। विशेषण उपवाक्य यहाँ 'गाड़ी' के बोध को बहुत–सी गाड़ियों में से केवल उस खास गाड़ी तक सीमित कर रहा है जो पिछले साल खरीदी गई थी।

इस प्रकार अगर आप वाक्य में विशेषण उपवाक्य की भूमिका देखें तो पता चलेगा कि यह संज्ञा के संबंध में कई तरह की सूचना देता है, जैसे : संज्ञा की रूपगत विशेषता बताना, उसके कार्य के बारे में बताना, जाति के बहुत–से सदस्यों में से किसी एक का निर्देश या संकेत देना, विशिष्टिता का बोध कराना, संज्ञा की व्याप्ति या फैलाव को सीमित करना, संज्ञा के संबंध में अतिरिक्त सूचना देना आदि। देखिए :

(5) बाहर एक लड़की खड़ी है, जिसकी आँखें नीली हैं। (रूप वर्णन)

(7) जो आदमी चिट्ठी बाँटता है उसे डाकिया कहते हैं। (प्रकार्य वर्णन)

(6) मैंने वह गाड़ी बेच दी जो पिछले साल खरीदी थी। (विशिष्टता का बोध)

(8) जिस होटल में मैं ठहरा था वह बहुत महँगा था। (विशिष्टता का बोध)

(9) मेरा एक दोस्त है जो आपके मैनेजर को जानता है। (अतिरिक्त सूचना)

(10) बीरबल के कई किस्से मशहूर हैं, जिनका उल्लेख यहाँ जरूरी नहीं। (अतिरिक्त सूचना)

ध्यान रहे कि जब भी हम 'संज्ञा' की विशेषता की बात करते हैं तो उसमें सर्वनाम भी शामिल है, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। देखिए :

(11) मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं। ('मैं' सर्वनाम)

(12) इस शहर में ऐसा कौन है जो आपको नहीं जानता ? ('कौन' सर्वनाम)

9.5.2 संबंधवाचक सर्वनाम 'जो'

विशेषण उपवाक्य की एक संरचनागत पहचान यह है कि इसके प्रारंभ में अकसर संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' का प्रयोग होता है। जब इस शब्द के बाद किसी परसर्ग (ने, का, में, से, को, पर, के लिए आदि) का प्रयोग होता है तो इसका रूप थोड़ा–सा बदल जाता है। तब अकसर यह एकवचन में 'जिस' और बहुवचन में 'जिन' में बदल जाता है और तभी इनके बाद ऊपर बताए परसर्गों का प्रयोग होता है। इसे विकारी रूप कहते हैं। इन विकारी रूपों के कुछ उदाहरण देखिए :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 171 8/18/2021 12:21:46 PM

एकवचन	बहुवचन
जो	जो
जिस	जिन
जिसने	जिन्होंने
जिसका	जिनका
जिसमें	जिनमें
जिससे	जिनसे
जिसे / जिसको	जिन्हें / जिनको
जिस पर	जिन पर
जिसके लिए	जिनके लिए

ध्यान रहे कि 'जो', 'जिस' तथा 'जिन' के बाद संज्ञा का प्रयोग भी हो सकता है। उस स्थिति में परसर्ग का प्रयोग संज्ञा के बाद होता है, जैसे :

जो महिला	जो महिलाएँ
जिस स्त्री ने	जिन स्त्रियों ने
जिस सड़क पर	जिन सड़कों पर
जिस घर में	जिन घरों में
जिस लड़के ने	जिन लड़कों ने

कई वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम 'जो' अकेले नहीं, बल्कि जोड़े में आते हैं। इस जोड़े का दूसरा घटक मुख्य उपवाक्य में होता है, जैसे 'वह', 'वे', 'ऐसा', 'एक', 'कोई' आदि। देखिए:

मुख्य उपवाक्य में	विशेषण उपवाक्य में
एक ..... जो (जिस, जिन)	(एक लड़का ..... जो)
कोई ..... जो	(कोई लड़का ..... जो)
कुछ ..... जो	(कुछ लड़कियाँ..... जो)
हर ..... जो	(हर आदमी ..... जो)
वह ..... जो	(वह महिला..... जो)
वे ..... जो	(वे लोग ..... जो)

उदाहरण देखिए :

(13) पैसे उसी से माँगो जिसे तुमने उधार दिए थे।

(14) ऐसा काम करो जिसमें कुछ फायदा हो।

(15) जिस आदमी को तुम नहीं पहचानते उसे तुम कैसे ढूँढ सकते हो?

(16) वह लड़का तो चला गया जिसके लिए तुम मकान ढूँढ रहे थे।

(17) जिन लोगों ने तुम्हें यह सलाह दी वे अब मुकर रहे हैं।

(18) मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सरकारी नौकरी करती हो।

(19) हमारा एक पड़ोसी है जो बिल्कुल आपकी तरह है।

(20) इन बच्चों को कुछ किताबें चाहिए जो रोचक और सस्ती हों।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 172 8/18/2021 12:21:46 PM

स्थान क्रम : अभी तक आपने विशेषण उपवाक्य के जितने उदाहरण देखे उनमें वे अधिकतर वाक्य के अंतिम उपवाक्य के रूप में आए, पर हमेशा ऐसा हो–यह जरूरी नहीं है। हिंदी में कुछ विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, मध्य और अंत–तीनों स्थानों पर आ सकते हैं और कुछ केवल मध्य और अंत में। (अंग्रेजी में विशेषण उपवाक्य केवल वाक्य के मध्य या अंत में ही आ सकते हैं, प्रारंभ में नहीं)। ये तीनों स्थितियाँ इस प्रकार दर्शायी जा सकती हैं :

(1) मुख्य वाक्य + विशेषण उपवाक्य

(2) विशेषण उपवाक्य + मुख्य उपवाक्य

(3) अधूरा मुख्य उपवाक्य + विशेषण उपवाक्य+शेष मुख्य उपवाक्य

उदाहरण देखिए :

(21) क) वे सब किताबें बिक गईं जो आपने मुझे दी थीं। (अंत में)

ख) जो किताबें आपने मुझे दी थीं वे सब बिक गईं। (प्रारंभ में)

ग) वे सब किताबें, जो आपने मुझे दी थीं, बिक गईं। (मध्य में)

नीचे दिए वाक्य में विशेषण उपवाक्य केवल दो ही स्थानों पर आ सकता है– मध्य और अंत में। यह प्रारंभ में नहीं आ सकता। देखिए :

(5) क) बाहर एक लड़की, जिसकी आँखें नीली हैं, खड़ी है। (मध्य में)

ख) बाहर एक लड़की खड़ी है, जिसकी आँखें नीली हैं। (अंत में)

ग) जिसकी आँखें नीली हैं, बाहर एक लड़की खड़ी है। (अशुद्ध)

9.5.3 विशेषण उपवाक्य के प्रकार

ऊपर आपने देखा कि कुछ वाक्यों में विशेषण उपवाक्यों की भूमिकाएँ कुछ भिन्नता लिए हुए होती हैं। गौर से देखने पर उनकी संरचना में भी आपको थोड़ा–बहुत अंतर मिलेगा। इस आधार पर मोटे रूप से विशेषण उपवाक्यों के दो भेद किए जाते हैं :

क) वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य, जिनमें संज्ञा के रूप, गुण या प्रकार्य का सामान्य वर्णन होता है।

ख) निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य, जिनमें संज्ञा की व्याप्ति या फैलाव को सीमित या निर्दिष्ट करने का बोध होता है।

नीचे के वाक्य देखिए :

(2) मेरे पास एक घड़ी है जो बैटरी ये चलती है।

(21) वे सब किताबें बिक गईं जो आपने मुझे दी थीं।

वाक्य (2) में घड़ी की इस विशेषता का वर्णन है कि वह बैटरी से चलती है। यह वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य है। दूसरे वाक्य (21) में बहुत–सी किताबों में से केवल उन विशिष्ट किताबों तक संज्ञा की व्याप्ति या फैलाव को सीमित किया गया है जो मुझे दी गई थीं। यहाँ 'पुस्तकें' विशिष्ट या निर्दिष्ट हैं– सभी पुस्तकें नहीं, केवल कुछ खास कोटि की पुस्तकें ही। यह विशेषण उपवाक्य निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि यह एक प्रकार का संकेत या निर्देश देता है।

इन दो प्रकार के विशेषण उपवाक्यों में कुछ खास अंतर महत्वपूर्ण है :

(क) निर्धारित शब्द वह/वे आदि।

मुख्य उपवाक्य की जिन संज्ञाओं की विशेषता निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य बनाते हैं उनके साथ किसी निर्धारक शब्द (वह/वे) का प्रयोग होता है। सामान्य वर्णनात्मक

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 173 8/18/2021 12:21:46 PM

विशेषण उपवाक्य–मुख्य उपवाक्य की जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, उनके साथ सामान्यतः 'एक', 'कोई', 'कुछ', 'ऐसा' आदि का प्रयोग होता है या फिर इनमें से किसी का प्रयोग नहीं होता। इन्हें इस प्रकार दर्शाया जा सकता हैः

वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य	निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य
एक	वह (उस–)
कोई	वे (उन–)
हर	
कुछ	
ऐसा	

वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य के उदाहरण देखिए :

(22) यह एक राज़ है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। (एक)

(4) मेरे घर के पास एक मंदिर है जो सौ साल पुराना है। (एक)

(23) यहाँ हर आदमी एक पहेली है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। (हर)

(24) कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं जो किसी का एहसान लेना नहीं पसंद करते। (कुछ)

(25) बाहर कोई लड़का खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। (कोई)

(18) मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सरकारी नौकरी करती हो। (ऐसी)

(26) दया धर्म है जिसके सामने शक्ति भी कुंठित हो जाती है।

निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य के उदाहरण देखिए :

(27) वह लड़की कौन है जो आपको घूर रही है। (वह)

(28) यह उन लोगों की सूची है जिनसे तुम्हें पैसे लेने हैं। (उन)

(6) मैंने वह गाड़ी बेच दी जो पिछले साल खरीदी थी। (वह)

(29) ये ही वे लड़कियाँ हैं जिनका मैंने कल जिक्र किया था। (वे)

(21) वे सब किताबें बिक गईं जो आपने मुझे दी थीं। (वे)

दोनों प्रकार के विशेषण उपवाक्यों के बीच इस बारीक अंतर पर ध्यान दीजिएः

(5) क) बाहर एक लड़की खड़ी है जिसकी आँखें नीली हैं। (वर्णनात्मक)

ख) बाहर वह लड़की खड़ी है जिसकी आँखें नीली हैं। (निर्देशात्मक)

(ख) स्थानक्रम

निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य, वाक्य के प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वर्णनात्मक विशेषण, वाक्य के मध्य या अंत में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। देखिए निर्देशात्मक उपवाक्य :

(21) क) जो किताबें आपने मुझे दी थीं वे सब बिक गईं। (प्रारंभ)

ख) वे सब किताबें बिक गईं जो आपने मुझे दी थीं। (अंत)

ग) वे सब किताबें, जो आपने मुझे दी थीं, बिक गईं। (मध्य)

देखिए वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य :

4) क) मेरे घर के पास एक मंदिर है जो सौ साल पुराना है। (अंत)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 174 8/18/2021 12:21:46 PM

ख) 'जो सौ साल पुराना है, मेरे घर के पास एक मंदिर है। (अशुद्ध)

9) क) मेरा एक दोस्त है जो आपके मैनेजर को जानता है। (अंत)

ख) 'जो आपके मैनेजर को जानता है, मेरा एक दोस्त है। (अशुद्ध)

(ग) जो + संज्ञा

निर्देशात्मक उपवाक्य में 'वह' तथा 'जो' दोनों के साथ संज्ञा का प्रयोग किया जा सकता है, वर्णात्मक उपवाक्य में नहीं। देखिए :

21) वे सब किताबें बिक गईं जो किताबें आपने मुझे दी थीं। (निर्देशात्मक)

(5) क) बाहर वह लड़की खड़ी है जिस लड़की की आँखें नीली हैं। (निर्देशात्मक)

ख) 'बाहर एक लड़की खड़ी है जिस लड़की की आँखें नीली हैं।
(अशुद्ध, वर्णनात्मक)

इस प्रकार आप पाएँगे कि यद्यपि निर्देशात्मक और वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य ऊपर से देखने में समान हैं लेकिन इनके प्रयोग तथा अर्थबोध में काफी अंतर है।

बोध प्रश्न

(8) नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है। जो सही उत्तर है उसे रिक्त स्थान में लिखिए :

1. संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ समुच्चयबोधक शब्द ..... से होता है।
(जो, कि, जहाँ)
2. विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के .....की विशेषता है।
(क्रियाविशेषण, क्रियापद, संज्ञापद)
3. ..... विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं। (वर्णनात्मक, निर्देशात्मक, दोनों प्रकार)
4. 'जिस घर' में 'जिस' शब्द 'जो' का ..... रूप है।
(विकल्प, संज्ञा, सर्वनाम)
5. हर गौण उपवाक्य को एक ..... की आवश्यकता पड़ती है।
(विशेषण उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य)

(9) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए कौन–से वाक्य सही हैं, कौन से गलत :

1. विशेषण उपवाक्य केवल संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की नहीं। सही ( ) गलत ( )
2. विशेषण उपवाक्य वाक्य के अंत में ही प्रयुक्त होते हैं, प्रारंभ या मध्य में नहीं। सही ( ) गलत ( )
3. निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य संज्ञा की व्याप्ति को सीमित करता है।
सही ( ) गलत ( )
4. मुख्य वाक्य की जिन संज्ञाओं की विशेषता निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य बताता है उनके साथ निर्धारक शब्द 'वह/वे' का प्रयोग संभव है।
सही ( ) गलत ( )
5. वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य से संज्ञा में विशिष्टता का बोध होता है।
सही ( ) गलत ( )

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 175 8/18/2021 12:21:46 PM

(10) नीचे दिए गए वाक्यों में तीन प्रकार के उपवाक्य हैं :

1. वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य
2. निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य
3. संज्ञा उपवाक्य

हर वाक्य के सामने सही उपवाक्य की संख्या भरिए :

1. भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। .....
2. कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एक भी उत्तर–पत्र पूरा नहीं करते। .....
3. वह कमीज़ फट गई जो आप बनारस से लाए थे। .....
4. ज्योतिषी कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। .....
5. एक राजा था जो बहुत दयालु था। .....
6. जिस मरीज को आपने देखा था वह ठीक हो गया है। .....
7. मुझे कोई नौकर चाहिए जो खाना बनाना भी जानता हो। .....
8. मैं जानता हूँ तुम किसे ढूँढ रहे हो। .....

9.6 क्रियाविशेषण उपवाक्य

9.6.1 क्रियाविशेषण उपवाक्य की संरचना

जिस प्रकार विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञापद की विशेषता बताता है, उसी तरह क्रियाविशेषण उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने से तात्पर्य यह है कि यह कार्य–व्यापार के घटित होने के समय, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि से संबंधित सूचना देता है। उदाहरण के लिए नीचे के वाक्य देखिए :

1. जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब आप मुझे गणित पढ़ाते थे। (समय)
2. जहाँ गुप्ताजी रहते हैं वहाँ एक सरकारी अस्पताल भी है। (स्थान)
3. जैसा लता गाती है वैसा और गायिकाएँ नहीं गा सकतीं। (रीति)

इन वाक्यों में 'जब', 'जहाँ', और 'जैसा' से शुरू होने वाले उपवाक्य क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं और क्रमशः पढ़ाने, स्थित होने और गाने के कार्य–व्यापार के समय, स्थान और रीति की सूचना दे रहे हैं।

क्रिया विशेषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि क्रियाविशेषण केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बताता, बल्कि विशेषण और स्वयं क्रियाविशेषण की भी विशेषता बताता है, जैसे :

(4) गाड़ी धीरे चल रही है। (क्रिया की विशेषता)

(5) गाड़ी बहुत धीरे चल रही है। (क्रियाविशेषण 'धीरे' की विशेषता)

(6) गाड़ी बहुत पुरानी है। (विशेषण 'पुरानी' की विशेषता)

इसी प्रकार क्रियाविशेषण उपवाक्य के संबंध में भी हम कह सकते हैं कि यह मुख्य उपवाक्य की क्रिया के साथ–साथ उसके किसी विशेषण और क्रियाविशेषण की भी विशेषता बता सकता है, जैसे :

(7) शीला इतनी कमजोर हो गई है कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकती।
(विशेषण 'कमजोर' की विशेषता)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 176 8/18/2021 12:21:46 PM

(8) गाड़ी ऐसे धीरे चल रही है जैसे बैलगाड़ी हो।

(क्रियाविशेषण 'धीरे' की विशेषता)

ऊपर के वाक्यों (1–3, 7–8) में 'जब', 'जहाँ', 'जैसा', 'कि', और 'जैसे' से शुरू होने वाले उपवाक्य गौण उपवाक्य हैं और शेष मुख्य उपवाक्य। देखिए :

गौण उपवाक्य (क्रियाविशेषण उपवाक्य)	**मुख्य उपवाक्य**
जब मैं स्कूल में पढ़ता था	तब आप मुझे गणित पढ़ाते थे।
जहाँ गुप्ता जी रहते हैं	वहाँ एक सरकारी अस्पताल भी है।
जैसा लता गाती है	वैसा और गायिकाएँ नहीं गा सकतीं।
कि वह बिस्तर से नहीं उठ सकती	शीला इतनी कमजोर हो गई है।
जैसे बैलगाड़ी हो	गाड़ी ऐसे धीरे चल रही है।

ऊपर के वाक्यों से क्रियाविशेषण उपवाक्यों की दो और विशेषताओं का पता चलेगा। पहला तो यह कि क्रियाविशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में ही आएँ यह जरूरी नहीं। क्रियाविशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के बाद भी आते हैं, जैसे वाक्य (7–8) में।

दूसरे, सभी गौण उपवाक्यों के प्रारंभ में, 'जब', 'जहाँ', 'जैसा', 'कि', 'जैसे', आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और सभी मुख्य उपववाक्यों में क्रमशः 'तो', 'वहाँ', 'वैसा', 'इतनी', 'ऐसे' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द अकेले नहीं, बल्कि जोड़े के रूप में आते हैं, जिनमें से एक घटक गौण उपवाक्य के शुरू में प्रयुक्त होता है और दूसरा मुख्य उपवाक्य में, जैसे 'जब ..... तब/तो' 'जहाँ ..... वहाँ', 'जैसा ..... वैसा',

'इतना ..... कि', 'ऐसे ..... जैसे'। इस प्रकार के सभी शब्दों को हमने समुच्चयबोधक शब्द कहा है, लेकिन इनमें से जो शब्द क्रियाविशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक क्रियाविशेषण भी कहते हैं जैसे, 'जब', 'जहाँ', 'जैसा', 'जैसे' आदि। इसी प्रकार इनमें से जो शब्द मुख्य उपवाक्य में जुड़ते हैं उन्हें **नित्यसंबंधी शब्द** कहते हैं जैसे 'तब', 'तो', 'वहाँ', 'वैसा', 'कि' आदि।

इन दोनों घटकों में से क्रियाविशेषण उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले संबंधवाचक शब्द जैसे (जहाँ, जैसा, जैसे, कि आदि) सामान्यतः अनिवार्य हैं जबकि मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले कुछ नित्यसंबंधी शब्दों (तब, तो वहाँ, वैसा, वैसे) का कभी–कभी ऐच्छिक लोप भी हो जाता है, जैसे :

(1) जब मैं स्कूल में पढ़ता था, (तब) आप मुझे गणित पढ़ाते थे।

(9) जब आप आए, (तो) खाना खत्म हो चुका था।

(10) जब भी मैं इस लड़के को देखता हूँ (तो) मुझे अपना बचपन याद आ जाता है।

(11) जहाँ भी मैं जाऊँगा, (वहाँ) तुम्हारे गुण गाऊँगा।

(3) जैसा लता गाती है, (वैसा) और गायिकाएँ नहीं गा सकतीं।

(12) जैसे ही उन्होंने खबर सुनी, (वैसी ही) वे रो पड़े।

(13) जैसा तुम कहोगे, (वैसा) मैं करूँगा।

9.6.2 क्रियाविशेषण उपवाक्य के प्रकार

क्रियाविशेषण के पाठ में आप क्रियाविशेषण के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक क्रियाविशेषण आदि। क्रियाविशेषण उपवाक्यों के भेद भी सामान्यतः इन्हीं आधारों पर किए जाते हैं। मोटे रूप से

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 177 8/18/2021 12:21:46 PM

क्रियाविशेषण उपवाक्यों के आठ भेद किए जा सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, क्रियाविशेषण उपवाक्य की हर कोटि अपने संबंधवाचक तथा नित्यसंबंधी शब्दों के आधार पर पहचानी जा सकती है। इसलिए हम सबसे पहले इन संबंधवाचक तथा नित्यसंबंधी शब्दों के साथ क्रियाविशेषण उपवाक्यों के आठ प्रकारों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद इनके उदाहरण दिए जाएँगे।

प्रकार		क्रियाविशेषण उपवाक्य में	मुख्य उपवाक्य में
1.	**समयवाचक**	जब	तब / तो
		जब तक	तब तक
		जब से	तब से
		जब कभी	तब
		जब–जब	तब–तब
		ज्योंही	त्योंही
		जैसे ही	वैसे ही
2.	**स्थानवाचक**	जहाँ	वहाँ / वहीं
		जहाँ तक	वहाँ तक
		जहाँ से	वहाँ से
		जहाँ–जहाँ	वहाँ–वहाँ
		जिधर	उधर
3.	**रीतिवाचक**	जैसा	वैसा
		जैसे	वैसे / ऐसे
		मानों	ऐसे
4.	**परिमाणवाचक**	ज्यों–ज्यों	त्यों–त्यों
		जैसे–जैसे	तैसे–तैसे
		जितना	उतना
		कि	इतना
5.	**कारणवाचक**	क्योंकि	इसलिए
		चूँकि	इसलिए
		इसलिए	कि
6.	**शर्तवाचक**	यदि / अगर	तो
7.	**विरोधवाचक**	यद्यपि	तथापि
		हालाँकि	फिर भी
		चाहे	तो भी
8.	**प्रयोजनवाचक**	जिससे / ताकि	–
		कहीं	–

ऊपर बताए गए क्रियाविशेषण उपवाक्यों के प्रकारों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। कोष्ठक में दिए नित्यसंबंधी शब्दों का ऐच्छिक लोप संभव है :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 178 8/18/2021 12:21:46 PM

1. समयवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे घटना या कार्य से संबंधित समय या काल का बोध होता है।

(1) जब मैं स्कूल में पढ़ता था (तब/तो) आप मुझे गणित पढ़ाते थे।

(14) जब टेलिफोन की घंटी बजी (तो/तब) में खाना खा रहा था।

(15) जब तक तुम पैसे नहीं दोगे (तब तक) तुम्हारा काम नहीं बनेगा।

(16) जब से हमारे घर टी.वी. आया है (तब से) घर की शांति भंग हो गई है।

(17) जब कभी इधर से निकलें (तो) हमारे घर जरूर आएँ।

(18) जब–जब संसार में अन्याय हुआ (तब–तब) भगवान ने अवतार लिया।

(19) ज्योंही बारिश रुकी, (त्योंही) हम चल पड़े।

(20) जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया (वैसे ही) लोग खुशी से उछल पड़े।

2. स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे घटना या कार्य से संबंधित स्थल का बोध होता है।

(2) जहाँ गुप्ताजी रहते हैं वहीं एक सरकारी अस्पताल भी है।

(21) जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कोई सिनेमाघर नहीं है।

(22) मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ आप पिछली बार आए थे।

(23) यह वही जगह है जहाँ आप पिछली बार ठहरे थे।

(24) जहाँ तक यह बस जाएगी (वहाँ तक) मैं आपको छोड़ सकता हूँ।

(25) जहाँ से आप यह साड़ी लाईं वहीं से मैं भी लाई।

(26) जहाँ–जहाँ आप जाएँगे (वहाँ–वहाँ) पत्रकार भी पहुँच जाएँगे।

(27) जिधर ये लोग जा रहे हैं (उधर ही) तुम भी चले जाओ।

3. रीतिवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे कार्य–व्यापार की रीति या तरीके का बोध होता है।

(3) जैसा लता गाती है (वैसा) और गायिकाएँ नहीं गा सकती हैं।

(28) जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पाता।

(29) जैसा सुंदर आपका मकान है वैसा मेरा नहीं।

(30) जैसे तुम मुझे चाहते हो वैसे ही वह भी मुझे चाहता है।

(31) जैसे आप सरकार के नौकर हैं वैसे मैं भी हूँ।

(32) आप तो ऐसे कह रहे हैं मानो इससे आपका कोई संबंध ही नहीं।

4. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे अधिकता, तुल्यता, न्यूनता तथा अनुपात आदि का बोध होता है।

(33) ज्यों–ज्यों परीक्षा पास आ रही है (त्यों–त्यों) मैं 'नरवस' होता जा रहा हूँ।

(34) जैसे–जैसे गर्मी बढ़ती जाती है (वैसे–वैसे) सभी जानवर घने जंगलों की ओर चले जाते हैं।

(35) जितना तुम चाहते हो उतना मैं शायद न दे पाऊँ।

(7) शीला इतनी कमजोर हो गई कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ सकती।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 179 8/18/2021 12:21:46 PM

5. कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे घटना या कार्य–कारण भाव का बोध होता है।

(36) क्योंकि मैं भी उम्मीदवार हूँ इसलिए मुझे भी इन कागजात की जरूरत पड़ेगी।

(37) मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(38) चूँकि मेरा नाम भी सूची में है इसलिए मुझे भी तैयार रहना होगा।

(39) डॉक्टर ने मरीज को इसलिए बुलाया कि वे उसका परीक्षण कर सकें।

(40) मैं इसलिए नहीं जा सकता था कि मेरी गाड़ी खराब थी।

6. शर्तवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे कार्य या घटना के संबंध में किसी शर्त या अनुबंध का बोध होता है।

(41) यदि आप चाहें तो अब भी अपना नाम वापस ले सकते हैं।

(42) अगर मेरी बात सच निकली तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं।

(43) अगर आपको मनमानी ही करनी थी तो मुझसे क्यों पूछा था?

7. विरोधवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य

इसे कुछ विद्वान रियायतवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य भी कहते हैं। इससे दो कार्यों पर घटनाओं के बीच विरोधाभास या विरोधी सूचना का बोध होता है।

(44) यद्यपि साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, (फिर भी) मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहता।

(45) हालांकि उनहोंने मुझे पूरी छूट दे दी थी, (फिर भी) मैंने बाहर जाना ठीक नहीं समझा।

(46) चाहे वे कुछ भी क्यों न कहें, (तो भी) मैं उनका निरादर नहीं कर सकता।

(47) चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों न हो जाओ (तो भी) रहोगे वही मक्खीचूस।

8. प्रयोजनवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य

इससे कार्य या घटना के प्रयोजन का बोध होता है।

(48) लेन–देन की बात पहले ही साफ कर लो जिससे बाद में गलतफहमी न रहे।

(49) दरवाजा खोल दो ताकि ताजी हवा भीतर आए।

(50) इसके बाद बरतन का ढक्कन खोल दें जिससे भाप बाहर निकल जाए।

(51) जल्दी करो कहीं गाड़ी छूट न जाए।

ऊपर आपने क्रियाविशेषण उपवाक्यों के प्रकार तथा उनके उदाहरण–वाक्य देखे। कभी–कभी कुछ उपवाक्य विशेषण उपवाक्य तथा क्रियाविशेषण उपवाक्य दोनों की भूमिका निभाते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए :

(52) जिस समय मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय आप मुझे गणित पढ़ाते थे।

(53) जिस जगह गुप्ता जी रहते हैं उस जगह एक सरकारी अस्पताल भी है।

(54) जितना धन तुम चाहते हो उतना धन मैं शायद न दे पाऊँ।

(55) जैसा लड़का तुम चाहते थे वैसा ही लड़का तुम्हें मिल गया।

(56) जिस रास्ते तुम जाओगे, उसी रास्ते मैं भी जाऊँगा।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 180 8/18/2021 12:21:46 PM

इन वाक्यों के संबंधवाचक शब्दों पर ध्यान दीजिए। 'जिन', 'जितना', 'जैसा' के बाद संज्ञा का प्रयोग हुआ है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द विशेषण सिद्ध होते हैं, लेकिन इनका प्रकार्य या अर्थबोध वाक्य में वही है जो क्रियाविशेषण का है। देखिए :

विशेषण + संज्ञा		**क्रियाविशेषण**
जिस समय	=	जब
जिस जगह	=	जहाँ
जितना धन	=	जितना
जैसा लड़का	=	जैसा
जिस रास्ते	=	जिधर

ऊपर बताए गए दोनों रूपों से लगभग समान अर्थबोध होता है और यह अर्थबोध समय तथा स्थान से जुड़े होने के कारण क्रियाविशेषण के अधिक निकट है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से विशेषण तथा संज्ञा का संयोग होने के कारण वाक्य (52–56) के गौण उपवाक्यों को विशेषकर उपवाक्य ही माना जाना चाहिए।

अभी तक हमने विशेषण उपवाक्य तथा क्रियाविशेषण उपवाक्य के जितने उदाहरण दिए हैं इनमें केवल दो ही उपवाक्य वाले वाक्य हैं। ऐसे वाक्य भी संभव हैं जिनमें विशेषण उपवाक्य और क्रियाविशेषण उपवाक्य दोनों मिलकर एक साथ आए हों या एक ही प्रकार के दो या अधिक उपवाक्य एक ही वाक्य में प्रयुक्त हुए हों, जैसे :

(57) आपने वह दवा कहाँ रखी जो आपने उस दुकान से खरीदी थी जिसमें रमेश काम करता है।

(मुख्य उपवाक्य + विशेषण उपवाक्य + क्रियाविशेषण उपवाक्य)

(58) रामलाल ने वह कार, जो उसका लड़का चला रहा है, तब खरीदी थी जब वह कॉलेज में पढ़ता था।

(मुख्य उपवाक्य + विशेषण उपवाक्य + क्रियाविशेषण उपवाक्य)

(59) जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक सरकारी अस्पताल है जिसमें अक्सर बहुत भीड़ रहती है।

(क्रियाविशेषण उपवाक्य + मुख्य उपवाक्य + क्रियाविशेषण उपवाक्य)

बोध प्रश्न

(11) कोष्ठक में दिए उत्तरों में से कोई एक उत्तर सही है। सही उत्तर रिक्त स्थान में लिखिए :

1. ..... से शर्तवाचक क्रियाविशेषण का बोध होता है।
(यद्यपि–तथापि, जैसे–वैसे, अगर–तो)

2. ..... उपवाक्य विशेषण की भी विशेषता बताता है।
(संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण)

3. 'जब–तब' और 'जहाँ–तहाँ' में 'तब' और 'तहाँ ..... शब्द कहलाते हैं। (संबंधवाचक, नित्यसंबंधी, विशेषण)

4. 'क्योंकि' तथा 'चूँकि' से शुरू होने वाले क्रियाविशेषण उपवाक्य से .... का बोध होता है। (रीति, कारण, प्रयोजन)

5. 'जिस दिन' में 'जिस' का प्रयोग ..... के रूप में हुआ है।
(क्रियाविशेषण, विशेषण, नित्यसंबंधी शब्द)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 181 8/18/2021 12:21:47 PM

(12) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जो कथ्य की दृष्टि से सही या गलत हैं। बताइए कौन–से वाक्य सही हैं, कौन–से गलत?

1. क्रियाविशेषण उपवाक्य क्रिया के अलावा क्रियाविशेषण और विशेषण की भी विशेषता बताता है। सही ( ) गलत ( )
2. क्रियाविशेषण उपवाक्य हमेशा वाक्य के प्रारंभ में ही आता है। सही ( ) गलत ( )
3. यह जरूरी नहीं कि सभी क्रियाविशेषण उपवाक्य गौण उपवाक्य हों। सही ( ) गलत ( )
4. क्रियाविशेषण उपवाक्यों में से संबंधवाचक शब्द 'जहाँ', 'ज', और 'जैसे' का ऐच्छिक लोप संभव है। सही ( ) गलत ( )
5. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण से अधिकता, न्यूनता, तुल्यता या अनुपात का बोध होता है। सही ( ) गलत ( )

(13) क्रियाविशेषण उपवाक्य के आठ प्रकार हैं–समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कार्यकारणवाचक, शर्तवाचक, विरोधवाचक, प्रयोजनवाचक। नीचे दिए क्रियाविशेषण उपवाक्यों के सामने उनके सही प्रकार लिखिए :

1. ज्योंही घंटी बजी, चपरासी फौरन भीतर आया। .....
2. सूची में जहाँ–जहाँ मेरा नाम है, वहाँ–वहाँ निशान लगा दें। .....
3. मैं आज बाजार नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। .....
4. चूँकि मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए जाना जरूरी है। .....
5. वह इतना कंजूस है कि दिन में केवल एक बार ही खाता है। .....
6. गाड़ी कुछ किनारे खड़ी कर लें ताकि रास्ता न रुके। .....
7. अगर आप बुरा न मानें तो एक बात कहूँ। .....
8. चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं यह राज नहीं बता सकता। .....

(14) नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं जिनके उपवाक्यों पर 1 या 2 अंक लिखे हैं। इन वाक्यों के सामने वाले स्थान में सही गौण उपवाक्य का अंक 1 या 2 लिखिए :

1. सुधीर इतना अभिमानी है कि अपने पड़ोसियों से भी बात नहीं करता।
2. मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ चलते।
3. जिस आदमी को तुम ढूँढ रहे हो वह मैं ही हूँ।
4. एक और लड़का है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ।
5. तुम ऐसे देख रहे हो जैसे मैं ही इसके लिए जिम्मेवार हूँ।
6. यद्यपि उम्र में मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा अनुभवी हूँ।
7. जैसे ही गाड़ी आई, वैसे ही लोगों में भगदड़ मच गई।

(15) ऊपर दिए गए प्रश्न 14 के वाक्यों के गौण उपवाक्यों का सही प्रकार लिखिए कि वे संज्ञा उपवाक्य हैं, विशेषण उपवाक्य हैं या क्रियाविशेषण उपवाक्य हैं :

वाक्य 1 ..... उपवाक्य

वाक्य 2 ..... उपवाक्य

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 182 8/18/2021 12:21:47 PM

वाक्य 3 ..... उपवाक्य

वाक्य 4 ..... उपवाक्य

वाक्य 5 ..... उपवाक्य

वाक्य 6 ..... उपवाक्य

वाक्य 7 ..... उपवाक्य

9.7 सारांश

आपने इस इकाई में मिश्रवाक्यों के तीन प्रकारों की संरचना और विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने पढ़ा कि–

- मिश्रवाक्य में एक मुख्य (स्वतंत्र) उपवाक्य और एक या अधिक गौण (आश्रित) उपवाक्य होते हैं।
- इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं।
- मुख्य उपवाक्य अर्थ के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता, लेकिन गौण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है।
- गौण उपवाक्य कुछ सीमाओं के अंतर्गत वाक्य के प्रारंभ, मध्य और अंत में प्रयुक्त हो सकते हैं।
- मिश्र वाक्य के तीन प्रकार होते हैं– संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य।
- संज्ञा उपवाक्य, वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों भूमिकाओं में प्रयुक्त हो सकते हैं।
- संज्ञा उपवाक्य 'यह', 'ऐसा' तथा कुछ अन्य शब्दों के पूरक के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं।
- संज्ञा उपवाक्य की अपेक्षा करने वाली क्रियाओं की संख्या सीमित है।
- संभावनार्थक तथा इच्छार्थक क्रियाओं (चाहना वर्ग) के बाद प्रयुक्त संज्ञा उपवाक्यों की क्रियाओं के रूप भी इच्छार्थक होते हैं।
- संज्ञा उपवाक्यों से पूर्व सामान्यतः 'कि' शब्द का प्रयोग होता है जिसका कभी–कभी ऐच्छिक अथवा अनिवार्य लोप हो जाता है।
- कुछ संज्ञा उपवाक्यों को संज्ञा पदों में रूपांतरित करके मुख्य उपवाक्य में समाहित किया जा सकता है।
- विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताता है या उसकी व्याप्ति को सीमित करता है।
- विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ में सामान्यतः 'जो' या इसके किसी विकारी रूप (जिस, जिन) का प्रयोग होता है।
- विशेषण उपवाक्य के दो भेद होते हैं–वर्णनात्मक और निर्देशात्मक।
- वर्णनात्मक विशेषण उपवाक्य में संज्ञा के रूप, गुण या प्रकार्य का सामान्य वर्णन होता है।
- निर्देशात्मक विशेषण उपवाक्य में संज्ञा की व्याप्ति को सीमित, विशिष्ट या मर्यादित करने का बोध होता है।
- कुछ विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में प्रयुक्त होकर आते हैं और कुछ केवल मध्य और अंत में ही आते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 183 8/18/2021 12:21:47 PM

- क्रियाविशेषण उपवाक्य सामान्यतः क्रिया की और कभी–कभी विशेषण और स्वयं क्रियाविशेषण की विशेषता बताते हैं।
- क्रियाविशेषण उपवाक्यों के प्रारंभ में संबंधवाचक शब्द (जैसे, 'जब', 'जहाँ', 'जैसा' आदि) प्रयुक्त होते हैं और मुख्य उपवाक्यों के प्रारंभ या बीच में 'तब', 'वहाँ', 'वैसा' आदि नित्यसंबंधी शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका कभी–कभी वाक्य में लोप भी हो सकता है।
- क्रियाविशेषण उपवाक्य मुख्यतः आठ प्रकार के होते हैं– समयवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कारणवाचक, शर्तवाचक, विरोधवाचक तथा प्रयोजनवाचक।
- 'जिस', 'जिन', 'जैसा' आदि कई संबंधवाचक शब्द क्रियाविशेषण का अर्थ देते हुए भी संरचना की दृष्टि से विशेषणात्मक उपवाक्य के अधिक निकट होते हैं, जैसे 'जिस दिन', 'जिन लोगों ने' और 'जैसा लड़का'।

9.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. हिंदी व्याकरण, कामताप्रसाद गुरु (1920) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
2. हिंदी का वाक्यात्मक व्याकरण, सूरजभान सिंह (1985) साहित्य सहकार, दिल्ली।
3. हिंदी भाषा की वाक्य संरचना, संपादक : भोलानाथ तिवारी (1986) साहित्य सहकार, दिल्ली।

9.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

(1) 1) संयुक्त 2) गौण 3) समुच्चयबोधक अव्यय
4) क्रिया विशेषण 5) मुख्य

(2) 1) गलत 2) सही 3) गलत
4) गलत 5) सही

(3) 1) संयुक्त 2) मिश्र 3) मिश्र
4) मिश्र 5) संयुक्त

बोध प्रश्न

(4) 1) संज्ञा 2) कि 3) नामिकीकरण
4) कर्म 5) यह

(5) 1. बड़े बाबू ने कहा है कि मैं चार बजे तक लौट जाऊँ।
2. मेरा विचार है कि मैं आज ही लौट जाऊँ।
3. शीला चाहती है कि वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लें।
4. मेरा मन कर रहा है कि कुछ दिन और यहाँ रहूँ।
5. उसकी इच्छा है कि बड़े बेटे के साथ रहें।

(6) 1. मैंने जानबूझ कर उसे जाने दिया।
2. वह अब भी उसी पद पर काम कर रहा है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 184 8/18/2021 12:21:47 PM

3. आप इतने बड़े आदमी बन गए हैं।
4. कि तुम बीच में दगा दे जाओगे।
5. वह अब न आए।

(7) इकाई से स्वयं जाँच करें।

बोध प्रश्न

(8) 1) कि 2) संज्ञापद 3) निर्देशात्मक
4) विकारी 5) मुख्य उपवाक्य

(9) 1) गलत 2) गलत 3) सही
4) सही 5) गलत

(10) 1) 2 2) 1 3) 2
4) 3 5) 1 6) 2
7) 1 8) 3

बोध प्रश्न

(11) 1) अगर–तो 2) क्रियाविशेषण 3) नित्यसंबंधी
4) कारण 5) विशेषण

(12) 1) सही 2) गलत 3) गलत
4) गलत 5) सही

(13) 1) समचवाचक 2) स्थानवाचक 3) कारणवाचक
4) कारणवाचक 5) परिमाणवाचक 6) प्रयोजनवाचक
7) शर्तवाचक 8) विरोधवाचक

(14) 1) 2 2) 2 3) 1
4) 2 5) 2 6) 1
7) 1

(15) 1) क्रियाविशेषण उपवाक्य 2) संज्ञा उपवाक्य
3) विशेषण उपवाक्य 4) विशेषण उपवाक्य
5) क्रियाविशेषण उपवाक्य 6) क्रियाविशेषण उपवाक्य
7) क्रियाविशेषण उपवाक्य

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 185 8/18/2021 12:21:47 PM

इकाई 10 : अर्थ विज्ञान

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 अर्थ की अवधारणा या स्वरूप

10.3 शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

10.4 संकेतग्रह

10.5 संकेतग्रह के साधन

10.6 संकेतग्रह के बाधक कारण

10.7 अर्थ निर्णय के साधन

10.7.1 एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन

10.7.2 अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन

10.8 अर्थ परिवर्तन के कारण

10.9 अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ

10.10 सारांश

10.11 उपयोगी पुस्तकें

10.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- अर्थ की अवधारणा या स्वरूप से परिचित हो सकेंगे;
- शब्द और अर्थ का संबंध जान सकेंगे;
- संकेतग्रह उसके साधन और बाधक कारणों को समझा सकेंगे;
- अर्थ निर्णय के साधनों का परिचय दे सकेंगे; और
- अर्थ परिवर्तन के कारण तथा दिशाएँ बता सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

भाषाविज्ञान का विवेच्य भाषा है और भाषा की आत्मा है –अर्थ। अर्थ के अध्ययन के अभाव में भाषिक विवेचन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यह अर्थ ही भाषा को औचित्य प्रदान करता है। शब्द अर्थ की अभिव्यक्ति का माध्यम है। दूसरे शब्दों में शब्द साधन है और अर्थ साध्य। अंतर यह है कि शब्द मूर्त हैं किंतु अर्थ अमूर्त होते हैं। भाषाविज्ञान का वह अंग जो शब्द और अर्थ के संबंध, अर्थ की सत्ता, अर्थज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के ज्ञान के साथ ही अर्थ परिवर्तन के कारण व दिशाओं का अध्ययन–विश्लेषण करता है, अर्थविज्ञान के नाम से जाना जाता है। प्रायः हमें शब्दों का अर्थ कोश में मिल जाता है किंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझने के लिए उसके व्याकरणिक अर्थ को समझना अनिवार्य होता है। वाक्यीय संरचना के आधार पर शब्दों का अर्थ समझना होता है। प्रायः भाषाओं में दो या दो से अधिक शब्द/रूप एक अर्थ से संबंधित

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

होते हैं जैसे– 'पानी' और 'जल' या 'आदमी' और 'व्यक्ति'। इन्हें हम पर्यायवाची शब्द (synonym) के नाम से जानते हैं किंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह आर्थी समानता सदैव पूर्ण समान नहीं होती। अनेक परिस्थितियों में जहाँ एक शब्द वाक्य में उपयुक्त प्रतीत होता है वहीं दूसरा पर्याय अनुपयुक्त लगता है। यथा ' मैं जीत गया' वाक्य में 'जीत' के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द 'विजय' का प्रयोग अनुपयुक्त लगता है। इसी तरह भाषा में निहित अनेक शब्द का सम्बन्ध एक से अधिक अर्थों से भी होता है ये शब्द 'समानार्थी' (homonym) कहलाते हैं जैसे 'मुझे सोना है' 'मुझे सोना खरीदना है' यहाँ दोनों वाक्यों में सोना शब्द के विविध अर्थ संदर्भ एवं प्रकरण के आधर पर अलग–अलग निर्धारित होते हैं। जहाँ अर्थ सम्बन्धी समानता समान शब्द से जुड़ी होती है, वहीं पारिभाषिक शब्दावली में अनेकार्थी (polysemy) शब्द भी अर्थ प्राप्ति के लिए प्रसंग और प्रकरण के अनुसार ही समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार समस्वन (homophone) शब्द (यथा– root & route see&sea); समलेख वाले शब्द (यथा– सहन < बर्दाश्त या आँगन के पास का रास्ता); विपरीतार्थक शब्द (antonym) अपना अर्थ प्रसंग व प्रकरण के आधार पर व्यक्त करते हैं। अर्थविज्ञान में शब्दों और अर्थ के संबंध का अध्ययन करने के साथ ही अर्थबोध के साधन, अनेकार्थवाची शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन, संकेत–ग्रह आदि का भी विश्लेषण किया जाता है।

भाषा मनुष्य के व्यवहार का प्रमुख साधन है। मनुष्य स्वयं परिवर्तनशील है इसलिए उसके व्यवहार का साधन भाषा भी सतत परिवर्तनशील है। भाषा में होने वाला यह परिवर्तन भाषा के अंगों अर्थात् ध्वनि, पद, वाक्य आदि में होता है, अर्थ भी उससे प्रभावित होता है। अर्थ परिवर्तन कहाँ–कहाँ होता है और क्यों होता है? इसी को अर्थपरिवर्तन के कारण और दिशाएं के नाम से जाना जाता है। यह भी अर्थविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है।

10.2 अर्थ की अवधारणा या स्वरूप

प्रश्न उठता है कि अर्थ है क्या? प्राचीन काल से दार्शनिक इस संबंध में विचार करते चले आ रहे हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार "अर्थ शब्द की आंतरिक शक्ति का नाम है। सभी शब्द अपने–अपने अर्थ का बोध कराने के लिए होते हैं, परंतु जिस–जिस अर्थ का बोध कराने के लिए जो–जो शब्द प्रयुक्त होता है, उस शब्द का वही अर्थ होता है।"

कुमारिल भट्ट के अनुसार "जो अर्थ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वही उसका अर्थ होता है। अर्थविज्ञान के सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार अर्थ विचार एवं संकल्पनाएँ हैं जो एक भाषा के रूपों के माध्यम से श्रोता के मस्तिष्क में स्थानांतरित होता है। किंतु सभी शब्दों से जुड़ी संकल्पनाएँ समान नहीं होतीं। कुछ संकल्पनाओं का संबंध दृश्यमान जगत से होता है कुछ का मानसिक जगत से। जैसे– विद्यालय, कुर्सी, पेड़, कुत्ता आदि शब्द का संबंध दृश्यमान जगत से है जबकि अच्छा, भोला, सुंदर दुख आदि शब्दों का संबंध मानसिक जगत से। भिन्न–भिन्न व्यक्ति इनका साहचर्य पृथक–पृथक मानसिक छवियों से स्थापित कर अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ निर्धारण में कठिनाइयाँ आती हैं जैसे– पत्र, समाचार पत्र, पत्रवाहक, पत्रोत्तर, निमंत्रण पत्र आदि शब्दों में 'पत्र' का आधारिक अर्थ ज्ञात करने में समस्या आती है। साथ ही शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग अर्थ सम्बन्धी अध्ययन को और अधिक जटिल बनाते हैं। अभिधा शब्दों का तो कोशीय अर्थ होता है किंतु लक्षणा में शब्द के कोशीय अर्थ के साथ ही प्रयुक्त शब्द से सम्पृक्त अन्य गुण विशेषता का आरोप होता है। ऐसे में यह निर्णय करना कठिन है कि प्रयुक्त शब्द का सही अर्थ क्या है, और प्रयोक्ता ने उसे कैसे सीखा? डॉ शिलर अर्थ को

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 187 8/18/2021 12:21:47 PM

पूर्णतया वैयक्तिक मानते हैं। क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, जिससे वह वस्तु अभिप्रेत होती है। डॉ. रसेल के अनुसार 'संबंध विशेष' ही अर्थ निर्मित करता है। डॉ. मूर के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ वस्तुतः सन्दर्भ या प्रकरण होता है। अर्थ का सरल और स्पष्ट लक्षण करना चाहें तो कह सकते हैं कि शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है, उसे अर्थ कहते हैं। स्पष्ट है कि अर्थ का लक्षण प्रतीति है और प्रतीति का संबंध मनुष्य के मानसिक पक्ष से है। आरंभ में हमने देखा है कि भाषा की उत्पत्ति मन से होती है और उसकी परिणति भी मन में ही होती है। अर्थात् वक्ता और श्रोता, दोनों के मन को प्रतीति की दृष्टि से एक सूत्र में पिरोना ही भाषा का उद्देश्य है। अतः अर्थ के किसी भी पक्ष पर विचार करते समय मानसिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। अर्थ को प्रतीति कहते हैं और यह प्रतीति दो प्रकार की होती है। एक तो आत्म प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका अर्थ है – किसी वस्तु का प्रत्यक्ष हम स्वयं करें। दूसरा है परप्रत्यक्ष द्वारा। मान लीजिए की किसी ने ताजमहल नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में उसे दूसरे लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है। इसी को पर प्रत्यक्ष कहते हैं। किस इन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है इस आधार पर आत्मप्रत्यक्ष के भी दो रूप होते हैं– बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रय। बहिरिन्द्रिय का अर्थ है आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा से प्राप्त ज्ञान जिनकी सहायता से रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस का ज्ञान होता है। अन्तरन्द्रिय को मन या अन्तःकरण भी कहा जाता है। जिसके द्वारा अर्मूत वस्तुओं का बोध होता है। जैसे प्रेम, दया, करुणा, अंहिसा आदि के भाव अन्तःकरण से जाने जाते हैं।

बोध प्रश्न

1. भाषा विज्ञान का विवेच्य भाषा है और भाषा की आत्मा है?
   (क) अर्थ (ख) शब्द
   (ग) ध्वनि (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. भाषा में होने वाला परिवर्तन भाषा के किस अंग में होता है?
   (क) ध्वनि (ख) पद
   (ग) वाक्य (घ) उपर्युक्त सभी
3. ''जो अर्थ जिस शब्द के साथ संबद्ध रहता है, वही उसका अर्थ होता है।'' अर्थ के विषय में यह किसने कहा था?
   (क) महर्षि पतंजलि (ख) कुमारिल भट्ट
   (ग) भोलानाथ तिवारी (घ) कामता प्रसाद गुरु।

10.3 शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रय की सहायता से शब्द के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। किंतु एक प्रश्न स्वभावतः खड़ा होता है कि किसी शब्द से अर्थ का सम्बन्ध कैसे जोड़ा जाता है। क्यों कुर्सी कहने पर एक फर्नीचर विशेष का ही बोध होता है। घोड़े या पेड़ का नहीं। क्यों घोड़ा कहने पर एक पशु विशेष का ही बोध होता है, पानी या पेड़ का नहीं। वस्तुतः एक ध्वनि–समूह के साथ एक वस्तु विशेष का संबंध स्थापित हो जाता है और फिर वही व्यवहार में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करना ही संकेतग्रह कहलाता है अर्थात किसी ध्वनि समूह से किसी वस्तु का बोध या किसी शब्द विशेष से किसी विशेष अर्थ का बोध ही संकेतग्रह कहलाता है। संकेतग्रह का प्रमुख आधार अनुभव है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 188 8/18/2021 12:21:47 PM

10.4 संकेतग्रह

किसी शब्द से किसी अर्थ का संबंध स्थापित करना या किसी ध्वनिसमूह से किसी वस्तु का संबंध स्थापित करना या बोध कराना ही संकेतग्रह है। यह संकेतग्रह लोक व्यवहार एवं अनुभव से होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक शब्द का चित्र अंकित होता है। जो उसके मस्तिष्क में स्थाई रूप से बना रहता है। 'घोड़े' को देखने पर घोड़े का बिम्ब अंकित हो जाता है और पुनः जब हम घोड़ा देखते हैं तब वह बिम्ब पुनः जाग्रत हो जाता है और हम घोड़े पहचान लेते हैं। वस्तु के बिम्ब के साथ ही वाचक शब्द (घोड़ा) भी संस्कार रूप में मन पर अंकित हो जाता है। इस शब्द और अर्थ या वस्तु के स्थिर मानसिक संस्कार ही बिम्ब निर्माण कहा जाता है। इस बिम्ब निर्माण का ही यह फल होता है कि 'घोड़ा' शब्द से 'घोड़ा' अर्थ सम्बद्ध हो गया है। इस बिम्ब निर्माण के कारण ही बाद में जब–जब हम घोड़ा देखते हैं तो उसके साथ ही घोड़ा शब्द भी उपस्थित हो जाता है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से हम देखें तो शब्द और अर्थ एक–दूसरे पर आश्रित हैं। अर्थ के बिना शब्द और शब्द के बिना अर्थ अग्राह्य और प्रयोग के अयोग्य है। शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य। इस प्रकार शब्द और अर्थ में बोध्य और बोधक संबंध होता है।

अर्थ रहित शब्द का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरे शब्दों में अर्थ हीन शब्द अपना कोई मतलब नहीं रखता। अर्थ, शब्द की बोध शक्ति है। शब्द की आधारभूमि अर्थ ही है। शब्द में अर्थ कहीं से आयातित नहीं होता, बल्कि शब्द ही अर्थ निहित होता है। 'आम' कहने के साथ ही उसकी आकृति तथा स्वाद की भी लगभग अनुभूति होने लगती है। उक्त अर्थबोध की क्षमता स्वयं उस शब्द में ही निहित है।

शब्द विचार या अर्थ का प्रतीक होता है। अर्थ और शब्द एक दूसरे से संपृक्त होते हैं। अर्थ की अभिव्यंजना शब्द से ही हो सकती है। बिना शब्द के अर्थ की कोई सत्ता नहीं है। हालाँकि कभी–कभी कुछ भावों, अर्थों या विचारों का सम्प्रेषण इंगितों या संकेतों द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन सभी कार्यों का संपादन मात्र इंगितों या संकेतों से संभव ही नहीं। वस्तुतः शब्द और अर्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शब्द से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है और अर्थ के बिना शब्द निष्प्रयोज्य होते हैं। शब्द प्रकाशक है और अर्थ प्रकाश्य। शब्द कारण है और अर्थ कार्य। किंतु शब्द में जितना अर्थ निहित रहता है, अर्थबोध के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं रहता, बहुत बार उससे अधिक की प्रतीति अभीष्ट रहती है। अर्थ के तीन स्तर होते हैं– अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पाश्चात्य विचारकों ने अर्थ के तीन भेद बताए हैं–कोशार्थ, व्याकरणार्थ और अनित्यार्थ। कोशार्थ किसी शब्द का वह अर्थ है जो कोश में दिया रहता है। इसे ही अभिधा या वाच्यार्थ कहते हैं। व्याकरण द्वारा निर्दिष्ट अर्थ व्याकरणार्थ कहलाता है। इसमें क्रिया संज्ञा आदि के रूप तो आते ही हैं, व्याकरण द्वारा वाक्यों में शब्दों के निश्चित स्थान से जो अर्थ निकलता है, वह भी सम्मिलित है। जैसे– 'राम ने रावण को मारा' या 'रावण ने राम को मारा' –इन दोनों वाक्यों के अर्थ में जो अंतर है, वह कोशगत नहीं, व्याकरणगत है। बोलते समय वक्ता के स्वर, मुद्रा, चेष्टा आदि के सहयोग से जो वैशिष्ट्य आता है, उसकी गणना अनित्यार्थ में की जाती है। जैसे– 'वह चला गया' या 'वह चला गया?' – इन दोनों वाक्यों में वक्ता के स्वर, मुद्रा, चेष्टा आदि से अलग–अलग अर्थ की व्यंजना हो रही है, जो कोश और व्याकरण दोनों में बताए गए अर्थ से भिन्न है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द अनेकार्थी भी होते हैं। अर्थ निर्णय की समस्या अनेकार्थी शब्दों के संदर्भ में तो आती ही है, एकार्थक शब्दों में भी लगी रहती है। अब प्रश्न उठता है कि शब्दों से अर्थ का निर्णय किस आधार पर किया जाए? जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य अर्थों को ग्रहण न

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 189 8/18/2021 12:21:47 PM

करने के क्या कारण हैं? अर्थात् अर्थ–निर्णय का आधार क्या है? क्या शब्द और अर्थ के बीच में कोई नियंत्रण है या नहीं? क्या हम जिस शब्द से जो अर्थ लेना चाहें ले सकते हैं? यदि नहीं, तो अर्थ के निर्णय का साधन क्या है? ये कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न हैं, जिनका समाधान किए बिना अर्थ संबंधी चर्चा अधूरी है। अतः अर्थबोध के साधन को भी जानना आवश्यक है।

10.5 संकेतग्रह के साधन

अर्थबोध के साधन से आशय उन तत्वों से है, जिनसे किसी शब्द का बोध सहजता से हो। इन्हें 'शब्दार्थ–संकेत–ग्राहक–तत्व' भी कहा गया है। भारतीय विचारकों के साथ–साथ पाश्चात्य चिंतकों ने भी इस पर प्रकाश डाला है, जिसे क्रमशः इस प्रकार देखा जा सकता है–

भारतीय मत

भारतीय मनीषियों ने अर्थ–बोध के कुल आठ साधन बताए हैं–

(1) व्यवहार, (2) आप्तवाक्य, (3) व्याकरण, (4) उपमान, (5) कोश, (6) वाक्यशेष (प्रकरण), (7) विवृत्ति (व्याख्या) तथा (8) प्रसिद्ध पद का सान्निध्य।

(1) व्यवहार

अर्थबोध के लिए यह सबसे सशक्त माध्यम बताया गया है। व्यवहार के माध्यम से अबोध शिशु विश्व की प्रत्येक वस्तु शनैः शनैः सीखता जाता है। सयाने लोग अपने भाई–बहनों को एक–एक वस्तु का नाम लेकर सिखाते रहते हैं। पाठशाला में गुरु जी अपने शिष्यों से बार–बार एक–एक शब्दों का उच्चारण कराकर उन्हें प्रत्येक अपरिचित वस्तु से परिचित कराते हैं। कहने की मंशा यह कि अपने से बड़ों द्वारा किये गये सभी कार्य व्यापारों को देख–देखकर छोटा बच्चा भी उसे अपनी क्षमतानुसार अपने जीवन में उतारता चलता है। शब्द और वस्तु के संबंध में यह ज्ञान भाषा के ग्रहण का प्रथम सोपान है।

(2) आप्तवाक्य

किसी वस्तु का यथार्थ चित्रण करने वाले को 'आप्त' कहा जाता है और उसके द्वारा किया गया चित्रण अथवा कही हुई बात 'आप्त वाक्य' के भीतर समझी जाती है। इस तरह का वक्ता किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन करते समय न तो उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ता है अथवा न तो कुछ घटाता ही है। इस तरह का व्यक्ति सर्वथा विश्वसनीय समझा जाता है। इस संदर्भ में ऋषियों को लिया जा सकता है, जिनकी कही हुई बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता है। ईश्वर, देवता–देवी, स्वर्ग–नरक का ज्ञान सामान्य व्यक्ति को नहीं होता। केवल महर्षियों को ही इस सम्बन्ध में जानकारी होती है। वह इसलिए कि वर्षों के कठिन चिंतन तथा साधनाओं से वे इनके सम्बन्ध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अतः ऋषियों को 'आप्त' तथा उनकी कही हुई बातों को 'आप्त वाक्य' कहा जा सकता है। आप्त वाक्य अर्थ बोध का दूसरा सोपान है।

(3) व्याकरण

व्याकरण किसी भी भाषा को अनुशासन अथवा नियंत्रण में रखने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। इससे भाषा में सपाटपन तथा कसाव निरन्तर बना रहता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके व्याकरण को टटोलना पड़ता है, क्योंकि उस भाषा का लेखा–जोखा उसके व्याकरण में ही निहित रहता है। भाषा के लिंग, वचन, धातु, कारक तथा किसी शब्द का

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 190 8/18/2021 12:21:47 PM

मूल उत्स व्याकरण में ही सुरक्षित रहता है। वर्तनी का शुद्ध लेखन, वाक्यों के सही प्रयोग, शब्दों के उपयुक्त अर्थ आदि की जानकारी व्याकरण ही देता है। अर्थ बोध में व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मान लीजिए की कोई 'करना या जाना' शब्द का अर्थ तो जानता है। लेकिन अगर उसे कहीं 'किया' या 'गया' शब्द मिल जाये तो उसे यह शब्द अर्थ जानने के लिये कोश में नहीं मिलेगा। क्योंकि शब्दकोश में किसी शब्द के विभक्ति, वचन या काल के अनुसार रूपांतरित शब्द नहीं होते। उसमें केवल मूल शब्द होते हैं और उन्हीं का अर्थ दिया होता है। मूल शब्द से बनने वाले रूपों का अर्थ जानने के लिये व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। व्याकरण के अनुसार बदलने वाले रूपों के बारे में आपको बताया जा चुका है। शब्दों के रूपों का अर्थवैशिष्ट्य को जानने का एकमात्र साधन व्याकरण ही है। इस तरह किसी भाषा के पूर्ण ज्ञान और अर्थ बोध के लिये व्याकरण का ज्ञान अनिवार्य है।

(4) उपमान

उपमान का अर्थ है सादृश्य या समानता। अर्थात् कभी–कभी समान वस्तु दिखाकर या बताकर किसी शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। जैसे अगर किसी ने गाय देखी हो और सुन रखा हो कि नीलगाय गाय के ही समान होती है। अगर उसने जंगल में घूमते हुए एक ऐसे पशु को देखा जो गाय से समता रखती है तो वह सादृश्य मूलक ज्ञान के आधार पर समझ सकेगा की वह जिस पशु विशेष को अभी देख रहा है वह नीलगाय ही होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले से देखे गए या अनुभव के किए गए वस्तु के ज्ञान के या बोध के आधार पर अदृष्ट अथवा पहले से अनुभूत न किए गए वस्तु का ज्ञान ही उपमान कहलाता है। अर्थात् उपमान कल्पना तभी हो सकती है। जब कोई वस्तु का ज्ञान पहले से हो। संसार की बहुत सारी वस्तुओं का परिचय हमें उपमान के द्वारा ही होता है। इसलिये अर्थबोध की दृष्टि से इसकी उपयोगिता स्पष्ट है।

(5) कोश

अर्थ की बोध–गम्यता के लिए कोश का भी आशय लेना पड़ता है। अज्ञात अथवा क्लिष्ट शब्दों के सरल अर्थ कुण्डली मारकर कोश में बैठे तो अवश्य रहते हैं, लेकिन कोश यह नहीं बताता कि इन शब्दों का प्रयोग करना कब उचित और कब अनुचित होगा। फिर भी कोश का अपना विशिष्ट महत्व है। अर्थबोध के लिए लगभग सभी अध्येता अपने घरों में इच्छित विषय के कोश अवश्य रखते हैं। कोश किसी भी अज्ञात शब्द का अर्थ जानने के लिए प्रारम्भिक साधन होते हैं। प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ जानने के लिये कोश की सहायता ली जाती है। यहाँ यह बात ध्यान से समझना चाहिए की व्याकरण शब्द के प्रयोग पक्ष को स्पष्ट करता है और कोश शब्द के अर्थ पक्ष को। कोश में संग्रहित शब्द के अर्थ यह बताने में असमर्थ होते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए। प्रयोग का ज्ञान लोक व्यवहार या साहित्य से होता है।

(6) वाक्यशेष या प्रकरण

'प्रकरण; वाक्यशेष का दूसरा नाम है। कभी–कभी कुछ शब्द प्याज के छिलके की तरह अनेकार्थी होते हैं। ऐसी स्थिति में अध्येता यह निर्णय नहीं ले पाता, कि इन अनेकार्थी शब्दों में अमुक शब्द का किस स्थल पर कौन–सा अर्थ ग्रहण किया जाय। दुविधा की इस स्थिति में वाक्य शेष अथवा प्रकरण का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि 'रस' शब्द को लीजिए? जिसके अनेक अर्थ होते है–

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 191 8/18/2021 12:21:47 PM

आनंद, शरबत, काव्य–रस, भोजन के छः रस आदि। इनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए, निर्णय करना कठिन है। ऐसे में, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रकरण के आधार पर अर्थ का निर्णय लिया जाता है। जैसे–

रस पीजिएगा?	(शरबत)
रस काव्य की आत्मा है।	(काव्य रस)
आंवले का रस गुणकारी होता है।	(स्वरस)
आपकी बात में बहुत रस मिलता है।	(आनंद)

(7) विवृत्ति

इसके अन्य नाम 'व्याख्या' अथवा 'विवरण' भी हैं। कभी–कभी कुछ शब्दों का अर्थ नपे–तुले एक शब्द में अधिगत नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कि सूत्र रूप में उन्हें नहीं समझाया जा सकता। ऐसे मौके पर अर्थ–बोध के इस साधन का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि यह कहा जाय कि 'सिद्ध कीजिए केशव रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं'? 'भूषण जातीय कवि हैं अथवा राष्ट्रीय'? 'निराला बहुवस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा के कवि हैं।' तो इन्हें एक शब्द में नहीं बता सकते। ऐसे अवसरों पर सम्यक् अर्थ–बोध के लिए उनकी व्याख्या आवश्यक होती है।

(8) प्रसिद्ध पद का सान्निध्य

कभी–कभी किसी वाक्य में कुछ ऐसे क्लिष्ट अथवा अबोध शब्द मिल जाते हैं, जिनका अर्थ जानने के लिए हमेशा कोश का सहारा नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में शब्द के अगल–बगल के प्रसिद्ध पदों का आश्रय लेना पड़ता है, तभी अर्थ खुल पाता है। उक्त शब्दों की समीपता को ही 'प्रसिद्ध पद का सान्निध्य' कहा जाता है। 'अजा' शब्द का यहाँ उदाहरण लिया जा सकता है। 'अजा' शब्द के दो अर्थ हैं–बकरी तथा प्रकृति। यदि यह कहा जाय कि हरी–हरी घासों को 'अजा' ने चर डाला, तो हरी घास तथा चरने के आधार पर 'अजा' का अर्थ बकरी ही लिया जायेगा, प्रकृति नहीं।

पाश्चात्य मत

पाश्चात्य चिंतकों ने अर्थ–बोध के मात्र तीन साधन माने हैं–

1. प्रदर्शन अथवा व्यवहार (demonstration)
2. विवरण (circumlocution)
3. अनुवाद (translation)

1. प्रदर्शन अथवा व्यवहार

इसका अर्थ है, किसी वस्तु को बोध कराने के लिए उसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दिखाकर उसका नाम बताना। अर्थ–बोध का यह भी सरल तरीका है। यदि किसी को 'गुलाब' का बोध कराना हो तो उस व्यक्ति को गुलाब दिखाकर बताया जाय कि यह सुगन्धि बिखेरने वाला 'गुलाब' पुष्प है वस्तुओं का बोध कराने के संदर्भ में छोटे बच्चों के लिए यह माध्यम सबसे आसान होता है।

2. विवरण

किसी वस्तु को प्रश्नोत्तर शैली में अथवा घुमा–फिरा कर समझाना ही विवरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी 'ऊँट' से परिचित न हो, तो अध्यापक उसे समझाने के लिए अनेक प्रश्न करेगा, जैसे– सबसे लम्बी

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 192 8/18/2021 12:21:48 PM

और दुबली–पतली टांग वाले पशु का क्या नाम है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा गया है? आदि–आदि।

3. अनुवाद

पाश्चात्य विद्धानों द्वारा बताये गये अर्थ–बोध के साधनों में वस्तुतः अनुवाद ही महत्वपूर्ण साधन माना जा सकता है। विदेशी भाषाओं में व्यक्त विचारों तथा भावों की समझ के लिए अनुवाद का ही सहारा लेना पड़ता है। पाश्चात्य देशों के साहित्य, वैज्ञानिक अविष्कारों, रीति–रिवाजों, व्यापारों, राजनीतिक विचारों आदि को भली–भाँति समझने के लिए अनुवाद उत्तम माध्यम है। नाटककार शेक्सपियर तथा कालिदास को अनुवाद के माध्यम से ही एक दूसरे देशों में जाना जाता है। अनुवाद के लिए अपनी भाषा के साथ दूसरी भाषा का ज्ञान भी एक महत्वपूर्ण शर्त है।

बोध प्रश्न

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

   (क) ध्वनि के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करना ही ..... कहलाता है।

   (ख) संकेतग्रह का प्रमुख आधार ..... है।

   (ग) ..... एक दूसरे पर आश्रित हैं।

   (घ) भारतीय मनीषियों ने अर्थबोध के कुल ..... साधन बताये हैं।

   (ङ) ..... अर्थबोध का दूसरा सोपान है।

   (च) पाश्चात्य चिंतकों ने अर्थबोध के ..... साधन माने हैं।

10.6 संकेतग्रह के बाधक कारण

अर्थबोध के साधनों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। अब उन कारणों को भी जान लेना जरूरी है जो अर्थज्ञान या संकेतग्रह के बाधक तत्व हैं।

1. समरूपता का अभाव

जब कभी वक्ता और श्रोता के मध्य समरूपता या एक प्रकार स्तर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अर्थबोध में बहुत आती है। यह तीन प्रकार का होता है। 1. भाषागत समरूपता का अभाव, 2. बौद्धिक समरूपता का अभाव और 3. भावात्मक समरूपता का अभाव। जब वक्ता और श्रोता एक–दूसरे की भाषा को समझते होगे तभी अर्थबोध हो सकता है। अन्यथा नहीं इसीलिए शब्द का सार्थक होना ही पर्याप्त नहीं है। दो भाषाओं के शब्द सार्थक होकर भी उन व्यक्तियों के लिये निरर्थक हो जाते हैं जो उन भाषाओं से परिचित नहीं हैं। यही कारण है कि, रूसी, चीनी या जापानी आदि भाषा बोलने वाले से हिंदी बोलने वाले का वर्तालाप दो भाषीए के बिना असंभव होता है। अगर वक्ता और श्रोता का बौद्धिक स्तर समान होगा तब ही दोनों एक–दूसरे का भाव ठीक से समझ सकेंगे। प्रत्येक हिंदी समझ लेने वाला व्यक्ति न तो 'कामायनी' न तो 'चिन्तामणि' के निबंध समझ सकता है। इन्हें समझने के लिये एक विशेष प्रकार का बौद्धिक स्तर जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा एक होने पर भी बौद्धिक स्तर में भेद होने से संकेतग्रह में बाधा पड़ती है। वक्ता की बात श्रोता नहीं

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 193 8/18/2021 12:21:48 PM

समझ पाता। इसी तरह वक्ता और श्रोता में यदि भावात्मक या हार्दिक समानता नहीं होती तो भी अर्थबोध में बाधा होती है। प्रायः साहित्यिक अभिव्यक्तियों को समझने के लिये सहृदयता की आवश्यकता पड़ती है। सहृदयता के बिना महाकवियों की वाणी में निहित शब्दार्थ से भिन्न ध्वन्यार्थ को समझना मुश्किल है।

2. संकेत का विस्मरण

प्रायः बच्चे शब्द का अर्थ याद करते हैं लेकिन कभी–कभी याद किया गया शब्द का अर्थ विस्मृत हो जाता है या ध्यान से उतर जाता है। तब ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा पूछने पर या किसी प्रकरण में वह शब्द मिल जाने पर उसका अर्थ मन में उपस्थित नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में शब्दों का अर्थ बताना संभव नहीं हो पाता। अर्थबोध में बाधा उपस्थित हो जाती है।

3. भ्रांत अर्थ ज्ञान

जो शब्द जिस अर्थ का बोधक है उससे उसी शब्द का ज्ञान हो सकता है। किंतु कई बार ऐसा होता है कि किसी शब्द का अशुद्ध अर्थ समझ लिया जाता है। ऐसे में अर्थ का सम्यक् ज्ञान हो पाता। उदाहरण के लिये यदि कम अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति अेपर्जाब के स्थान पर ओब्जर्ब का प्रयोग करे तो उसे भ्रांत अर्थ ज्ञान की श्रेणी रखा जायेगा।

4. संस्कारजन्य दृढ़ता का अभाव

किसी शब्द का अर्थ एक बार में मन में स्थिर नहीं होता बार–बार उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है। इसीलिए जब बच्चे को शब्दार्थ का ज्ञान कराया जाता है। तो उसे बार–बार दोहराया जाता है। बार–बार आवृत्ति न करने पर शब्द का अर्थ मस्तिष्क में नहीं बैठ पाता। ऐसी स्थिति में शब्द का अर्थ मस्तिष्क में बद्ध न होने के कारण तुरंत अर्थ उपस्थित नहीं कर पाता। ऐसे में अर्थबोध में बाधा आती है।

5. अतिदूरता

वक्ता और श्रोता के बीच अगर बहुत अधिक दूरी होती है तो ध्वनि स्पष्ट नहीं हो पाती है। दोनों को एक–दूसरे की आवाज साफ नहीं सुनायी देगी। ऐसे में अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होती है।

6. अतिसामीप्य

अत्यधिक समीपता होने पर भी संकेतग्रह नहीं हो पाता, कोई बिल्कुल कान में मुँह सटाकर कुछ कहता है तो उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं पड़ती।

7. इन्द्रियघात

इन्द्रियघात का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय में किसी प्रकार की कमी। शब्द कान से सुने जाते हैं और मुँह से बोले जाते हैं। यदि वक्ता या श्रोता के इन्द्रियों में कोई त्रुटि होगी तो भी अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होती है।

8. मन की अस्थिरता

यदि वक्ता या श्रोता अथवा दोनों के मन एकाग्र नहीं हैं और वे ध्यान से एक–दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं तो भी अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होती है।

9. अतिसूक्ष्मता

यदि ध्वनि बहुत सूक्ष्म या धीमी होती है तो वह श्रोता के कान तक नहीं पहुंच पाती और अर्थबोध में बाधा आती है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 194 8/18/2021 12:21:48 PM

10. व्यवधान

यदि वक्ता और श्रोता के बीच में किसी भी प्रकार का व्यवधान खड़ा कर दिया जाए जैसे दीवाल या शोरगुल तो भी शब्द का उच्चारण निरर्थक हो जाता है और अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होती है।

11. अभिभव

अभिभव का अर्थ है एक आवाज द्वारा दूसरी आवाज को दबा देना। ऐसे में जो तेज आवाज होगी वह धीमी आवाज को दबा देगी। अगर वक्ता के पास कोई जोर–जोर से बोल रहा होगा तो वक्ता की ध्वनि दब जायेगी और श्रोता को अर्थबोध में बाधा होगी।

12. समानाभिहार

समानाभिहार का अर्थ है समान अर्थात् सदृश्य वस्तु में अभिहार या मिलन। जिस तरह से दूध में पानी को मिला दिया जाय तो दोनों की तरलता एक–दूसरे में समा जाएगी। उसी प्रकार एक साथ यदि कई बाजे बज रहे हों तो प्रत्येक की ध्वनि स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ेगी। क्योंकि सबकी आवाज आपस में मिल गई है। ऐसे में अर्थ बोध में बाधा आती है।

10.7 अर्थ निर्णय के साधन

विश्व की लगभग सभी भाषाओं में दो तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं– एकार्थक तथा अनेकार्थक। एक अर्थ रखने वाले शब्द एकार्थक कहे जाते हैं, तथा एक से अधिक अर्थ होने वाले शब्द अनेकार्थक समझे जाते हैं। 'साहित्य–दर्पण' में एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के साधनों की तालिका प्रस्तुत की गई है, जिनकी कुल संख्या दस है। वे इस प्रकार हैं–

(1) वक्ता, (2) बोद्धा या श्रोता, (3) वाक्य, (4) अन्य सन्निधि, (5) वाच्य, (6) प्रस्ताव या प्रकरण, (7) देश, (8) काल, (9) काकु तथा (10) चेष्टा। इन्हें स्पष्ट रूप से इस प्रकार देखा जा सकता है–

10.7.1 एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन

(1) वक्ता

अर्थ–निर्णय का यह साधन अपनी विचित्र भूमिका निभाता है। यदि कोई कहे कि 'मित्र! सन्ध्या हो गई' तो इसका अर्थ वक्ता के अनुसार अलग–अलग रूप–रंग धारण कर लेता है। इस वाक्य को यदि कोई व्यापारी कहे, तो उसका अर्थ होगा कि अब दुकान बढ़ाने का समय आ गया है। यदि पुजारी कहे तो इसका अर्थ होगा कि मंदिर में दीपक जलाने का समय हो गया है। यदि विद्यार्थी अपने मित्र से कहे तो अर्थ होगा कि पढ़ना अब बंद करो। यदि मिल मालिक अपने कर्मचारियों से कहे तो अर्थ होगा कि काम बंद करो। सिनेमा का शौकीन व्यक्ति इस वाक्य से सिनेमा जाने का समय समझेगा। आशय यह कि भिन्न–भिन्न स्थिति के वक्ताओं के भेद से उक्त वाक्य से भिन्न–भिन्न अर्थ निकलेगा, यह इस उदाहरण से स्पष्ट है।

(2) बोद्धव्य

श्रोता को ही बोद्धा कहते हैं। वक्ता के समान ही एकार्थक शब्दों के अर्थ निर्धारण में बोद्धा भी सहायक होता है। वक्ता द्वारा कही गई बात का अर्थ श्रोता अपने अनुसार तय कर लेता है, दूसरे के लिए उसका कोई मूल्य नहीं होता। यथा–

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 195 8/18/2021 12:21:48 PM

स्वारथ सुकृत न श्रम वृथा देखि बिहंग बिचार।

बाज पराये पानि परि, तूँ पच्छीहि न मार।।

वस्तुतः यह दोहा राजा जय सिंह को लक्ष्य करके बिहारी ने लिखा था। इसका अर्थ जो उन्होंने समझा वह उन्हीं के लिए संभव था, जिसमें बिहारी ने उन्हें पक्षियों की हत्या न करने की सलाह दी थी। इस दोहे को यदि गौतम बुद्ध के पास लिखकर भेजा जाता तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल सकता था।

(3) वाक्य

स्वतंत्र या पृथक् रहने पर शब्द का जो अर्थ होता है, वह कभी–कभी वाक्य में आ जाने पर कुछ भिन्न अर्थ देने लगता है। यदि किसी से यह पूछा जाय कि कल तुम सैदपुर गए थे न? अथवा घर में पत्नी कुशल से है न? तो इन वाक्यों में प्रयुक्त 'न' का अर्थ निषेध न होकर विधि अर्थ में ही समझा जायेगा। सामान्यतया 'न' निषेध सूचक होता है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ निषेध नहीं होगा। कभी–कभी निषेध सूचक शब्दों को प्रयुक्त नहीं किये जाने पर भी वाक्य निषेध सूचक बन जाता है, यथा– ''तेरी हिम्मत! कि तू वहाँ जायेगी''?

(4) अन्य सन्निधि

इसका अर्थ किसी दूसरे शब्द की समीपता से है। कभी–कभी 'वक्ता' या 'श्रोता' अर्थ–निर्धारण में असमर्थ सिद्ध होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु अर्थ निर्णय करने में सहायक होती है। यथा–'कोयल मधु से उन्मत्त हो रही है'। यहाँ 'मधु' का आशय 'वसन्त' से होगा। क्योंकि कोयल में मादकता 'वसन्त' से उत्पन्न होती है न कि 'मधु' से। अतः कहा जा सकता है कि 'मधु' शब्द का सामीप्य ही अर्थ निर्णय में यहाँ प्रमुख भूमिका में है।

(5) वाच्य

इसका मतलब वक्ता के कथन से है। वाच्य से भी शब्दों का अर्थ निर्णित होता है यथा–

इति आवत चलि जात उत चली छ–सातक हाथ।

चढ़ी हिडौरें सी रहै लगी उसासनि साथ।।

इन पंक्तियों में कवि का लक्ष्य केवल यही बताना है कि प्रियतम के वियोग में नायिका अत्यन्त कृशगात या दुर्बल हो चुकी है। यह अर्थ उपर्युक्त पंक्तियों से वाच्य अर्थ वक्तव्य के वैशिष्ट्य के कारण ही प्राप्त होता है। कहने वाले का लक्ष्य इसी अर्थ की प्रतीति कराना है।

(6) प्रस्ताव

इसे ही 'प्रकरण' भी कहते हैं। एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय करने में प्रकरण को प्रधान साधन माना गया है। वास्तव में प्रकरण के बिना अर्थ निर्णय संभव नहीं। प्रत्येक वाक्य का सुनिश्चित अर्थ प्रकरण के द्वारा ही बताया जा सकता है। प्रकरण के आधार पर शब्दों का अर्थ अलग–अलग हो जाता है। यदि यह कहा जाए कि 'सूर्यास्त हो गया है' तो श्रमिक इसका अर्थ अपना काम बंद करने के पक्ष में लेगा, ग्वाला पशुओं को घर ले चलने का अर्थ लेगा, बच्चे पढ़ाई शुरू करने के पक्ष में इसका अर्थ लेंगे। इस प्रकार प्रकरण–भेद से ही उक्त वाक्य के अनेक अर्थ हो गए हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 196 8/18/2021 12:21:48 PM

(7) देश

देश का अर्थ 'स्थान–विशेष' से है। 'स्थान–विशेष' से भी अर्थ तय करने में सुविधा होती है, जैसे 'सिस्टर' शब्द को घर में भाई, 'बहन' के अर्थ में ग्रहण करता है। चिकित्सालय में मरीज 'सेवा सुश्रुषा करने वाली' के अर्थ में लेता है तथा विद्यालय में लड़कियाँ इसका आशय 'अध्यापिका' समझती हैं।

(8) काल

काल का अभिप्राय 'समय–विशेष' से है। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर राम–राम जपता है, तो इसका अर्थ शुभकारी लिया जाता है। लेकिन यदि शव ढोते समय 'राम–राम' किया जाय तो उसका अर्थ करुणा–संवलित होगा।

(9) काकु

काकु का अर्थ होता है–'कंठ से विशेष प्रकार की ध्वनि निकालना, साहित्य शास्त्रियों ने इसे 'ध्वनि–विशेष' माना है। अर्थ–निर्णय में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी से सामान्य तरीके में कहे कि 'भई! आजकल तुम खूब आनन्द ले रहे हो' तो इसका सीधा अर्थ यही होगा कि आनन्द लेने वाला व्यक्ति इस समय हर तरह की सम्पन्नता से युक्त होगा। लेकिन इसे ही यदि नाक–भौं घुमाकर तथा कंठ में आरोह–अवरोह उत्पन्न कर कहा जाय कि, 'भई! आज कल तुम खूब आनन्द ले रहे हो' तो इस बार इसमें संशय उत्पन्न होगा कि उक्त व्यक्ति किस तरह के आनन्द का भोगी है।

(10) चेष्टा

कभी–कभी बिना कुछ मुँह से बोले केवल इशारे या संकेत आदि से ही अनेक कार्य संपादित कर लिए जाते हैं, उन्हें चेष्टा कहते हैं। यथा– कोई नायक किसी नायिका से मिलने का समय पूछना चाहता है, किंतु सखियों से चतुर्दिक घिरी होने के कारण नायक बात खुलने के डर से नायिका से कुछ बोल नहीं पाता। इधर नायिका, नायक के अभिप्राय को चुपचाप समझ जाती है। वह भी सखियों के भय से कि कहीं बात बिगड़ न जाय किसी पुष्प या अन्य वस्तु को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। मुट्ठी बंद करने की प्रक्रिया से नायक स्वयं समझ जाता है कि दिन समाप्त हो जाने अथवा सूर्यास्त के समय नायिका से मुलाकात होगी। बिहारी का निम्न दोहा चेष्टा का स्पष्ट साक्ष्य है–

लखि गुरुजन–बिच कमल सों सीस छुवायौ स्याम।
हरि–सनमुख कर आरती हिये लगाई बाम।।

10.7.2 अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन

वैयाकरणों ने एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के साधनों की तरह अनेकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के भी चौदह साधन बताए हैं।

इनकी कुल संख्या इस प्रकार है– संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर।

(1) संयोग

व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का प्रसिद्ध सम्बन्ध संयोग कहलाता है। अनेकार्थक शब्दों में निश्चित अर्थ की तलाश में संयोग काफी सहायक होता है। यथा–'द्विज' शब्द के अर्थ है–'ब्राह्मण', 'पक्षी', 'चन्द्रमा', तथा 'दाँत'। यदि यह कहा

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 197 8/18/2021 12:21:48 PM

जाय कि द्विज को दान देना चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ 'ब्राह्मण' ही लिया जायेगा, क्योंकि दान का संयोग (सम्बन्ध) उससे ही होता है।

(2) वियोग

प्रसिद्ध वस्तु–सम्बन्ध के अभाव को वियोग कहा जाता है। अनेकार्थी शब्दों के वास्तविक अर्थ–निर्णय में इस साधन से भी मदद मिलती है। यथा–'देह' शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यदि यह कहा जाय कि– 'जिय बिनु देह नदी बिनु बारी' तो यहाँ देह का अर्थ शरीर ही लिया जायेगा, क्योंकि जीवन के वियोग अथवा अभाव में 'देह' का कोई अस्तित्व नहीं।

(3) साहचर्य

साहचर्य का अर्थ है सम्पर्क में रहना। निरंतर एक साथ प्रयुक्त किये जाने वाले शब्दों से भी अर्थबोध में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए 'राम–सीता'। एक ओर राम के जहाँ अनेक अर्थ हैं– दशरथ पुत्र राम, बलराम, परशुराम, वहीं सीता के भी अनेक अर्थ हैं, यथा– जनक–दुहिता तथा हल की नोंक। किंतु यहाँ राम और सीता के अन्य अर्थ न होकर एक साथ निरंतर प्रयुक्त किये जाने के कारण इनका अर्थ 'दशरथ पुत्र राम' तथा 'जनक की पुत्री सीता' ही लिया जाता है।

(4) विरोध

प्रसिद्ध साहचर्य की तरह विरोध भी अर्थ निर्णय में सहायक होता है। विरोध का अर्थ होता है– पारस्परिक वैमनस्य। यदि यह कहा जाय कि लंका में राम–रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो यहाँ राम का अर्थ दशरथ पुत्र ही जाना जायेगा, अन्य राम नहीं। वह इसलिए कि राम–रावण का विरोध प्रसिद्ध है।

(5) अर्थ

'प्रयोजन' 'अर्थ' का दूसरा नाम है। बहुअर्थी शब्दों में निश्चित अर्थ की तलाश इसके माध्यम से की जाती है। जैसे– 'कर' शब्द के अनेक अर्थ–हाथ, किरण, टैक्स, भूतकालिक प्रत्यय तथा सूँड़–है। यदि यह कहा जाय कि, हाथी का कर काट लिया जाय तो वह पानी नहीं पी सकता, तो यहाँ 'कर' का अर्थ 'सूँड़' से ही होगा, क्योंकि 'सूँड़' से ही हाथी जल पी सकता है– हाथ, किरण, टैक्स अथवा भूतकालिक प्रत्यय से नहीं।

(6) प्रकरण

इसे 'प्रसंग' भी कहा गया है। अर्थ–निर्णय का यह महत्वपूर्ण साधन है। प्रसंग–भेद से एक ही कथन कई अर्थ बिखेरता है। कक्षा की घंटी, परीक्षा की घंटी, टेलीफोन की घंटी, प्लेटफार्म की घंटी, सड़क पर खाद्य पदार्थ बेचते समय विक्रेता द्वारा बजाई गई घंटी, साहित्यक कार्यक्रमों में बजने वाली घंटी, साइकिल की घंटी, कचहरी अथवा खजाने की घंटी, कारागार में बजने वाली घंटी तथा किसी के आगमन की सूचना देने वाली घर में लगाई गई घंटी के प्रसंगानुसार अलग–अलग अर्थ हैं।

(7) लिंग

लिंग का अर्थ यहाँ 'चिह्न' विशेष से है। स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग से नहीं। उक्त चिन्ह् किसी विशेष अर्थ का द्योतक है। यदि यह कहा जाय कि 'अम्बर में सघन जलधर छाए हुए हैं' तो यहाँ 'जलधर' का अर्थ 'छाये' चिह्न से बादल ही लिया जायेगा, समुद्र नहीं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 198 8/18/2021 12:21:48 PM

(8) अन्य शब्द की सन्निधि

सन्निधि का अर्थ है– सन्निकटता, समीपता। शब्दों की पारस्परिक निकटता भिन्नार्थक शब्दों में निश्चित अर्थ तय करने में सहायक होती है। यथा– 'राणा –शिवाजी'। 'राणा–शिवाजी' उपाधि–धारी अनेक व्यक्ति हैं, किन्तु 'राणा' शब्द की सन्निधि से शिवाजी का अर्थ 'छत्रपति–शिवाजी' तथा शिवाजी की सन्निधि से 'राणा' का अर्थ 'महाराणा प्रताप' ही होगा।

(9) सामर्थ्य

इसका अभिप्राय है, सम्बन्धित कार्य को कर सकने की क्षमता। किसी कार्य को संपादित करने में जिस वस्तु की क्षमता का प्रयोग किया जाय, वहाँ उस सामर्थ्यवान वस्तु के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। 'मधुमत्त–कोकिल लगी कूजने' में अनेकार्थी 'मधु' शब्द का अर्थ 'सुरा', 'शहद' आदि न करके 'बसन्त' किया जायेगा। क्योंकि कोकिल को मदमत्त करने की क्षमता मधु, सुरा अथवा शहद में न होकर 'बसन्त' में ही होती है।

(10) औचित्य

औचित्य का आशय यहाँ योग्यता से है। अनेकार्थी शब्दों का निश्चित अर्थ योग्यता के आधार पर किया जाता है। 'आकाश मडंल में उगा हुआ द्विज अपनी शीतल चाँदनी से लोगों को नहला रहा है, में 'द्विज' शब्द का अर्थ पक्षी, ब्राह्मण अथवा दाँत नहीं होगा बल्कि 'चन्द्रमा' होगा, क्योंकि आकाश में उग कर चाँदनी बिखेरने की योग्यता केवल उसी में है।

(11) देश

देश का अर्थ 'स्थान–विशेष' से है। स्थान–विशेष से भी अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। जैसे 'गोली' शब्द का अर्थ युद्ध के मैदान में, बच्चों की खेल में तथा दवा के संदर्भ में स्थान–भेद से अलग–अलग लिया जाता है।

(12) काल

समय जहाँ अर्थ–निर्णय में सहायक हो, वहाँ काल वैशिष्ट्य होता है। उदाहरण के लिए पुनः 'मधु' शब्द को लिया जा सकता है। इसके अनेक अर्थ होते हैं। यथा–सोमरस, शहद, दूध, बसन्त, सुरा इत्यादि। यदि यह कहा जाय कि 'मधु' में कोयल का मादक स्वर किसे आकृष्ट नहीं करता? तो यहाँ 'मधु' का अर्थ और कुछ नहीं, बसन्त ही लिया जायेगा, क्योंकि बसन्त ऋतु में ही कोयल का स्वर उन्मादक होता है।

(13) व्यक्ति

व्यक्ति का अभिप्राय यहाँ स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग से है। लिंग–भेद भी अर्थ स्पष्ट करने में काफी सहायक होता है। यथा 'टीका' शब्द को लिया जा सकता है। इसके अनेक अर्थ–तिलक, कलंक, पुस्तक की टीका, उपहार, सोने का आभूषण–विशेष तथा एक रस्म आदि होते हैं। परन्तु लिंग–भेद से इनका अर्थ–भेद हो जायेगा। मस्तक का टीका का आशय होगा, 'तिलक' (पुल्लिंग) तथा ग्रंथ की टीका का मतलब होगा– 'व्याख्या' (स्त्रीलिंग)।

(14) स्वर

स्वर का अर्थ यहाँ ध्वनियों के आरोह तथा अवरोह रूप में उच्चारण से है। स्वरों के आरोह, अवरोह से भी अर्थ निर्धारण में काफी सहयोग मिलता है। वेदों में उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर अर्थ–निर्णय में जहाँ सहायक होते हैं, वहीं स्वर–रहित होने पर संबोधन–सूचक हो जाते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 199 8/18/2021 12:21:48 PM

10.8 अर्थ परिवर्तन के कारण

ध्वनि और भाषा की तरह अर्थ भी परिवर्तनशील है। इसमें होने वाले निरंतर, सघन किंतु लचीले बदलाव को देखकर कहा जा सकता है, कि अर्थ भाषा का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व है। परिवर्तन के उक्त क्रम में किसी शब्द का पुराना अर्थ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो कभी उस शब्द में नया अर्थ जुड़ जाता है। कभी–कभी शब्दों के अर्थ में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, कि शब्द की मूल आत्मा तक पहुँचना अति कठिन कार्य हो जाता है। अर्थ–परिवर्तन के विषय की जटिलता की ओर विद्वानों ने अनेक बार संकेत भी किया है–'Changes of meaning is somewhat more complex that is usually assumed'. शब्दों के विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाने से भी अर्थ–परिवर्तन की प्रक्रिया क्रियाशील हो जाती है।

अर्थ–परिवर्तन में भौगोलिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा बौद्धिक कारणों की भूमिका सक्रिय रूप से तो रहती ही है, कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को इस संदर्भ में अधिक महत्त्व दिया है। कुल मिलाकर अर्थपरिवर्तन के कारणों को इस रूप में रेखांकित किया जा सकता है–

(1) पीढ़ी परिवर्तन

पीढ़ी अपने साथ शब्दों का अर्थ भी बदलती चलती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। बदलते समाज का प्रभाव उसके भाषा प्रयोग पर भी पड़ता है अर्थात् सामाजिक स्थितियाँ जैसे–जैसे बदलती हैं, उसके अनुरूप ही शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। इस संदर्भ में 'पत्र' शब्द का उदाहरण लिया जा सकता है। इस शब्द का अर्थ पहले ताड़पत्र या भोजपत्र हुआ करता था। पुस्तक लेखन में इसी का प्रयोग प्रारम्भ में होता था। बाद में कागज का आविष्कार होने के बाद वही शब्द कागज के लिए भी प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि वह भी लिखने के काम आने लगा। फिर उसके बाद कागज जैसे पतले दूसरे पदार्थों के लिए भी 'पत्र' शब्द का ही प्रयोग होने लगा। यथा–चाँदी का पत्र, सोने का पत्र, प्रमाण–पत्र आदि। उसके बाद यंत्र–कला के आविष्कार के बाद कागज पर छपी हुई सामग्री को भी 'पत्र' कहा जाने लगा। यथा–समाचार–पत्र, प्रश्नपत्र, निमंत्रण–पत्र आदि।

(2) परिवेश का परिवर्तन

परिवेश के अंतर्गत हम तीन तरह के परिवेश को देख सकते हैं–

(क) भौगोलिक परिवेश (Geographical)

(ख) भौतिक परिवेश (Material)

(ग) सामाजिक परिवेश (Social)

(क) भौगोलिक परिवेश

भौगोलिक परिस्थितियाँ भी अर्थ–परिवर्तन में सहायक सिद्ध होती है। 'ऊष्ट' शब्द का प्रथम प्रयोग वेदों में 'भैसे' के लिए हुआ है, ऊँट के लिए नहीं। अनुमान है कि आर्य पहले जहाँ रहते रहे होंगे, वहाँ 'ऊँट' नहीं थे। बाद में वे जब शीतल जलवायु के ऊष्ण स्थानों पर आये होंगे और 'ऊँट' को देखा होगा तो भैंसे के अर्थ में प्रयुक्त किये जाने वाले 'ऊष्ट्र' शब्द को 'ऊँट' के अर्थ में प्रयोग करने लगे होंगे। भौगोलिक परिवेश के कारण ही तो 'ठाकुर' शब्द उत्तरप्रदेश में 'क्षत्रिय' जाति का तथा बंगाल

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 200 8/18/2021 12:21:48 PM

में 'रसोइये' का बोधक है। अंग्रेजी शब्द कॉर्न (Corn) भी स्काटलैंड में 'बाजरा', अमरीका में 'मक्का' तथा इंग्लैण्ड में 'गेहूँ' का वाचक है।

(ख) भौतिक परिवेश

भौतिक परिस्थितियाँ व्यक्तियों के साथ–साथ उसकी भाषा को भी प्रभावित करती हैं। भारत में पानी पीने का कोई बर्तन रहा होगा, जिसे हम आज नहीं जानते। आज हम सभी पानी पीने के बर्तन को 'गिलास' कहते हैं। यह अंग्रेजी शब्द 'ग्लास' से बना है। पानी पीने का उक्त पात्र चूंकि 'ग्लास' (काँच) का बना हुआ था, इसलिए उसके आधार पर इसे 'गिलास' कहा गया। लेकिन तेजी से भौतिक परिवर्तन के कारण आज उसका अर्थ–विस्तार हो गया। काँच से बने 'गिलास' के साथ काँसा, पीतल, चाँदी, प्लास्टिक, स्टेनलेसस्टील आदि किसी भी धातु से बने उक्त आकृति के पात्र को 'गिलास' ही कहा जाता है।

(ग) सामाजिक परिवेश

अलग–अलग सामाजिक संदर्भों से भी अर्थ की आकृति बनती बिगड़ती रहती है। इस संदर्भ में 'भाई' शब्द को यहाँ उद्धृत किया जा सकता है जिसका अर्थ है–'सहोदर' लेकिन अन्य संदर्भों में भी इसका प्रयोग समाज में होता रहता है। जैसे–कोई किसी अनजाने व्यक्ति से पूछ सकता है– 'भाई! मुझे बाजार जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना पड़ेगा'? पति अपनी पत्नी से कहता है, 'जरा देखो भाई! साले साहब आये हैं।' पत्नी भी पति से कहती है, 'भाई! आपने तो मुझे तंग कर दिया'। पिता अपने पुत्र से कहता है, 'देखो भाई! ध्यान से ये काम करना'। दुकानदार अपने ग्राहक से कहता है, 'क्यों भाई! आपको क्या चाहिये?' इसी तरह अंग्रेजी के 'मदर', 'फादर', 'सिस्टर' शब्द भी जगह–जगह अपना अलग अर्थ देते हैं। गिरजाघर में 'मदर' का अर्थ समाजसेविका, 'फादर' का अर्थ पादरी तथा 'सिस्टर' शब्द का अर्थ अस्पताल में उपचारिका (नर्स) समझा जाता है।

(3) नम्रता प्रदर्शन

शिष्टाचार अथवा चाही–अनचाही मजबूरी में सामान्यता शब्दों के अर्थ बदल दिये जाते हैं। महोदय, बन्धुवर, श्रीमान्, गुरुवर, मान्यवर, महामहिम, अन्नदाता, धर्मावतार, बाबाजी, प्रभो, शाहंशाह, हुजूर, गरीब नेवाज, गरीब परवर, साहब, खुदा, दयासागर, भक्तवत्सल, दयानिधान तथा माई–बाप आदि संबोधनों का प्रयोग व्यक्ति अपनी विनम्रता दिखाने के लिए करता है। इन संबोधनों का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है, आवश्यक नहीं कि वह उसकी पात्रता रखते ही हों। विनम्रता–प्रदर्शन में कभी–कभी अपनी ऊँची अट्टालिका को 'झोपड़ी' तथा दूसरे की झोपड़ी को 'कोठी' कह दिया जाता है। विराजिये, कुटिया में तशरीफ रखिये, दूसरे के घर के लिए आपका दौलतखाना कहाँ है, गरीब खाने में पधारिये, –इत्यादि शब्दों में विनम्रता–प्रदर्शन के संदर्भ में हुए प्रयोग में अर्थ–परिवर्तन हो गया है। जमीन पर जूठन गिर जाने के कारण घर के बच्चे भले ही मार खा जाते हों, लेकिन नम्रता–प्रदर्शन में दूसरों के लिए कह दिया जाता है, 'अरे! कभी हमारे यहाँ भी तो जनाब जूठन गिराइये।' इस तरह हम देख सकते हैं कि विनम्रता प्रदर्शन में बोले गए शब्द और वाक्यांश अपना मूल अर्थ खोकर विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करने लगते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 201 8/18/2021 12:21:48 PM

(4) भावावेश (Emotional emphasis)

भावावेश में निकले अनेक शब्दों के कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता हैं। कभी–कभी अपने से अपरिचित व्यक्ति को उसकी उम्र के हिसाब से स्नेह वश चाचाजी, ताऊजी, माताजी, बहनजी, पिताजी तथा भैयाजी कह दिया जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ पारिवारिक सम्बन्धी न होकर केवल सम्बोधन मात्र होता है, जो भावावेश के कारण अर्थ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त होता है। इसी तरह क्रोध के आवेश में अपने ही प्रिय बच्चों को साला, नालायक, गधा, शैतान, उल्लू, पाजी आदि कह दिया जाता है। उक्त सभी शब्द भावावेश के कारण अपना रूढ़ अर्थ खो देते हैं। बाद में वे ही अर्थ–परिवर्तन के कारण बनते हैं।

(5) व्यंग्य (Irony)

कभी–कभी सही बात न कह कर व्यंग्य तथा कुटिल ध्वनि का सहारा लेकर जब किसी पर आक्षेप या कटाक्ष किया जाता है, तब बहुधा अर्थ में उलटफेर की संभावना बढ़ जाती हैं। व्यंग्य में उच्चरित शब्द केवल दूसरों पर आक्षेप लगाने के लिए ही नहीं किए जाते, अपितु व्यंग्य के द्वारा उस व्यक्ति के मर्म पर भी प्रहार करने का उद्देश्य होता है, इसलिए इस प्रकार के शब्द जिनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उनके लिए उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे यदि किसी कंजूस को 'दानवीर कर्ण ', दुबले–पतले को 'पहलवान', अन्यायी को 'धर्मराज' या 'धर्मावतार' मूर्ख को 'बृहस्पति', झूठ बोलने वाले को 'हरिश्चन्द्र' भिखारी को 'लक्ष्मीपति' या निरक्षर को 'सरस्वतीपुत्र' कहा जाय तो इससे इनका रूढ़ अर्थ नहीं, बल्कि उल्टा अर्थ ही निकलता है। इसी तरह बहुत देर करके आने वाले से यदि कहा जाए–' बहुत जल्दी आ गए' – यहाँ भी व्यंग्य द्वारा अर्थ परिवर्तन होता है।

(6) आलंकारिकता अथवा लाक्षणिकता

हर व्यक्ति की आकांक्षा अच्छी जिंदगी जीने की होती है। उसकी यह प्रवृत्ति भाषिक प्रयोगों में भी साथ लगी रहती है। सीधी–सादी भाषा में उसे कोई स्वाद नहीं मिल पाता। अनेक लाक्षणिक प्रयोग अर्थ–परिवर्तन में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे अविवेकी पुरुष को 'काठ का उल्लू' कहना, बहादुर व्यक्ति को 'सिंह', चालाक को 'कौआ', अध्ययन करने वाले को 'किताबी कीड़ा', खतरनाक को 'साँप' या 'काला नाग', सज्जन को 'गौ', मोटे को 'हाथी', पतले को 'सीकिया पहलवान', आदि लाक्षणिक तथा आलंकारिक प्रयोगों से अर्थ–परिवर्तन हुआ करता है। अपनी भाषा को मनोहर, मनोरम बनाने के लिए मनुष्य अलंकारों, मुहावरों तथा शब्द–शक्तियों आदि का भी प्रयोग करता है। इस प्रकार के प्रयोग भावों को मूर्त्त रूप प्रदान करते हैं। फलतः शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।

(7) सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग

कभी–कभी किसी वर्ग–विशेष का प्रतिनिधित्व उसी वर्ग की किसी एक वस्तु से हो जाता है। 'स्याह' शब्द से बने स्याही का अर्थ होता है– 'काला'। लेकिन नीली, हरी, लाल, सभी प्रकार की रोशनाई स्याही कही जाती है। यथा–नीलीस्याही, हरीस्याही, लालस्याही। 'सब्ज' का अर्थ होता है 'हरा'। अतः इसके आधार पर बने 'सब्जी' शब्द का अर्थ होना चाहिये 'हरी तरकारी'। किंतु गाजर की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, सूरन की सब्जी–सभी 'सब्जी' में ही शामिल हैं। कुछ शब्द अपने वर्ण के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों के बोधक होते हैं। कोयल, भेड़िया, भालू, कौवा, सियार, तोता, छिपकली लोमड़ी, चींटी,

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 202 8/18/2021 12:21:48 PM

गिलहरी आदि शब्द अपने वर्ण के दोनों लिंगों का बोध कराते हैं। 'दुहिता' शब्द का अर्थ 'गाय दुहने वाली लड़की' हुआ करता था। कालान्तर में उक्त 'दुहिता' शब्द सभी लड़कियों के साथ चिपक गया और सभी लड़कियाँ 'दुहिता' हो गई। यही स्थिति 'वर' शब्द की है। वर जब 'दुर्लभ' हो गया तो 'दूलह' कहलाने लगा, किंतु आज सुलभ–दुर्लभ सभी 'वर' दूलहा' ही कहे जाते हैं।

(8) अज्ञान एवं भ्रांतिजनक शब्द का प्रयोग

बहुत सारे शब्दों का अर्थ भ्रान्ति अथवा न जानकारी के अभाव के कारण भी बदल जाता है। जैसे अशिक्षित एवं अज्ञानी लोग 'खालिस' की जगह 'निखालिस', फालतू की जगह 'बेफालतू', 'ट्रामा सेंटर' को 'ड्रामा सेंटर', 'अनेक' की जगह 'अनेकों', पूज्य की जगह 'पूज्यनीय', स्वास्थ्य की जगह 'स्वास्थ', पेनाल्टी की जगह 'पिलान्टी', शब्द का प्रयोग करते है।

(9) तद्भवता

अनेक तद्भव शब्दों ने अर्थ–परिवर्तन में काफी भूमिका निभाई है। ये तद्भव शब्द अपना असली अर्थ खोकर नए अर्थ के वाचक हो गये हैं। इनके तत्सम अर्थ तथा बाद में ओढ़े गए नए अर्थ से कोई ताल्लुकात ही नहीं लगता। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं–

1. श्रेष्ठ (उत्तम व्यक्ति) > सेठ (धनसंपन्न व्यक्ति)
2. वंश (कुल) > बाँस (वृक्ष विशेष)
3. भद्र (सज्जन) > भद्दा (बुरे अर्थ में)
4. वत्स (मानव का बच्चा) > बछड़ा (गाय का नर बच्चा)

(10) शोभन शब्दों के प्रयोग

इसे 'सुश्राव्यत्व' भी कहते हैं। इसका अर्थ है सुनने में अच्छा लगना। समाज में अमंगलसूचक, भद्दे, अश्लील, लज्जास्पद, घृणास्पद शब्दों के प्रयोग से व्यक्ति निरंतर बचने की कोशिश करता है। इनकी जगह अच्छे, मंगलसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग के पीछे व्यक्ति की मंशा यही होती है कि श्रोता के मन में किसी तरह का खोट या अशुभ, अपशकुन भाव उत्पन्न न हों। व्यक्ति संकोच, घृणा, अंधविश्वास तथा अमांगलिक कार्य–व्यापारों को सीधे न व्यक्त करके उन्हें प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति का रूप देता है। जैसे मलमूत्र से संबंधी क्रिया–कलापों को व्यक्ति सीधे न कह कर अन्य शब्दों के जरिये व्यक्त करता है। इसके मूल में उसका निजी संकोच कार्य करता है। यथा–शौच जाना, बाहर जाना, मैदान जाना, खेत में जाना, नित्य कर्म, दिशा फिरना, लघुशंका, दीर्घशंका आदि। इसी तरह घृणास्पद वस्तुएँ देखने अथवा सुनने में ठीक नहीं लगती हैं, अतः व्यक्ति उनके सीधे प्रयोग से भरसक बचने की कोशिश करता है। मृत्यु और रोग के संदर्भ में अमंगलवाची शब्दों का व्यवहार सर्वाधिक होता है। मृत्यु, व्यक्ति के जीवन का सबसे भयावह क्षण है। इसलिए वह इसकी चर्चा तक नहीं करना चाहता है। यही कारण है कि मृत्यु की जगह पंचतत्वप्राप्ति, गंगालाभ, काशीलाभ, मोक्ष लाभ, बैकुण्ठलाभ, ऊपरजाना, बैकुण ठवास, स्वर्गवास, कीर्तिशेष, नामशेष, स्मृति शेष, देहान्त, सद्गति को प्राप्त होना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी शब्द और वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ देते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 203 8/18/2021 12:21:48 PM

बोध प्रश्न

5. निम्नलिखित वाक्यों में से सही/गलत छाँटिए :

   (क) 'साहित्य दर्पण' में एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के साधनों की संख्या दस बताई गई है।

   (ख) काकु का अर्थ होता है कंठ से विशेष प्रकार की ध्वनि निकालना।

   (ग) अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निश्चित करने में स्थान विशेष की कोई भूमिका नहीं होती है।

   (घ) अर्थ भाषा का सबसे अधिक अपरिवर्तनशील तत्व है।

   (ङ) पीढ़ियाँ अपने साथ शब्दों के अर्थ भी बदलती चलती है।

10.9 अर्थ परिवर्तन की दिशाएँ

अर्थ–परिवर्तन को ही अर्थ–विकास भी कहा जाता है। भाषा के क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होता है, वह किसी न किसी रूप में विकास ही होता है। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की तीन दिशाएँ हैं–विस्तार, संकोच और आदेश। अर्थ–तत्व का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर शब्दों के अर्थ का विकास कभी मूल अर्थ को विस्तृत कर देता है, तो कभी मूल अर्थ को अत्यन्त संकुचित कर देता है। कहीं अर्थ की शक्ल पूर्ण रूप से बदल गई है, तो कहीं केवल आंशिक रूप में। इस आधार पर अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएं निर्धारित होती हैं–

1. अर्थ–विस्तार (Expansion of meaning)
2. अर्थ–संकोच (Contraction of meaning)
3. अर्थादेश (Transference of meaning)

कहीं पर अर्थ का विस्तार होता है, कहीं पर अर्थ का संकोच होता है और कहीं पर पुराने अर्थ के स्थान पर नया अर्थ आ जाता है। इसी आधार पर उपर्युक्त तीनों भेद किए गए हैं। किंतु इन तीनों के जो उदाहरण मिलते हैं, उनसे ज्ञात होता है कि कुछ स्थानों पर अर्थ अपने मूल अर्थ से उत्कृष्ट हो गया है और कहीं पर वह अपने मूल अर्थ से निकृष्ट या घटिया हो गया है। इस आधार पर इन्हें अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष कहा जा सकता है। वैसे तो अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष के उदाहरण उपर्युक्त तीनों भेदों में मिल जाते हैं किंतु अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अर्थ–परिवर्तन की सर्वमान्य तीन दिशाओं के साथ ही इन पर भी अलग से यहाँ बताया जा रहा है।

अर्थ–विस्तार (Expansion of meaning)

जब कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रचलित रहता है और बाद में उसका अर्थ उसी क्षेत्र में विस्तृत या व्यापक हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को अर्थ–विस्तार कहते हैं। यथा–'तेल' शब्द का आशय था 'तिल का द्रवित सार पदार्थ' या 'तिल से निकाला हुआ तेल'। अर्थ–विस्तार के कारण अन्य पदार्थों के द्रवित सार को भी 'तेल' कहने लगे, यथा–सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, आंवला का तेल, चमेली का तेल, नारियल का तेल, नीम का तेल, मछली का तेल और अन्त में मिट्टी का तेल भी इसी में आ मिला। 'प्रवीण' शब्द को आगे देखें। इस शब्द का अर्थ पहले 'प्रकृष्टोवीणायाम्' अर्थात् 'जो अच्छी तरह वीणा बजाने वाला हो'–हुआ करता था। आज हर काम में दक्ष, चतुर को 'प्रवीण' कहा जाता है, भले ही वह चोरी में ही क्यों न हो। जैसे 'वह भोजन बनाने में प्रवीण है।' 'वह बांसुरी बजाने में प्रवीण है।' भोजन बनाने वाले और बांसुरी बजाने वाले ने भले ही कभी भी वीणा छुई भी न हो, फिर भी

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 204 8/18/2021 12:21:48 PM

इनके लिए 'प्रवीण' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही स्थिति कुशल, 'गवेषणा', 'गवाक्ष', 'निपुण' तथा 'स्याही' आदि शब्दों की है। 'कुश' को उखाड़ते समय सामान्यतया सावधानी बरतते हैं। एक तो तृणों से कुश की पहचान करना फिर बिना खरोंच अथवा चीर लगे 'कुश' को उखाड़ लेना बहुत निपुणता और विवेचकता का काम होता था, वही कुशल माना जाता था। आज लगभग प्रत्येक काम में 'कुशल' लोगों की भीड़ लगी हुई है, कुश का अर्थ उसमें गायब हो गया है। इसी तरह 'गवेषणा' क्रिया का प्रयोग गायों को ढूँढने में हुआ करता था। आज किसी तरह की खोज भले ही वह वैज्ञानिक ही क्यों न हो– 'गवेषणा' कही जाती है। 'गवाक्ष' पहले गाय की आँख के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता था। लेकिन आज इसका अर्थ खिड़की अथवा झरोखा हो गया है। 'निपुण' का अर्थ पहले 'पुण्य' कमाने वाले के लिए हुआ करता था, लेकिन आज तो किसी भी गलत–सही वस्तु का चतुराई से उपार्जन 'निपुणता' के भीतर ही आता है। 'स्याही' शब्द का अर्थ 'स्याह' अर्थात् 'काला' हुआ करता था। लेकिन आज हर प्रकार की रोशनाई या मसि 'स्याही' कही जाती है। यथा–नीलीस्याही, कालीस्याही, लालस्याही। गायों के रहने के स्थान को पहले गोशाला या गोष्ठ कहते थे। किंतु अब उसमें भैंस, बकरी, बैल भी बंधते हैं, फिर भी उसे गोशाला या गोष्ठ ही कहते हैं। इसी तरह 'महाराज' शब्द पहले केवल महाराजा के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु बाद में इसका अर्थविस्तार हुआ कि किसी भी भद्रपुरुष को महाराज कह सकते हैं। 'महाराज' शब्द रसोइया के लिए भी चलता है।

अर्थ–संकोच (Contraction of meaning)

प्रायः देखा जाता है कि पहले कोई शब्द विस्तृत अर्थ का वाचक था किंतु बाद में वह सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। व्युत्पत्ति के आधार पर उसे विस्तृत अर्थ का वाचक होना चाहिए किन्तु उसका प्रयोग सीमित अर्थ में होता है। अर्थपरिवर्तन की इस दिशा को अर्थसंकोच कहते हैं। 'मृग' शब्द पहले सभी जंगली जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था किंतु अब यह शब्द एक पशु विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। 'पंकज' का शाब्दिक अर्थ है–कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, किंतु अब यह शब्द 'कमल' के अर्थ में रूढ़ हो गया है। 'वेदना' शब्द का अर्थ सुख और दुख दोनों के अनुभव के लिए था। अब केवल 'दुख' अर्थ रह गया है। 'मंदिर' का अर्थ पहले 'भवन' था किंतु अब 'देवालय' के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अर्थ संकोच के कारण है। **समास, उपसर्ग, विशेषण, पारिभाषिकता, नामकरण और प्रत्यय** जैसे नीलाम्बर (बलराम), पीताम्बर (कृष्ण), दशानन (रावण), गजबदन (गणेश), पुरारी (शिव), शब्द बहुब्रीहि **समास** के कारण संकुचित अर्थ के वाचक हो गये है।

इसी तरह **उपसर्ग** भी अर्थ को सीमित कर देते हैं। जैसे, 'हार' शब्द विभिन्न उपसर्गों के सहयोग से विभिन्न अर्थों वाचक हो जाता है। जैसे विहार, प्रहार, उपहार, संहार आदि। इसी तरह के अन्य उदाहरण देखिये– 'योग' उपसर्ग से संयोग, वियोग, उपयोग, आयोग, प्रयोग। 'कार' उपसर्ग से– आकार, प्रकार, विकार, संस्कार, प्रतिकार।

प्रत्यय लगाने से भी अर्थसंकोच होता है। जैसे– कृ धातु से कार, कारक, करण, कृति, कर्तव्य, कर्म, आदि शब्द बनते हैं। विभिन्न प्रत्ययों के प्रयोग के कारण एक ही कृ धातु विभिन्न अर्थों के वाचक बन गये है।

अर्थ परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है– **विशेषण**। जैसे, 'जन' का अर्थ है 'लोग' लेकिन इस 'जन' शब्द में जब 'दुर्' या 'सत्' विशेषण लग जाता है तो वह 'दुर्जन; व 'सज्जन' शब्द विशेष शब्द का वाचक हो जाता है। इसी तरह 'कमल' शब्द में 'नीलकमल', 'श्वेतकमल', 'रक्तकमल' आदि विशेषण लग कर अर्थ का संकोच कर देते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 205 8/18/2021 12:21:48 PM

शब्दों का **पारिभाषिक** रूप में प्रयोग हमेशा उसके अर्थ को संकुचित कर देता है। जैसे 'संत' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। किंतु हिंदी साहित्य के निर्गुण काव्यधारा के संत कवियों के संदर्भ में संत शब्द अपने संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह 'रस' शब्द के भी अनेक अर्थ है। किंतु काव्यशास्त्र में प्रयोग होने पर वह एक विशेष संकुचित अर्थ का द्योतक हो जाता है।

नामकरण के चलते भी बहुत से शब्दों का अर्थ संकुचित हो जाता है। जैसे, मानव, दानव, गौरी, अशोक, हिमालय, नर्मदा, कृष्ण आदि शब्द नामकरण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण संकुचित अर्थ के द्योतक हो जाते है।

अर्थादेश (Transference of Meaning)

'आदेश' का अर्थ होता है–'परिवर्तन'। अर्थादेश में अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता बिल्कुल बदल जाता है अर्थात् पहले वह शब्द किसी दूसरे अर्थ का वाचक था किंतु बाद में दूसरी अर्थ का वाचक बन गया। जैसे, 'असुर' शब्द वेद में 'देवता' अर्थ का वाचक था किंतु बाद में यह 'राक्षस' या 'दैत्य' का वाचक बन गया। 'आकाशवाणी' का अर्थ पहले 'देववाणी' था अब उसका प्रयोग 'अखिल भारतीय रेडियो के लिये होता है। 'साहस' शब्द पहले डकैती आदि बुरे कामों का बोधक था लेकिन आज अच्छे अर्थ को बोधक हो गया। अर्थपरिवर्तन के इन उदाहरणों विचार करने से दो बातें सामने आती हैं। पहला–कुछ शब्दों का अर्थ पहले बुरा रहता है और बाद में अच्छा हो जाता है। दूसरा–कुछ का अर्थ पहले अच्छा रहता है और बाद में बुरा हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष कहते है।

अर्थोत्कर्ष (Elevation of meaning)

जब शब्दों में अर्थ परिवर्तन से अर्थ में उत्कर्ष आता है तो उन्हें अर्थोत्कर्ष की श्रेणी में रखा जाता है। जिन शब्दों के अर्थ में उत्कर्ष हुआ है। उनके उदाहरण निम्नवत् हैं–

1. 'मुग्ध' शब्द पहले 'मूर्ख' अर्थ में था अब अच्छे अर्थ में 'मोहित होना' के रूप में प्रयुक्त होता है।
2. 'साहस' शब्द पहले डाका डालना, चोरी करना, व्यभिचार करना आदि अर्थ में था किंतु अब 'उत्साहयुक्त कार्य' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
3. 'कर्पट' शब्द पहले फटे–चिथड़े के लिये प्रयुक्त होता था किंतु अब कर्पट अर्थात् कपड़ा अच्छे वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है।
4. 'गोष्ठ–गोष्ठी' 'गोष्ठ' शब्द गौशाला के लिये प्रयुक्त होता था किंतु अब गोष्ठ शब्द से बना गोष्ठी शब्द सभ्य समाज की सभा के लिये प्रयुक्त होता है।

अर्थापकर्ष (Deterioration of meaning)

अर्थ परिवर्तन से कुछ शब्दों के अर्थ में हीनता, निकृष्टता या अपकर्ष हो जाता है। इसी को अर्थापकर्ष कहते है। अर्थापकर्ष के उदाहरण इस प्रकार है जैसे, 'भद्दा'– शब्द भद्र धातु से बना है, जिसका अर्थ भला होना चाहिये किंतु अब यह बुरे के अर्थ में प्रयोग होता है। 'शौच' शब्द 'शुचि' धातु से बना है, अतः पवित्र कार्य के लिये प्रयुक्त होता था किंतु अब 'मल त्याग' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अभ्यास :

1. शब्द और अर्थ में क्या सम्बन्ध है?
2. भारतीय मत के अनुसार अर्थबोध के कौन कौन से साधन है?
3. अर्थ कितने प्रकार के होते हैं, एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के कौन–कौन से साधन हैं?

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 206 8/18/2021 12:21:48 PM

4. अनेकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के साधनों पर प्रकाश डालिए।
5. शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन क्यों हो जाते हैं? अर्थ–परिवर्तन के प्रमुख पाँच कारणों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए।
6. अर्थ परिवर्तन की दिशा का क्या अर्थ है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
7. 'संकेतग्रह' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

10.10 सारांश

शब्द और अर्थ मे बोध्य और बोधक संबंध होता है। अर्थ विचार एवं संकल्पनाएँ हैं जो एक भाषा के रूपों के माध्यम से श्रोता के मस्तिष्क में स्थानांतरित होता है। एक ध्वनि–समूह के साथ एक वस्तु विशेष का संबंध स्थापित हो जाता है और फिर वही व्यवहार में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करना ही संकेतग्रह कहलाता है संकेतग्रह के संदर्भ में बिम्ब निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन्म के बाद जैसे–जैसे बच्चे में चेतना का विकास होता जाता है वैसे–वैसे आसपास की वस्तुओं से उसका परिचय होता जाता है। और प्रत्येक वस्तु के चित्र या बिम्ब उसके मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। बिम्ब के अंकित होने का परिणाम यह होता है कि जब वह वस्तु हमारे सामने नहीं होती तब भी हम मानसिक रूप से उसका प्रत्यक्ष कर पाते हैं। किसी स्वजन के दूर रहने पर भी उसकी स्मृति आते ही उसकी छवि आँखों के सामने आ खड़ी होती है। इसी को बिम्ब निर्माण कहते हैं। इस बिम्ब निर्माण के साथ ही ध्वनियों का भी साहचर्य चलता रहता है। जब किसी वस्तु का बिम्ब मन पर अंकित होता है। उसी समय उसके लिये प्रयोग होने वाले वाचक शब्द भी मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं। इसीलिये उस वस्तु को फिर से देखने पर वह शब्द भी अनायास ही अंकित हो जाता है या उसका आभास हो जाता है। तो वस्तु और शब्द के इस आपसी सम्बन्ध को या मानसिक संस्कार को भी बिम्ब कहते हैं। इसी बिम्ब निर्माण के कारण जब–जब कोई वस्तु (जैसे घोड़ा) दिखायी देती है। तब–तब उसका वाचक शब्द (घोड़ा) भी सामने उपस्थित हो जाता है। जिन साधनों से किसी शब्द का बोध सहजता से हो उन्हें संकेत ग्रह या शब्दार्थ–संकेत–ग्राहक–तत्व' कहा जाता है। भारतीय विचारकों के साथ–साथ पाश्चात्य चिंतकों ने भी इस पर प्रकाश डाला है। भारतीय मनीषियों ने अर्थ–बोध के कुल आठ साधन बताये हैं– व्यवहार, आप्तवाक्य, व्याकरण, उप, कोश, वाक्यशेष या प्रकरण, विवृत्ति या व्याख्या तथा प्रसिद्ध पद का सान्निध्य। पाश्चात्य चिंतकों ने अर्थ–बोध के मात्र तीन साधन माने हैं– प्रदर्शन अथवा व्यवहार (demonstration), विवरण (circumlocution) और अनुवाद (translation) एकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के साधनों की कुल संख्या दस हैं– वक्ता, बोद्धा या श्रोता, वाक्य, अन्य सन्निधि, वाच्य, प्रस्ताव या प्रकरण, देश, काल, काकु तथा चेष्टा। अनेकार्थक शब्दों के अर्थ–निर्णय के चौदह साधन बताये हैं– संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति तथा स्वर।

भाषा में होने वाला परिवर्तन भाषा के अंगों अर्थात ध्वनि, पद, वाक्य आदि में होता है, अर्थ भी उससे प्रभावित होता है। अर्थपरिवर्तन कहाँ–कहाँ होता है और क्यों होता है? इसी को अर्थपरिवर्तन के कारण और दिशाएं के नाम से जाना जाता है ।

10.11 उपयोगी पुस्तकें

1. भाषा विज्ञान की भूमिका– देवेन्द्रनाथ शर्मा
2. भाषा विज्ञान का अनुशीलन– डॉ कैलाशचंद्र पाण्डेय

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 207 8/18/2021 12:21:48 PM

10.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. (क)
2. (घ)
3. (ख)
4. (क) संकेतग्रह (ख) अनुभव (ग) शब्द और अर्थ
   (घ) आठ (ङ) आप्त वाक्य (च) तीन
5. (क) सही (ख) सही (ग) गलत
   (घ) गलत (ङ) सही

अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने का प्रयास कीजिए।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 208 8/18/2021 12:21:48 PM

इकाई 11 : हिंदी की बोलियाँ

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 पूर्वी हिंदी की बोलियाँ

- 11.2.1 अवधी
- 11.2.2 बघेली
- 11.2.3 छत्तीसगढ़ी

11.3 बिहारी हिंदी की बोलियाँ

- 11.3.1 भोजपुरी
- 11.3.2 मगही
- 11.3.3 मैथिली

11.4 पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ

- 11.4.1 खड़ी बोली या कौरवी
- 11.4.2 हरियाणी या हरियाणवी
- 11.4.3 दक्खिनी
- 11.4.4 ब्रजभाषा
- 11.4.5 बुन्देली
- 11.4.6 कन्नौजी

11.5 राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ

- 11.5.1 मारवाड़ी
- 11.5.2 मालवी
- 11.5.3 जयपुरी
- 11.5.4 मेवाती

11.6 पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ

- 11.6.1 कुमाऊँनी
- 11.6.2 गढ़वाली

11.7 सारांश

11.8 शब्दावली

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में हम हिंदी की बोलियों की सामान्य और व्याकरणिक विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

- हिंदी भाषा क्षेत्र की बहुभाषिकता को समझ सकेंगे;
- हिंदी क्षेत्र की बोलियों के भाषिक समूहों के जान सकेंगे;
- विभिन्न बोलियों के क्षेत्रीय विस्तार से परिचित हो सकेंगे;
- हिंदी की बोलियों के विविध स्वरूप से अवगत हो सकेंगे;
- इन बोलियों का सामाजिक–साहित्यिक महत्व प्रस्तुत कर सकेंगे;
- विविध बोलियों के एक संघ के रूप में हिंदी की शक्ति और सीमा की पहचान–परख कर सकेंगे; और
- उन तत्वों की चर्चा कर सकेंगे जिनके आधार पर इन्हें एक ही भाषा की बोलियाँ माना जाता है।

11.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भारत के हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं और इन राज्यों में बोली जाने वाली बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ कही जाती हैं। हिंदी की विभिन्न बोलियों को पाँच भाषिक वर्गों में बाँटा गया है– 1. पूर्वी हिंदी 2. बिहारी हिंदी 3. पश्चिमी हिंदी 4. राजस्थानी हिंदी और 5. पहाड़ी हिंदी।

इस इकाई में हम उपर्युक्त भाषिक वर्गों की छह बोलियों की विशेष चर्चा करेंगे, जिनमें मारवाड़ी, खड़ी बोली और ब्रज पश्चिम की बोलियाँ हैं तथा अवधी, भोजपुरी और मैथिली पूर्व की बोलियाँ हैं। इन छह बोलियों के अतिरिक्त हम अन्य बोलियों की सामान्य विशेषताएँ बता रहे हैं। मारवाड़ी, ब्रज, अवधी और मैथिली साहित्यिक भाषाएँ रही हैं। इस कारण इन भाषाओं में अध्ययन के लिए निश्चित रूप दिखाई पड़ सकता है। भोजपुरी हिंदी प्रदेश की बोलियों में सबसे अधिक लोगों की भाषा है। यही बोली इस समय मॉरिशस, फ़िजी, सूरिनाम जैसे देशों में प्रवासी भारतीयों की भाषा का आधार है। खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की आधारभूमि है। आप इन बोलियों का अध्ययन करने के क्रम में इनकी संरचना के साथ–साथ इनके सामाजिक–साहित्यिक महत्व का भी अध्ययन करेंगे।

11.2 पूर्वी हिंदी की बोलियाँ

पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 'अवधी', 'बघेली' एवं 'छत्तीसगढ़ी' को शामिल किया जाता है। जिनका सामान्य परिचय निम्नलिखित है :

11.2.1 अवधी

अर्द्धमागधी अपभ्रंश से विकसित अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा 'अवधी' है। अवध प्रांत में आने वाला हरदोई जिला इसका अपवाद है जहाँ यह नहीं बोली जाती। वहीं अवध क्षेत्र के बाहर फतेहपुर, मिर्जापुर और प्रयागराज (इलाहाबाद) आदि जिलों में इसका चलन दिखता है। इसे कोसली, पुरबिया एवं बैसवाड़ी आदि अन्य नामों से भी बुलाया जाता है किन्तु इन नामों से भाषा का वह बोध नहीं हो पाता जो अवधी कहने से होता है अतः इसे अवधी कहना ही ठीक है। इसका मूल स्वरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में दिखाई पड़ता है।

''अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख भाषा है। अवधी साहित्यिक भाषा है। तुलसीदास ने रामचरित मानस का प्रणयन अवधी भाषा में ही किया। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पदमावत इसी बोली में लिखा हुआ महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 210 8/18/2021 12:21:48 PM

में मुल्ला दाऊद, कुतबन, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधी में ही काव्य रचना की। आइए हम अवधी में एक गद्यांश देखें।

अवधी

प्रतापगढ़ ज़िला– पूर्व

एक अहीर के घरे माँ चार मनई लरिका, सास, पतोह और बाप रहत रहें। मुला[1] चारउ बहिर रहें। बेटौना एक दिन खेते माँ हर जोतत रहा औ ओही ओरी से दुई राही चला आवत रहें। वै बेटौना से गुहराई कै[2] पूँछिन कि हम रामनगर का जावा चाहित अहै कौनी डगर से जाई? तो ऊ अहिरवा जानिस कि हमरे बरधवन का पूछत अहैं कि बेचब्या? औ गोहराय के कहिस कि बरधवन का हम न बेचबै । यहि पर राहगीरै गुहराइ कै कहिन कि हम का बैल न चाही, रह्या[3] जौ जानत हुआ तौ लखाइ था।[4] तौ ऊ जानिस की सौ रुपैया बरधवन कै लगावत अहैं। औ गुहराइस कि राजू, सौ रुपैया काव जौ दुयू देत्यो तबहूं हम आपन बरधवन तुहैं न देइत।

कछुक बेर माँ ओह के महतारी रोटी वहिके बरे लाई। रुटया खाती बेरा बेटौना बोला माई हो, आज दुई मनई बरधवन के सौ रुपैया देत रहें। मुला हम कहा कि दुई सौ का हम न देबै, सौ रुपैया कौन चीज आटै। महतरया बोली कि हाँ बच्चा हम हूँ जानित है कि सागे माँ[5] लोन[6] आज सेवाइ[7] हुई गवा अहै। मुला जौन कुछ होइ तनी तुनी ऐसिन खाइ ल्या।

लौट कै जब घरे आइ तो पतोहिया[8] से कहस कि लोन सागे माँ अस सेवाइ कै दिहे कि बेटौना से रोटी नाहीं खाइगै। तौ ऊ कहिस कि बासन[9] दै कै मैं मिठाई कब लिह्यौ रहा। दादा जौन दुआरे पर बैठ रहत हैं चला तिने हजुरात देई[10]।

दूनौ झगरत झगरत जौ दुआरे पर आई तो पतोहिया ससुर से बोली कि क हो, तूं हमें बासन दै के मिठाई लेत कब देखे रह्या? तौ ससुरवा बोला कि गोरू चरावै तौ तूं जा औ लाठी हम से पूँछब्या?

शब्दार्थ

1. किन्तु 2. बुलाकर 3. रास्ता 4. दिखा दो 5. साग में 6. नमक 7. अधिक 8. बहू 9. बर्तन 10. पुछवा दूँ।

क्या अवधी ब्रज और खड़ी बोली की तरह अधिक परिचित लगती है ? अगर कठिन लगती है तो इसे ठीक से समझने के लिए निम्नलिखित शब्दार्थ चाहिए–

रहत रहे–रहते थे	बेटौना–बेटा
पूँछिन–पूछा	जाई–जाएँ
बरधवन–बैल	बेचब्या–बेचोगे
कहिस–कहा	बेचबै–बेचेंगे
जो–अगर	जानत हुआ– जानते हो
देत्यो–देते हो	देहत –देता हूँ
वहि के बरे– उसके लिए	लाई– ले आयी
हुई गवा अहै– हो गया है	खा त्या –खा लो
खाइगै–खाया गया	लिह्यो रहा – लिया था
गोरू– गाय	चरावै – चराने के लिए
पुँछब्या–पूछोग	माँगते हो।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 211 8/18/2021 12:21:49 PM

आधुनिक काल में बलभद्र प्रसाद दीक्षित 'पढ़ीस', वंशीधर शुक्ल, चन्द्रभूषण द्विवेदी (रमई काका) इत्यादि ने इसके विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

व्याकरणिक विशेषताएँ–यह अकारान्त प्रधान बोली है, जैसे– लोहा के लिए लोह का प्रयोग। इसमें संज्ञा के ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घतर, तीन रूप हैं जैसे–घोड़ा के घोड़, घोड़वा, घोड़ौना तीन रूप मिलते हैं। इसमें ऐ/औ स्वर का अइ, अउ या अऍ अओ उच्चारण होता है। **''ह'' का प्रयोग** सईस को सहीस, इच्छा को हिच्छा। **''र'' का प्रयोग** पसन्द को परसन्द, वियोग को विरोग। **वर्णों का महाप्राणीकरण** पुनः को फुनः पेड़ को फेड़ लिखना आदि इसकी विशेषताएँ हैं।

11.2.2 बघेली

बघेलखण्ड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है, इसका केन्द्र रीवाँ है, चूँकि रीवाँ बघेल राजाओं की राजधानी थी इसलिए बघेली का एक नाम ''रीवाँई'' भी मिलता है। लोक में यह एक बोली के रूप में प्रतिष्ठित है किन्तु भाषाविद् इसको अवधी का ही दक्षिणी रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र उत्तर में मध्यप्रदेश–उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर पूर्व में मिर्जापुर, छोटा–नागपुर और बिलासपुर की पश्चिमी सीमा तक फैला है। बघेली में ललित साहित्य का प्रायः अभाव है किन्तु लोकगीतों एवं लोककथाओं के संग्रह मिलते हैं। इसमें भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री उरगेश, बैजू तथा शम्भुनाथ द्विवेदी के द्वारा कविताओं तथा लोकगीतों के अच्छे संकलन प्रकाशित किये गये हैं।

व्याकरणिक विशेषताएँ–बघेली अकारान्त प्रधान है इसमें –वा, इया और कौना जोड़कर संज्ञा के दीर्घतर रूप बनाए जाते हैं जैसे ललन से ललनवा, छोट से छोटका या छोटकौना, दुपहर से दुपहिरया। इसमें सर्वनाम मुझे के लिए– म्वाँ, मोही, तुझे के लिए त्वाँ, तोही, लिखा जाता है। विशेषण में ''हा'' प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाते हैं, जैसे–नीक से नीकहा। इसके अतिरिक्त घोड़ा, मोर, पेट, देत के लिए घ्वाड़, म्वार, प्याट, द्यात आदि रूप मिलते हैं। अवधी से ज्यादा बघेली में ''व'' की जगह 'ब' का प्रयोग मिलता है, जैसे– आवाज को आबाज बोलना। कहीं–कहीं 'व' की जगह ''म'' भी प्रयोग होता है, जैसे चरावै को चरामै बोलना।

11.2.3 छत्तीसगढ़ी

अर्द्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकसित छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाने वाली भाषा 'छत्तीसगढ़ी', कहलाती है इसके अन्य नाम लरिया या खल्टाही अथवा खलोटी भी हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कुछ भागों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, खल्हाटी या खलोटी कही जाती है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर जिले के अतिरिक्त सम्भलपुर जिले के पश्चिमी भाग में विशुद्ध रूप में बोली जाती है। कांकेर, नंदगांव, खैरागढ़, चुइखदान, कवर्धा एवं चाँदा जिले के उत्तर–पूर्व में और बालाघाट के पूर्व में भी शुद्ध छत्तीसगढ़ी का प्रचलन है। विलासपुर, रायगढ़ तथा सारंगगढ़ के उत्तर–पूर्व में स्थित कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर में इसकी एक बोली सरगुजिया प्रचलित है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है इसलिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में उनकी मातृभाषा का भी पर्याप्त मिश्रण रहता है। इसका अपना कोई प्राचीन लिपिबद्ध साहित्य नहीं है। आधुनिक युग में कई लोक कवियों ने काव्य रचनाएँ की हैं। इसके प्रसार में आकाशवाणी का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाली कई पत्रिकाएँ भी उपन्यास, कहानियाँ और कविताएँ प्रकाशित कर इसका प्रचार–प्रसार कर रही हैं। इसके साहित्यकारों में जगन्नाथ प्रसाद भानु, कपिल नाथ मिश्र, नारायण परमार एवं वंशीधर आदि प्रमुख हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 212 8/18/2021 12:21:49 PM

विशेषताएँ– इसमें ङ, ञ, और ण ध्वनियाँ नहीं हैं। इस बोली में ''ण'' को ''न'' उच्चारित करते हैं तथा लिखते समय उसका स्थान अनुस्वार ले लेता है । श, ष की जगह स, ख का प्रयोग जैसे– खुशी को खुसी, विष को विख लिखना। स का छ और छ का स उच्चारण– सीता को छीता, छेना का सेना। अल्पप्राण ध्वनि की जगह महाप्राण का प्रयोग, जैसे–दौड़ को धौड़, कचहरी को कछेरी बोलना इसकी कतिपय विशेषताएँ हैं।

11.3 बिहारी हिंदी की बोलियाँ

भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन तीन बोलियों के समूह का डॉ. ग्रियर्सन ने बिहारी हिंदी नामकरण किया। बिहारी हिंदी का क्षेत्र तीन राज्यों, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। बिहारी अपने आप में कोई बोली नहीं है बल्कि ज्यादातर बिहार राज्य में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को बिहारी हिन्दी कहा गया है जिनकी उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है।

11.3.1 भोजपुरी

भोजपुरी का नाम बिहार के भोजपुर नामक एक छोटे से कस्बे के आधार पर पड़ा है, जो प्रचीनकाल में राजा भोज के वंशजों की राजधानी थी, हालाँकि भोजपुरी का क्षेत्र केवल भोजपुर ही नहीं है बल्कि इसका विस्तार बिहारी हिंदी की अन्य बोलियों से काफी ज्यादा है। यह उत्तर में नेपाल की दक्षिणी सीमा से लेकर छोटा नागपुर और पश्चिम में पूर्वी मिर्जापुर, बनारस तथा पूर्वी फैजाबाद से लेकर पूर्व में रांची, पटना, बस्ती (कुछ भाग) गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सीवान, गोपालगंज, जौनपुर (पूर्वी भाग) गाजीपुर बलिया, भोजपुर तथा पलामू में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार विदेशों में भी है, मारिशस, फिजी, त्रिनिदाद–टोबैगो इत्यादि देशों में इसे व्यवहार में लाई जाने वाली दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह हिंदी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। इधर भोजपुरी को हिंदी से स्वतंत्र एक भाषा का दर्जा दिये जाने की माँग भी की जा रही है। इसमें लिखित प्राचीन साहित्य प्रायः उपलब्ध नहीं है। यहाँ के लोगों ने प्राचीन काल में अवधी अथवा ब्रज और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रयोग साहित्य सृजन के लिए किया। भोजपुरी साहित्य की परम्परा लोकगीतों तथा लोककथाओं में ही सुरक्षित है। इसके प्राचीन कवियों में कबीरदास, धरमदास, धरणीदास तथा शिवनारायण के नाम प्रमुख हैं। आधुनिक काल में इसमें कुछ छोटे–छोटे नाटक, कहानी और कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। भोजपुरी के भिखारी ठाकुर लोककवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठाकुर का बिदेसिया अत्यन्त लोकप्रिय गीति नाटक है। राहुल सांकृत्यायन ने भी कुछ नाटकों की रचना इसमें की है। भोजपुरी सिनेमा भोजपुरी भाषा के प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। आगे हम भोजपुरी का एक गद्यांश दे रहे हैं। इसे पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए :

भोजपुरी

गोरखपुर जिला

एक जनौ अहिर ससुरारि करै गइलैं। उहाँ राति के दीआ बरत रहै[1]। इ कब्बौ[2] दीआ बरत देखले नाहीं रहलैं। अपने मन में कहलैं हो न हो ई अँजोरिया कै बच्चा[3]। जब उनकै ससुर नेक बिदाई दैवे लगलैं त ई कहलैं, ए राउर, हम लेब त अँजोरिया के बच्चै लेब। ससुर दे दिहलैं। बाकरि[4] इनके मन में तब्बो खटका रहल। राति के जब सब सूति गैल[5] तब ई दीआ छान्ही[6] के नीचे चोरा दिहलैं। घर में आगि लगि गइल। सज्जी[7] धन दौलत बिलातिला गइल[8]। इहो रोए लगलैं, हमार अँजोरिया कै बच्चा ओही मैं जरि गइलै। सब लोग जानि गइलैं कि इहै सार घर फुकलसि है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 213 8/18/2021 12:21:49 PM

शब्दार्थ

1. चिराग जलता था 2. कभी 3. उजियाली अर्थात् चाँद का बच्चा 4. किन्तु 5. सो गये 6. छप्पर 7. सब 8. नष्ट हो गई।

इस अंश को समझने के लिए आपको निम्नलिखित शब्दार्थ की भी आवश्यकता होगी।

गइलैं	–	गया	राति के – रात को
देखल नाहीं	–	देखा नहीं था	देवै लागलैं – देने लगे
लेब	–	लेंगे/लूँगा	दे दिहलैं – दे दिया
सार	–	सारा	फुकलसि है – फूँका है

विशेषताएँ– अवधी आदि की भाँति इसमें भी संज्ञा के सामान्य, दीर्घ एवं दीर्घतर रूप होते हैं, जैसे–सोनार/सोनरा/सोनरवा। व्यंग्यात्मक रूप अथवा क्रोध में बोलने पर ऊ का प्रयोग भी होता है, जैसे–ठकुरऊ, सोनरऊ इत्यादि। सामान्यतया संज्ञा के दो ही रूप मिलते हैं, जैसे–किताब का कितबिया, लड़का का लड़कवा। अवधी का लरिका (लड़का) इसमें लइका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी के न्द एवं न्ध की जगह न्न और न्ह का प्रयोग मिलता है, जैसे– सुन्नर (सुन्दर), चान (चान्द)। इसी प्रकार म्ब' और 'म्भ' की जगह म' और म्ह' का प्रयोग मिलता है. जैसे तामा (ताम्बा), खम्हा (खम्भा)। इसमें स्त्रीलिंग संज्ञाएं इकारान्त या ईकारान्त होती हैं– बहिनि (बहिन), भूखि (भूख), गायि (गाय)। बहुवचन में संज्ञा अपरिवर्तित रहती है यदि स्पष्टता दिखानी है तो लोग या लोगन शब्द जोड़ दिया जाता है ।

11.3.2 मगही

'मगही' मागधी का अपभ्रंश रूप है इसका सम्बन्ध मगध प्रान्त की भाषा से है किन्तु आधुनिक मगही प्राचीन मगध तक ही सीमित नहीं है। इसका परिनिष्ठित रूप गया जिले में बोली जाने वाली बोली को माना जाता है। अन्य स्थानों पर सीमावर्ती भाषाओं का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। गया जिले के अलावा पटना, हजारी बाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में भी यह बोली जाती है। मगही में ललित साहित्य का अभाव रहा है, किंतु लोक साहित्य पर्याप्त है जिसमें गोपीचंद और लोरिक का नाम उल्लेखनीय है। संत कवियों में बाबा करमदास, मोहनदास और बाबा हेमनाथ तथा आधुनिक युग में जयनाथपति मगही के प्रसिद्ध नाम हैं।

विशेषताएँ–मगही में व्याकरणिक स्तर पर भोजपुरी से बहुत थोड़े से अन्तर मिलते हैं, लिंग और वचन के रूपों में कुछ भी अन्तर नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम के परसर्ग जो भोजपुरी में हैं उनके अतिरिक्त सम्प्रदान में ''ला'' ''लेल'' और अधिकरण में ''मों ''जुड़ जाते हैं। सर्वनामों में रउआ (आप) का प्रयोग पश्चिम में मिलता है। पूर्व में ''आप'' का ही प्रयोग होता है। मगही की सहायक क्रियाएँ हिन्दी की तरह ही हैं केवल उनका रूपान्तर भोजपुरी में कर दिया जाता है। भोजपुरी से इतर इसमें संज्ञा के सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घ–दीर्घतर रूप मिलते हैं, जैसे लोह, लोहा, लोहवा, लोहउना इत्यादि। इसकी विशेषताएँ मैथिली से भी मिलती हैं। वैसे इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और हिन्दी के रूपों का ग्रहण स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

11.3.3 मैथिली

भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व में तथा मगध के उत्तर में मिथिला है, जिसकी बोली 'मैथिली' है। मिथिला शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में बहुत पहले से मिलता है जबकि "मैथिली'' शब्द आधुनिक काल से प्रयोग में आया है। डा. ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के अनुसार

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 214 8/18/2021 12:21:49 PM

मैथिली का क्षेत्र बिहार के उत्तरी भाग में पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संथाल परगना तक फैला हुआ है इसके अतिरिक्त नेपाल की तराई में भी यह बोली जाती है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह बहुत ही समृद्ध है, साथ ही प्राचीन काल से ही साहित्य सृजन भी होता आ रहा है। प्राचीन मैथिली गीतकारों में विद्यापति और गोविन्द दास महत्वपूर्ण हैं। विद्यापति के पदों को आज भी मिथिलावासी विभिन्न अवसरों पर गाते हैं। मध्यकाल के नाटककारों में रणजीत लाल और जगत प्रकाश मल्ल, कीर्तनिया नाटक लिखने वालों में उमापति उपाध्याय, एकांकीकारों में शंकरदेव, संत–कवियों में साहब रामदास, कृष्ण भक्त कवि मनबोध झा, आधुनिक कालीन साहित्यकारों में चंदा झा, तंत्रनाथ झा, और हरिमोहन झा के नाम प्रमुख हैं। 'मैथिली को अब संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है जिससे अब इसे एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। आइए, मैथिली में लिखित एक गद्यांश का अवलोकन करें।

मैथिली

दक्षिणी दरभंगा

एगो[1] गँवारि गोआरिनि माथा पर देहरी[2] धैलै चलल जाइ रहैय. चलैत चलैत ओकारा जी में ई उमंग उठ॰ले, जे ई दही के बेंचब, पैसा सैं आम मोल लेब। किछु आम हमरा जौरे[3] अछ[4]। सम मिलाइ कै तीन सै मैं किछु बढ़ि जाइत। ओकरा में सैं[5] किछु सरिपचि जाइत। तब हँ अढाइ सै तै बच–बे। आओर ओहि में सै जे बचत ओकर बेसी दाम मिलत। तब दिवारी में एक हरिअर सारी[6] हम–रा मुँह पर नीक खुलत। आओ बस, हम तै हरिअर सारी लेब। आओर ऐंठ जैंठ के चलैत चलैत में सै सै लच–कत चलब।

एहि सोच विचार में ऊ गँवारि गोआरिनि जे किछु चमक ठमक कै टेढ़ चाल चलल तब देहरी ओक–रा माथा पर सैं गिर कै चूर चूर हो गेलै, आओर सौं सो बनल बनाएल घर बिगर गेलैं।

शब्दार्थ

1. एक 2. दही का बर्तन 3. पास 4. है 5. उनमें से 6. हरी साड़ी

इस गद्यांश को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको निम्नलिखित प्रकार से शब्दार्थ की आवश्यकता होगी–

चलल जाइ रहैय	–	चली जा रही थी	उठलै – उठी
बेचब	–	बेचूँगी	अछ – है
जाइत	–	जाते हैं	हँ– भी
बच बे	–	बचेंगे	आओर – और
बनल बनलाएल	–	बना–बनाया	बिगर – बिगड़

व्याकरणिक विशेषताएँ– इसमें अ, इ, उ, के अति ह्रस्व रूप व्यवहृत होते हैं। छ, ञ, ङ, ह स्वतंत्र व्यंजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे– आङुर (अंगुली) , जञुना (जमुना) इसके अतिरिक्त ''ण'' के स्थान पर ''न'' ध्वनि का प्रयोग होता है। ''श'' का प्रयोग ''स'' की तरह होता है और ''न'' का ''ल'' में परिवर्तन मिलता है, जैसे– नम्बर के लिए (लम्बर), नोट के लिए लोट इत्यादि। इसमें उच्चारण सम्बन्धी विशेषताएं अवधी और भोजपुरी के समान हैं किन्तु मध्यम श, ष, स की जगह ह प्रयोग होता है, जैसे पुहप (पुष्प), माहटर (मास्टर)। अवधी आदि की तरह संज्ञा के तीन रूप घोरा, घोरवा,

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 215 8/18/2021 12:21:49 PM

घोरउवा मिलते हैं। सभ, सबहिं, सब लोकन, जैस शब्द जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें क्रिया रूप थोड़े जटिल हैं कर्ता और कर्म के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने पर क्रिया रूप बदल जाता है, जैसे– देखलथ (उन्होंने उसको देखा) देखलथिन्हि (उन्होंने उनको देखा) इत्यादि।

बोध प्रश्न

1. दिए गए स्थान में उत्तर लिखिए।

   i) अवधी के दो प्रमुख भक्त कवियों के नाम लिखिए।

   .....

   .....

   .....

   ii) बोलने वालों की दृष्टि से भोजपुरी की विशेषता बताइए।

   .....

   .....

   .....

   iii) भोजपुरी का अंतरराष्ट्रीय महत्व बताइए।

   .....

   .....

   .....

   iv) मैथिली के साहित्य की दो विशेषताएँ बताइए।

   .....

   .....

   .....

बोध प्रश्न

2. उचित शब्द से वाक्य पूरे कीजिए।

   i) अवधी का क्षेत्र .....प्रदेश कहलाता है। (मारवाड़/अवध)

   ii) भोजपुरी में प्राचीन साहित्य ..... उपलब्ध है।
   (बहुत कम/अत्यधिक)

   iii) मैथिली बिहार के ..... क्षेत्र में बोली जाती है।
   (उत्तर/पूर्वोत्तर)

   iv) पूर्वी हिंदी तथा बिहार में ..... की रचना नहीं मिलती।
   (ने/भविष्यत काल)

11.4 पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ

पश्चिमी हिन्दी वर्ग अपेक्षाकृत बड़ा है, इसमें खड़ी बोली/कौरवी, हरियाणी, दक्खिनी, ब्रज, बुन्देली और कन्नौजी बोलियाँ सम्मिलित की जाती हैं।

11.4.1 खड़ी बोली या कौरवी

खड़ी बोली को हिन्दुस्तानी, नागरी, सरहिन्दी और कौरवी आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है किन्तु खड़ी बोली नाम ही इस समय प्रचलन में है। खड़ी बोली शब्द

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 216 8/18/2021 12:21:49 PM

का प्रथम प्रयोग फोर्टविलियम कॉलेज में भाषा मुंशी रहे लल्लू जी लाल तथा सदल मिश्र ने किया था। हिन्दी साहित्य कोश में खड़ी का अर्थ स्टैण्डर्ड बताया गया है अर्थात् खड़ी बोली से आशय स्टैण्डर्ड बोली से है, जैसे–पूना की खड़ी बोली मराठी और जयपुर की खड़ी बोली राजस्थानी है। वर्तमान साहित्यिक हिन्दी या सामान्य हिन्दी और उर्दू दोनों का आधार खड़ी बोली है। क्षेत्र विशेष की बोली के तौर पर इसको कौरवी नाम दिया जाता है। कौरवी का क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। परम्परागत रूप से इसमें स्वतंत्र साहित्य का अभाव है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह समृद्ध है, लोकगीत, स्वांग, कथागीत, संगीत नाटक और लोककथाएँ इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं जिनका काफी अंश अब प्रकाशित भी हो चुका है। आधुनिक हिन्दी के विकास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है क्योंकि आधुनिक हिन्दी का विकास इसी से हुआ है।

खड़ी बोली में एक स्थानीय बोली के लक्षण दिखायी पड़ते हैं, जबकि हिंदी भाषा विकास क्रम के कारण और आधुनिकीकरण और मानकीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण अब समृद्ध तथा बिखरे हुए रूप में हमारे सामने आती है। अन्यथा दोनों की मूल प्रकृति एक ही है जिसे निम्नलिखित अवतरण से जान सकते हैं।

खड़ी बोली

बिजनौर ज़िला

कोई बादसा था। साब उसके दो राण्याँ थीं। एक के तो दो लड़के थे और एक के एक। वो एक रोज अप्नी रान्नी से केने लगा मेरे समान ओर कोई बादसा है बी? तो बड़ी बोल्ले के राजा तुम समान ओर कोन होग्गा जेस्सा तुम वेस्सा ओर कोई नई। छोट्टी से पुच्छा के तुम बी बतला मुज समान कोई ओर बी राजा है के नई? कि राज्जा मुज्से मत बुज्झो। केह्या[1], नई, बतलाणा होगा। राणी ने किह्या कि एक बिजाण[2] सहर हे उस्के किल्ले में जितणी तुम्हारी सारी हैसियत है उत्नी एक ईंट लगी है। ओ हो इसने मेरी कुच बात नई रक्खी इसको तग्माती[3] करना चाइए। उस्कू तग्माती कर दिया। ओर बड़ी कू सब राज का मालक कर दिया।

ब्होत दिन बीत गये। कुछ दिन बाद लड़कों ने केह्या कि हम उस सहर को देखणा चाते हैं केसा बिजाण सहर हे ! बादसा ने दोन्नो कू इक्का घोड़ा ले दिया। लड़के व्हां से बहोत सा माल खुजिर्यो में भर के बेजार सहर कू चल दिये । ब्होत दिन बीत गये खाणा थोड़ा साई रे गेया। एक सराय में ठैरे थे। जब कूच बी खाणा नई मिला तो घोड़े तक बेच दिये। व्हाँ से बिजाण सहर ब्होत दूर था। ब्होत दिन हो गये तब तग्मार्ती का लड़का बोल्ला के मुज कू एक घोड़ा लाद्दे तो भाइय्यों की खबर ले आऊं के बिजाण सहर गेये या नी गेये। वो मजल दर मजल चला जा रिया था। जिस सहर में स्राय थी व्हांई जा पोंचा। लड़के ब्होत तंग हो गये थे। घास बींच–बींच कर गुजारा करे थे।

उसमें भटियारी से क्या केह्या के मेरे घोड़े क वास्ते घास ला। भटियारी ने लड़कों से क्या केह्या कि चलो हमारी सराय में एक बादसा जादा आया हवा हे। लड़का दोन्नो घास लेक्कर सराय में आये। उस्कू पता बी चल गेया ता, कि बूज लिय्या था भटियारी से कि ये लड़के जा रये थे बिजाण सहर। उसके बड़ी तवज्जे की, ओर मिठाई ओर पकौड़ी खूब मसाल्लेदार उनकू खिलाई। सबेरा हवा तब व्हाँ से बिजाण सहर की राह ली। चलते–चलते मजल दर मजल बिजाण सहर बी आ लिया। व्हाँ क्या देखता हे के एक हाली हल जोत रिया हे। हात तो उसका हल में हे बेल वेस्सई सीद्दे खड़े हवे हैं। जो उस्कू अवाज दी तो बोलेई नी, बिजाण। ओर वो लड़का बिजाण सहर में पोच

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 217 8/18/2021 12:21:49 PM

लिया है। देखता क्या हे कि चड़स चल रिया हे बेल ठाडे य खड़े हवे हैं। मलिक चड़स पकड़ रिया है ओर जो उन्कू अवाज देता हे तो बोल्ते नई, बिजाण। आगे क्या देक्खता हे कि बौत अच्छा बाग हे। तरे तरे की रौस पट्टी पडी हई हे। फूल लगे हिये हैं। लड़के ने अवाज दी तो माल्ली बोल्ताई नी, बिजाण हे।

व्हाँ से चल के लड़का बिजाण सहर के किले ब करीब ई जा पोंचा। घोड़ा छोड़ क बादसा जाद्दे ने फाटक से बांध दिया ओर बिजाण सहर में चला गेया। देक्ता क्या हे के तमाम सहर बिजाण हे। लड़का भूक्खा था हल्वाई की दुक्काण कू गया। लड़के ने हांक माररी तो बोल्लाई नी, बिजाण हे लड़के ने खाणा उठा क खा लिया ओर किम्मत दुक्काण पर रख दी। खाण्णा खा के लड़का व्हाँ से चल दिया। के व्हाँ की बादसाजादी की देखणा चइये किस जगे प रेती हे। ओर सोच्चा किले कि एक ईट जरूर ले चलना चइये । अक नमूना दिखावे क बिजाण सहर गेया था। ओर अटारी प जां बादसाजादी रेती थी व्हाँ गेया। वो पलंग प सो रई ती। जो हांक मारे तो बोल्ली नी, बिजाण। इस्का बी नमूणा कुच ले जाणा चइये। लड़के ने अपना रूमाल ओर गुस्ताना उस्के हाथ में पिन्हा दिया ओर उस्का लेक्कर अपणे हाथ में पेन लिया। सब नमूणा ले लिया व्हाँ से चल देया। उस सहर में कुछ देव रैवे थे। वो महीने दो महीने में उसे जान का कर देवे थे सो वो सहर जान का हो गेया।

वो दोन्नो लड़के इस्के पेलेई घर पोंच गये ते ओर कहा, पिता, बिजाण सहर हम देख आये। वैसेई झूठमूठ कू बता दिया। फेर जब ये छोटा लड़का पोंचा और उस्णे तमाम नमूणा दिखा दिया तब बादसा बड़ा खुस हवा। फेर–जब बादसा–जादी गुस्ताना देक्खा तो बोली, कै तो उस बादसाजादे से सादी करा दे नई तो मैं बच्चूँगी नाय। उसने पूरा पता बता दिया। बादसा को वो लड़का बहोत प्यारा लगा ओर सब राज का मालक उसेई बना दिया ओर उस्को लाने को चल देया। बिजाण सहर में सादी कर क उसी सहर का मालक बणा दिया। फेर बादसा ने उस छोटी रानी की बी भोत आबरू की।

शब्दार्थ

1. कहा 2. बेजान 3. निर्वासित

क्या आपको इस कहानी को पढ़ने में कोई कठिनाई हुई? क्या आपने ऐसे कुछ भाषाई बिंदु देखे जो आपको मानक हिंदी भाषा से अलग लगे? अगर आपने ऐसे बिंदुओं को खुद पहचान लिया हो, तो आप स्वयं बता सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी भाषा से किन बातों में भिन्न है। हमने आगे जो अंतर बताये हैं, उनके और उदाहरण इकट्ठे कीजिए। मानक रूप का संकेत कोष्ठकों में है।

राणी (रानी)	पेले (पहले)
बोल्ला (बोला)	खुस (खुश)
करे थे (किए थे)	रह गया (रे गया)
छोड़क (छोड़कर)	रये थे (रहे थे)
देया (दिया)	हये (हुए), हवा (हुआ), हई (हुई)

अब आप यह भी देख लीजिए कि खड़ी बोली में मानक हिंदी की निम्नलिखित रचनाएँ हैं या नहीं।

लड़कों ने कहा	लड़की ने रूमाल देखा
दोनों बैल खड़े हुए हैं	जिस शहर में सराय थी

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 218 8/18/2021 12:21:49 PM

राजा ने उसको निकाल दिया	उनको मिठाई खिलाई
लड़की को देखना चाहिए	उन्होंने अपने घोड़े बेच दिए

आपने देखा होगा कि ये सारी रचनाएँ मानक हिंदी में हैं। कुछ अंतर हैं, जिनमें से एक है –

देव रहवे थे –– देव रहते थे

लेकिन संरचना के अंतर के अलावा आप भाषा शैली में कई अंतर देख सकते हैं, जो हिंदी के परिमार्जन और विकास के कारण उत्पन्न हुए हैं।

विशेषताएँ– खड़ी बोली में दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन, जैसे– बेट्टा (बटा), बाप्पू (बापू), रोट्टी (रोटी) और इसी प्रकार की स्थिति में महाप्राण ध्वनि से पूर्व अल्पप्राण ध्वनि का आगम दिखाई पड़ता है, जैसे देक्खा (देखा), सूक्खा (सूखा)। 'न'– ध्वनि के स्थान पर 'ण' ध्वनि का उच्चारण, जैसे– सपणा (सपना), पाणी (पानी)। ''ल'' ध्वनि की जगह 'ळ' का उच्चारण जैसे– काळा (काला)। खड़ी बोली में अवधी के व्यंजनांत/अकारान्त और ब्रज के ओकारान्त के स्थान पर आकारान्त शब्द मिलते हैं, जैसे– 'घोड़ा' अवधी में घोड़ और ब्रज में घोरो लिखा जाता है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं–जैसे– कै (कितने), असे (एसे), जसे (जैसे), इब (अब), जिब–तिब (जब–तब)। इसके क्रियारूप साहित्यिक हिन्दी के समान हैं किन्तु 'है' का उच्चारण 'हे' होता है और 'है' के स्थान पर "सै'' का प्रयोग भी मिलता है।

11.4.2 हरियाणी या हरियाणवी

हरियाणी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसका दूसरा नाम ''बांगरू'' या ''बांगड़ू'' है। 'बांगर' से तात्पर्य उच्च एवं शुष्क भूमि से है। अम्बाला से दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र के भू भाग को हरियाणा कहा जाता है, इसके अन्तर्गत रोहतक और करनाल, जींद और नाभा, हिसार का पूर्वी भाग और पटियाला का दक्षिण–पूर्वी भाग सम्मिलित है। हरियाणा में जाट जाति बहुत बड़ी संख्या में निवास करती है इस वजह से इसका एक नाम 'जाटू' भी है। इसमें लिखित साहित्य का अभाव है। विशेषताएँ– हरियाणी और खड़ी बोली में बहुत कम अन्तर है, 'ध्वनियाँ सब की सब वही हैं। इस में 'ए' का उच्चारण 'ऐ' होता है। सम्प्रदान में एक अतिरिक्त परसर्ग 'की ल्यां' और अधिकरण में 'मंह, मांह' उल्लेखनीय हैं। हरियाणवी में क्रिया सम्बन्धी दो बातें महत्वपूर्ण हैं जैसे– है, हैं, हूँ, हो, को क्रमशः सै, सैं, सूँ, सो लिखा जाता है और वर्तमान कृदन्त हिन्दी का–'ता' और पंजाबी का 'दा' दोनों हो सकता है, जैसे–करता/करदा, मिलता/मिलदा इत्यादि।

11.4.3 दक्खिनी

दक्षिण भारत में बोली जाने के कारण इसे दक्खिनी हिन्दी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हुए हरियाणा, दिल्ली और कुरु प्रदेश के लोगों को दौलताबाद के आस–पास बसाया था, इनके और इनकी बाद की पीढ़ियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा दक्खिनी हिन्दी कहलायी। दक्खिनी हिन्दी इनके विचार विनिमय के साथ–साथ साहित्य, शासन और शिक्षा का भी माध्यम रही है। ख्वाजा बंदा नवाज, गेसूदराज, निजामी, मुहम्मद कुली कुतुबशाह और मुल्ला वजही आदि बड़े–बड़े कवि इसमें साहित्य रचना कर गये हैं किन्तु 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध से साहित्य और शासन की भाषा दक्खिनी हिन्दी न होकर उर्दू हो गई है। व्याकरणिक विशेषताएँ– इसमें और खड़ी बोली में अन्तर बहुत ही कम है साथ ही ह्रस्व स्वर और व्यंजनों के द्वित रूप इसे पंजाबी के निकट भी पहुंचाते हैं, जैसे–सुक्का (सूखा), अस्मान, (आसमान) गुंगे (गूगे) इत्यादि।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 219 8/18/2021 12:21:49 PM

इसमें 'ध' को ''न'' और ''म्ब' को 'म्म बोला जाता है, जैसे–चाननी (चान्दनी), गुम्मद (गुम्बद), बानना (बाँधना)। इसमें बहुवचन हरियाणी के अनुरूप है और सर्वनाम भी वही है किन्तु मुंजे, हम, हमन, हमना, तुमना जैसे कुछ और रूप भी प्रयोग होते हैं। विशेषणों में स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप भी मिलता है जैसे– ऐसियाँ, औरताँ, इत्यादि।

11.4.4 ब्रज भाषा

पश्चिमी हिन्दी की बोलियों में ब्रज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न मथुरा, अलीगढ़ और आगरा जिलों में बोली जाने वाली भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा कहलाती है। ब्रज का एक नाम "अन्तर्वेदी'' भी है। इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण में भरतपुर, कराली, धौलपुर तथा जयपुर के पूर्वी भाग, ग्वालियर के पश्चिमी भाग, गुड़गाँव के पूर्वी भाग तथा बुलन्दशहर, एटा, मैनपुरी बदायूँ और बरेली तक है किन्तु इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ब्रज का शुद्धरूप न होकर उससे प्रभावित बोलियों का ही रूप है। हिन्दी में सबसे अधिक तथा समृद्ध साहित्य इसी में मिलता है। अवहट्ट और पिंगल साहित्य में रणमल छन्द, प्राकृत पैंङ्गलम तथा पृथ्वीराज रासो, सन्देश रासक, कीर्तिलता इत्यादि में ब्रज भाषा का ही प्रयोग है। साथ ही नाथ संतों की बानियों, सूरदास, तुलसीदास, नन्ददास, रहीम एवं रसखान आदि भक्त कवियों और बिहारी, देव, रत्नाकर आदि रीतिकालीन कवियों के यहाँ भी यह साहित्य की मुख्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई है। इसके साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे 'ब्रजभाषा' की संज्ञा दी जाती है। मध्य देश की भाषा होने के कारण इस भाषा ने भारत में कई क्षेत्रों में विस्तार पाया। केरल के कवि स्वाति तिरुनाल ने ब्रज में काव्य रचना की, आंध्र के नाटककार पुरुषोत्तम कवि ने इसमें कई नाटक लिखे। यह भाषा बंगाल तक गयी और वहाँ भक्ति काल में व्यवहृत इस भाषा से बनी भाषा का नाम 'ब्रजबुलि' पड़ा। आधुनिक काल तक इस भषा में साहित्य सर्जन होता रहा है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है और खड़ी बोली की पड़ोसी भाषा है। इस कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि सरंचना की दृष्टि से यह बोली खड़ी बोली के अधिक निकट होगी। आइए, ब्रजभाषा के माध्यम से एक गद्यांश का वाचन करें।

ब्रजभाषा

मथुरा

एक मथुरा जी के चौबे है[1] जो डिल्ली सैहर[2] कौ चलै। तो पैले[3] रेल तो ही[4] नईं, पैदल रास्ता ही। तौ एक डिल्ली को जो बनिया हो सो माल लैके आयो बेचिबें कौं। जब माल बिक गयौ, तब खाली गाड़ियै लैके डिल्ली को चलौ[5]। जो सैर के किनारे आयौ सो चौबे जी से भेंट है गई। तो बे चौबे बोले गाड़ी बारे सै, अरे भइया सेठ, कहाँ जायगो कहाँ की गाड़ी है? वौं बोलो, महाराज मेरी डिल्ली की गाड़ी है और डिल्ली जाउँगौ। तौ चौबे बोले, भइया हमऊँ बैठाल्लेय। बनिया बोलो, चार रुपा लागिंगे भाड़े के। चौबे बोले, अच्छा भइया चारी दिंगे।

अब चौबे चुप बैठ गये। तौ बनिया बोलो, 'महाराज कुछ बात कहौ जाते रास्ता कटे'। तौ बे चौबे जी बोले. 'हमरी एक बात एक रुपा की है। वाने कई, 'अच्छी महाराज मैं दूँगो।' तौ कई, 'पैली बात तो हमारी एई है

'सब पञ्चन मिल कीजै तुम

हारे जीते आवै न लाज।'

याय सनिकै बनियौ बोलौ, 'महाराज, मोय तौ कछु या मैं मजा न आयौ। तुमनै एक रुपा छुड़ाय लियौ। कई, रुपा की बात तो इतनी होय है, फिर तोय सेंत मेंत[6] की

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 220 8/18/2021 12:21:49 PM

सुनामेंगे। तो कई, महाराज और कुछ कओ। तौ कओ, सेठ, तेरो एक तो चुकौ अब दूसरे रुपा की कएं[7] सू दूसरी बिन्ने बात कई कि

'औघट घाट नहियै ।'

कई, 'मोय मजा न आयो।' कई, 'जिजमान, मजा की फिर सुनामेंगे, तेरो भाड़ो तौ पूरो कर दें।' कई, महाराज अब तीसरी बात कओ। तो कई, तीसरी बात जे है कि 'घर में इस्त्री तैं साँच न कहे'। कई महाराज चौथिऔ कै देओ। कई, 'कुछ कसूर बन जाय तो सांच कहे, सांच को आँच कहूँ नायं। कही, जिजमान तेरो भाड़ो तौ चुक गयो अब तोय सेंतमेत सुनावत चलैं। फिर बाय रंग बिरंगी बातैं सुनावत भए डिल्ली के किनारे तक पौंच गए।

जब डिल्ली द्वै कोस रै[8] गई तब जिजमान को गांव आयौ। सो चौबे जी तौ उतर पड़े। जब कोस भर अगाड़ी और चलौ तौ एक गांव और आयौ। मां तै[9] डिल्ली कोस भर रै गई। वा गाउं मैं कैसी भई कि एक साधू मर गओ। तौ गांउं वालिन नै कही बिचार कियौ कि या कौं जमुना जी मैं फिकवाय देयं तौ याकी मोक्ष है जाय। तौ सब लोग या पैंड़े[10] मैं ठाड़े कि कोई खाली गाड़ी आय जाय तौ याय डिल्ली भिजवाय देअं। इतनेई मैं जा बनिये की गाड़ी चली आई। तौ गांउ वाले आदमी बोले कि तेरी खाली तो गाड़ी हैये, तू या साधू को लै जा, याकी मोक्ष है जायगी। वौ बनिया बोलो, मैं ऐसे इल्जाम वाले मुर्दा को नई पटकौं । गांउं वाले बोले, तोय बड़ो पुन्न होयगो। इल्जाम को कहा बात है।

तौ मोयं (बनिये को) चौबे जी की बात याद आई 'सब पंचन मिल कीजै काज, हारे जीते आवै न लाज। तौ मैंने वाको बैठाल्लियौ, मेरी कहा बिगडै गो, धर्म को मामलो है। जब मैं बाय लैके चलो तो मोय दूसरी बात याद आई चौबे जी की कि, 'औघट घाट नहियै।' तो मैं वाय औघट घाट लै गओ जां कोई देखै नायं। तौ मैं बाय उठाऊं तौ उठै नायं, मरे मैं तो बड़ो बोझ है जाय। सो मैंने हात पाय पकड़ कै खैचौ जो वाकी धोती गई। धोती के खुलत खन[11] सौ असर्फी निकरीं। जो मैं नई लाउतौ तौ कां से निकर्ती और चौगान कै घाट पै लै जातो, तो सब कोई देखतौ। वां कांऊ नै नई देखौ। अब मैंने साधू कौ तो घसीट के जमुना जी मैं फेंक दियौ और गाड़ी धोय लीनी जल्दी के मारे असर्फी को बासनी[12] भूल के चल दियौ। जब थोड़ी दूर आयौ तौ याद आई कि वासनी हवाई भूल आयौ। लौट के आयौ तौ देखौं तौ हवाई धरी। अब मैं बड़ो खुसी होत भयौ घर आयौ।

अब घर मैं आयौ तौ रात मैं लुगाई से बात भई तौ लुगाई[13] से सांच कै दीनी। सबेरे मैं तो दूकान पै चलौ गयौ और लुगाई से पार पड़ोस में बात भई तौ वानै कै दीनी कि मेरो धनी[14] एक साधू की सौ असर्फी लायौ है। सो वा बात फैलत फैलत बास्साह के पास जाय पौंची। सो बास्सा मैं सेठ को पकड़ि बुलायौ। अब सेठ काँप ज्जाय[15] और जात जाय। अब जौ चौबे जी की चौथी बांत सांची होयगी तो बच कै आउँगो। बास्साय कै सामनै हाजिर भयो। बास्साह बोलो, ऐ, रे बनिया, तू कहाँ से लाया सच कहेगा तो छोड़ दिया जायेगा नहीं तो मारा जायगा। बनिया बोलो, हजूर मैं सच कहूँगो। आप जो चायं[16] सो करें। वानै सगरी[17] कथा कई कि मैं काऊ की मार कै नई लायौ, हजूर मोयं तौ चौबे जी की बात को फल मिल्यौ अब आप हजूर मालिक हैं। बास्सा बोले, तैं ने सच कह दिया जा तेरी माँ का दूध है, ले जा।

शब्दार्थ

1. थे 2. शहर 3. पहले 4. थीं 5. चला 6. मुफ्त 7. कही 8. रह 9. वहाँ से 10. प्रतीक्षा 11. खुलते ही 12. कमर में लपेटने की थैली 13. स्त्री 14. पति 15. काँपता जाय 16. चाहें 17. संपूर्ण।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 221 8/18/2021 12:21:49 PM

क्या आप इस गद्यांश को आसानी से समझ पाए? अगर दो तीन संरचनाओं का साम्य समझ जाएँ, तो शायद यह गद्यांश अधिक समझ में आ जाए। ये संरचनाएँ हैं।

(1) एकवचन, पुल्लिंग विशेषण संज्ञा तथा क्रिया शब्द हिंदी में आकारांत होते हैं, ब्रज में औकारांत (इसे कुछ विद्वान ओ कारांत रूप कहते हैं)।

बनियो बोलो –– बनिया बोला

तेरो भाड़ो तो चुक गयो –– तेरा भाड़ा तो चुक गया।

बिगड़े गो –– बिगड़ेगा।

गधांश से अन्य शब्दों को पहचानिए ।

(2) है जाए –– हो जाए –– होयगो –– हैगो –– होगा –– है गई –– हो गयी

(3) कुछ क्रियाएँ :

बेचिबो को – बेचने को	दिंगे – देंगे .
आय जाय – आ जाए	देअं – दें
कै दीनी – कह दी	नाई – हुई
जात जाए – जाता जाए	

इन कुछ क्रिया रूपों और शब्दों को समझ लिया जाए, तो ब्रज को अधिक आसानी से समझा जा सकता है।

इस तरह कह सकते हैं कि संरचना की दृष्टि से ब्रज में मानक हिंदी की संरचनाओं से अधिक साम्य मिलता है।

विशेषताएँ– खड़ी बोली जहाँ 'अकारान्त' प्रधान है वहीं ब्रजभाषा 'ओकारान्त' प्रधान है, जैसे–भलो, बडो, छोरो इत्यादि। इसमें अवधी की 'अकारान्तता' की जगह 'उकारान्तता' की प्रवृत्ति भी मिलती है जैसे–आपु,सबु, भालु इत्यादि। इनके अतिरिक्त 'ने' के स्थान पर 'नैं', 'को' के स्थान पर' 'कूँ', 'से' के स्थान पर 'सो' तथा 'पर' के स्थान पर 'पै' का प्रयोग इस भाषा की कुछ विशेषताएँ हैं।

11.4.5 बुन्देली

बुन्देले राजपूतों के प्रभाव से मध्य प्रदेश की सीमा से लगे झाँसी, छतरपुर, सागर तथा आस–पास के क्षेत्र को 'बुन्देलखण्ड' कहा जाता है और यहाँ बोली जाने वाली बोली को 'बुन्देली' या 'बुन्देलखण्डी' कहा जाता है। इसका एक और नाम 'दाशार्णी' भी मिलता है किन्तु उसकी लोक स्वीकृति कम है। बुन्देली का क्षेत्र झाँसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नृसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके आस–पास है। इसमें लोक साहित्य की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। ईसुरी की फाग और इसकी उपबोली बनाफरी की लोक गाथा 'आल्हा' बहुत ही प्रसिद्ध है। बुन्देली के साहित्य विशेषज्ञ तो ब्रजभाषा के साहित्य को मूलतः बुन्देली का ही साहित्य बताते हैं।

विशेषताएँ– इसमें ब्रज के ''ऐ'' और ''औ" का "ए, ''ओ'' रूप में प्रयोग मिलता है जैसे– ओर, जैसो इत्यादि। अन्त्यअल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति भी इस बोली में दिखायी पड़ती है। जैसे– भूक (भूख), हात् (हाथ), दूद् (दूध) इत्यादि । 'स' का 'छ' में परिवर्तन– सीढ़ी–छीढ़ी, और 'च' का 'स' में परिवर्तन– सांचे–चांचे। कर्म सम्प्रदान में 'को' के स्थान पर खों, खां, खं तथा 'के लिए' की जगह 'के लाने' का प्रयोग आदि इस बोली की कुछ विशेषताएँ हैं।

11.4.6 कन्नौजी

वर्तमान फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम–कान्यकुब्ज या कन्नौज था, इसलिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का नाम 'कन्नौजी' पड़ा। ब्रजभाषा से अत्यधिक समानता होने

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 222 8/18/2021 12:21:49 PM

के कारण कुछ विद्वान इसे ब्रज की एक उपबोली मानते हैं। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य मिलता है, जिनके काफी कुछ अंश अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। विशेषताएँ– ब्रजभाषा के 'ऐ' 'औ' का 'ए' 'ओ' के रूप में प्रयोग–बड़ो, गओ, इत्यादि। शब्द के मध्य में आने वाले 'व' का 'उ' की तरह उच्चारण– सोउत (ब्रज–सोवत)। 'ऐ' 'औ' को संयुक्त स्वर के रूप में 'अइ 'अउ' कहना। उकारान्तता (खातु, घरू, सबु)। ओकारान्तता (हमारो, तुम्हारो)। "वा" का प्रयोग बेटवा। बहुवचन बनाने के लिए 'ह् वार' का प्रयोग, जैसे– हम ह्वार (हम लोग) इत्यादि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं।

11.5 राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ

राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों क्षेत्रों में अलग–अलग बोलियाँ प्रचलित हैं और इन बोलियों को संयुक्त रूप से 'राजस्थानी हिंदी' कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती बोलियाँ आती हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है :

11.5.1 मारवाड़ी

मरुभूमि, मरुदेश, मारुदेश, मरुधरदेश, मरवड़ और मारवाड़ इत्यादि एक ही प्रान्त के अनेक नाम हैं। इस प्रान्त के अन्तर्गत जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर आदि क्षेत्र आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषा को 'मारवाड़ी' कहा जाता है। 'मारवाड़ी' को 'पश्चिमी राजस्थानी' भी कहा जाता है। यह राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली है जिसकी लगभग 12 उपबोलियाँ हैं, जिनमें मेवाड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावती और बांगड़ी उल्लेखनीय हैं। इसमें साहित्य और लोकसाहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साहित्यिक रूप डिंगल का प्रयोग कविता में होता रहा है। चारणों –भांटों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे जाने वाले ग्रन्थों में भी डिंगल का प्रयोग मिलता है। मीराबाई के पद मारवाड़ी में ही हैं। आधुनिक युग में भी अधिकांश राजस्थानी साहित्य मारवाड़ी में ही लिखा जाता है।

विशेषताएँ– इसमें 'ध' और 'स' दो क्लिक ध्वनियाँ हैं अर्थात् 'ध' का उच्चारण द–ध के बीच में और 'स' का उच्चारण स–ह के बीच में होता है और दोनों में श्वास भीतर की ओर खींचनी पड़ती है, जैसे–धावो, जास्यो। 'ऐ' 'औ' का उच्चारण तत्सम शब्दों में अइ, अउ जैसा और 'च' 'छ' का उच्चारण प्रायः ''स' की तरह होता है, जैसे– छाछ–सास। 'ह' के लोप की प्रवृत्ति भी मिलती है, जैसे– कह्यो–कयो इत्यादि। इनके अतिरिक्त 'से' का 'सू' और 'में' का 'मांय' उच्चारण इसकी कतिपय विशेषताएँ।

आगे आप मारवाड़ी में लिखित पद का नमूना देखिए :

मारवाड़ी

अजमेर

अमलाँ मैं आछा लागो, म्हारा राज।
पीवो–नी दारु–ड़ी[1]।
सुरज था–नै पुजस्याँ जी भर मोत्याँ–को थाल।
धड़ेक मोड़ा[2] अगजो जी पिया जी म्हारै पास।
पीवो–नी दारु–ड़ी।
अमलाँ मैं आछा लागो, म्हारा राज।
पीवो–नी दारु–ड़ी।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 223 8/18/2021 12:21:49 PM

जा एँ दासी बाग मैं, ओर सुण राजन री[3] बात।
कदेक[4] महल पधारसी, तो मतवालो धणराज[5]।
पीवो–नी दारु–ड़ी।।
अमलाँ मैं आछा लागो म्हारा राज।
पीवो–नी दारु–ड़ी।।
थारी ओलूँ[6] म्हे कराँ, म्हारी करै न कोय।
थारी ओलूँ म्हे कराँ, करता करै जो होय।
पीवो–नी दारु–ड़ी।
अमलाँ मैं आछा लागो म्हारा राज।
पीवो–नी दारु–ड़ी।।

शब्दार्थ

1. हे मेरे स्वामी, नशे में तुम अच्छे लगते हो, शराब ज़रूर पीओ 2. एक घड़ी देर में 3. राजा की 4. कब 5. स्वामी 6. प्रेम।

11.5.2 मालवी

सदियों से उज्जैन के आस–पास के भूखण्ड को मालव नाम से जाना जाता है। इसी मालव या मालवा क्षेत्र की बोली को 'मालवी' कहा जाता है। इन्दौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में इसका चलन है। सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी इत्यादि इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। साहित्यिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है।

विशेषताएँ– मालवी में 'ऐ' का 'ए' में तथा 'औ' का 'ओ' में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे–चेन (चैन), पेसा (पैसा)। इ, उ, अ, ध्वनियाँ आपस में परिवर्तित होती रहती हैं,जैसे– दिन–दन, ठाकुर–ठाकर इत्यादि। मध्य और अन्त में आने वाले 'ड़' का उच्चारण 'ड' की तरह होता है– लड़की–लडकी। 'ह' का या तो लोप हो जाता है या इसकी जगह 'य' 'व' ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। 'अ' का 'आ' में और 'न' का 'ण' में परिवर्तन मिलता है–बन्दर–बान्दरा, अपनो–अपणो इत्यादि।

11.5.3 जयपुरी

राजस्थान के पूर्वी भाग, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में बोली जाने बोली भाषा 'जयपुरी' कहलाती है। इसके कुछ अन्य नाम पूर्वी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, झाड़साही तथा काईकुई भी हैं। स्थानीय स्तर पर इसका नाम ढूंढाडी ही प्रचलित है। इसमें साहित्य का प्रायः अभाव है।

विशेषताएँ– इसमें मारवाड़ी की तुलना में कुछ कारक चिह्न अधिक हैं जैसे–करण/सम्प्रदान के नै/कै, करण–अपादान के सूं/सें, सम्बन्ध के को, का, की तथा अधिकरण के, मैं ऊपर/मालै इत्यादि। सर्वनामों में 'हूँ' की जगह 'मैं', 'मनै' की जगह 'मनै', 'तनै' की जगह 'तूनै' मिलते हैं। क्रिया रूप–हैं–हो के स्थान पर– छू, छो का प्रयोग। 'ह' ध्वनि का लोप तथा अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति इसकी कुछ विशेषताएँ हैं।

11.5.4 मेवाती

उत्तरी राजस्थान के अलवर, गुड़गाँव, भरतपुर तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली 'मेवाती' कहलाती है। मेव जाति के आधार पर इस क्षेत्र को मेवात तथा यहाँ की बोली को 'मेवाती' कहा गया। इसकी एक उपबोली 'अहीरवाती' है जो

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 224 8/18/2021 12:21:49 PM

गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिम के क्षेत्रों में बोली जाती है। इन दिनों मेवाती पर जयपुरी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें साहित्य नहीं मिलता।

विशेषताएँ– जयपुरी में जहाँ 'ने' परसर्ग कर्म–सम्प्रदान के लिए मिलता है वहीं इसमें 'कर्ता' के लिए भी 'ने' का प्रयोग होता है। सर्वनाम हरियाणी के समान हैं और क्रिया रूप राजस्थानी के हैं, केवल हो, हा, ही के साथ–साथ थो, था, थी का भी प्रचलन दिखायी पड़ता है। मेवाती में ब्रज के समान भविष्यत काल के 'ग' रूप मिलते हैं जैसे – चलूँगो, चलैगो इत्यादि।

बोध प्रश्न

3. दिए हुए स्थान में उत्तर लिखिए।

   i) ब्रज एक बोली है, फिर भी इसे भाषा की संज्ञा क्यों दी जाती है?

   .....

   .....

   .....

   ii) मारवाड़ी में किस भक्त कवयित्री ने काव्य रचना की?

   .....

   .....

   .....

   iii) खड़ी बोली का क्षेत्र कौन–सा है?

   .....

   .....

   .....

4. उपर्युक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें।

   i) केरल के स्वाति तिरुनाल ने ..... में काव्य रचना की।
   (हिंदी, ब्रज)

   ii) मारवाड़ी ..... उपभाषा वर्ग की बोली है।
   (पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी)

   iii) मारवाड़ी के आदिकालीन रूप को ..... कहते हैं।
   (पिंगल/डिंगल)

   iv) ब्रज और खड़ी बोली दोनों ..... हिंदी उपभाषा वर्ग में आती है।
   (पूर्वी/पश्चिमी)

5. हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   i) खड़ी बोली में प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं होता। (हाँ/नहीं)

   ii) ब्रज भाषा में 'ने' की रचना है। (हाँ/नहीं)

   iii) खड़ी बोली में एकवचन पुल्लिंग क्रिया रूप 'ओ' कारांत होते हैं, जैसे बोल्लो, चल दियो। (हाँ/नहीं)

   iv) हिंदी और खड़ी बोली की उच्चारण की संरचना में कोई अंतर नहीं है।
   (हाँ/नहीं)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 225 8/18/2021 12:21:49 PM

11.6 पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ

पहाड़ी हिन्दी को कुछ विद्वान पूर्वी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी एवं मध्य पहाड़ी, तीन वर्गों में विभाजित करते हैं किन्तु अधिकांश विद्वान मध्य पहाड़ी हिन्दी की कुमाऊँनी और गढ़वाली बोलियों को ही पहाड़ी हिन्दी के अन्तर्गत रखते हैं जिनका सामान्य परिचय निम्नवत है :

11.6.1 कुमाऊँनी

कुमाऊँनी का प्रमुख क्षेत्र कुमाऊँ है और इसी के नाम पर इस क्षेत्र की बोली को 'कुमाऊँनी' कहा गया है। कुमाऊँ का प्राचीन नाम कुर्माञ्चल था जिसके अन्तर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले सम्मिलित किये जाते हैं। कालान्तर में इसके बहुत से स्थानीय रूप विकसित हो गये हैं जिससे इसकी अनेक उपबोलियाँ अस्तित्व में आ गयी हैं। कुमाऊँनी की मूल 'खस' बोली थी जिस पर अब राजस्थानी और खड़ीबोली का प्रभाव बढ़ रहा है। इसमें प्राचीन साहित्य का प्रायः अभाव है किन्तु आधुनिक युग में इसमें साहित्यिक रचनाएँ हुई हैं। यहां के साहित्यकारों में गुमानी पंत, कृष्ण दत्त पाण्डे, शिवदत्त के नाम प्रमुख हैं।

विशेषताएँ–कुमाऊँनी पर अनेक भाषाओं का प्रभाव है जिससे उनकी सामान्य विशेषताएँ इसमें दिखायी पडती हैं। जैसे 'ण' 'ळ' का उच्चारण राजस्थानी से, अल्पप्राण ीकरण– खड़ी बोल से,। 'ऐ' 'ओ' के स्थान पर या, वा जैसे– च्याला (चेला), ब्वाजा (बोझा) उच्चारण अवधी से आये हैं। "मैं" का पश्चिमी हिन्दी के समान 'में' उच्चारण,'ने' के स्थान पर 'ले' और 'को' के स्थान पर 'कणि' इस बोली की अपनी विशेषता है। सर्वनामों का प्रयोग हिन्दी के समान है। इसमें अनेक ध्वन्यात्मक परिवर्तनों के कारण शब्दों के उच्चारण कुछ विचित्र से लगते हैं।

11.6.2 गढ़वाली

गढ़वाल, टिहरी, चमोली तथा उत्तरकाशी के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली को 'गढ़वाली' कहा जाता है। टिहरी गढ़वाल में इस बोली का आदर्श रूप मिलता है। अल्मोडा, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर तथा मुरादाबाद के उत्तरी हिस्सों में भी इसका प्रचलन है। गढ़वाली लोकगीतों के कई संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और अब गद्य–पद्य लिखने का चलन दिनोंदिन बढ़ रहा है।

व्याकरणिक विशेषताएँ– इसकी 'क' वर्गीय ध्वनियां कण्ठ और काकल के बीच में बोली जाती हैं। 'च' वर्गीय ध्वनियां अधिक संघर्षी हैं। 'प' वर्ग के उच्चारण में होंठों को कुछ आगे की ओर निकालना पड़ता है। अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति इसमें विशिष्ट है– जैस– प्यांर, पैंसा इत्यादि। इसमें सर्वनामों का प्रयोग ब्रजभाषा के समान है।

अभ्यास

1. हिंदी भाषा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं ?
2. हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?
3. बिहारी तथा राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन–कौन सी बोलियाँ शामिल की जाती हैं ?
4. बघेली बोली का सामान्य परिचय दीजिए।
5. खड़ी बोली पर विचार करते हुए, इसमें आए 'खड़ी' शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 226 8/18/2021 12:21:49 PM

6. हिंदी की बोलियों के साहित्यिक अवदान की समीक्षा कीजिए।
7. पहाड़ी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए।

11.7 सारांश

हिन्दी भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं जिन्हें पाँच भाषिक वर्गों के अन्तर्गत रखा गया है। समान भाषिक विशेषताओं वाली बोलियों को एक वर्ग में रखा गया है, जैस–'अकारान्त' प्रधान पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियाँ सम्मिलित की जाती हैं, इसी प्रकार पश्चिमी हिन्दी में 'आकारान्त' और 'ओकारान्त' प्रधान बोलियाँ रखी गयी हैं। बिहारी हिन्दी की बोलियों में संज्ञा के एक जैसे रूप प्रयुक्त होते हैं। राजस्थानी हिन्दी की बोलियाँ थोड़े बहुत अन्तर के बावजूद लगभग समान व्याकरणिक विशेषताएँ रखती हैं। पहाड़ी हिन्दी की बोलियों पर अनेक बोलियों का प्रभाव है जिससे उनकी सम्मिलित विशेषताएँ इनमें दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक बोली के प्रयोग का एक निश्चित क्षेत्र है और इन क्षेत्रों के नाम पर ही इन बोलियों का नामकरण किया गया है। कुछ बोलियों का महत्वपूर्ण साहित्यिक इतिहास है, तो कुछ में साहित्यिक सृजन का प्रयास अभी हो रहा है। कुछ बोलियाँ अपने बोलने वालों की संख्या अथवा साहित्यिक अवदान को आधार बनाकर स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिये जाने की मांग उठा रही हैं, तो 'मैथिली' ऐसी बोली है जिसे अब हिन्दी से स्वतंत्र भाषा का दर्जा मिल भी चुका है।

11.8 शब्दावली

1. स्टैण्डर्ड बोली : भाषा निर्माण प्रक्रिया में जो बोली मानक बोली के रूप में प्रयुक्त होती है, वह स्टैण्डर्ड बोली है।
2. आठवीं अनुसूची : भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची का प्रावधान है, जिसमें शामिल बोलियाँ स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं।
3. बाँगरू : 'बांगरू' बांगर शब्द से बना है जिसका अर्थ है, बैगन की भाँति ऊपर उठी हुई भूमि।
4. अन्तर्वेदी : गंगा–यमुना का दोआब आर्यों की पवित्र यज्ञभूमि होने के कारण 'अन्तर्वेद' कहलाता है और यहाँ की बोली (ब्रज) अन्तर्वेदी कही जाती है।
5. अल्पप्राण : जिस व्यंजन के उच्चारण मे मुँह से कम वायु निकले। जैसे–वर्ग के पहले, तीसरे, पाँचवें, अन्तस्थ और ऊष्म व्यंजन।
6. महाप्राण : ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकले, जैसे वर्ग के दूसरे, चौथे व्यंजन।
7. संघर्षी : ध्वनि, जिसके उच्चारण में वायु घर्षण करके निकले।
8. कृदन्त : क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाया हुआ शब्द।
9. अनुनासिक : मुख और नाक दोनों से बोली जाने वाली ध्वनि।
10. परसर्ग : को, सै, में, का, के लिए आदि संबंध सूचक शब्द।
11. मानकीकरण : भाषा को एकरूपता प्रदान करना, मानक रूप देना
12. आधुनिकीकरण : भाषा को आधुनिक प्रयोजनों के लिए समृद्ध करना।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 227 8/18/2021 12:21:49 PM

11.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. 'बाहरी' हरदेव– 2005, हिन्दी उद्‌भव विकास और रूप, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. 'जैन' दीप चन्द्र और ''तिवारी'' कैलाश– 1972, हिन्दी और उसकी विविध बोलियां, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
3. 'प्रसाद' अम्बा सुमन–1966, हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
4. 'तिवारी', भोलानाथ– 1987, हिन्दी भाषा का अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ, पाण्डुलिपि प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. 'तिवारी', उदय नारायण– 1969, हिन्दी भाषा का उद्‌गम और विकास, भारती भण्डार प्रेस, इलाहाबाद।
6. 'वर्मा' धीरेन्द्र– 1973, हिन्दी भाषा का इतिहास, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग।

11.10 बोध प्रश्नों/अभ्यासों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. i) तुलसीदास, जायसी
   ii) भोजपुरी बोलने वालों की संख्या हिंदी की बोलियों में सर्वाधिक है।
   iii) सूरीनाम, मॉरीशस तथा फ़िजी में बसे भारतीय भोजपुरी बोलने वाले थे।
   iv) इसमें प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, आधुनिक युग में हिंदी की बोलियों में साहित्यिक दृष्टि से सबसे सम्पन्न।
2. i) अवध ii) बहुत कम iii) पूर्वोत्तर iv) ने
3. i) इसमें विपुल साहित्य की रचना हुई, यह तत्कालीन प्रमुख साहित्यिक भाषा थी।
   ii) मीरा
   iii) रामपुर, मुरादाबाद, बिजनोर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानीभाग, अंबाला, कलासिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग तक।
4. i) ब्रज ii) राजस्थानी
   iii) डिंगल iv) पश्चिमी
5. i) हाँ ii) हाँ
   iii) नहीं iv) नहीं।

अभ्यास प्रश्न

1. जिस क्षेत्र की आम बोलचाल की भाषा हिंदी अथवा उसकी विभिन्न बोलियाँ हों, वह क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्य आते हैं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 228 8/18/2021 12:21:49 PM

2. हिंदी भाषा क्षेत्र में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं और इन बोलियों को विभिन्न समानताओं और असमानताओं के आधार पर पाँच भाषिक वर्गों– (1) पूर्वी हिंदी (2) बिहारी हिंदी (3) पश्चिमी हिंदी (4) राजस्थानी हिंदी एवं (5) पहाड़ी हिंदी में विभाजित किया गया है।

3. बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियाँ– भोजुपरी, मगही और मैथिली का नाम आता है और राजस्थानी हिंदी में चार बोलियाँ– मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती शामिल की जाती हैं।

4. बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को 'बघेली' कहा जाता है। बघेली का एक अन्य नाम 'रीवांई' भी है। लोक में बघेली एक बोली के रूप में प्रतिष्ठित है किन्तु भाषाविद् बघेली को अवधी का ही दक्षिणी रूप मानते हैं। बघेली का क्षेत्र उत्तर में मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर दक्षिण में बालाघाट तक, पश्चिम में दमोह और बांदा की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में मिर्जापुर, छोटा नागपुर और बिलासपुर की पश्चिमी सीमा तक फैला है। बघेली 'अकारान्त' बोली है।

5. खड़ी बोली को हिन्दुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोग फोर्टविलियम कॉलेज में भाषा मुंशी रहे लल्लू जी लाल तथा सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली का क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलासिया और पटियाला रियासत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। हिंदी साहित्य कोश में खड़ी बोली के 'खड़ी' शब्द का अर्थ स्टैण्डर्ड बताया गया है अर्थात् खड़ी बोली का अर्थ है–स्टैण्डर्ड बोली।

अभ्यास 6 और 7 का उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करिए।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 229 8/18/2021 12:21:49 PM

इकाई 12 : हिंदी भाषा का स्वरूप और भूमिकाएँ

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 हिंदी भाषा : स्वरूप और भूमिकाएँ

12.3 हिंदी भाषा का स्वरूप

12.3.1 हिंदी और हिंदी की विविध उपभाषाएँ

12.3.2 हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप

12.3.3 हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का सवाल

12.4 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ

12.4.1 संपर्क भाषा

12.4.2 राजभाषा

12.4.3 प्रयोजनमूलक भाषा

12.4.4 अंतरराष्ट्रीय भाषा

12.5 सारांश

12.6 शब्दावली

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम हिंदी भाषा के स्वरूप की विभिन्नताओं और आधुनिक युग में उसकी विविध भूमिकाओं की चर्चा करेंगे, जिससे आपको हिंदी भाषा के स्वरूप, विविधरूपों और भूमिकाओं की जानकारी प्राप्त होगी।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिका का तात्पर्य समझा सकेंगे;
- हिंदी भाषा के विविध रूपों का वर्णन कर सकेंगे;
- हिंदी की विभिन्न भूमिकाओं को जानेंगे; और
- स्वरूप और भूमिकाओं के संदर्भ में स्वयं विवेचन कर सकेंगे कि हिंदी भाषा क्या है।

12.1 प्रस्तावना

आप पाठ्यक्रम के खंड 1 की इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, समाज में उसका स्थान क्या है और वह किस तरह अर्थ संप्रेषण के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और भाषायी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में काम आती है। एक तरफ वह मानव समुदायों द्वारा निर्मित विशिष्ट कोड प्रणाली है, जो कठिन से कठिन मानसिक अवस्थाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सक्षम साधन है, दूसरी तरफ वह उस भाषा के बोलने

वालों के समाज को अस्मिता प्रदान करने वाला साधन है। उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में अब हम यह जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा क्या है, उसका स्वरूप, क्षेत्र, विस्तार और सांस्कृतिक विरासत क्या है? जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, उसका भाषायी स्वरूप क्या है? यह तो आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की भाषा अंग्रेजी है, फ्रांसीसियों की फ्रेंच, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है और पंजाब की पंजाबी। हिंदी किसकी भाषा है? हिंदी प्रदेश की या हिंदुस्तान की? आप यह भी जानते ही हैं कि हिंदी प्रदेश भी निश्चित रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूरब में बंगाल की सीमा तक कई राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन इन प्रदेशों में आम आदमी अपनी–अपनी बोलियों का भी व्यवहार करते हैं। क्या वे बोलियाँ ही उनकी अपनी भाषा है? फिर हिंदी का अपना स्थान क्या है?

अकसर हिंदी के विद्वानों के सामने कुछ जटिल प्रश्न उपस्थित होते हैं–हिंदी क्या है, उसका मानक स्वरूप क्या है, उसका क्षेत्र कौन–सा है, उसके बोलने वाले कौन लोग हैं आदि। इन प्रश्नों के उत्तर में कुछ व्यावहारिक उत्तर भी दिए जाते हैं। वही हिंदी है जिसके माध्यम से यह पुस्तक लिखी गई है, या जिस भाषा में हम फिल्में देखते हैं अथवा दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं; वही हिंदी है, जिसमें साहित्य रचना होती है और जिसमें लोग पत्र–पत्रिकाएँ तथा अखबार पढ़ते हैं; वही हिंदी है जिसमें लोग रेलगाड़ियों में सफ़र करते हुए एक–दूसरे से बात करते हैं या जिसके माध्यम से सेना के जवान आपस में बातचीत करते हैं; वही हिंदी है जिससे राजनेता जनता को संबोधित करते हैं या व्याख्याता मंच से भाषण देते हैं। इस विवरण को इसी तरह और बढ़ाया जा सकता है और अन्य कई कोटियों का उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ लोग इस भाषा के माध्यम से विचार–विमर्श करते हैं।

इस व्याख्या से मूल प्रश्न का अभी सही उत्तर नहीं मिला, क्योंकि इन सब स्थितियों में व्यवहृत हिंदी में एकरूपता का सवाल उठाया जा सकता है। हम देखते हैं कि फिल्मों में कभी अरबी–फ़ारसी के शब्दों से पूरित शैली दिखाई पड़ती है, कभी बंबई या हैदराबाद की बोली का पुट दिखाई पड़ता है। कुछ फिल्मी गाने भी संस्कृतनिष्ठ शैली में लिखे जाते हैं। इसी तरह, जब व्याख्याता भाषण देते हैं तो उनकी भाषा में उनकी अपनी बोली के उच्चारण, शब्द या व्याकरणिक संरचना की विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। हिंदी भाषा के स्वरूप में जो विविधता है, उसी के संदर्भ में मानक हिंदी का सवाल उठाया जाता है। कभी–कभी इस पर भी प्रश्न चिह्न लगता है कि हिंदी का अपना स्वरूप या क्षेत्र है भी या नहीं। इस विविधता को हम समझ लें, तो कई भाषाई सवालों का निवारण कर सकेंगे। इसी उद्देश्य से आगे उन पाँच मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

12.2 हिंदी भाषा : स्वरूप और भूमिकाएँ

हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि उसके विविध रूप कौन–कौन से हैं, उन विविध रूपों का प्रयोग कहाँ और किस–किस तरह से होता है और इन विविध रूपों का हिंदी भाषा से किस प्रकार का संबंध है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था, किसी भाषा में सात–आठ बोलियाँ हों तो उस भाषा को हम फिर भी एक भाषा ही मानते हैं। बोलियाँ मात्र भाषा के विविध रूप हैं। हिंदी का स्वरूप अन्य भाषाओं की तुलना में अलग प्रकार का है। एक तरफ इसमें मानक हिंदी और बोलियों का सवाल है, दूसरी तरफ भारत में हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूपों का प्रश्न है। क्षेत्र विस्तार के कारण इन विविध रूपों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, सहज है। विविध रूपों के प्रश्नों के साथ–साथ हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 231 8/18/2021 12:21:50 PM

सवाल भी उठता है। क्या हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएँ हैं? भाषा वैज्ञानिक स्तर पर शायद कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू दो अलग भाषाएँ नहीं हैं। इन दोनों रूपों में इतना भी अंतर नहीं है, जितना कि किसी भाषा की बोलियों में होता है। फिर भी, सांस्कृतिक–सामाजिक कारणों से ये अलग भाषाएँ मानी जाती हैं। फिर हिंदुस्तानी का स्थान क्या है? क्या यह हिंदी और उर्दू, दोनों का मिश्रित रूप है? या क्या यह इन दोनों से भिन्न एक तीसरा रूप है, जिसे हम हिंदुस्तानी भाषा कहें। अगर हम इन प्रश्नों पर विचार कर सकें तो बता सकते हैं कि हिंदी भाषा क्या है, एक भाषा या अनेक भाषाओं का समूह?

जिस तरह स्वरूप के कारण भाषा में विविधता आती है, उसी प्रकार विभिन्न भूमिकाओं के कारण भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं। क्या बोलचाल की हिंदी और राजभाषा हिंदी, हिंदी भाषा की दो शैलियाँ हैं या दो भिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं? इन सब भूमिकाओं के अध्ययन को हम अगर भाषा की सामाजिक आवश्यकताओं से जोड़कर देखें तो कह सकते हैं कि ये भूमिकाएँ सामाजिक संरचना से पैदा होती हैं और भिन्न भूमिकाओं में भाषा की भिन्न शैलियाँ काम आती हैं। इस इकाई में हम हिंदी भाषा के स्वरूप और भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि विभिन्न नामों से अभिव्यक्त हिंदी वास्तव में कौन–सी है? हिंदी भाषा की अवधारणा को हम इन्हीं संकल्पनाओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

12.3 हिंदी भाषा का स्वरूप

ऊपर की चर्चा के संदर्भ में हमने स्वरूप शब्द को स्पष्ट करने का यत्न किया है। समाज में भाषा के विविध रूप होते हैं। ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, बोली और मानक भाषा आदि भाषा के विविध सामाजिक भेदों के कारण उत्पन्न विभिन्न भाषा के रूप हैं। भाषा की विभिन्नता हर समाज की विशेषता है। यह कहना गलत नहीं है कि सभी जीवंत भाषाओं में भिन्न–भिन्न भाषिक रूप होते हैं। इन भाषिक रूपों के संदर्भ में हम यह जानना चाहेंगे कि भाषा और इन रूपों का किस प्रकार का संबंध है। आगे हम हिंदी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में तीन प्रमुख मुद्दों पर विचार करेंगे।

12.3.1 हिंदी और हिंदी की विविध उपभाषाएँ

हम जिसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं उसमें सभी प्रदेशों में लोगों की अपनी–अपनी बोलियाँ या उपभाषाएँ हैं। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हरियाणवी, मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, कुमाऊँनी, गढ़वाली आदि हिंदी की उपभाषाएँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा का अपना कोई प्रदेश नहीं है। कुछ महानगरों में कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ की नई पीढ़ी के लोग बोली से परिचित नहीं होते और बचपन से मातृभाषा के रूप में हिंदी का अर्जन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। सवाल यह है कि हिंदी बोलियों/उपभाषाओं का परस्पर संबंध क्या है, क्या हिंदी भाषा और बोली/उपभाषाएँ भिन्न–भिन्न भाषाएँ हैं, किस स्थिति में बोली/उपभाषा को ही व्यक्ति की मातृभाषा कहा जाए और हिंदी उसके लिए दूसरी भाषा हो?

इस प्रश्न के संबंध में कई मुद्दे सामने आते हैं। दक्षिण में हिंदी की पाठ्यचर्या तैयार करते समय कुछ विद्वान यह कहते हैं कि मध्यकालीन हिंदी भाषा का साहित्य (सूर, तुलसी आदि का साहित्य) न पढ़ाया जाए क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से पढ़ने में कठिनाई आती है। इसी संदर्भ में विद्वान यह भी मानते हैं कि सूर का साहित्य या तुलसी का साहित्य किसी बोली का साहित्य नहीं है, वह हिंदी साहित्य का ही अभिन्न अंग है। जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसमें सूर, तुलसी, बिहारी, केशवदास, नानक आदि कवियों के लेखन को साहित्यिक विकास के संदर्भ

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 232 8/18/2021 12:21:50 PM

में देखते हैं। इन लेखकों के साहित्य को अलग करके हिंदी को देखा ही नहीं जाता। 'रीतिकाल' तक हिंदी के अलग–अलग भाषा रूपों और स्थानीय भाषाओं में ही साहित्य रचा गया था और आज भी कई साहित्यकार हिंदी के अलग–अलग भाषा रूपों और स्थानीय भाषाओं में साहित्य रचना करते हैं। जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, उसका साहित्य आधुनिक काल से ही शुरू होता है लेकिन यह कोई नहीं कहता कि हिंदी साहित्य का उद्‌भव सिर्फ़ आधुनिक काल में ही हुआ। हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में कई बोलियाँ/उपभाषाएँ प्रचलित हैं। रचनाकारों ने साहित्य रचना के लिए कभी किसी बोली को चुना तो किसी और काल में किसी और बोली को। 'आदिकाल' के कवियों ने राजस्थान में काव्य रचना की, 'मध्यकाल' में भक्ति साहित्य ब्रज और अवधी, दोनों में लिखा गया। कुछ लेखकों ने बोली के इस बंधन को भी तोड़ा और कई बोलियों से शब्द आदि ग्रहण करते हुए साहित्य रचना की। जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा (मिली–जुली भाषा) में लिखा। साहित्यकार का उद्‌देश्य अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुँचाना है, चाहे उसके लिए किसी भी स्थानीय भाषा या बोली का उपयोग करें। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की संपदा में लोगों ने अपनी–अपनी बोली/स्थानीय भाषा के माध्यम से योगदान किया।

भाषा और बोली का प्रश्न (या उनके अलगाव का प्रश्न) आधुनिक युग में ही अधिक प्रबल हुआ है। इसके दो कारण थे। एक तो विदेशी भाषा वैज्ञानिकों ने केवल भाषिक आधार पर बोलियों का वर्गीकरण किया और उन्हें उपभाषाओं में बाँटा। ऐसे भाषा वैज्ञानिकों के कारण राजस्थान की बोलियों को राजस्थानी भाषाएँ नाम दिया गया और पूर्वी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी को दो भिन्न वर्गों में रखा गया। इस प्रकार के वर्गीकरण के कारण यह भावना उत्पन्न हुई कि बोलियों/उपभाषाओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। बोलियाँ अपने में महत्वपूर्ण हैं और उनकी अपनी अस्मिता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक भाषा क्षेत्र के रूप में हिंदी भाषा क्षेत्र को मानकर अपनी बोली को महत्व देने की अपेक्षा कहीं–कहीं यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है कि बोली को अलग भाषा का दर्जा प्रदान किया जाए और हिंदी को उनसे अलग माना जाए।

आधुनिक हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिवर्धित, मानक रूप है। खड़ी बोली आज भी दिल्ली के उत्तर में मेरठ, सहारनपुर आदि ज़िलों में बोली जाती है। इसीलिए पहले भाषा वैज्ञानिक हिंदी को 'खड़ी बोली हिंदी' भी कहते थे। लेकिन आधुनिक हिंदी खड़ी बोली से कहीं अधिक सुसंस्कृत और समृद्ध भाषा का रूप धारण कर चुकी है। इसलिए खड़ी बोली के प्रश्न से हिंदी भाषा के प्रश्न को अलग करके देखना होगा। दोनों की भूमिकाएँ अलग हैं, अब दोनों के स्वरूप में काफ़ी अंतर है। हमने ऊपर जिक्र किया था कि हिंदी भाषी प्रदेश राजस्थान से बिहार तक फैला हुआ है। भाषिक रचना की दृष्टि से देखें तो राजस्थानी, गुजराती भाषा के अधिक निकट है, पूर्व की मैथिली भाषा की रचना बांगला से अधिक मिलती है। यद्यपि आधुनिक युग में राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि प्रादेशिक भाषाओं में समृद्ध साहित्य की रचना हो रही है, हिंदी साहित्य ही इस प्रदेश की साहित्य रचना का प्रमुख आधार रहा है। इन प्रदेशों में प्रायः हिंदी भाषा ही शिक्षा प्राप्ति का प्रमुख माध्यम भी रही है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि भाषा और बोली के अंतःसंबंधों की व्याख्या और विवेचन कठिन है, उलझा हुआ प्रश्न है। इसे मात्र भाषा वैज्ञानिक आधार पर ही सुलझा नहीं सकते। हिंदी भाषा संरचना की दृष्टि से गुजराती या पंजाबी के अधिक निकट है। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से ये भिन्न भाषाएँ मानी गई हैं और आज कोई हिंदी और पंजाबी को एक भाषा नहीं कहता। इसी तरह उपभाषाओं/बोलियों/स्थानीय भाषाओं में संरचना, शब्दावली आदि के अंतर के बावजूद साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण सारे क्षेत्र

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 233 8/18/2021 12:21:50 PM

एक भाषाई क्षेत्र माने जाते हैं। यों कह सकते हैं कि इन सब बोलियों/उपभाषाओं का अपना महत्व है, अपनी अस्मिता है। खड़ी बोली से उद्भूत हिंदी भाषा इस विशाल भाषा क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी है, इन सब क्षेत्रों की सामान्य धरोहर है। बोलियों और हिंदी भाषा की अपनी–अपनी अहम भूमिकाएँ हैं। शिक्षा और साहित्य रचना हिंदी के साथ बोलियों के माध्यम से भी हो सकती है। लेकिन हिंदी भाषा का एक अखिल भारतीय स्वरूप है, एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है, देश की राजभाषा के रूप में उसकी अपनी विशिष्ट भूमिका है। हिंदी की इन अन्य भूमिकाओं के बारे में हम आगे के प्रकरणों में पढ़ेंगे।

12.3.2 हिंदी के विविध क्षेत्रीय रूप

हिंदी भाषा इस देश की जन संपर्क की भाषा रही है। इसलिए हिंदी का हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर भी उपयोग होता है। इसके कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं। 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में हैदराबाद में गुलाम वंश की स्थापना हुई और आधुनिक युग तक विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया। इसी कारण हैदराबाद में शुरू में दक्कनी हिंदी का प्रचलन हुआ और आधुनिक युग तक उर्दू (या बोलचाल की हिंदुस्तानी) जन सामान्य के संपर्क की भाषा रही। इसी तरह दक्षिण में अन्य कई स्थानों पर नवाबों और सुल्तानों के आधिपत्य के कारण उर्दू का प्रचलन रहा। इसी कारण, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जनसामान्य के संपर्क का माध्यम रही और उर्दू के परिचय के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को बल मिला। कलकत्ता और बंबई जैसे महानगरों में हिंदी भाषी क्षेत्र से जाकर बसे लोगों के कारण हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिला। इस तरह हिंदी के विशिष्ट स्थानीय रूप हैं। ये स्थानीय रूप बोलचाल की भाषा के हैं, वहाँ की शिक्षण संस्थाओं और साहित्यिक लेखन में परिनिष्ठित मानक हिंदी का ही प्रयोग मिलता है।

हैदराबाद की हिंदी पर तेलुगु का पुट दिखाई पड़ता है और बंबइया हिंदी पर मराठी का। हैदराबाद में 'मुझे चाहिए' के लिए 'मेरे को होना', 'क्या चाहिए' के लिए 'क्या होना' आदि प्रयोग हैं। बंबई की हिंदी में इन दोनों प्रयोगें के लिए 'मेरे को माँगता', 'क्या माँगता' समान अभिव्यक्तियाँ हैं। दिल्ली हिंदी भाषा प्रदेश में है। लेकिन यहाँ की हिंदी में भी संभवतः हरियाणवी और पंजाबी के प्रभाव के कारण कई विशेषताएँ हैं। ''मैंने जाना है' ('मुझे जाना है' के लिए), माता जी आये ('माता जी आईं' के लिए) आप आओ। ('आप आइए' के लिए), लोग जाने शुरू हो गए (लोग जाने लगे' के लिए), करने लग पड़ा (करने लग गया' के लिए) आदि स्थानीय विशेषताएँ दिल्ली की हिंदी की विशेषताएँ हैं। एक तरफ विद्वानों का विचार यह है कि ये स्थानीय रूप अमानक हैं, त्याज्य हैं। मानक भाषा ही वास्तविक भाषा है। दूसरी तरफ, कुछ विद्वानों का मत यह है कि बोलियाँ और हिंदी के ये स्थानीय रूप ही वास्तव में 'हिंदी भाषा' है और हिंदी भाषा का 'मानक रूप' क्लिष्ट, कृत्रिम व्यवस्था है, जिसका जनता में कोई स्थान नहीं है। ये दोनों विचार इस बात पर सहमत हैं कि हिंदी भाषा का एक बोलचाल का रूप है, जिसमें लोग परस्पर विचार–विमर्श करते हैं। उससे भिन्न एक परिनिष्ठित, साहित्यिक रूप है जो सामान्य सूत्र होते हुए भी किसी का अपना नहीं है। बोलचाल की भाषा में स्थानीय पुट मिलता है चाहे बोलियों का हो या स्थानीय भाषाओं का उसकी शब्दावली आम आदमी के दैनंदिन व्यवहार की है और वह सामान्य संपर्क का सशक्त माध्यम है। आज की हिंदी का हिंदीभाषी प्रदेशों में भी एक जैसा स्वरूप नहीं है। हिंदी बोलने वाले स्थानीय व्यक्ति अपनी बोली का उच्चारण की विशेषताओं और बोली की शब्दावली के प्रयोग के कारण हिंदी के विविध रूपों को जन्म देते हैं। इन विविध रूपों को ही अकसर बोलचाल की हिंदी की संज्ञा दी जाती है।

उपर्युक्त आधार पर हिंदी के दो रूप माने जाते हैं–सामान्य बोलचाल की भाषा और परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा। इनमें कुछ हद तक अलगाव की स्थिति की भी कल्पना

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 234 8/18/2021 12:21:50 PM

की जाती है। बोलचाल की भाषा स्थानीय प्रयोगों से युक्त, स्थानीय उच्चारण और शब्दावली से प्रभावित रूप है, जो जनसाधारण के बीच संपर्क का सूत्र है। परिनिष्ठित, साहित्यिक भाषा का एक मानक रूप है, जिसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है और समाज के उच्च वर्गों के संप्रेषण की भाषा है। हम आगे के प्रकरणों में इस संदर्भ में और विचार करेंगे।

बोलचाल और मानक भाषा संबंधी पिछले प्रकरण में हमने चर्चा की कि स्थानीय विविधताओं के बावजूद बोलचाल की हिंदी का एक रूप है। अब हम इन दोनों विचारधाराओं में एक समानता देख सकते हैं। हिंदुस्तानी बोलचाल की भाषा है, हिंदी मानक भाषा है। इस दृष्टि से हिंदुस्तानी का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। हर भाषा में बोलचाल का रूप और साहित्यिक (या मानक) रूप विद्यमान होते हैं। इन्हें दो अलग भाषाओं की संज्ञा नहीं दी जाती।

आइए, क्षेत्रीय आधारों पर भाषा की अनेकता के इस प्रकरण को समाप्त करते हुए देखें कि हिंदी की अस्मिता क्या है, इसका स्थान कहाँ है। अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से 'अनेकता में एकता' की बात करते हैं तो भाषिक दृष्टि से भी 'अनेकता में एकता' का स्वरूप ढूँढ सकते हैं कि यह भाषा लगभग 250 वर्षों से देश में संपर्क की भाषा रही है और देश की एक प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। जन–जीवन के विभिन्न धरातलों पर, विभिन्न भूमिकाओं में इसका अपना महत्व है। बोलियाँ, स्थानीय रूप तथा बोलचाल का स्वरूप इसकी अपनी शक्ति है, इसके पूरक नहीं। आज यह भाषा जिन भूमिकाओं का वहन कर रही है, उनसे यह एक विकासशील, आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने वाली समक्ष माध्यम के रूप में उभर रही है।

12.3.3 हिंदी, उर्दू और हिन्दुस्तानी का सवाल

हिंदी और उर्दू का फर्क मूलतः लिपि और शब्दावली को लेकर है। उर्दू में जहाँ अरबी–फारसी शब्दों की बहुलता है वहीं हिंदी में संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग दिखाई पड़ता है। परंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें दो अलग–अलग भाषाएँ मानने में दिक्कत महसूस होती है। हिंदी और उर्दू का उत्स एक है और दोनों ही समान क्षेत्र की भाषाएँ भी हैं। इन थोड़े से अंतरों के अलावा हिंदी और उर्दू में कोई खास भेद नहीं है।

अगर कोई व्यक्ति कहे कि ''मैं प्रयत्न करूँगा' तो वह हिंदी है और कहे कि ''मैं कोशिश करूँगा' तो वह उर्दू है, अधिक तर्कसंगत बात नहीं लगती। भाषाओं में एक ही अर्थ के कई पर्याय मिलते हैं। जैसे संस्कृत में भी कमल, पंकज, जलज, नीरज आदि अनेक शब्द मिलते हैं। 'कोशिश' और 'प्रयत्न' इस दृष्टि से एक अर्थ के दो पर्याय माने जाएँगे और पर्यायों के कारण दो भाषाएँ स्थापित नहीं हो जातीं। अंग्रेज़ी में भी try, attempt, endeavuour, venture आदि पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ देते हैं लेकिन इन पर्यायों के कारण अंग्रेजी की न तो विविध शैलियाँ मानी जाती हैं और न ही उस भाषा के एक से अधिक रूप गिनाए जाते हैं। हिंदी और उर्दू के प्रश्न की तरह एक और प्रश्न हमारे सामने आता है– हिंदुस्तानी का। जिसे हम आज हिंदी भाषा कहते हैं इसे स्वतंत्रता–संग्राम के जमाने में आम बोलचाल में हिंदुस्तानी कहा जाता था। लोगों ने इस सामान्य बोलचाल की भाषा को, जो उस समय देश के विविध क्षेत्रों के लोगों के बीच संपर्क की भाषा थी, हिंदुस्तानी कहा। यह भी विवाद का विषय है कि क्या उस समय विद्वान साहित्यिक भाषा हिंदी से अलग बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी की बात कहते थे या हिंदी को ही हिंदुस्तानी नाम से पुकारते थे। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में भाषा से संबंधित अनुच्छेदों को अंतिम रूप देने के लिए जो चर्चा हुई उसमें यह प्रश्न सामने आया कि इसे हिंदी कहें या हिंदुस्तानी। इतिहास

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 235 8/18/2021 12:21:50 PM

साक्षी है कि इस नाम के संदर्भ में भी मतदान हुआ था और एक मत से हिंदुस्तानी की जगह 'हिंदी' शब्द को अपनाने का निर्णय किया गया।

तब से अब तक यह भी एक सवाल हम लोगों के सामने बार–बार उठता है कि क्या हिंदी और हिंदुस्तानी दो अलग–अलग रूप हैं और अगर हैं तो उनके संदर्भ में हमारी क्या नीति होनी चाहिए? कई विद्वानों का यह मत है कि हिंदी साहित्यिक भाषा है और साहित्य में इसका उपयोग किया जाता रहना चाहिए, जबकि हिंदुस्तानी आम बोलचाल की भाषा है जिसमें अरबी–फारसी के आम फहम शब्द होंगे। लोगों की यह धारणा है कि संस्कृतनिष्ठ शब्द विद्वत चर्चा के और ज्ञान–विज्ञान के शब्द हैं तथा इन शब्दों का उपयोग भाषा को कठिन बनाता है, जबकि प्रचलित उर्दू शब्दों से भाषा थोड़ी सरल हो जाती है। इसलिए आम जनसंपर्क के लिए यही सरल रूप उपादेय है। इस तर्क के संदर्भ में भी मतभेद हो सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी तथा उर्दू जानने वालों के लिए उर्दू की शब्दावली भले ही अधिक परिचित लगे, लेकिन किसी मलयालम भाषी के लिए या बांगला भाषी के लिए भी संस्कृत शब्दों का प्रयोग भाषा को अधिक बोधगम्य बनाता है। इसी तरह तेलुगु या कन्नड़ भाषा–भाषियों के लिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा अधिक कठिन नहीं लगेगी। अखिल भारतीय स्तर पर सरल, बोधगम्य भाषा क्या हो इस पर हम कोई निश्चित राय नहीं दे सकते।

इस तरह हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का है। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का प्रश्न है, यह सत्य है कि इन्हें दो भाषाओं का दर्जा मिल चुका है, भले ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर नहीं है। इनकी साहित्यिक परंपरा भिन्न है और भिन्न ही रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी और उर्दू इस तरह हिंदी भाषा की विविधता का एक आयाम हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का है। जहाँ तक हिंदी और उर्दू का प्रश्न है, यह सत्य है कि इन्हें दो भाषाओं का दर्जा मिल चुका है, भले ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर नहीं है। इनकी साहित्यिक परंपरा भिन्न है और भिन्न ही रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी और उर्दू के अलग भाषाएँ होने का आधार भाषा वैज्ञानिक कम है, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिक है। जहाँ तक हिंदी और हिंदुस्तानी का सवाल है इन्हें हिंदी भाषा की दो शैलियाँ मान सकते हैं, लेकिन यह ऐसी दो विशिष्ट शैलियाँ नहीं होंगी कि इन्हें हम अलग नामों से पहचानें। भाषा के शब्द बदलते रहते हैं, भाषा की बोधगम्यता का स्तर भी बदलता रहता है। कुछ अरबी–फ़ारसी शब्द, जो किसी ज़माने में अधिक उपयोग में आते थे अब उतने प्रचलित या परिचित नहीं हैं। जो संस्कृत शब्द शुरू में कठिन लगते थे अब प्रचलन के कारण अधिक बोधगम्य हो गए हैं। यह भी द्रष्टव्य है कि जहाँ तक अरबी–फ़ारसी शब्द के प्रयोग का सवाल है, हर लेखक अपने–अपने ढंग से उनका अनुपात निश्चित करता है। कोई बहुत कम अरबी–फ़ारसी शब्दों का प्रयोग करता है, किसी में इतने अधिक अरबी–फारसी शब्दों का प्रयोग करता है, किसी में इतने अधिक अरबी–फ़ारसी शब्द आते हैं कि उसकी भाषा को उर्दू ही कहा जाता है, भले ही वह देवनागरी में लिखी गई हो। इस कारण शब्दों के प्रयोग में विभिन्न प्रकार के अनुपात होने के कारण हम हिंदी और हिंदुस्तानी नाम की दो विशिष्ट शैलियाँ गिना नहीं सकते। हमें मानना होगा कि हिंदी भाषा की विविध शैलियों में शैली भेद उत्पन्न करने का अधिक आधार है अरबी–फ़ारसी शब्दों का प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग।

बोध प्रश्न 1

1. निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

   (i) भाषा के व्यवहार में कई रूप सामने आते हैं, लेकिन उन्हें हम अलग भाषाएँ नहीं कह सकते। (हाँ/नहीं)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 236 8/18/2021 12:21:50 PM

(ii) हिंदी और उर्दू को हम संरचना के आधार पर दो अलग भाषाएँ मानते हैं। (हाँ / नहीं)

(iii) हिंदी की विशेषता यह है कि उसका अपना कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन वह पूरे देश की भाषा है। (हाँ / नहीं)

(iv) जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है, तो वह भाषा का दर्जा पा जाती है। (हाँ / नहीं)

(v) दकनी भाषा को ही हम हैदराबाद की हिंदी कहते हैं। (हाँ / नहीं)

(vi) कई विद्वान हिंदी भाषा के बोलचाल के रूप को ही 'हिंदुस्तानी' का नाम देते हैं। (हाँ / नहीं)

(vii) अखिल भारतीय स्तर पर यह मान सकते हैं कि आम फहम उर्दू शब्दों से हिंदी भाषा सरल और सुबोध हो जाती है। (हाँ / नहीं)

(viii) पढ़े–लिखे लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सामान्य जनता हिंदुस्तानी भाषा का। (हाँ / नहीं)

(2) सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए।

(i) जिसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, उनमें हर जगह की अपनी .... का भी व्यवहार होता है। (भाषा / बोली)

(ii) जिस भाषा की जितनी अधिक ..... होंगी, उसमें उतनी ही अधिक शैलियाँ या भाषिक रूप होंगे। (विशेषताएँ / भूमिकाएँ)

(iii) हिंदी भाषी प्रदेशों में जहाँ बोलियों का व्यवहार होता है, ... आदि प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में मानक हिंदी का व्यवहार अधिक होता है।
(शिक्षा / जनसंचार)

(iv) भाषा और बोली के संबंधों को हम सिर्फ ..... आधारों पर सुलझा नहीं सकते। (साहित्यिक / भाषावैज्ञानिक)

(v) हैदराबाद की हिंदी ..... का वर्तमान बोलचाल का रूप है।
(तेलुगु / दकनी)

(vi) हर भाषा के दो विशिष्ट रूप मिल सकते हैं ..... की भाषा और.....लिखितभाषा।
(बोलचाल / परिनिष्ठित / संस्कृतनिष्ठ)

(vii) हिंदी और उर्दू को दो अलग भाषाएँ मानने का प्रमुख आधार .... है। (साहित्यिक / सामाजिक–सांस्कृतिक)

12.4 हिंदी भाषा की भूमिकाएँ

हिंदी भाषा की अवधारणा को समझने के लिए हम दो संकल्पनाएँ लेकर चले हैं। एक तरफ भाषा के स्वरूप और समाज में प्रयोग के संदर्भ में हम यह जानना चाहेंगे कि विभिन्न स्थितियों में उपयोग के कारण किस प्रकार भाषा के साथ विभिन्न शब्द जुड़ जाते हैं और इन शब्दों को हम संदर्भ के अनुसार ग्रहण करें तो कुल मिलाकर भाषा के मूल स्वरूप को समझ सकते हैं अर्थात् हिंदी भाषा एक है लेकिन सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से इसमें विविधता आई है।

इस भाग में हम हिंदी भाषा की भूमिकाओं की चर्चा करेंगे। विभिन्न भूमिकाओं में भाषा के विभिन्न नाम हो जाते हैं और इनसे कुछ हद तक विविधता भी पैदा हो जाती है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 237 8/18/2021 12:21:50 PM

उदाहरण के लिए, कुछ विद्वानों का अब भी यह मत है कि परिनिष्ठित, साहित्यिक (और साथ ही क्लिष्ट) भाषा रूप हिंदी की राजभाषा का रूप होगा और हिंदी का अखिलभारतीय रूप वास्तव में वह रूप होगा, जिसे हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। हर भाषा में हम भाषा की विभिन्न भूमिकाएँ देखते हैं। हर आधुनिक भाषा की ज्ञान–विज्ञान की भाषा के रूप में वर्तमान युग में अहम भूमिका है। विज्ञान की भाषा या विधि की भाषा प्रायः कठिन हुआ करती है क्योंकि इसकी शब्दावली पारिभाषिक होती है और इसकी वाक्य संरचना में बहुत से रूढ़तत्व आ जाते हैं, लेकिन आधुनिक भाषाएँ इसे बोलचाल से भिन्न अलग भाषा रूप नहीं मानतीं। फिर हम हिंदी में अखिलभारतीय हिंदी और राजभाषा हिंदी नाम की दो भिन्न भाषाओं की चर्चा या कल्पना क्यों करें? हिंदी भाषा की चार प्रमुख भूमिकाएँ हैं। इन चारों के संदर्भ में हम इस भाग में आगे चर्चा करेंगे।

12.4.1 संपर्क भाषा

संपर्क भाषा से तात्पर्य है उस भाषा रूप से जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच संपर्क में काम आती है। हिंदी इस दृष्टि से हिंदी क्षेत्र में बोली बोलने वाले लोगों और भारत के अन्य क्षेत्रों में भाषाएँ बोलने वालों के बीच संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा का एक और व्यापक अर्थ भी है। शासन के विभिन्न अंगों में, पूरे देश को जोड़ने के लिए, हमने राजभाषा को अपनाया। इस प्रकार राजभाषा औपचारिक रूप में देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के माध्यम से ही देश के विभिन्न विधायी निकाय एक–दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, विभिन्न न्यायालय एक समन्वित इकाई के रूप में काम कर पाते हैं और देश के विभिन्न कार्यालय एक–दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। इस औपचारिक संपर्क भाषा को राजभाषा के नाम से अगले प्रकरण में देखेंगे। यहाँ पर हम अनौपचारिक स्तर पर संपर्क भाषा की चर्चा करेंगे। अनौपचारिक संपर्क के संदर्भ में सबसे पहले पूरे देश के लोगों के परस्पर संपर्क की बात आती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग तब तक एक–दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, जब तक उनके लिए एक सामान्य भाषाई माध्यम उपलब्ध न हो। या तो दोनों प्रदेशों के लोग दोनों भाषाओं का व्यवहार करें या फिर दोनों में से एक को संपर्क के लिए अपनाएँ। अधिकतर परिस्थितियों में इस प्रकार का भाषिक संपर्क नहीं हो पाता है और एक तीसरे रूप अर्थात् देश की संपर्क भाषा को अपनाना पड़ जाता है। आपने आम तौर पर देखा होगा कि रेलगाड़ियों में, जिनमें विभिन्न भाषाभाषी सफर कर रहे होते हैं, आम तौर पर लोगों का संपर्क हिंदी के माध्यम से ही हो पाता है। देश के अन्य सुदूर प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति अगर अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क न कर सकें तो आम तौर पर अंग्रेजी या हिंदी के शब्दों से काम चलाते हैं। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में इस समय हिंदी देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा बनी हुई है। विदेशों में भी, जहाँ के प्रवासी भारतीय कामकाज के लिए वहाँ की भाषा को अपनाकर अपने सांस्कृतिक वातावरण में एक साथ आते हैं हिंदी को ही संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं। भाषा के लिए संपर्क भाषा बनने के लिए एक वातावरण भी चाहिए। लोग हिंदी के माध्यम से तभी संपर्क कर सकते हैं, जब उन्हें थोड़ी हिंदी आती हो। इस दृष्टि से इस शताब्दी के आरंभ से ही एक व्यापक आंदोलन चला है। स्कूली शिक्षा और स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के कारण, देश के कोने–कोने में लोगों ने हिंदी सीखी और इसका प्रचार बढ़ा। इसके अलावा, मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी की फ़िल्मों और फ़िल्मों के गानों का योगदान भी इतना ही महत्वपूर्ण रहा। फिल्मों का स्तर जो भी हो, पूरे भारत में जगह–जगह हिंदी की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और पसंद की जाती हैं। आज दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रकार संपर्क भाषा का व्यापक प्रचार कर रहा है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 238 8/18/2021 12:21:50 PM

संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी देश की सामासिक संस्कृति की वाहक है। हिंदी की यह भूमिका कुछ हद तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है, जो देश को जोड़ती है, देश के विभिन्न साहित्यों और विभिन्न संस्कृतियों का माध्यम बनती है और लोग इसे मन से अपनाते हैं। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा कहलाने लायक वह गुण है जो संपर्क भाषा हिंदी से पैदा हुआ है।

12.4.2 राजभाषा

राजभाषा भी संपर्क भाषा का एक रूप है, उसका औपचारिक रूप है। हिंदी भारत की राजभाषा है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राजभाषा की भूमिका में हिंदी, केंद्र सरकार के कार्यालयों की भाषा है, राज्यों के विधानमंडलों और संसद को अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है, देश के कानून की भाषा है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को अभिलेखों के स्तर पर जोड़ने वाली भाषा है। इसलिए यह आवश्यक है कि संघ शासन के इन तीनों अंगों से जुड़े हुए व्यक्ति इस भाषा से परिचित हों और इस भाषा के माध्यम से यथासंभव काम करें। इसके लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि दिए जाते हैं। राजभाषा विशिष्ट कार्यक्षेत्रों की भाषा है, इसलिए इसकी शब्दावली सामान्य बोलचाल की शब्दावली से भिन्न होती है। यह लिखित कार्यक्रमों की भाषा है इसलिए इसकी भाषा में रूढ़ उक्तियाँ आती हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के दौरान राजभाषा हिंदी का स्वरूप भी विकसित किया गया। प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों के लिए आवश्यक शब्द निर्मित किए गए और अनुवाद द्वारा इन शब्दों के माध्यम से नियम पुस्तिकाएँ आदि तैयार की गईं। अपने इस नए स्वरूप के कारण राजभाषा हिंदी लोगों को कठिन लगी और लोगों ने यह अनुभव किया कि यदि बोलचाल की भाषा में काम करने की आदत पड़ेगी तो यह उतनी कठिन नहीं लगेगी, लेकिन राजभाषा हिंदी नाम की कोई अलग कृत्रिम भाषा नहीं है। अगर लोग यह मानकर चलें कि क्षेत्रीय भाषा वास्तविक भाषा है और उसकी प्रकृति राजभाषा से निश्चित रूप से भिन्न होती है तो यह दृष्टि उचित नहीं है। राजभाषा का स्वरूप उन लोगों के लिए है जो उस क्षेत्र में काम करते हैं; सभी व्यक्ति विधि की भाषा पढ़कर उसे उतनी ही आसानी से समझ लें, जितनी आसानी से फिल्म की पटकथा समझते हैं, यह जरूरी नहीं है।

12.4.3 प्रयोजनमूलक भाषा

हिंदी भाषा एक जन–समुदाय की व्यवहार की भाषा है। जन–समुदाय की भाषा आमतौर पर लोगों की सामान्य आवश्यकता तक ही सीमित रहती है, जैसे खाना–पीना, रीति–रिवाज़ आदि के संदर्भ में सामान्य बातचीत। आधुनिक युग में भाषा के विविध प्रयोजन होते हैं। विकसित भाषाएँ सिर्फ समाज के सामान्य सम्प्रेषण और साहित्य के निर्माण तक ही सीमित रहती हैं। विकसित भाषाएँ जीवन के विविध क्षेत्रों में काम आती हैं। इन विविध क्षेत्रों को ही हम भाषा के प्रयोजनमूलक पक्ष कहते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख प्रयोजनमूलक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं–

(i) ज्ञान–विज्ञान की भाषा/माध्यम की भाषा

(ii) विधि की भाषा

(iii) प्रशासन की भाषा

(iv) विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषा

(v) जनसंचार की भाषा, आदि।

इनमें से दो प्रयोजनों की चर्चा हमने ऊपर राजभाषा के संदर्भ में की। ये शासन के औपचारिक प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं। ज्ञान–विज्ञान की भाषा, विज्ञान और तकनीक

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 239 8/18/2021 12:21:50 PM

की भाषा, जनसंचार की भाषा आदि अन्य प्रमुख सामाजिक प्रयोजन हैं, जिनमें भाषा विशिष्ट रूप में व्यवहार में आती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों की भाषा के स्वरूप का अध्ययन करना भाषा के प्रयोजनमूलक रूप का अध्ययन है।

प्रयोजनमूलक भाषा की भूमिका एक युगीन आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से साहित्यकार स्वांतःसुखाय लिखते हैं। अर्थात् साहित्य रचना आजीविका के रूप में नहीं होती है, बल्कि लोग अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने की भावना से लिखते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र गहरे रूप से आजीविका से जुड़े हैं। कोई पत्रकार है, जनसंचार की भाषा का अर्जन करेगा और कोई उसे विकसित करेगा। आम आदमी सिर्फ जनसंचार की भाषा से सूचना प्राप्त करने या मनोरंजन करने तक ही अपने को सीमित रखता है। इस प्रकार, आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से काम करने वाले लोगों के लिए कई द्वार खुले हैं। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक भाषा का प्रश्न औपचारिक भाषा का क्षेत्र है, इसके लिए इस भाषा को विकसित करना, इस क्षेत्र में लोगों को तैयार करना और भाषा के माध्यम से उन क्षेत्रों में काम को आगे बढ़ाना आदि प्रयोजनमूलक भाषा के संदर्भ में आवश्यक सोपान हैं। वर्तमान युग में भारत की लगभग सारी भाषाएँ प्रयोजनमूलक हैं। सभी भाषाओं के माध्यम से ऊपर के सभी प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। हिंदी का प्रयोजनमूलक पक्ष और अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत है क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इस कारण हिंदी को प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विकसित करने में अहिंदी भाषियों से सहयोग भी प्राप्त हो सकता है और अहिंदीभाषी विद्वानों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

12.4.4 अंतरराष्ट्रीय भाषा

हिंदी की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। यह भाषा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में बोली जाती है। मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनीडाड आदि देशों में प्रवासी भारतीय काफी संख्या में हैं। ये मूलतः भोजपुरी प्रदेश के हैं और अब भी घरों में भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन भारत की ही तरह इन देशों में हिंदी भाषा, शिक्षा (आंशिक रूप में), जनसंचार आदि का माध्यम है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ये देश विकसित हैं अतः इन देशों में इन लोगों को हिंदी के माध्यम से काम करने के कई साधन मिल जाते हैं। पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से कार्यक्रम, शिक्षा में और सांस्कृतिक धरातल पर हिंदी आदि क्षेत्रों में लोग हिंदी का व्यवहार करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में हिंदी समझी और बोली जाती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन भाषिक एकता के कारण उन्हें हिंदीभाषी बखूबी समझ सकता है। इस तरह हिंदी भाषा अंतरराष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी महत्व के कारण विदेशों में लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन और अनुसंधान की व्यवस्था है। इस अंतरराष्ट्रीय भूमिका के कारण हिंदी पर यह दायित्व है कि वह इन देशों के हिंदी बोलने वाले लोगों की सांस्कृतिक साहित्यिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पर्याप्त अवसर दे, इन सब लोगों को हिंदी के मंच पर एकत्र करे। इस दायित्व का वहन हम लोग अभी बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर सक्रियता से काम करें तो हिंदी भाषा सही मायने में एक अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी।

बोध प्रश्न

(3) आधुनिक हिंदी भाषा के चार प्रमुख प्रकार्य गिनाइए।

.....

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 240 8/18/2021 12:21:50 PM

.....

.....

.....

.....

(4) हाँ / नहीं में उत्तर दीजिए।

(i) हिंदी आज भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वालों के बीच सामान्य संपर्क की भाषा है। हाँ / नहीं

(ii) प्रशासन, विधि आदि क्षेत्रों में जिस भाषा के माध्यम से काम होता है, उसे राजभाषा कहा जाता है। हाँ / नही

(iii) प्रयोजनमूलक भाषा उसे कहते हैं, जो सामान्य संप्रेषण में उपयोग आती है। हाँ / नही

(iv) साहित्यकार प्रयोजनमूलक भाषा को विकसित करने में अपने लेखन द्वारा योगदान करते हैं। हाँ / नही

(5) उचित शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए।

(i) मलयालम भाषी के लिए हिंदी में ..... शब्दों का प्रयोग भाषा को अधिक बोधगम्य बनाता है। (उर्दू / संस्कृत)

(ii) राजभाषा हिंदी भाषा का एक रूप है, कोई अलग ..... भाषा नहीं है। (विशिष्ट / कृत्रिम)

(iii) विधि या प्रशासन की भाषा को हम भाषा की ..... भूमिका कहते हैं। (अखिल भारतीय / प्रयोजनमूलक)

(iv) संपर्क की भूमिका में..... के साधनों का योगदान रहा है। (जनसंचार / विज्ञान)

(v) ग्रामीण भाषा, शहरी भाषा, ... मानक भाषा आदि भाषा के व्यवहार से प्राप्त विभिन्न ..... हैं। (भाषण / बोली, रूप / ढंग)

12.5 सारांश

हमने इस इकाई में हिंदी के स्वरूप और आधुनिक युग में इसकी विविध भूमिकाओं की चर्चा की। हिंदी भाषा के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि राजभाषा हिंदी बोलचाल की हिंदी से भिन्न होगी; या मातृभाषा हिंदी के अलावा एक नई भाषा 'अखिलभारतीय हिंदी' विकसित होगी। इन बातों से लगता है मानो ये प्रकृति में भिन्न दो भाषा रूप हों। इस इकाई में हमने यही चर्चा की है कि क्षेत्र विस्तार के साथ भाषा की विविध शैलियाँ सामने आएँगी, लेकिन मूलतः भाषा का स्वरूप एक ही होगा, उसकी प्रकृति एक होगी। इस समय हिंदी कई लोगों की मातृभाषा है, कुछ प्रदेशों के लोगों के लिए प्रथम भाषा है, जो सामान्य जीवन के क्षेत्रों में बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विविध स्थानीय रूप भी हैं, जैसे बंबई की हिंदी, हैदराबाद की हिंदी। ऐतिहासिक कारणों से हिंदी की संस्कृतनिष्ठ शैली भी है, अरबी–फ़ारसी शब्दों से युक्त उर्दू शैली भी है। ये विविध रूप भाषा के विकास के लक्षण हैं, इनसे भाषा समृद्ध होती हैं।

हर समाज में भाषा की कई भूमिकाएँ हो जाती हैं। हिंदी अखिलभारतीय संपर्क की भाषा है। हिंदी देश की राजभाषा है, यह ज्ञान–विज्ञान के विषयों की अभिव्यक्ति का

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 241 8/18/2021 12:21:50 PM

माध्यम है। यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हर भूमिका में भाषा में कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे, भाषा का अपना अलग रूप होगा। जैसे राजकाज की भाषा की शब्दावली और वाक्य विन्यास उसे भाषा के अन्य रूपों से अलग करेंगे। यहाँ भी इस कथन को दुहरा लेना चाहेंगे कि भूमिका विस्तार भाषा के विकास का आधार है, इससे भाषा समृद्ध होती है। भूमिकाओं के कारण बने भाषा के विविध रूप भाषा की अलग–अलग शैलियाँ हैं।

12.6 शब्दावली

उद्भूत	:	निकला हुआ
आजीविका	:	गुजारा, जीवन–यापन
परिनिष्ठत	:	सुसंस्कृत, सुधरा हुआ
पूरित	:	भरा हुआ
भूमिका	:	वे प्रकार्य जिनमें भाषा काम आती है (अंग्रेज़ी में इसे 'रोल' कहते हैं)
हिंदी भाषा का उद्भव	:	हिंदी भाषा की शुरूआत

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

(1) (i) हाँ (ii) नहीं (iii) हाँ (iv) हाँ (v) नहीं (vi) हाँ (vii) नहीं (viii) नहीं।

(2) (i) बोली (ii) भूमिकाएँ (iii) शिक्षा (iv) भाषा वैज्ञानिक (v) दकनी (vi) बोलचाल, परिनिष्ठित (vii) सामासिक–सांस्कृतिक।

(3) संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा।

(4) (i) हाँ (ii) हाँ (iii) नहीं (iv) नहीं।

(5) (i) संस्कृत (ii) विशिष्ट (iii) प्रयोजनमूलक (iv) जनसंचार (v) बोली, रूप।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 242 8/18/2021 12:21:50 PM

इकाई 13 : संविधान में हिंदी संबंधी उपबंध

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 स्वतंत्रता के समय भारत में भाषा का मसला

13.3 संविधान और हिंदी

13.3.1 संघ की राजभाषा

13.3.2 प्रदेशों की राजभाषा/राजभाषाएँ

13.3.3 प्रदेशों के बीच संपर्क

13.4 शासन के अंग और भाषा

13.4.1 न्यायांग में राजभाषा

13.4.2 विधानांग में राजभाषा

13.4.3 कार्यांग में राजभाषा

13.5 राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा

13.6 विशेष निर्देश

13.7 सारांश

13.8 शब्दावली

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारत के संविधान में हिंदी भाषा के प्रयोग और विकास के बारे में जो प्रावधान किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- राजभाषा शब्द की परिभाषा और व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत के प्रशासन के तीनों अंगों में हिंदी के प्रकार्य को स्पष्ट कर सकेंगे;
- शासन तंत्र में हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका का विवरण दे सकेंगे;
- अनुच्छेद 351 की व्याख्या कर सकेंगे, जो बहुभाषी समाज में हिंदी की केंद्रीय भूमिका का वर्णन करता है; और
- भाषाओं के संदर्भ में संविधान का विवेचन कर सकेंगे।

प्रस्तुत इकाई और इसके बाद की इकाई में आप कानून की भाषा के स्वरूप का भी परिचय प्राप्त करेंगे।

13.1 प्रस्तावना

1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले गए। उनके समय तक अंग्रेज़ी ही भारत की राजभाषा थी। उनके जाने के बाद भारत के शासन के लिए एक राजभाषा की आवश्यकता थी, जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस गणतंत्र ने इस देश के शासन के लिए अपना संविधान स्वीकृत किया था, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं। इस संविधान में अन्य कई प्रमुख मुद्दों के अतिरिक्त भाषा के प्रश्न पर भी बड़ी गहराई से चर्चा की गई है। यहाँ हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भाषा के मसले पर देश के प्रमुख विद्वानों के विचारों का विवेचन करेंगे, जिससे संविधान के उपबंधों के बारे में सही प्ररिप्रेक्ष्य अपना सकें।

13.2 स्वतंत्रता के समय भारत में भाषा का मसला

भारत बहुभाषी देश है। आदिकाल से ही इसमें कई भाषाएँ विद्यमान रही हैं। उन भाषाओं का स्वतंत्र विकास भी होता रहा है, साथ में सभी भाषाओं में परस्पर आदान–प्रदान भी होता रहा है। इस दृष्टि से भारत में भाषिक सहिष्णुता ही नहीं, भाषिक समन्वय का भी लंबा इतिहास है। आदिकाल से ही देश के कोने–कोने में विद्वान संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में साहित्य सर्जन और विषय निरूपण करते रहे हैं। भाषाओं के परस्पर सहयोग के कारण देश की जनता कहीं भी भाषा की दृष्टि से या भाषा के कारण पंगु नहीं रही। भारतीय भाषाओं की परस्पर संप्रेषणीयता के कारण, सामान्य मूलभूत तत्वों के कारण यह बहुभाषी देश वास्तव में एक 'भाषिक क्षेत्र' बन सका।

मध्य और पूर्व आधुनिक युग तक यह परंपरा बनी रही। बंगाल के कवियों ने ब्रज–बुलि में साहित्य रचना की, जो ब्रजभषा का ही बदला हुआ रूप है। केरल के स्वाति तिरुवाल ने 17वीं शताब्दी में ब्रजभाषा में पद रचे और आंध्र प्रदेश के पुरुषोत्तम कवि ने 19वीं शताब्दी में हिंदी नाटक लिखे। इस तरह हिंदी प्रदेश की भाषा को अखिल भारतीय रूप प्राप्त हुआ।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तब से स्वतंत्रता तक आंदोलन गहराता चला। 1904 में महात्मा गाँधी की अफ़्रीका से वापसी के बाद से इस संग्राम में बड़ी तेजी आई। गाँधी जी ने स्वतंत्रता के संग्राम के तीन प्रमुख हथियार दिए– सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ये तीनों इस लड़ाई के लिए बलशाली हथियार थे। साथ में उन्होंने लड़ाई के अन्य आवश्यक उपादानों के रूप में भाषा के प्रश्न को भी प्रमुख स्थान दिया। वे देश की स्वतंत्रता के लिए देश की जनता की संपूर्ण सहभागिता पर बल देते थे। यह सहभागिता देश की भाषा/भषाओं से ही संपन्न हो सकती थी। उन्होंने इसी कारण इस लड़ाई के लिए देश की भाषा/भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना। 1909 में अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' में उन्होंने लिखा–''हर शिक्षित भारतीय को अपनी भाषा के साथ–साथ पूरे देश की भाषा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए।'' उन्होंने 20 अक्टूबर, 1917 को दूसरे गुजरात शिक्षा अधिवेशन में कहा कि ''अंग्रेज़ी इस देश की राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की अधिकांश जनसंख्या की भाषा नहीं है। केवल हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है क्योंकि यह सरल है, सांस्कृतिक–सामाजिक धरातल पर संप्रेषण की भाषा है और देश की अधिकांश जनता यह भाषा जानती है।'' इस तरह उन्होंने अपनी भाषा की नीति स्पष्ट कर दी थी। इस नीति के कार्यान्वयन के तौर पर उन्होंने 1917 में मद्रास में दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की नींव रखी और दक्षिण में हिंदी के प्रचार आंदोलन को गति दी।

आप जानते हैं कि गाँधी जी समन्वयवादी थे। वे जानते थे कि देश की एकता के लिए जनता की एकता अनिवार्य है और इस संदर्भ में उन्होंने हिंदू–मुस्लिम एकता पर बहुत बल दिया। वे यह भी जानते थे हिंदू संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा के पक्षधर थे, और मुस्लिम फ़ारसी लिपि में लिखित अरबी–फ़ारसी शब्दों से युक्त उर्दू भाषा के हिमायती

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 244 8/18/2021 12:21:51 PM

थे। लेकिन देश की आम जनता न पंडिताऊ हिंदी शैली का प्रयोग करती थी, न खालिस उर्दू ज़बान का। वह परस्पर विचार–विमर्श के लिए, सार्वजनिक व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग करती थी, उसे गाँधी जी हिंदुस्तानी कहते थे। उनके अनुसार यही हिंदुस्तानी इस देश की राष्ट्रभाषा थी, देश को जोड़ने वाली कड़ी थी।

इस शताब्दी के आरंभ में भाषा की आवश्यकता का जो सवाल उठा, वह ज़ोर पकड़ता गया। देश की ही किसी भाषा में कार्य किया जाना चाहिए, यह अनिवार्यता थी। वह भाषा हिंदी ही हो सकती है, यह निर्विवाद सत्य था। बहुभाषी समाज में अन्य जो भाषाएँ हैं, उनका विकास होना चाहिए और लोगों को अपनी भाषा के प्रयोग का अवसर मिलना चाहिए, यह चेतना थी और व्यावहारिक दृष्टि थी। आइए, हम देखें कि संविधान में इन सबकी क्या व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा मुद्दा था इस भाषा को हिंदी कहें या हिंदुस्तानी कहें। हिंदुस्तानी शब्द जन साधारण में व्यवहृत उस सहज, सरल रूप का प्रतीक था, जो हिंदू और मुस्लिम सभी उपयोग में लाते थे। अतः कई लोग राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में 'हिंदुस्तानी' रखना पसंद करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को हर जगह राष्ट्रभाषा (National Language) ही कहा गया था। संविधान तो राजकाज के प्रकार्यों के बारे में कानून बना सकता है; राष्ट्रभाषा का दर्जा कानून की परिधि में आ सकता है? हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या हमारा संविधान राष्ट्रभाषा के प्रश्न को अनदेखा कर गया है?

बोध प्रश्न–1

(1) संविधान निर्माताओं के सामने कौन–सा बड़ा मुद्दा था?

.....

.....

.....

.....

(2) गाँधी जी किन दो कारणों से ''हिंदुस्तानी'' को ही राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त मानते थे?

.....

.....

13.3 संविधान और हिंदी

संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और भाषा से संबंधित कुल 11 अनुच्छेद हैं। संविधान में कुल 18 भाग हैं और एक पूरा भाग (भाग 17) भाषा संबंधी व्यवस्था के लिए दिया गया है। इसी से अनुमान हो सकता है कि संविधान के निर्माताओं ने इस बहुभाषी देश के लिए भाषा के मसले को कितना महत्व दिया है। यहाँ हम उन अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, जो भाषा के प्रश्न पर विचार करते हैं।

13.3.1 संघ की राजभाषा

343 संघ की राजभाषा– (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 245 8/18/2021 12:21:51 PM

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा–

(क) अंग्रेज़ी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंक (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) का उपयोग होगा। यह प्रावधान किया गया है कि 15 वर्ष की अवधि तक (अर्थात् 1965 तक) अंग्रेज़ी का उपयोग पूर्ववत् होता रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति इस अवधि में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा तथा देवनागरी अंकों के उपयोग के लिए आदेश निकाल सकते हैं। यह भी प्रावधान था कि संसद 15 वर्ष की अवधि के बाद भी विधि द्वारा किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग का उपबंध कर सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रमिक दायित्व ग्रहण और अंग्रेज़ी के यथावश्यकता बने रहने का प्रावधान किया गया था।

13.3.2 प्रदेशों की राजभाषा/राजभाषाएँ

आगे के दो अनुच्छेद 345 तथा 346 में राज्यों की राजभाषा तथा राज्यों के बीच संपर्क की भाषा के बारे में विचार किया गया है। अनुच्छेद 347 में राज्य में भाषा को मान्यता देने के बारे में विशेष उपबंध है। ये तीनों अनुच्छेद अध्याय दो में आते हैं, जिसका संबंध प्रादेशिक भाषाओं से है।

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएँ

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ– अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा– संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 246 8/18/2021 12:21:51 PM

अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा के बारे में चर्चा करता है। राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य में किसी भी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य चाहे जितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि राज्य किन्हीं भाषाओं को सीमित शासकीय प्रयोजनों के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा। भारतीय बहुभाषिकता की स्थिति में यह आवश्यक है कि किसी राज्य की सभी भाषाओं के बोलने वालों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। राज्य के किसी क्षेत्र में किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बसते हों, तो इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र में उस भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय केंद्र सरकार नहीं करेगी, बल्कि उस राज्य का विधान मंडल इसके लिए विधि बना सकेगा।

ऐसा भी हो सकता है कि राज्य/राज्य का विधान मंडल उस प्रदेश में बोली जाने वाली किसी भाषा को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार न करे। उस स्थिति में क्या उस भाषा के बोलने वाले अपनी उचित माँग के बावजूद अपने अधिकार से वंचित रहें? अनुच्छेद 347 में ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को मान्यता देने के संबंध में प्रावधान है–

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध–यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा की मान्यता संबंधी आदेश के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं–

(i) उस भाषा के बोलने वालों की पर्याप्त संख्या हो,

(ii) वे माँग करें कि उनकी भाषा को मान्यता दी जाए।

उनका आदेश उस भाषा को पूरे राज्य में या किन्हीं क्षेत्रों में तथा कुछ या सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजकीय मान्यता देने के लिए हो सकता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधान मंडल बिना किसी की माँग के भी एक या अनेक भाषाओं को राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। अनुच्छेद 347 जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को महत्व देने पर बल देता है।

13.3.3 प्रदेशों के बीच संपर्क

अनुच्छेद 346 किन्हीं दो राज्यों के बीच संपर्क के लिए भाषा के सवाल पर प्रकाश डालता है। क्या दो प्रदेश जिनकी राजभाषा हिंदी या अंग्रेज़ी से अलग कोई और है, आपस में अपनी राजभाषा में पत्राचार कर सकते हैं? क्या दो राज्य अपनी–अपनी राजभाषा में (जो हिंदी या अंग्रेजी से अलग हो) आपस में पत्राचार कर सकते हैं। उक्त अनुच्छेद के अनुसार यह संभव नहीं है, सभी राज्यों को संघ की राजभाषा के माध्यम से ही पत्राचार आदि करना होगा।

इस व्यवस्था का आधार शायद यही है कि दो राज्यों के बीच का संपर्क जब आगे केंद्र सरकार में विचार के लिए आएगा, या उनके बीच का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में आएगा या उन राज्यों के कानून जो संघ के कानून का अंग बनेंगे, तो उन पर तभी विचार किया जा सकेगा जब पत्रादि संघ की राजभाषा में हों।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 247 8/18/2021 12:21:51 PM

13.4 शासन के अंग और भाषा

हम संविधान में हिंदी के संदर्भ में अब तक की चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोककर यह देखना चाहेंगे कि भारत में संघ और राज्यों के कार्यों का बँटवारा किस तरह का है और इनके कार्यों के संदर्भ में देश की भाषा नीति देश की संघीय व्यवस्था को किस तरह प्रतिबिंबित करती है।

राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं–

	संघ स्तर पर	राज्य स्तर पर
(1) विधानांग	संसद	विधान मंडल
(विधायिका)	(राज्य सभा और लोकसभा)	(विधान सभा और विधान परिषद्, जहाँ भी हों)
(2) न्यायांग	उच्चतम न्यायालय	जिला न्यायालय तथा
(न्यायपालिका)	उच्च न्यायालय	अन्य अधीनस्थ न्यायालय
(3) कार्यांग	केंद्र सरकार	राज्य सरकारें
(कार्यपालिका)	अन्य संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	मंडल तथा ज़िला स्तर का प्रशासन
	केंद्रीय उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएँ	अन्य स्थानीय प्रशासन राज्य स्तर के उपक्रम आदि

राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन शासन के अंगों में होता है। ऐसी व्यवस्था की जानी है कि संघ स्तर पर तीनों अंगों में संघ की राजभाषा का प्रयोग हो, राज्य स्तर पर राज्य किसी एक या किन्हीं भाषाओं के माध्यम से कार्य करे और संघ और राज्यों के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच का संपर्क विधि सम्मत हो। इस चर्चा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि हमारी भाषा नीति किस हद तक संघीय (Federal) है, जिससे हर स्तर पर कार्य सुगमता से चलता रहे और देश के लोगों की भाषा संबंधी आकांक्षाएँ भी पूरी हो सकें। यहाँ हम कार्य की सुगमता के संदर्भ में इन तीन अंगों में भाषा के सवाल पर विचार करेंगे।

13.4.1 न्यायांग में राजभाषा

सबसे पहले हम न्यायांग की चर्चा करें। संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 के दो अनुच्छेदों में, अर्थात् अनुच्छेद 348 तथा 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में भाषा के सवाल पर विचार किया गया है। ये दोनों संघीय व्यवस्था में आते हैं, संविधान द्वारा निर्देशित रूप से कार्य करते हैं। राज्य स्तर के अन्य न्यायालयों की भाषा नीति राज्य सरकारें तय करेंगी।

अध्याय 3– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा–1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक–

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेज़ी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुनःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 248 8/18/2021 12:21:51 PM

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने, उस विधान मंडल में पुनःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेज़ी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया– इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड 1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुनःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1) के अधीन गठित आयोग की सिफ़ारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड 4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं। यहाँ हम अनुच्छेद 348 के उपबंधों की चर्चा करेंगे।

(1) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ''अभिलेख–न्यायालय'' (Court of records) हैं। अर्थात् इनके अपने निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। कोई उच्च न्यायालय किसी अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय को अपने निर्णय का आधार बना सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अपने से बड़े न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए न्यायालयों के पास अन्य (उच्चतम और उच्च) न्यायालयों के निर्णय प्राप्त होने चाहिए। यह तभी संभव होगा, जब सारे निर्णय संघ की राजभाषा में हों। साथ ही न्यायालय देश के कानून के अंतर्गत, उनकी व्याख्या और संवैधानिकता पर विचार करते हुए निर्णय करते हैं। ये कानून हैं–भारत का संविधान, संसद के सदन या विधान मंडलों में पारित अधिनियम, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश, संसद/विधानमंडलों के। ये कानूनों के अनुसार निकाले गए आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ (Oreders, rules, regulations and bye-laws)। न्यायालयों के पास ये सारे कानून अभिलेख के रूप में होने चाहिए और संघ की राजभाषा में होने चाहिए। अनुच्छेद 348 के खंड 1) में यह बात देखी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ''अपील न्यायालय'' (Courts of appeal) हैं, अर्थात्, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ़ क्रमशः इनमें अपील की जा

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 249 8/18/2021 12:21:51 PM

सकती है। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के फ़ैसलों पर ही कार्रवाई की जाती है और गवाहों के बयान, आदि का काम नहीं होता। इसलिए उच्चतम न्यायालय में संघ की राजभाषा के अतिरिक्त भाषा की कार्रवाइयों के लिए अन्य किसी भाषा की जरूरत नहीं है, जबकि उच्च न्यायालयों में जिला स्तर के न्यायालय की अपील के संदर्भ में कार्यवाहियों में स्थानीय भाषा की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 348 के खंड 2) में इसी का प्रावधान है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए हिंदी या प्रदेश में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा को प्राधिकृत कर सकते हैं।

कानून बनाने के संदर्भ में अगर किसी राज्य का विधान मंडल अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी और भाषा के माध्यम से विधेयक प्रस्तुत करता हो, अधिनियम पारित करता हो या इनके आधार पर आदेश, नियम आदि जारी करता हो, तो उसे राज्यपाल के प्राधिकार से अंग्रेज़ी का अनुवाद प्रस्तुत करना होगा। अब सवाल उठता है कि राज्य की भाषा का पाठ, जो मूल पाठ कहलाएगा और अंग्रेज़ी में अनूदित पाठ, जो मूल की प्रतिकृति होगा, इन दोनों में कौन–सा मान्य है? क्या किसी विवाद के सिलसिले में कोई यह कह सकता है कि अनूदित पाठ मान्य नहीं है और मूल पाठ ही मान्य होना चाहिए। खंड 3) में इसी संदर्भ में नियमन है कि राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के राजपत्र में प्रकाशित पाठ प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

बोध प्रश्न

(3) सही शब्द चुनकर उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा करें।

(i) संविधान के भाग ..... में राजभाषा की चर्चा है।

(ii) अनुच्छेद .....में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसकी लिपि..... होगी और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के .....रूप का प्रयोग होगा।

(iii) देश के शासन के तीन अंग हैं .....
.....

(iv) 1865 तक की अवधि में न्यायालयों में फ़ैसले आदि की भाषा में संशोधन ..... से ही हो सकता था। (राष्ट्रपति आदेश/उच्चतम न्यायालय)।

(v) जनता को ..... में अपनी भाषा को मान्यता देने की माँग करने का अधिकार है। (संघ शासन/राज्य)

(4) हाँ/नहीं में उत्तर दीजिए।

(i) हर राज्य की राजभाषा एक ही होगी।

(ii) विधानांग में कानून का हिंदी अनुवाद प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

(iii) दो राज्यों के बीच संघ की राजभाषा में ही पत्र व्यवहार आदि हो सकता है।

(iv) राज्य की राजभाषा का निर्णय संसद करती है।

(v) 1965 के बाद भी संसद अंग्रेज़ी के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए जारी रख सकती थी।

(5) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संविधान के अनुसार (i) कार्रवाई के लिए और (ii) फ़ैसले आदि के लिए भाषा के प्रश्न पर चार पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 250 8/18/2021 12:21:51 PM

.....

.....

.....

13.4.2 विधानांग में राजभाषा

न्यायांग के संदर्भ में भाषा की नीति की चर्चा के उपरांत हम यहाँ विधानांग में भाषा की स्थिति के बारे में विचार करेंगे। विधानांग में दो ही निकाय आते हैं– संघ स्तर पर संसद के दोनों सदन और राज्य में विधान मंडल के दो (या कहीं–कहीं सिर्फ़ एक) सदन। इनमें देश के कोने–कोने से सांसद/विधायक चुनकर आते हैं। इनमें कई सदस्य अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। सदस्यों को अपने कार्य से संबंधित निम्नलिखित भाषाई आवश्यकताएँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आगे हम संसद के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं–

(i) उन्हें अपने कार्य के लिए आधार सामग्री के रूप में सांविधिक सामग्री, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन आदि, अन्य लोगों के प्रश्न आदि उपलब्ध होने चाहिए। यह संघ की राजभाषा में ही संभव हो सकेगा, भारत की सभी भाषाओं में यह सामग्री उपलब्ध कराना अत्यंत दुष्कर कार्य है।

(ii) उन्हें संसद के सदन में अपने विचार व्यक्त करने होंगे। यह संभव है कि सदस्य की राजभाषा में अपनी बात कहने की पर्याप्त क्षमता न हो। इस कारण वह अपनी भाषा में ही सदन को संबोधित करना चाहेंगे। लेकिन उसकी बात सदन के सभी सदस्य समझ नहीं सकेंगे। अतः ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि वह अपनी मातृभाषा में बोल सकें और सभी सदस्य उसके विचार भी समझ सकें।

इन दो प्रमुख आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए अनुच्छेद 120 का अध्ययन कीजिए और देखिए कि उक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाती है।

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा–(i) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेज़ी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधान–मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेज़ी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

(परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में विधान–मंडलों) के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों)।

(परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान–मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले ''पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''चालीस वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों)।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 251 8/18/2021 12:21:51 PM

13.4.3 कार्यांग में राजभाषा

विधानांग में भाषा की चर्चा के उपरांत हम कार्यांग (या कार्यपालिका) में भाषा के प्रश्न पर संविधान के उपबंधों की चर्चा करना चाहेंगे। अनुच्छेद 345 से 347 तक राजभाषा के प्रश्न पर जो उपबंध किए गए हैं, वे इसी रूप में कार्यांग की भाषा पर लागू होंगे। कार्यांग आदि में भाषा की नीति क्या हो, इसे संविधान के उपबंधों के भीतर रहते हुए शासन को निर्णय करना है। अनुच्छेद 344 में इस प्रश्न पर विचार किया गया है। यह अनुच्छेद संविधान के अनुसार कार्य करने की उस प्रणाली को स्पष्ट करता है, जो देश के सामने 1950 के समय में दिशा के रूप में दिखाई पड़ती थी। आइए, पहले इस अनुच्छेद का अध्ययन करें और बाद में इसकी व्याख्या करें।

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति –i) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति से–

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करें।

(3) खंड 2) के अधीन सिफ़ारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड 5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

इस अनुच्छेद को समझने के लिए हमें आठवीं अनुसूची की संकल्पना को समझना होगा। यद्यपि संविधान संघ शासन के संदर्भ में सिर्फ़ राजभाषा हिंदी की बात करता

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 252 8/18/2021 12:21:51 PM

है, संविधान के निर्माताओं ने देश की बहुभाषिता की स्थिति और देश में विद्यमान अन्य भाषाओं के महत्व से मुँह नहीं मोड़ा। यह अनुसूची संविधान में निम्न प्रकार है :

अष्टमअनुसूची

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान बना तो देश की 14 प्रमुख भाषाओं को इस अष्टम अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई। बाद में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह इन भाषाओं की संख्या 22 हो गई–

(अनुच्छेद 344 (1) और 351)

(1) असमिया	(2) उड़िया	(3) उर्दू	(16) नेपाली	(21) बोडो
(4) कन्नड़	(5) कश्मीरी	(6) गुजराती	(17) मणिपुरी	(22) संथाली
(7) तमिल	(8) तेलुगु	(9) पंजाबी	(18) कोंकणी	
(10) बांग्ला	(11) मराठी	(12) मलयालम	(19) डोगरी	
(13) संस्कृत	(14) हिंदी	(15) सिंधी	(20) मैथिली	

अब हम अनुच्छेद 344 के प्रसंग पर आएँ। इसके अनुसार राजभाषा के कार्यान्वयन में व्यापक प्रतिनिधित्व वाली बात अपनाई गई है। जो राजभाषा आयोग गठित होगा उसमें 8वीं अनुसूची की भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे, और वह शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के बारे में सिफ़ारिश करेगा। आयोग राजभाषा के कार्यान्वयन की सिफ़ारिश करने में एक तरफ़ औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखेगा और दूसरी ओर सेवाओं में अहिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों (उनके भाषिक अधिकारों) और हितों का पूरा ध्यान रखेगा। इस तरह आयोग अपने गठन और अपने कार्य क्षेत्र की सीमा में अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य लेकर चलता है।

आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनेगी, जिसके सदस्य क्रमशः दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

आयोग की सिफ़ारिशों पर समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति कार्यान्वयन के निर्देश देंगे।

इस तरह राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन संबंधी पूरी प्रक्रिया जनतांत्रिक है, इसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया है और राजभाषा हिंदी के क्रमिक विकास पर बल दिया गया है।

13.5 राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा

आइए, अब हम संविधान के भाग 17 के अंतिम अनुच्छेद (अनुच्छेद 351) की चर्चा करें जिसका शीर्षक है 'हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।' संविधान में अन्य अनुच्छेद सांविधिक हैं, अर्थात् कानून के तौर पर उनका पालन किया जाना है। लेकिन यह अनुच्छेद 'निर्देश' है, जो हिंदी के विकास के लिए दिशा देता है, वैचारिक भूमि देता है।

संविधान में भाषा संबंधी अन्य अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रश्न है, लेकिन अनुच्छेद 351 सिर्फ़ हिंदी की बात करता है। क्या यह अनुच्छेद राजभाषा के अकेले संदर्भ में है? नहीं, यह कुल मिलाकर हिंदी भाषा के संदर्भ में है, जो राजभषा के अतिरिक्त शिक्षा की भाषा, साहित्य की भाषा, जन संपर्क की भाषा आदि अन्य भूमिकाओं का भी वहन करेगी। इसीलिए इस अनुच्छेद का संबंध हिंदी भाषा के स्वरूप, भूमिकाएँ तथा उसकी समृद्धि के प्रसंगों से है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 253 8/18/2021 12:21:51 PM

कई विद्वान कुछ निराशा के साथ कहते हैं कि हिंदी को संविधान में सिर्फ़ राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि संविधान में इसे राष्ट्रभाषा न कहे जाने के कारण इस भाषा का महत्व कम हो गया है? इस निराशा का संभवतः यह भी कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व के भाषा आंदोलन में प्रायः यही कहा जाता था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा National Language हो सकती है। लेकिन संविधान में सिर्फ़ राजभाषा (जिसमें 'सरकारी भाषा' के महत्वहीन तात्पर्य की गंध दिखायी पड़ती है) का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रभाषा कहने पर दो तात्पर्य निकलते हैं। एक है राष्ट्र की एकमात्र भाषा। किसी भी बहुभाषिक देश में अन्य सारी भाषाओं की अस्मिता को ठुकराते हुए उनके स्थान पर सिर्फ़ एक भाषा को ही स्वीकार करने वाली बात किसी भी जनतांत्रिक देश में सही दृष्टि नहीं मानी जा सकती। इस कारण कुछ विद्वान राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए इस शब्द के अर्थ को विस्तार देकर कहते हैं कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला आदि सभी हमारी राष्ट्रभाषाएँ हैं। फिर इस अर्थ में 'राष्ट्रभाषा' का कोई निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। राष्ट्रभाषा का दूसरा अर्थ यह है कि उससे सांकेतिक सम्मान प्रकट होता है, जैसे राष्ट्रगान से। हिंदी भाषा का प्रश्न सम्मान से अधिक उसके प्रयोजनों का है, उसकी भूमिकाओं का है। राजभाषा हिंदी की एक अहम भूमिका है, एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे संविधान में परिभाषित और व्याख्यायित किया गया है। इसकी अन्य कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं– यह देश की भाषाओं के बीच एक सेतु है, एक संपर्क भाषा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो दस से अधिक देशों में बोली जाती है और लगभग 150 विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। आप आगे अनुच्छेद का अध्ययन करें और देखें कि क्या आपको इसमें अन्य भूमिकाओं का संकेत मिलता है?

351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश– संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

आइए, अब इस अनुच्छेद की व्याख्या करें और इसके तात्पर्य को गहराई से देखें। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित प्रमुख कथ्य हैं :

संघ का पहला दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यहाँ राजभाषा से इतर जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, अन्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रसार का निदेश है। अर्थात् संघ शासन शैक्षिक, साहित्यिक आदि स्तरों पर इसके प्रसार का उपाय करे। तभी राजभाषा के रूप में उसके प्रसार को बल मिलेगा।

(ii) संघ का दूसरा दायित्व होगा कि वह हिंदी का विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्मय बन सके। इस कथ्य का यह आशय है कि हिंदी को एक बहुभाषी समाज में सभी भाषाओं के बीच सेतु बनना चाहिए। इस अर्थ में यह सही मायने में राष्ट्रीय भाषा होगी। इस तरह का सेतु या संपर्क सूत्र बनने के लिए उसे सभी भाषा क्षेत्रों के सांस्कृतिक तत्वों को अभिव्यक्त करना होगा। यह उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के ज्ञान–विज्ञान का भंडार तथा सांस्कृतिक–साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध हों। स्वाभाविक रूप, शैली तथा अभिव्यक्ति का ग्रहण तभी संभव होगा जब हिंदी में उन भाषाओं की संकल्पनाओं और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश होगा। इस तरह हिंदी देश की प्रमुख भाषा के वाङ्मय का आगार बनेगी और उन भाषाओं के बीच सेतु बनेगी। इस

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 254 8/18/2021 12:21:51 PM

प्रकार का विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। इस विकास की स्थिति में सभी भाषाएँ दूसरी भाषाओं की सामग्री के लिए हिंदी भाषा को आधार या माध्यम बनाएँगी। हिंदी भाषा की इस महत्वपूर्ण भूमिका को हम राष्ट्रभाषा का तीसरा तात्पर्य कह सकते हैं।

(iii) संघ का तीसरा दायित्व होगा कि वह हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करे। इसके लिए दो निदेशक तत्व दिए गए हैं–

(अ) हिंदुस्तानी तथा अष्टम सूची की अन्य पंद्रह भाषाओं से रूप (Form), शैली (Style) तथा अभिव्यक्तियों (Expressions) को आत्मसात करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार अन्य भाषाओं के तत्वों को ग्रहण करने पर भी हिंदी भाषा की मूल प्रकृति में किसी प्रकार का कृत्रिम परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अगर हिंदी भाषा ऊपर के कथन ii) के संदर्भ में राष्ट्रीय संस्कृति का सेतु या वाहक बने, तो अन्य भाषाओं के साहित्य और वाङ्मय के साथ उनके रूप, शैली तत्व और अभिव्यक्तियाँ सहज रूप में आएँगी। हिंदी भाषा में इस तरह से रूप आदि खप जाएँगे और भाषा की समृद्धि स्वाभाविक रूप से होगी।

आ) हिंदी भाषा की समृद्धि का दूसरा निदेशक तत्व यह है कि हिंदी भाषा आवश्यकतानुसार संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करेगी। यहाँ भी वांछनीय शब्द ग्रहण तभी हो सकेगा, जब हिंदी में उन भाषाओं का साहित्य आएगा।

इन दोनों निदेशक तत्वों पर गौर कीजिए–रूप, शैली तथा अभिव्यक्तियाँ अष्टम सूची की भाषाओं से आएँगी, जबकि शब्द भारत की सभी भाषाओं से ग्रहण किए जा सकेंगे। जो यह बात फिर स्पष्ट करती है कि हिंदी को अष्टम सूची की भाषाओं के सहयोग से विकास का साामन्य रास्ता अपनाना है।

उपर्युक्त चर्चा के संदर्भ में कह सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी की उन भूमिकाओं का संकेत करता है, जिनके आधार पर इसे सच में राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा कहा जा सकता है। भारतीय भाषाओं के विकास की नीति में इस प्रकार हिंदी को एक केंद्रीय तथा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो इसके ऐतिहासिक विकास क्रम के संदर्भ में वांछनीय है, आवश्यक है।

13.6 विशेष निर्देश

अध्याय 4 के अनुच्छेद 350 में तीन निर्देश हैं :

(1) देश का कोई नागरिक अपनी व्यथा निवारण के लिए देश की किसी भाषा में संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा देश के हर व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता दी गयी है। यह बात नेमी पत्राचार आदि के लिए नहीं है, सिर्फ व्यथा निवारण के लिए है।

इस अनुच्छेद के शेष दो निर्देश 350 (क) तथा 350 (ख) संविधान संशोधन सं. 7, 1950 के अनुसार जोड़े गये। 350 (क) अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण की स्वतंत्रता देता है। 350 (ख) में यह प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जो उन वर्गों के हितों की रक्षा से संबंधित मामलों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। इन दोनों मामलों पर राज्य सरकार को निदेश देने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 255 8/18/2021 12:21:51 PM

अध्याय 4– विशेष निर्देश

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा– प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

350. क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ– प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

350. ख. भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी– (1) भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतराल पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

बोध प्रश्न

(6) उपयुक्त शब्द से या सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए।

(i) इस समय अष्टम (आठवीं) अनुसूची में ..... भाषाओं का उल्लेख है। (15 / 22)

(ii) भाषायी आयोग को ..... के बारे में सिफ़ारिशें देनी थीं।
(1965 के बाद अंग्रेज़ी को जारी रखने / हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने)

(iii) अनुच्छेद 350 (क) में अल्पसंख्यकों को ..... स्तर तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है।
(प्राथमिक / कालेज)

(iv) अनुच्छेद 351 में ..... भाषा के प्रकार्यों और विकास के निदेश हैं। (राज / प्रादेशिक / हिंदी)

(v) देश का कोई नागरिक संघ शासन के पत्र में ..... के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है।
(नौकरी के आवेदन / व्यथा निवारण)

(7) बताइए कि व्यक्ति के भाषाई अधिकार क्या हैं ?

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) .....

13.7 सारांश

संविधान में भाषा के सवाल को बहुत महत्व दिया गया है। कुल 395 अनुच्छेदों में 11 अनुच्छेद इसी सवाल पर हैं। इससे यही बात प्रकट होती है कि एक बहुभाषी समाज

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 256 8/18/2021 12:21:51 PM

में भाषा की ऐसी नीति तय करना, जो जनतांत्रिक हो और संघीय हो, कितनी जटिल प्रक्रिया है। सवंधिान के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा है और राजकीय प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले भारतीय अंक प्रयोग में लाए जाएँगे।

राजभाषा से तात्पर्य शासन के तीनों अंगों में (विधानांग, न्यायांग और कार्यांग में) प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इन अंगों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहा। उसके 1965 तक जारी रहने का प्रावधान है। इस बीच क्रम से विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग का अध्ययन किया जाएगा और 1965 से हिंदी को राजभाषा के रूप में अमल में लाने का अधिनियिम लाया जाएगा। आवश्यकतानुसार अंग्रेजी 1965 के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए जारी रह सकेगी।

अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा की प्रकृति और विकास प्रक्रिया का उल्लेख है। यह अनुच्छेद राजभाषा की चर्चा नहीं करता। इसकी भाषा से अनुमान कर सकते हैं कि इसमें अखिल भारतीय हिंदी या राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे चर्चा है।

संविधान व्यक्तियों को भाषिक अधिकार देता है। इस दृष्टि से यह जनतांत्रिक है।

संविधान हिंदी के साथ–साथ देश की भाषाओं के विकास और परस्पर सहयोग की व्यवस्था देता है। इस दृष्टि से यह संघीय प्रकृति का है।

13.8 शब्दावली

पत्रादि	:	पत्र, फाइल पर कार्य, सूचनाएँ आदि सांविधिक सामग्री–संविधान, अधिनियम, अध्यादेश आदि जो संविधि कहलाते हैं।
कार्रवाई	:	काम
कार्रवाही	:	अदालत में सुनवाई आदि।
सामासिक संस्कृति	:	देश की कई संस्कृतियों की एक समस्त समन्वित संस्कृति।
व्यथा	:	व्यक्ति के प्रति राज्य (State) द्वारा अन्याय या व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन।

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भारत का संविधान

गेपाल राव एकबोटे– राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र, मेमर्स एकबोटे ब्रदर्स, हैदराबाद (1987)

कैलाश चंद्र भाटिया– राजभाषा हिंदी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली (1989)

13.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

(1) नाम को लेकर।

(2) बोलचाल की भाषा, समन्वयवादी दृष्टि।

(3) (i) 17

(ii) 343, देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय

(iii) विधानांग, न्यायांग, कार्यांग

(iv) राष्ट्रपति आदेश

(v) राज्य।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 257 8/18/2021 12:21:51 PM

(4) (i) नहीं (ii) हाँ (iii) हाँ (iv) नहीं (v) हाँ।

(5) उच्चतम न्यायालय ..... कार्रवाई ..... स्थानीय भाषा में बातचीत संभव। दोनों न्यायालय ..... फैसले दोनों राजभाषाओं में।

(6) (i) 22

(ii) हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने

(iii) प्राथमिक

(iv) हिंदी

(v) व्यथा निवारण

(7) (i) मातृभाषा में व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन

(ii) अल्पसंख्यक वर्ग के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा

(iii) पर्याप्त अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को राजकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता

(iv) संसद/विधान मंडल में मातृभाषा में संबोधन की अनुमति।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 258 8/18/2021 12:21:51 PM

इकाई 14 : राजभाषा अधिनियम और आदेश

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 राजभाषा अधिनियम

14.2.1 राजभाषा अधिनियम 1963 का मूल रूप

14.2.2 उक्त अधिनियम का विवेचन

14.3 राजभाषा नियम

14.3.1 राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप

14.3.2 उक्त नियम का विवेचन

14.4 सारांश

14.5 शब्दावली

14.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई में हम राजभाषा के संदर्भ में 1963 के अधिनियम (1967 मे संशोधित रूप में) के बारे में तथा उसके आधार पर 1976 में राजभाषा विभाग द्वारा प्रवर्तित नियमों का अध्ययन करेंगे।

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- अधिनियम के लोकतांत्रिक स्वरूप को और इसकी मूल भावना को पहचान सकेंगे;
- राजभाषा अधिनियम के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग के क्षेत्रों का वर्णन कर सकेंगे;
- उक्त अधिनियम के आधार पर जो स्पष्ट नियम घोषित हुए थे उनका वर्णन कर सकेंगे; और
- यह सोच सकेंगे कि भाषा के विकास के लिए किन दिशाओं में कार्य करना अपेक्षित या आवश्यक है।

14.1 प्रस्तावना

हमने पिछली इकाई में यह अध्ययन किया कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए। उस समय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दायित्व वहन करने के लिए पंद्रह साल की अवधि (1965 तक का समय) दी थी। इस बीच राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग गठित किया और उसकी सिफारिश पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सुझाव देने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में विचार–विमर्श हुआ और उसके उपरांत 1960 में राष्ट्रपति ने आगे की कार्रवाई के आदेश दिये।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

1963 में संसद में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसका तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ। इस विरोध के कारण यह अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया। इस इकाई में हम राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित रूप में) का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि राजभाषा के क्या प्रकार्य सुझाये गये हैं।

संविधान या अन्य अधिनियम दिशा संकेत करते हैं। लेकिन वास्तविक कार्रवाई क्या हो, इसे संविधान के अनुरूप प्रशासन निश्चित करता है। कौन व्यक्ति कब, किस प्रकार से राजभाषा का व्यवहार करे आदि सूचनाएँ नियमों के रूप में सूचित की जाती हैं और व्यक्तियों तथा पदाधिकारियों को इन नियमों का अनुपालन करना होता है। इस संदर्भ में राजभाषा के 1976 के नियम महत्वपूर्ण हैं। हम इस इकाई में 1976 के नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

14.2 राजभाषा अधिनियम

यहाँ हम राजभाषा अधिनियम को, जो 1967 में संशोधित किया गया था, संशोधित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप इसका अध्ययन करें। अधिनियम के अध्ययन के बाद आप इसकी व्याख्या देखेंगे।

14.2.1 राजभाषा अधिनियम 1963 का मूल रूप

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम सं. 19)

(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएँ :

इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''नियत दिन'' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) ''हिंदी'' से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।

(1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेज़ी भाषा, नियत दिन से ही–

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 260 8/18/2021 12:21:52 PM

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी:

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ–साथ उसका अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में भेजा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा–

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कम्पनी का कर्मचारीवृन्द हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथाशक्ति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही–

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किये जाते हैं।

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गये प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज–पत्रों के लिए,

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 261 8/18/2021 12:21:52 PM

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार, धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन–साधारण के हितों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के संबंध में समिति

(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्त्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफ़ारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किये हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

परन्तु इस प्रकार निकाले गये निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 262 8/18/2021 12:21:52 PM

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद।

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित–

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गये किसी आदेश, नियम, विनियम, या उपविधि का–

हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

जहाँ किसी राज्य के विधान मण्डल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राजयपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ–साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्ति शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जबवह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएँ या दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावशील होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

कतिपय उपबन्धों का जम्मू–कश्मीर पर लागू न होना।

9. धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू–कश्मीर राज्यों को लागू न होंगे।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 263 8/18/2021 12:21:52 PM

14.2.2 उक्त अधिनियम का विवेचन

आइए, अब हम राजभाषाा अधिनियम 1963 का विवेचन करें और देखें कि इसमें हिंदी के किन प्रकार्यों का संकेत किया गया है और उन प्रकार्यों को अमल में लाने के लिए किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं?

संविधान के अनुसार, 1965 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करना था और राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रक्रिया से यह निर्णय करना था कि अंग्रेजी उसके बाद किस मात्रा में और किन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाई जाती रहेगी। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि हिंदी को राजभाषा बनाने के मामले में कुछ राज्यों की, खासकर तमिलनाडु की असहमति थी। तमिलनाडु यह चाहता था कि अंग्रेज़ी का उपयोग समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अंग्रेज़ी को पूर्ववत् व्यवहार में लाया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में आश्वासन दिया था कि राजभाषा के सवाल पर पूरे देश की सहमति होनी चाहिए और सहमति न हो तो अंग्रेज़ी भाषा के व्यवहार को आगे तक के लिए जारी रखना चाहिए। इसी संदर्भ में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का पहला वाक्य यह सूचित करता है कि राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेज़ी भाषा का व्यवहार जारी रहेगा। इस स्थिति को आम तौर पर इस ढंग से विद्वान विश्लेषित करते हैं कि 1965 से हिंदी देश की राजभाषा है और अंग्रेज़ी देश की सह–राजभाषा (Associate official Language) के रूप में बनी रहेगी इसका तात्पर्य यह है कि इस समय देश की दो राजभाषाएँ हैं।

इस संदर्भ में आप यह जानना चाहेंगे कि क्या दोनों भाषाओं का समान रूप से प्रयोग किया जाता रहेगा या क्या हिंदी या अंग्रेज़ी के कुछ विशिष्ट प्रकार्य होंगे, जिनके बारे में अधिनियम में चर्चा की गई है? इस चर्चा को समझने के लिए हमें शासन तंत्र में भाषा की स्थिति के बारे में जानना होगा। अधिनियम लागू होने की तिथि तक अंग्रेज़ी भाषा अधिकतर प्रयोजनों के लिए व्यवहृत होती रही है। सरकार के कार्य फ़ाइलों में अंग्रेज़ी के माध्यम से होते रहे हैं। इस कारण सरकारी कर्मचारी अंग्रेज़ी में काम करने के आदी रहे हैं। अगर दोनों भाषाओं को समान रूप से राजभाषा घोषित किया जाता और दोनों में से किसी भी भाषा को उपयोग में लाने की छूट दी गई होती तो खतरा यह था कि लोग आदत के कारण अंग्रेज़ी के माध्यम से ही काम करते रहते और हिंदी उपेक्षित रह जाती। यद्यपि अंग्रेज़ी के व्यवहार को मान्यता दी गई, फिर भी संविधान के उपबंधों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रसार को और उसके विकास को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इस दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि अंग्रेज़ी में काम करने के बावजूद हिंदी का प्रसार हो और उसके व्यवहार क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इस तरह हिंदी भाषा को अधिकाधिक प्रयोजनों में काम में लाने की प्रक्रिया इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य है।

इस अधिनियम का दूसरा प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा का विकास करना है। अब तक सरकार के कानून में दी गई व्यवस्था के कारण विनियम, मैनुअल आदि अधिकांश साहित्य अंग्रेज़ी के माध्यम से ही उपलब्ध रहा है। अगर यह साहित्य हिंदी के माध्यम से उपलब्ध न कराया जाए तो लोगों से हिंदी के माध्यम से काम करने की अपेक्षा करना संभव नहीं। इस प्रकार, हिंदी भाषा को अनुवाद का सहारा देते हुए अंग्रेज़ी में उपलब्ध प्रशासनिक साहित्य को हिंदी के माध्यम से उपलब्ध कराना एक प्रमुख उद्देश्य था। इन अधिनियमों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हिंदी में प्रशासनिक साहित्य उपलब्ध कराया जाए, उस साहित्य का उपयोग करने के संदर्भ में कुछ व्यवस्था सुझायी जाए, जिससे लोग हिंदी की उपेक्षा न करें और हिंदी में काम कर सकें।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 264 8/18/2021 12:21:52 PM

इन परिस्थितियों के कारण पत्राचार तथा साहित्य के सृजन/अनुवाद के संदर्भ में अधिनियम क्या कहता है, इसकी चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि दो प्रदेश आपस में पत्राचार आदि के लिए भाषा की क्या नीति अपनाएँ। जिन राज्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, उनके साथ संघ का व्यवहार अंग्रेज़ी के माध्यम से जारी रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और उस राज्य के बीच, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया, हिंदी के माध्यम से पत्राचार आदि संभव होगा। जहाँ तक दो राज्यों का सवाल है, जिनमें से एक ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया और दूसरे ने नहीं, हिंदी राजभाषा वाले राज्य से निकलने वाले पत्र अगर हिंदी में हैं तो उनके साथ अंग्रेज़ी का अनुवाद भेजा जाएगा, लेकिन अगर ऐसे दो राज्य चाहें कि वे अंग्रेज़ी को बीच में लाए बिना हिंदी के माध्यम से पत्राचार करें तो अंग्रेज़ी का अनुवाद भेजना अनिवार्य नहीं होगा।

पत्र आदि के संदर्भ में हम राज्यों की स्थिति या संघ और राज्यों की स्थिति से केंद्र संघ की आंतरिक स्थिति को अलग करना चाहेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालय दो प्रकार के हैं : देश की राजधानी में मंत्रालय हैं। इन मंत्रालयों में आपस में पत्राचार तथा फ़ाइलों का काम होता है। देश के अन्य स्थानों में सरकार के अन्य विभाग हैं, केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में स्थापित कंपनियाँ, निगम आदि हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, निगमों तथा कंपनियों में काम करने वाले लोग इस प्रकार पूरे देश में फैले हुए हैं। इनकी भाषाई पृष्ठभूमि अलग–अलग है और इनमें कई अहिंदीभाषी हैं, जो संभवतः हिंदी में अधिक दक्ष नहीं हैं या पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं, इस कारण केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों आदि के बीच का पत्राचार आदि हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में हो सकता है, बशर्ते कि दूसरी राजभाषा में अनुवाद संलग्न किया जाएगा। अंग्रेज़ी अनुवाद तब तक संलग्न किया जाएगा, जब तक अमुक विभाग के कर्मचारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें। कार्यसाधक ज्ञान से क्या तात्पर्य है, इसे हम इस इकाई में आगे स्पष्ट करेंगे।

एक तरफ़ पत्र आदि का सवाल है जिसमें पत्राचार तथा फ़ाइलों का काम शामिल है, दूसरी तरफ़ सरकार की ओर से निकलने वाले आदेश, नियम आदि का सवाल है, जो आम जनता के उपयोग के लिए है। आम जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि आम आदमी के उपयोग के सारे कागज़ पत्र द्विभाषी रूप में हों। यह बात अधिनियम की उपधारा 3 (3) में स्पष्ट की गई है। आप उसमें स्वयं देखें कि किन तीन प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएँ इस उपधारा में जोड़ी गई हैं।

उक्त तीन उपधाराओं में किन विशेष परिस्थितियों में हिंदी का अनिवार्य प्रयोग हो, यह स्थिति स्पष्ट की गई है। इस अनिवार्यता के कारण यह शायद आवश्यक हो जाता कि प्रशासनिक तंत्र का हर व्यक्ति दोनों भाषाओं का प्रयोग करे अन्यथा अधिनियम का अनुपालन संभव नहीं है, लेकिन बहु–भाषी समाज में तुरंत ही दोनों भाषाओं की अनिवार्य दक्षता को अमल में लाना कठिन हो सकता है और उस स्थिति में अनुपालन न करने पर व्यक्ति दंडित भी किया जा सकता है। सरकार यद्यपि राजभाषा हिंदी के अनिवार्य प्रयोग के लिए वचनबद्ध है, फिर भी वह किसी व्यक्ति को भाषा न जानने के कारण दंडित नहीं करना चाहेगी। यह बात उपधारा 4 में स्पष्ट की गई है, जिसके अनुसार जो व्यक्ति जिस भाषा में दक्ष हो वह उस भाषा में काम करता जाए। यह स्थिति कैसे संभव बनाई गई है इसकी चर्चा हम 1976 के आदेश के संदर्भ में आगे करेंगे। यहाँ यह उल्लेख करना मात्र आवश्यक है कि भाषा की नीति के कारण किसी व्यक्ति का अहित नहीं किया जा रहा है यह इस अधिनियम की मूलभावना है।

फिर यह सवाल उठ सकता है कि अंग्रेज़ी कब तक बनी रहेगी और अंग्रेज़ी के स्थान पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग कैसे पूर्णतया अमल में लाया जा सकता है। तब धारा 35

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 265 8/18/2021 12:21:52 PM

में यह उल्लेख किया गया है कि जब तक सभी राज्यों के विधान मंडल यह संकल्प न पारित कर लें कि वे धारा 3 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग समाप्त न कर दें और उन संकल्पों के आधार पर संसद के दोनों सदनों से आशय का संकल्प न पारित करें तब तक अंग्रेज़ी इन प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाई जाती रहेगी। यह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि संविधान के उपबंधों के बावजूद जन भावना के संदर्भ में देश की भाषा नीति को अत्यंत लोकतांत्रिक बनाया गया है। धारा 3 में दोनों राजभाषाओं के प्रकार्यों की स्थिति स्पष्ट की गई है और इसके संदर्भ में की जाने वाली कार्रवाई की देखरेख के लिए और हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति के आकलन के लिए एक राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया जाएगा।

हमने ऊपर उल्लेख किया था कि अधिनियम, अध्यादेश आदि जब अंग्रेज़ी में पारित किए जाते हैं और उनके आधार पर सरकार द्वारा आदेश, नियम आदि अंग्रेज़ी में बनाए जाते हैं तो उनका हिंदी में अनुवाद संलग्न करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में हमने पिछली इकाई में चर्चा की थी कि अनुवाद की मान्यता क्या है? क्या अनुवाद को कोई कहीं पर अमान्य कह सकता है, क्योंकि मूल अधिनियम आदि अंग्रेज़ी में पारित किए गए थे? धारा 5 में पुनः इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हिंदी अनुवाद हिंदी का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। उपधारा 5 (2) में यह भी उल्लेख है कि अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ ही प्रस्तुत होगा और दोनों पाठ एक साथ प्राधिकृत किए जाएँगे।

इसी तरह, राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम आदि के संदर्भ में नीति की घोषणा धारा 6 में की गई है। यह संभव है कि राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेज़ी से भिन्न कोई क्षेत्रीय भाषा हो। स्वभावतः अधिनियम आदि उस क्षेत्रीय भाषा में ही प्रस्तुत होंगे। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की गई है कि अंग्रेज़ी और हिंदी, दोनों भाषाओं में राज्य विधान मंडल के अधिनियम आदि का अनुवाद किया जाएगा और हिंदी अनुवाद, हिंदी, भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

संविधान के अध्ययन के संदर्भ में हमने उल्लेख किया था कि उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए संघ की राजभाषा से भिन्न कोई क्षेत्रीय भाषा स्वीकृत की जा सकती है। लेकिन संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय निर्णय, डिक्री, आदेश आदि प्रयोजनों के लिए जब तक अन्यथा व्यवस्था न की जाए अंग्रेज़ी भाषा का ही प्रयोग करता रहेगा। धारा 7 में निर्णय, डिक्री, आदेश आदि के लिए संवैधानिक तरीके से क्षेत्रीय भाषा जो राजभाषा स्वीकृत की गई हो, के उपयोग का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में संघ की राजभाषा में प्राधिकृत पाठ उपलब्ध होना भी अनविार्य है, अन्यथा संघ के स्तर पर कानूनी कार्रवाई असंभव हो जाएगी। धारा 7 में यह भी उल्लेख है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की भाषा में निर्णय, डिक्री आदि पारित किया जाए तो उनके साथ–साथ अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा।

इस तरह हम देखते हैं कि इस अधिनियम से राजभाषा हिंदी को ही नहीं, बल्कि राज्यों के स्तर पर विधान मंडल और उच्च न्यायालय द्वारा देश की अन्य भाषाओं के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के संदर्भ में यह भी ध्यान रखा गया है कि देश के स्तर पर संपर्क बना रहे। इस अधिनियम की यह उपलब्धि है कि देश की भाषाओं को राजभाषा के स्तर पर उचित स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिनियम के आधार पर विशिष्ट कार्य–प्रणाली सूचित करने के लिए नियम आदि बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र सरकार को यह दायित्व धारा 8 द्वारा सौंपा गया है कि वह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमों की घोषणा करे। नियम बनाने की शक्ति के बावजूद संसद को यह अधिकार होगा कि सहमति न होने की स्थिति में वह नियम दोनों सदनों द्वारा

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 266 8/18/2021 12:21:52 PM

सुझाए गए रूप में प्रभावित होगा या निरस्त होगा। यह धारा स्पष्ट करती है कि कार्यान्वयन पर भी संसद को निगरानी करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जो किसी जनतांत्रिक देश के लिए अच्छी अवस्था है।

हमने उल्लेख किया था कि राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक कार्यान्वयन हेतु नियम पारित करे। इस संदर्भ में भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग कार्यरत है। राजभाषा विभाग राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। विभाग ने 1976 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो नियम बनाए हैं, उनकी जानकारी हम इसी इकाई में आगे प्राप्त करेंगे।

बोध प्रश्न

1. हाँ / नहीं में उत्तर दीजिए।

(i) इस समय अंग्रेज़ी भारत की सह–राजभाषा है। ( )

(ii) दो राज्य जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, हिंदी में पत्राचार नहीं कर सकते। ( )

(iii) संकल्प, आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, संसद रिपोर्ट, निविदा आदि द्विभाषी होंगे। ( )

(iv) अधिनियम और अध्यादेश के अंग्रेज़ी और हिंदी अनुवाद को एक साथ प्रस्तुत और प्राधिकृत किया जाएगा। ( )

(v) राज्य का विधान मंडल क्षेत्र की राजभाषा में अधिनियम नहीं बना सकता। ( )

(vi) उच्च न्यायालयों के आदेश आदि के हिंदी पाठ को संसद के दोनों सदन प्राधिकृत करेंगे। ( )

(vii) हिंदी के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर संसद द्वारा विचार किया जा सकता है। ( )

(2) इस अधिनियम में संसद द्वारा अधिनियम और विधेयकों को हिंदी में प्रामाणिक पाठ के रूप में प्राधिकृत करने के बारे में उल्लेख है। क्यों?

.....

.....

.....

.....

(3) इस अध्यादेश में संसद सदस्यों की तीस सदस्यीय समिति का उल्लेख है।

(i) इसका पहले कहाँ उल्लेख आया है?

(ii) इसका कार्य पहले की समिति से कहाँ तक भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 267 8/18/2021 12:21:52 PM

14.3 राजभाषा नियम

हमने उल्लेख किया था कि संसद अधिनियम बनाती है और इसके आधार पर प्रशासन नियम बनाता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के आधार पर 1976 में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने नियम घोषित किये थे, जिन्हें हम आगे देखेंगे। चूँकि ये नियम उक्त अधिनियम पर आधारित हैं, आप पहले से अधिनियम का ठीक से अध्ययन कर चुके होंगे तो इन नियमों की भाषा आपको बोधगम्य लगेगी। यहाँ आगे पहले नियम मूल रूप से दिए जा रहे हैं और बाद में उनकी व्याख्या की जा रही है।

14.3.1 राजभाषा नियम 1976 का मूल रूप

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं. 11011/1/73–रा.भा. (क–1) दिनांक 28–6–76 की प्रतिलिपि

सा.का.नि.– राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

(2) इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) **परिभाषाएँ**– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) ''अधिनियम'' से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) ''केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात् :

(i) केंद्रीय सरकार को कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय;

(ग) ''कर्मचारी'' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''हिंदी में प्रवीणता'' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

(च) ''क्षेत्र क''से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(छ) ''क्षेत्र ख'' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत है;

(ज) ''क्षेत्र ग'' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(झ) ''हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान''से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 268 8/18/2021 12:21:52 PM

(3) राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि–

केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से–

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेज़ी या हिंदी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र 'ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

(4) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों का ध्यान रखते हुए समय पर अवधारित करें;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न हैं पत्रादि हिंदी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं;

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 269 8/18/2021 12:21:52 PM

(ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं :

परंतु जहाँ ऐसे पत्रादि–

(i) 'क' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित हों वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित हों वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा :

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(5) हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर– नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएँगे।

(6) हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग– अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज़ हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

(7) आवेदन, अभ्यावेदन, आदि–1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेज़ी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम 1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिंदी या अंग्रेज़ी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

(8) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना–1) कोई कर्मचारी किसी फ़ाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी या अंग्रेज़ी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज़ के अंग्रेज़ी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज़ विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नही तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम 1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 270 8/18/2021 12:21:52 PM

कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

(9) हिंदी में प्रवीणता– यदि किसी कर्मचारी ने–

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध रूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

(10) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान–1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने–

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

(ii) केंद्रीय सरकार को हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, जहाँ उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्न परीक्षा विनिर्दिष्ट है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;

या

(ख) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम 2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 271 8/18/2021 12:21:52 PM

(11) मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि।

1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेज़ी में द्विभाषीय रूप में, यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेज़ी में होंगे।

3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यलय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखी जाएँगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों में छूट दे सकती है।

12) अनुपालन का उत्तरदायित्व–

1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह–

i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

ii) इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त और प्रभावकारी जाँच के लिए उपाय करे।

2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय–समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

14.3.2 उक्त नियम का विवेचन

आपने राजभाषा निमय 1976 का अवलोकन किया होगा। संभव है कि कई बातें आपको स्वतः स्पष्ट हो गई होंगी क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उनका उल्लेख संविधान और 1963 के राजभाषा अधिनियम में किसी न किसी रूप में हुआ है। यह नियम उस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हैं। हम इन नियमों की कुछ प्रमुख विशेषताओं की यहाँ चर्चा करेंगे जिससे आप अनुभव कर सकते हैं कि संविधान की लोकतांत्रिक और सर्वजनहित संबंधी नीति का परिपालन इन नियमों में किस प्रकार किया गया है।

संघ शासन के बारे में बातचीत करते हुए हमने ऊपर के प्रकरण में चर्चा की थी कि केंद्र सरकार के कार्यालय पूरे देश में फैले हुए हैं। इन कार्यालयों में भिन्न–भिन्न भाषा–भाषी कार्य करते हैं और उनके लिए हिंदी में दक्षता या प्रशिक्षण के अभाव में हिंदी में काम करना कठिन हो सकता है। हमने यह भी उल्लेख किया था कि सरकार की नीति भाषा के ज्ञान के अभाव के कारण किसी व्यक्ति को दंडित करने की नहीं है, बल्कि कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते हुए व्यक्ति को भाषा के मामले में यथासंभव स्वतंत्रता देने की है। अधिनियम में यह भी हमने चर्चा की थी कि जब तक व्यक्ति हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक उसे यह सहायता मिलती रहेगी। 1960 के राष्ट्रपति के आदेश में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति 45 वर्ष से ऊपर का है, उसे भाषा सीखने के लिए मजबूर न किया जाए बल्कि पूर्ववत काम करने की अनुमति दी जाए। प्रसंग से हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे कि 45

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 272 8/18/2021 12:21:52 PM

वर्ष से ऊपर के लोगों की छूट की स्थिति 1960 में घोषित की गई थी, लेकिन लोग अब तक यह मानकर चल रहे हैं कि 45 वर्ष से ऊपर के होने पर उन्हें हिंदी में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह बात उन्हीं लोगों के संदर्भ में थी, जो 1960 में 45 वर्ष से ऊपर थे। लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था उस समय की व्यवस्था के अनुरूप शुरू हो जाती तो सभी लोग अब तक प्रशिक्षित हो गये होते। प्रशिक्षण की आवश्यकता और व्यवस्था भी भारत सरकार का दायित्व है, जिससे व्यक्ति हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर ले और यथासंभव हिंदी में काम करे। प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के संदर्भ में इन नियमों में जो दो शब्द हैं, उसको हम स्पष्ट करना चाहेंगे। हर व्यक्ति के लिए हिंदी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना होगा, इसकी व्यवस्था सरकार अपनी योजनाओं के अंतर्गत करती है। कार्यसाधक ज्ञान का तात्पर्य नियम 10 में स्पष्ट किया गया है। उल्लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने को कार्यसाधक ज्ञान माना जाएगा। नियम 9 प्रवीणता की परिभाषा देता है। हिंदी भाषा में प्रवीणता का तात्पर्य नियमित अध्ययन के उपरांत परीक्षा पास करना है और साथ में प्रवीणता की घोषणा करना भी पर्याप्त है। इन दोनों शब्दों का तात्पर्य नियम 10 के खंड 2, 3 और 4 में स्पष्ट किया गया है। अगर हम यह मान लेते हैं कि किसी एक विभाग या कार्यालय के कई सदस्य हिंदी भाषा में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं तो अपेक्षा यह होती है कि उस कार्यालय में हिंदी के माध्यम से कार्य हों। इस प्रकार, जिस कार्यालय में अस्सी प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लें तो उस कार्यालय को राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। कार्यसाधक ज्ञान का आशय यह है कि फिर वह व्यक्ति हिंदी में प्रस्तुत किसी कागज, पत्र का अनुवाद नहीं माँग सकता। इस तरह अनुवाद की अनिवार्यता कम होगी और हिंदी में सक्षम व्यक्तियों को काम करने की सुविधा मिलेगी। कार्यसाधक ज्ञान, दक्षता नहीं सूचित करता। इसलिए दस्तावेज़ विधि से संबंधित हो या अधिक तकनीकी हो तो व्यक्ति अनुवाद माँग सकता है। प्रवीणता घोषित करने का आशय यह है कि जिस कार्याल में प्रवीणता प्राप्त व्यक्ति हो उनसे प्रशासन यह माँग कर सकता है कि वे टिप्पण, प्रारूप लेखन आदि शासकीय प्रयोजनों के लिए सिर्फ़ हिंदी का प्रयोग करें। इस तरह, कार्यसाधक ज्ञान और प्रवीणता को व्यक्तियों के काम से जोड़ा गया है, जिससे जानकार लोग हिंदी के माध्यम से यथासंभव काम कर सकें। इस व्यवस्था को आप नियम 8 में देख सकते हैं। नियम 8 में कर्मचारियों को यह भी सुविधा दी गई है कि वे फाइलों पर हिंदी या अंग्रेज़ी, किसी भी भाषा में काम करें और उनसे उसका अनुवाद देने को कहा नहीं जाएगा। अनुवाद की व्यवस्था सरकार स्वयं करेगी और व्यक्ति अपने कार्य में भाषा के कारण प्रभावित नहीं होगा। इस तरह, 1976 का ये आदेश काम करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भाषा के व्यापक प्रयोग की व्यवस्था देता है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में आप नियम 5, 6 और 7 में देख सकते हैं। मान लें कि कोई व्यक्ति हिंदी में किसी मंत्रालय या विभाग में पत्राचार करता है तो उसे हिंदी में ही उत्तर मिलना चाहिए। नियम 8, 9 और 10 में की गई व्यवस्था के संदर्भ में कर्मचारी अपनी क्षमता की भाषा में काम करने को स्वतंत्र है। फिर भी, कार्यालयों का यह दायित्व होगा कि हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही जाए। यह व्यवस्था कार्यालय करेगा। नियम 7 पुनः व्यक्ति की भाषिक स्वतंत्रता का संकेत करता है। कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेज़ी में दे सकता है। व्यक्ति सेवा संबंधी विषयों अर्थात् उसके अपने कार्य से संबंधित मामलों की जानकारी हिंदी या अंग्रेज़ी में चाहे तो बिना विलंब के उसे उसकी माँग के अनुसार उल्लिखित भाषा में यह विषय तुरंत प्राप्त कराए जाने चाहिए। नियम 5 के संदर्भ में 7 (2) में भी पुनः उल्लेख है कि हिंदी में लिखे या हिंदी में हस्ताक्षरित पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 273 8/18/2021 12:21:52 PM

जाना चाहिए। इस तरह, नियम 5, 7 और 8 में व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता भी है और साथ में कार्यालय की यह बाध्यता भी है कि वह व्यक्तियों के अपने हित के संदर्भ में किन स्थितियों में, किस भाषा में उत्तर दे। नियम 6 ऐसी ही एक और बाध्यता की चर्चा करता है। मान लें कि कोई व्यक्ति हिंदी नहीं जानता और उसे अधिनियम 63 की उपधारा 3(3) के अनुसार किसी दस्तावेज़ पर (प्रेस विज्ञप्ति या रिपोर्ट में) दस्तखत करने हैं। वह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि ऐसे कागज़–पत्र द्विभाषी होने चाहिए। इस तरह ऐसे दस्तावेज़ों पर दस्तखत करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होगा कि दस्तावेज़ दोनों भाषाओं में हो।

इन नियमों के विवेचन को हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि हम भाषा की दृष्टि से व्यक्ति की सुविधा और उसके हित को पहले रखकर चर्चा करना चाहेंगे। व्यक्ति को भाषा में काम करने की स्वतंत्रता (प्रवीणता और कार्यसाधक ज्ञान की शर्त के संदर्भ में) उपलब्ध है लेकिन यह कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अधिनियम के अनुसार अनुवाद की प्रक्रिया से काग़ज–पत्र तैयार करने का पूर्ण परिपालन करें। इसी चर्चा में हम आगे यह भी बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा केंद्र सराकर और राज्य सरकार/राज्य सरकारों के बीच पत्र आदि की जो व्यवस्था होगी, उसमें भी नियम का अनुपालन अपनी जगह होगा और पत्र आदि से संबंधित व्यक्तियों को ऊपर बताए अनुसार अपनी भाषा में काम करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। इस सुविधा के रहते हुए सरकार यह व्यवस्था करेगी कि नियमों के अनुसार पत्र आदि दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराने के संदर्भ में अनुवाद आदि की व्यवस्था करें। यहाँ हम इस 'पत्र आदि' की चर्चा को फिर दोहराना चाहेंगे।

पत्राचार आदि के लिए निम्न प्रकार के बिंदु बनते हैं :

- केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच
- राज्य सरकारों के बीच
- केंद्र सरकार और व्यक्तियों के बीच

इन चार बिंदुओं के संदर्भ में विचार करने से पहले हम इन चारों की भाषिक पृष्ठभूमि को भी समझना चाहेंगे। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो हिंदी में ही लिख सकते हैं या अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। ऐसी राज्य सरकारें हैं जो हिंदी भाषी हैं, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है, ऐसी राज्य सरकारें हो सकती हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है और हिंदी में काम करने को तैयार हैं। इस प्रकार की विभिन्न भाषिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार के कार्यालयों और व्यक्तियों के बीच संपर्क को नियम के संदर्भ में देखने के लिए राजभाषा नियम 1976 में सुझाव दिया गया है।

नियम 3 के अनुसार, देश को तीन भागों में बाँटा गया है। आप नियम 3 को पढ़कर स्वयं देख सकते हैं कि 'क' क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रदेश हैं, 'ख' क्षेत्र में वे राज्य आते हैं, जिनमें हिंदी भाषी अधिक संख्या में हैं या जो राज्य हिंदी में काम करने को तैयार हैं और 'ग' क्षेत्र देश के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों और संघ राज्यों को सूचित करता है। नियम 3 राज्यों और केंद्र सरकार के बीच पत्राचार की व्यवस्था देता है। इस व्यवस्था को आप इस नियम की मूल भावना से पहचान सकते हैं। क्षेत्र 'ग' के राज्य के साथ संघ या दूसरे राज्य के पत्र आदि अंग्रेज़ी में होंगे। 'ख' क्षेत्र के राज्य के साथ पत्र या तो हिंदी में हों या द्विभाषिक रूप में होंगे। 'क' क्षेत्र के राज्य या राज्य के कार्यालय या व्यक्ति के साथ सामान्य रूप से पत्राचार हिंदी में होगा और अंग्रेज़ी में पत्र जाए

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 274 8/18/2021 12:21:52 PM

तो उसका हिंदी अनुवाद भी जाएगा। जहाँ तक व्यक्तियों का सवाल है, 'ख' क्षेत्र के व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेज़ी में पत्र भेजा जा सकता है, 'ग' क्षेत्र के व्यक्ति को अंग्रेज़ी में पत्र जाएगा और 'क' क्षेत्र के व्यक्ति को आम तौर पर हिंदी में और अगर अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए तो हिंदी अनुवाद के साथ भेजा जाएगा।

नियम 3 में राज्यों और राज्य के कार्यालयों तथा व्यक्तियों के साथ पत्र आदि की व्यवस्था सूचित की गई है। नियम 4 में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र, आदि का उल्लेख है। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में होंगे। जो कार्यालय पत्र आदि प्राप्त करता है, वह अपने यहाँ आवश्यकतानुसार अनुवाद की व्यवस्था करेगा। 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में होंगे और इन पत्रों का अनुपात इन कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में होगा। क्षेत्र 'क' के कार्यालयों और शेष दोनों क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं। क्षेत्र 'ख' और 'ग' के कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेज़ी में हो सकते हैं। इस नियम में अनुवाद के संदर्भ में यह नियम है कि 'क' क्षेत्र को संबोधित हो तो वहाँ दूसरी भाषा में पत्र प्राप्त करने वाला कार्यालय अनुवाद की व्यवस्था करेगा। लेकिन ''ग'' क्षेत्र में किसी कार्यालय को पत्र भेजा जाए तो प्रेषित करने वाला विभाग दूसरी भाषा में अनुवाद संलग्न करेगा। जिस कार्यालय को नियम 10 के अनुसार अधिसूचित किया गया है, अर्थात् जिसमें कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी हों, उन कार्यालयों के पत्र आदि में अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

इस प्रकार नियम 3 और 4 विभिन्न कार्यालयों के बीच पत्र आदि की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसी कार्यालय को भाषा के कारण कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन नियमों के अनुसार व्यक्ति को कार्य करने के लिए मैनुअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होना चाहिए। तभी वह अपनी क्षमता की भाषा में कार्य कर सकेगा। नियम 11 में यह उल्लेख है कि किस प्रकार की सामग्री द्विभाषिक रूप में तैयार की जाएगी। जिन तीन प्रकार की सामग्रियों का उल्लेख किया गया है उन्हें आप देख लें और समझने की कोशिश करें कि क्या कार्यालय में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की भाषिक आवश्यकता की पूर्ति उल्लिखित सामग्री से पूरी हो जाती है या नहीं।

बोध प्रश्न

4) सही शब्द से या दिए गए सही शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए।

i) 'ख' क्षेत्र में ....., ..., ... राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

ii) व्यक्तियों के हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर ..... में ही देना होगा।

iii) केंद्र सरकार का कर्मचारी अगर हिंदी में ..... प्राप्त न हो तो अंग्रेज़ी में टिप्पणी लिख सकता है। (प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान)

iv) 'ग' क्षेत्र के किसी केंद्र सरकार के कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को ..... में पत्रादि भेजे जा सकते हैं।

v) व्यक्ति अगर अंग्रेज़ी में टिप्पणी लिखे, तो उससे हिंदी .... नहीं माँगा जाएगा।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 275 8/18/2021 12:21:52 PM

5) हाँ/नहीं में उत्तर लिखिए।

i) कर्मचारी आवेदन, अपील आदि किसी भी भाषा में दे सकते हैं।

ii) अगर व्यक्ति 'ग' क्षेत्र का हो, तो उसे सिर्फ़ अंग्रेज़ी में पत्रोत्तर दिया जा सकता है।

iii) व्यक्ति बिना परीक्षा पास किए स्वयं हिंदी में अपनी प्रवीणता या अपने कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा कर सकता है।

iv) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों के बीच हिंदी या अंग्रेज़ी के पत्र आदि का अनुवाद संलग्न किया जाना चाहिए।

v) 'क' क्षेत्र के दो कार्यालयों के बीच हिंदी में ही पत्रादि होंगे।

6) कार्य साधक ज्ञान प्राप्त और प्रवीणता प्राप्त व्यक्तियों से हिंदी में किस प्रकार के कार्य की अपेक्षा की जाती है?

.....

.....

.....

7) राजभाषा हिंदी के संदर्भ में केंद्र सरकार में कार्यरत व्यक्तियों के क्या अधिकार और दायित्व हैं? 5 पंक्तियों में उत्तर लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

14.4 सारांश

हमने इस इकाई में संविधान के उपबंधों के अनुसार 1965 के बाद के समय के लिए राजभाषा की नीति घोषित करने के लिए पारित राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उक्त अधिनियम के आधार पर 1976 में घोषित नियमों का अध्ययन किया।

1963 का अधिनियम 1965 के बाद अंग्रेज़ी को सह–राजभाषा का दर्जा देता है। यह भाषा तब तक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए बनी रहेगी जब तक सारे राज्यों के विधान मंडल और संसद के दोनों सदन इसे छोड़ने का संकल्प न पारित कर लें।

दोनों राजभाषाओं की स्थिति में कई संदर्भों में विशेषकर जनता के संपर्क की स्थिति में द्विभाषिक रूप से कार्य किए जाएँगे। पत्रादि में जहाँ हमेशा द्विभाषिक रूप से कार्य नहीं हो सकता, इस बात की व्यवस्था की गई है कि उस स्थिति में किसी भाषा या दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अधिनियम इस द्विभाषिक स्थिति में कार्य करने की सुविधा के संदर्भ में सांविधिक साहित्य के प्रामाणिक पाठों की व्यवस्था देता है। अधिनियम की मूल भावना को निम्नलिखित कथनों से व्यक्त कर सकते हैं :

i) व्यक्ति को भाषिक स्वतंत्रता मिलेगी और भाषा के कारण किसी का अहित नहीं होगा।

ii) लेकिन व्यक्ति की सुविधा या रुचि के कारण भाषा की नीति प्रभावित न हो। यह सरकार का दायित्व है कि वह उपबंधों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करे।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 276 8/18/2021 12:21:52 PM

1976 के नियमों में अधिनियम की मूल भावना को सुरक्षित रखा गया है और इन बातों को स्पष्टतः व्याख्यायित किया गया है। अधिनियम के अन्य निर्देशों को स्थितियों के हिसाब से स्पष्ट किया गया है।

14.5 शब्दावली

निवारित	:	रोकना
कार्यसाधक	:	कामचलाऊ
संविदा	:	कांट्रैक्ट
निविदा प्ररूप	:	टेंडर फ़ार्म
एकल संक्रमणीय मत	:	हर सदस्य का एक वोट, जो हस्तांतरित हो सकता है।
असंगत	:	विपरीत, विरोधी
उपांतरित	:	बदले हुए, संशोधित
उपाबद्ध	:	जोड़े गए, जुड़े हुए

14.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

कैलाशचंद्र भाटिया — राजभाषा हिंदी, वाणी प्रकाशन, 1990

मलिक मोहम्मद — राजभाषा हिंदी, विकास के विविध आयाम, प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) — हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का संकलन

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1) (i) हाँ (ii) नहीं (iii) हाँ (iv) हाँ (v) नहीं (vi) नहीं (vii) हाँ।

2) इस संबंध में व्यवस्था उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश 1960 में पैरा 11 में किया जा चुका है।

3) (i) इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में किया जा चुका है।

   (ii) पहली समिति का कार्य राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी थी, इस समिति का उद्देश्य हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी है।

4) (i) महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब (ii) हिंदी

   (iii) प्रवीणता (iv) हिंदी

   (v) रूपांतरण या अनुवाद

5) (i) हाँ (ii) नहीं (iii) हाँ (iv) नहीं (v) हाँ।

6) क्रमश : अनुवाद न माँगना, टिप्पण–प्रारूप लेखन करना

7) **अधिकार** :

   1) किसी भी भाषा में आवेदन

   2) किसी भी भाषा में प्रारूप लेखन (अगर प्रवीणता न हो)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 277 8/18/2021 12:21:53 PM

3) अपनी सेवा संबंधी विषयों के कागज़ पत्र किसी भी भाषा में माँग सकना

4) स्वयं अनुवाद न देना।

दायित्व :

1) कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना

2) उपधारा 3 (3) के कागज़ पत्रों को द्विभाषी रूप से जारी करना

3) कार्यसाधक ज्ञान हो तो अनुवाद न माँगना, प्रवीणता की स्थिति में हिंदी में टिप्पण लिखना।

क्या आप बता सकते हैं कि हिंदी में प्राप्त पत्र का हिंदी में उत्तर देना आदि को यहाँ क्यों नहीं शामिल किया गया है?

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 278 8/18/2021 12:21:53 PM

इकाई 15 : देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएँ

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 देवनागरी का नामकरण

15.3 वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी

15.4 देवनागरी लिपि : गुण और दोष

15.5 भारतीय संविधान में देवनागरी की स्थिति

15.6 देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास

15.7 देवनागरी लिपि की सार्थकता

15.8 सारांश

15.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताओं पर केंद्रित इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप :

- बता सकेंगे कि देवनागरी लिपि का नाम ''देवनागरी'' कैसे पड़ा;
- समझ सकेंगे कि भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को किस रूप में महत्व दिया गया;
- वैज्ञानिक या आदर्श लिपि के गुणों का परिचय दे सकेंगे;
- संसार की अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी क्यों अधिक वैज्ञानिक है, यह बता सकेंगे;
- देवनागरी लिपि के स्वरूप में सुधार लाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए गए, यह समझ सकेंगे; और
- आज के तकनीकी युग में देवनागरी लिपि कितनी सार्थक है, यह समझ सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

लिपि का उद्भव और विकास भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हुआ। लिपि का सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि हम भाषा के उच्चरित रूप को लिपिबद्ध करके स्थाई बना सकते हैं। आप लोग हिंदी, संस्कृत तथा मराठी भाषाओं से परिचित ही हैं। ये तीनों ही भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आज हम लोग देवनागरी लिपि के जिन–जिन वर्ण चिह्नों से परिचित हैं और अपने लेखन में जिनका प्रयोग करते हैं ये आरंभ में इसी रूप में नहीं थे। इनमें बराबर विकास होता रहा है और इसके स्वरूप में आदर्श रूप बनाने के लिए अनेक प्रकार के सुधार कार्य भी किए गए हैं। देवनागरी लिपि का नाम

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

'देवनागरी' कैसे पड़ा इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। इसके विषय में इस इकाई में हम चर्चा करेंगे।

देवनागरी लिपि अक्षर (Syllable) आधारित लिपि है इसीलिए इसे 'अक्षरात्मक लिपि' कहा जाता है। देवनागरी लिपि का यह गुण उसे संसार की अन्य भाषाओं की लिपियों से अधिक वैज्ञानिक बना देता है। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में मान्यता दी गई है। यों तो प्रशासनिक कार्यों में देवनागरी लिपि का प्रयोग हर्षवर्धन के समय से ही मिलने लगता है परंतु तब से लेकर आज तक देवनागरी लिपि के वर्णों में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं। इस लिपि को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के संबंध में अनेक प्रयास किए हैं। आगे इस इकाई में हम वैज्ञानिक या आदर्श लिपि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। इन विशेषताओं के आधार पर यदि देवनागरी लिपि का मूल्यांकन किया जाए तो आप देखेंगे कि देवनागरी अन्य लिपियों–विशेषकर अरबी तथा रोमन लिपि से अधिक वैज्ञानिक है।

यों तो संसार में कोई भी वस्तु शत प्रतिशत आदर्श नहीं होती। देवनागरी लिपि के साथ भी यही बात है। इसकी भी कुछ कमजोरियाँ (दोष) हैं जिनको सुधारा गया है। आज के इस तकनीकी युग में देवनागरी का उपयोग टंकण, मुद्रण, कंप्यूटर आदि सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं को यदि एक लिपि के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो निश्चित ही देवनागरी लिपि इसके लिए सर्वथा उपयुक्त साबित हो सकती है।

15.2 देवनागरी का नामकरण

भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसी से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग आठवीं शती के आसपास के शिलालेखों में मिलता है। दसवीं सदी की नागरी लिपि में अ, आ, घ, म, य, ष और स के सिर दो हिस्सों में बँटे हुए मिलते हैं और 11वीं सदी में सिर की एक लकीर बन जाती है और हर अक्षर की चौड़ाई के बराबर हो जाता है। इस प्रकार ग्यारहवीं शती के आसपास देवनागरी के जो रूप हमें मिलते हैं वह वर्तमान देवनागरी रूपों से काफी समानता रखते हैं और 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक नागरी लिपि में काफी सीमा तक एकरूपता चली आ रही है। आज हिंदी भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है और इसी को ''नागरी लिपि'' भी कहा जाता है। परंतु प्रश्न यह है कि इस लिपि का नाम ''देवनागरी'' या नागरी कैसे पड़ा? देवनागरी के नामकरण को लेकर विद्वानों ने अलग–अलग मत व्यक्त किए हैं। यहाँ हम उनकी चर्चा एक–एक करके करेंगे–

1) कुछ लोग यह मानते हैं कि इस लिपि का प्रयोग आरंभ में गुजरात के नागर ब्राह्मण ही किया करते थे, इसलिए इसे ''नागरी'' लिपि कहा गया। बाद में चूँकि संस्कृत भाषा को इसी लिपि में लिखा गया अतः इसे ''देवनागरी'' कहा जाने लगा क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम ''देवभाषा'' भी है। अतः देवभाषा को जिस नागरी लिपि में लिपिबद्ध किया गया वही लिपि ''देवनागरी'' लिपि कही गई।

2) कुछ लोगों की मान्यताा है कि इस लिपि का प्रचार नगरों में अधिक था। अतः नगर की लिपि होने के कारण यह लिपि ''नागरी लिपि'' कही गई।

3) ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ में कुछ लिपियों का उल्लेख मिलता है। इनमें एक लिपि ''नाग'' लिपि से विकसित हुई है। परंतु डॉ. बार्नेट ने इस मत को अस्वीकार करते हुए कहा कि ''नाग'' और ''नागरी'' लिपियाँ दो अलग–अलग लिपियाँ हैं, ये एक नहीं हो सकतीं।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 280 8/18/2021 12:21:53 PM

4) एक अन्य विद्वान श्री आर. श्याम शास्त्री की यह मान्यता है कि भारत में पहले देवताओं की मूर्तियों की पूजा न होकर, उनकी सांकेतिक चिह्नों के रूप में उपासना होती थी। ये सांस्कृतिक चिह्न तरह–तरह के त्रिकोण यंत्रों के बीच में अंकित किए जाते थे। इन यंत्रों को ''देवनगर' कहा जाता था और उनके अंदर अंकित चिह्नों को ''देवनागर''। इन देवनागर चिह्नों से ही 'देवनागरी' शब्द का विकास हुआ है।

5) कुछ विद्वान यह मानते हैं कि इस लिपि का काशी में बहुत प्रचलन था। काशी को भगवान शिव की नगरी या देवनगर कहा जाता था। देवनगर में प्रचलित लिपि का नाम ही देवनागरी पड़ा।

6) कुछ लोगों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटिलपुत्र को ही ''नगर'' कहा जाता था और स्वयं चंद्रगुप्त को लोग ''देव'' कहते थे। इन दोनों के संयोग से ही देवनागरी नाम विकसित हुआ है।

7) डॉ. धीरेन्द्र वर्मा की मान्यता है कि मध्ययुग में स्थापत्य कला की अनेक शैलियों में से एक शैली का नाम ''नागर'' शैली था। इस शैली के अंतर्गत चौकोर आकृतियाँ बनाई जाती थीं। इधर नागरी लिपि के अक्षरों में भी चौकोर आकृतियाँ होती थीं। इसी समानता के आधार पर इस लिपि का नाम ''नागरी'' पड़ गया।

ऊपर बताए गए इन विभिन्न मतों में से किसे माना जाए और किसे न माना जाए, यह कहना कठिन है। कारण यह है कि ये सभी मत अनुमान के आधार पर दिए गए हैं। इनके पीछे कोई स्पष्ट प्रमाण तो मिलता नहीं है परंतु जो भी हो, हमारी आज की हिंदी–संस्कृत की लिपि का नाम नागरी या देवनागरी पड़ ही गया है और संस्कृत को तो देवभाषा कहा ही जाता था। अतः यह बड़ा स्वाभाविक लगता है कि देवभाषा को जिस लिपि में लिपिबद्ध किया गया उसी लिपि का नाम देवनागरी पड़ गया।

15.3 वैज्ञानिक लिपि और देवनागरी

संसार में यदि अनेक भाषाएँ हैं तो उनको लिखित रूप में व्यक्त करने वाली लिपियाँ भी अनेक हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू, फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटेलियन, स्पेनिश आदि अनेक यूरोपीय भाषाएँ रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग अपनी–अपनी भाषाओं और उनकी लिपियों को भली प्रकार से समझते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुलना करके यह पता लगाना चाहे कि संसार की समस्त लिपियों में से सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपियाँ कौन सी हैं, तो इस बात का निर्णय कैसे किया जाए? अर्थात् वे कौन–सी प्रमुख विशेषताएँ हो सकती हैं जिनके आधार पर किसी लिपि को वैज्ञानिक ठहराया जा सकता है? अतः अब हम पहले कुछ ऐसी विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनके आधार पर आप संसार की किसी भी लिपि की वैज्ञानिकता का परीक्षण कर सकते हैं। वैज्ञानिक लिपि में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए :

1) एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो

वैज्ञानिक या आदर्श लिपि उसी लिपि को कहा जा सकता है जिसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिह्न अथवा वर्ण की व्यवस्था हो। जब किसी लिपि में एक वर्ण के लिए एक से अधिक लिपि चिह्न या वर्ण होते हैं तो अन्य भाषा–भाषी को उस लिपि को सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। उर्दू में ''अ'' ध्वनि को व्यक्त करने के लिए दो वर्ण हैं–अलिफ़ तथा एन। जब ''आदमी'' शब्द लिखना होता है तब अलिफ़ से लिखा जाता है तथा ''औरत'' शब्द एन से। इसी प्रकार ''स'' ध्वनि को व्यक्त करने के

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 281 8/18/2021 12:21:53 PM

लिए तीन वर्ण हैं–''सीन'', ''स्वाद'' तथा ''से'' और सीखने वाले व्यक्ति को यह याद रखना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस वर्ण चिह्न से लिखा जाएगा। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली अंग्रेजी में भी आपको ऐसे अनेक वर्ण मिलेंगे जैसे ''क'' ध्वनि कभी 'C' वर्ण से (जैसे 'Cat), कभी 'K' वर्ण से (जैसे kite) कभी 'Q' तथा वर्ण से जैसे (quick) से व्यक्त किया जाता है।

देवनागरी में आमतौर पर एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। कुछ ध्वनियों के लिए एक से अधिक वर्णों का प्रचलन भी था।

2) एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे

आदर्श लिपि की यह भी विशेषता होती है कि उसमें एक वर्ण से एक ध्वनि का ही उच्चारण किया जाता हो। अंग्रेज़ी तथा उर्दू में अनेक वर्ण ऐसे हैं जो एक से अधिक ध्वनियों का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए 'u' वर्ण की स्थिति देखिए। इसका उच्चारण अलग–अलग शब्दों में अलग–अलग स्वरों के लिए किया गया है जैसे–

शब्द	स्वर
But	अ (बट)
Put	उ (पुट)
Busy	इ (बिज़ी)
Rude	ऊ (रूड) आदि

परंतु हिंदी (जो नागरी लिपि में लिखी जाती है) में प्रायः सभी वर्ण अलग–अलग ध्वनियों का बोध कराते हैं।

3) मात्रा एवं वर्ण चिह्नों में भिन्नता हो

आप जानते ही हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों के लिए अलग वर्ण हैं तथा उनकी मात्राओं के लिए अलग लिपि चिह्नों की व्यवस्था है। अतः जब किसी स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखना होता है तो उस स्वर की मात्रा लगा दी जाती है। परंतु रोमन तथा फ़ारसी लिपि में मात्राओं के लिए अलग से चिह्न नहीं बनाए गए हैं। वहाँ स्वरों को अलग से व्यंजन के साथ लिखना पड़ता है जैसे–

अंग्रेजी में Pen, Cat, Put आदि।

4) लेखन और उच्चारण में एकरूपता हो

देवनागरी में लिपि चिह्नों का उच्चारण, पूर्व निर्धारित है और व्यक्ति लिपि–चिह्न को देखकर वही उच्चारण करता है जिस उच्चारण को उसे सिखाया गया है। लेकिन अंग्रेजी में आपको ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ तो लिपि चिह्नों का उच्चारण अलग–अलग शब्दों में भिन्न–भिन्न हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को उस शब्द का सही उच्चारण जानने के लिए या तो मातृभाषा भाषी की मदद लेनी पड़ती है अथवा कोश की। उदाहरण के लिए, हिंदी में ''च'' ध्वनि के लिए प्रत्येक शब्द में उच्चारण वही रहेगा जैसे ''चमचा'', ''मचान'', ''सच'', ''काँच'' आदि परंतु अंग्रेजी में यदि किसी ने यह सीखा है कि "Ch" वर्ण का उच्चरण ''च'' ध्वनि के रूप में होता है तो वह हमेशा "Ch" ''च'' का उच्चारण ''च'' के रूप में नहीं कर सकता क्योंकि कभी "Ch" ''च'' के रूप में बोला जाता है तो कभी ''क'' के रूप में, तो कभी ''श'' के रूप में। देखिए कुछ उदाहरण–

Chair	–	(चेयर)	–	च
Chaos	–	(केओस)	–	क
Champagne	–	(शेम्पेन)	–	श

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 282 8/18/2021 12:21:53 PM

5) सरल एवं स्पष्ट हो

जो लिपि सरल और स्पष्ट हो वही अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। इस दृष्टि से देवनागरी अपने स्वरूप में सरल और स्पष्ट है। रोमन लिपि में एक तो लिखने वाले और पुस्तकों में छपने वाले रूप में भिन्नता है और दूसरे उनमें भी छोटे (Small) तथा बड़े (Capital) लिपि–चिह्नों में भी अंतर है। अंग्रेजी की वर्तनी में एक कठिनाई यह भी है कि कुछ वर्ण लिखे तो जाते हैं परंतु उनका उच्चारण मौन (Silent) रहता है अर्थात् उनका उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे–

शब्द	उच्चारण	मौन ध्वनि वर्ण
Knife	नाइफ़	K
Calm	काम	l
Bomb	बॉम	B
Psychology	साइकोलॉजी	P

परंतु देवनागरी में आपको इस प्रकार की जटिलता दिखाई नहीं देती।

6) व्यवस्थित हो

वही लिपि वैज्ञानिक कही जा सकती है जिसकी अपनी सुनिश्चित व्यवस्था हो। देवनागरी पर यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यह लिपि उच्चारण को आधार बनाकर चलती है और उसके वर्ण चिह्नों में उसी के अनुसार एक व्यवस्था है। पहले, स्वरों के लिए लिपि चिह्न हैं, बाद में व्यंजनों के लिए। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के लिए अलग–अलग वर्ण हैं। व्यंजनों में उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर क–वर्ग, च–वर्ग, ट–वर्ग, त–वर्ग तथा प–वर्ग की ध्वनियों के लिए वर्ण एक निश्चित क्रम से आते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण तथा नासिक्य ध्वनियों के लिए प्रत्येक वर्ग में लिपि चिह्नों की व्यवस्था की गई है। परंतु रोमन या फारसी में आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी।

रोमन में तो पहला वर्ण यदि स्वर है (a) तो दूसरा व्यंजन (b) इसी तरह से फ़ारसी लिपि में पहला वर्ण स्वर है (अलिफ़) तो दूसरा वर्ण है व्यंजन (बे)। देवनागरी जैसी व्यवस्था आपको संसार की किसी लिपि में नहीं मिलेगी।

7) ध्वन्यात्मक हो

ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वोत्तम लिपि मानी गई है क्योंकि ध्वन्यात्मक लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है उसी के अनुरूप लिखा जाता है। आपने पढ़ा है कि किसी भी भाषा में व्यंजन का अलग से उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। ''क'' ''प'' आदि व्यंजनों में व्यंजन तथा प के अलावा अ–स्वर भी विद्यमान रहता है। परंतु देवनागरी लिपि ही ऐसी लिपि है जो उच्चारण की एक पूरी इकाई को आधार बनाकर चलती है। यदि हम ''प'', ''प्'' + अ'' एक साथ उच्चरित करते हैं तो उसके लिए एक लिपि चिह्न ''प'' हमारे यहाँ मौजूद है। रोमन में तो आपको ''Pa'' लिखना होगा।

इस प्रकार वैज्ञानिक लिपि की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर यदि देवनागरी लिपि की तुलना अन्य भाषा की लिपियों से की जाए, विशेष रूप से रोमन तथा फारसी लिपि से तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि निश्चित ही एक आदर्श एवं वैज्ञानिक लिपि है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 283 8/18/2021 12:21:53 PM

15.4 देवनागरी लिपि : गुण और दोष

ऊपर वैज्ञानिक लिपि के गुणों की चर्चा के प्रसंग में हमने देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस चर्चा के दौरान हमने देखा कि देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। परंतु इन विशेषताओं के साथ–साथ इसमें दोष भी हैं। आइए अब देवनागरी लिपि के कतिपय प्रमुख गुणों एवं दोषों पर नज़र डालें–

देवनागरी लिपि के प्रमुख गुणः

i) देवनागरी लिपि एक आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है।

ii) देवनागरी भारत की प्राचीनतम लिपि है और इसका विकास भारत में ही हुआ है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि कई भाषाओं का प्राचीन साहित्य देवनागरी में मिलता है। संस्कृत भाषा का लेखन तो देवनागरी में होता ही था। हिंदी और हिंदी की विभिन्न बोलियों का लेखन कार्य देवनागरी में होता है। मराठी भाषा भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। इस दृष्टि से हमारे देश की यह एक मुख्य लिपि है।

iii) भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ–साथ देवनागरी को भी राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है।

iv) देवनागरी लिपि अक्षर (Syllable) आधारित लिपि है। ''अक्षर'' के विषय में आप जानते हैं कि एक ही 'हृत–स्पंद' (साँस लेने की क्रिया में फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया) में उच्चरित होने वाली समस्त ध्वनियों के समूह को 'अक्षर' कहते हैं तथा इसमें एक स्वर अवश्य होता है। इस दृष्टि से व्यंजनों का उच्चारण जब हम अलग से करते हैं तो इसमें ''अ'' स्वर मिले रहने के कारण वह एक अक्षर के रूप में ही उच्चरित किया जाता है। केवल देवनागरी में ही यह व्यवस्था है कि यहाँ संपूर्ण अक्षर को व्यक्त करने वाले वर्ण चिह्न बनाए गए हैं जैसे :

प् + अ – प
स् + अ – स
न् + अ – न
र् + अ – र आदि।

v) देवनागरी लिपि में ही यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे हलन्त का चिह्न लगा दिया जाता है तथा जब दो व्यंजनों को संयुक्त रूप में लिखना हो तो :

i) खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे–

ख द, च ज ण त थ ल श स आदि।

ii) कुछ व्यंजनों जैसे क, फ में पूर्वार्ध अंश रखा जाता है जैसे– क, फ

iii) ''र'' व्यंजन में :

क) ''र + व्यंजन'' की स्थिति में ''र'' बाद में आने वाले व्यंजन के ऊपर आ जाता है,

ख) व्यंजन + र की स्थिति में यह नीचे लग जाता है जैसे – क्र, द्र, भ्र आदि।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 284 8/18/2021 12:21:53 PM

ग) ''ट्, ड् + र'' के संयोग में यह इस रूप में आ जाता है– ट्र, ड्र आदि।

vi) देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जिसमें विदेशी भाषाओं से आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए अपने वर्णों के नीचे नुक्ता लगा कर नए वर्ण विकसित किए गए हैं, जैसे –क़, ख़, ग़, ज़, फ़ तथा स्वरों के लिए नए वर्ण बनाए गए हैं जैसे ऑ, ऍ आदि।

vii) देवनागरी ही एक ऐसी लिपि है जिसमें स्वरों के लिए अलग वर्ण हैं तथा उनकी मात्राओं के लिए अलग चिह्नों की व्यवस्था है। जैसे–

आ – ा

इ – ि

ई – ी

उ – ु

ऊ – ू

ए – े

ऐ – ै

ओ – ो

औ – ौ

यहाँ तक कि अनुस्वार और अनुनासिक के लिए भी देवनागरी में ''ं'' तथा ''ँ'' चिह्नों की व्यवस्था है।

viii) देवनागरी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्ण चिह्न उच्चारण स्थान के अनुसार निश्चित किए गए हैं।

देवनागरी लिपि के कुछ दोष

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त विद्वानों ने देवनागरी लिपि के कतिपय दोषों की ओर भी संकेत किया है। इन्हीं दोषों के कारण देवनागरी में बराबर सुधार लाने तथा उसे मानकीकृत करने के प्रयास भी किए गए हैं। यहाँ हम दोषों का उल्लेख करेंगे तथा 15.6 में उनमें किए गए सुधारों की चर्चा करेंगे–

1) यह कहा गया है कि देवनागरी के अनेक संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण व्यंजन–क्रम निर्धारित करने में असुविधा उत्पन्न करते हैं। जैसे– क्ष, ज्ञ, ह्न, द्र, द्ध, ट्र, ड्र आदि अर्थात् इन संयुक्त वर्णों में कौन–सा व्यंजन पहले आता है कौन सा बाद में यह भ्रम पैदा होता है।

2) स्वरों के मात्रा चिह्न भी शिक्षार्थी के लिए भ्रम पैदा करते हैं क्योंकि ये व्यंजन के चारों ओर–बाएँ, दाएँ नीचे, ऊपर लगते हैं। इनमें ह्रस्व ''इ'' की मात्रा तो सबसे जयादा भ्रम पैदा करने वाली है जैसे ''इन्द्रियाँ'' शब्द में सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है ''इ'' की मात्रा (ि) ''द'' व्यंजन के साथ लगी हुई है जबकि यह ''र'' के साथ लगती है– ''इ + न् + द् +र् +इ +आँ।

3) पुरानी छपाई में देवनागरी वर्णों में कुछ वर्णों के दो–दो चिह्न मिलते हैं। जैसे– अ / **अ**, ण / **ण** आदि

4) कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो एक वर्ण न होकर संयुक्त व्यंजन हैं जैसे–

क्ष – (क् +ष)

त्र – (त्+र)

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 285 8/18/2021 12:21:55 PM

5) अनुस्वार का चिह्न (ं) जिस वर्ण पर रहता है, यह उसके साथ उच्चरित न होकर बाद में उच्चरित होता है।

6) उच्चारण के स्तर पर अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर है तथा अनुनासिकता स्वरों का गुण है अतः उसका चिह्न चंद्रबिंदु (ँ) स्वर के ऊपर लगाया जाता है। परंतु जिन स्वरों के ऊपर मात्रा लगती है उन स्वरों के ऊपर अनुनासिकता के लिए भी अनुस्वार का चिह्न (ं) ही लगाया जाता है जो शिक्षार्थियों के लिए एक भ्रम का कारण बनता है, जैसे– मैं, हैं, में, सींच आदि।

7) देवनागरी में कुछ वर्ण निरर्थक हैं। आज हिंदी में इनकी ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता जैसे ञ, ङ, ऋ, ष।

8) हिंदी में ''म्ह'', ''न्ह'', ''ल्ह'', ''र्‌ह'' ध्वनियाँ क्रमशः म्, न्, ल् तथा र के महा–प्राण रूप हैं जो नवविकसित ध्वनियाँ हैं, परंतु इनके लिए देवनागरी में एक वर्ण चिह्न विकसित नहीं किया गया है। अतः ये वर्ण यह भ्रम पैदा करते हैं कि मानों ये ''म् + ह'', ''न् + ह'', ल् + ह'' तथा र् + ह'' के संयुक्त व्यंजन हों।

9) देवनागरी लिपि में देश की अन्य भाषाओं की सभी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त लिपि चिह्न नहीं हैं। मराठी, कश्मीरी, सिंधी तथा द्रविड़ परिवार की अनेक ध्वनियों के लिए देवनागरी में लिपि चिह्न नहीं हैं। अतः यदि देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्थापित करना है तो इसमें देश की सभी भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्ण होने चाहिए।

10) टंकण और मुद्रण की दृष्टि से भी देवनागरी रोमन की तुलना में जटिल लिपि है। उसका कारण यह है कि देवनागरी में वर्णों तथा संयुक्त वर्णों की संख्या 400 से भी अधिक है। अतः टंकण यंत्र के निर्माण में जटिलता तो आती ही है, टंकण करते समय उतनी गति से टंकण नहीं किया जा सकता, जितना कि रोमन लिपि में।

11) देवनागरी में वर्णों के ऊपर शिरोरेखा होने से तेज़ी से लिखना संभव नहीं हो पाता।

15.5 भारतीय संविधान में देवनागरी की स्थिति

उपर्युक्त चर्चा के बाद आइए देखें कि संविधान में देवनागरी लिपि की क्या स्थिति है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में देवनागरी का शासकीय कार्यकलापों में प्रयोग हर्षवर्धन के समय से दिखाई देने लगता है। दक्षिण भारत में भी महाबलीपुरम के मंदिरों के शिलालेखों पर भी नागरी लिपि अंकित है। आज़ादी से पूर्व भारत में एक लंबे समय तक फ़ारसी लिपि का बोलबाला रहा और बाद में अंग्रेज़ी सरकार ने धीरे–धीरे कचहरियों के अलावा अन्य समस्त क्षेत्रों में अंग्रेज़ी भाषा और रोमन लिपि को सरकारी काम–काज की भाषा और लिपि बना दिया।

1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की राजभाषा क्या हो, यह प्रश्न उठने लगा। भाषा के इन प्रश्नों के साथ नागरी का प्रश्न भी जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी की अपनी व्यक्तिगत इच्छा यह थी कि हिंदुस्तानी (बोलचाल की हिंदी–उर्दू मिश्रित भाषा) को इस देश की राजभाषा बनाया जाए और फ़ारसी तथा देवनागरी दोनों लिपियों को समान महत्व देते हुए चलाया जाए, परंतु पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसका विरोध किया। श्री टंडन केवल नागरी लिपि के पक्ष में थे। संविधान सभा के सदस्यों में इन मुद्दों को लेकर दो दल बन गए। जब इस सभा के सामने यह विचार आया कि राजकीय कार्यों के लिए किस लिपि को स्वीकृत किया जाए तो देवनागरी लिपि को ही अधिक

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 286 8/18/2021 12:21:55 PM

समर्थन मिला, परंतु देवनागरी के अंकों को लेकर विवाद चलता रहा। कुछ लोग चाहते थे कि देवनागरी के साथ–साथ देवनागरी अंकों को भी स्वीकृत किया जाना चाहिए। नागरी अंकों को स्वीकृत किए जाने के पक्ष में सेठ गोविंददास, श्री टंडन आदि विद्वान थे। परंतु कुछ अन्य विद्वान नागरी अंकों के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकृत करने के पक्ष में थे। अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को रखे जाने की ही बात स्वीकार की गई और भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया–

343 (1) : संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

लेकिन संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि देवनागरी के विकास तथा भारत की अन्य भाषाओं को भी देवनागरी में लिखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कह कर देवनागरी लिपि को मात्र हिंदी भाषा के लिए ही सीमित कर दिया गया है। लिपि तो भाषाओं को लिखकर व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। यदि भारतीय संविधान में यह प्रावधान कर दिया जाता कि देश की अन्य भाषाओं को देवनागरी में लिखा जाए तो सारे देश में लेखन माध्यम में एकरूपता आ जाती और सभी भाषाएँ परस्पर निकटता का अनुभव करतीं।

बोध प्रश्न 1

क) नीचे कुछ कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत। सही कथन के आगे (✓) तथा गलत कथन के आगे (✗) का निशान लगाइए–

		सही	गलत
1)	देवनागरी लिपि अक्षर आधारित लिपि है।	( )	( )
2)	भारत की सबसे प्राचीन लिपि देवनागरी है।	( )	( )
3)	भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा तथा लिपि के रूप में ''देवनागरी'' को स्थान दिया गया।	( )	( )
4)	एक लिपि का प्रयोग केवल एक भाषा को ही लिपिबद्ध करने के लिए किया गया है।	( )	( )
5)	देवनागरी लिपि में स्वरों की मात्राओं के लिए अलग लिपि चिह्न है।	( )	( )
6)	ध्वन्यात्मक लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा लिखा भी जाता है।	( )	( )

ख) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (लगभग 8–10 पंक्तियों में)

1) वैज्ञानिक लिपि की किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

2) देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में क्यों अधिक वैज्ञानिक है। किन्हीं तीन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

3) देवनागरी के नामकरण से संबंधित किन्हीं तीन प्रमुख मतों का उल्लेख कीजिए।

4) देवनागरी लिपि की किन्हीं तीन प्रमुख कमियों की चर्चा कीजिए।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 287 8/18/2021 12:21:55 PM

15.6 देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास

देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्व से ही सुधार कार्य किए जाने लगे थे। सुधार संबंधी सबसे पहला प्रयास 1874 में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र ''केसरी'' के माध्यम से आरंभ किया। उन्होंने लगभग 190 टाइपों का एक टाइप बना लिया था जो तिलक टाइप के नाम से जाना जाता था। परंतु लिपि सुधार का व्यवस्थित कार्य 1935 से आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में 24वें अधिवेशन के समय महात्मा गांधी की अध्यक्षता में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक उप समिति बनाई गई जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। समिति ने अनेक वर्षों तक विचार किया और अनेक सुझाव दिए जिनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं–

1. लिखने में शिरोरेखा आवश्यक नहीं है। केवल छपाई में शिरोरेखा रखी जाए।
2. प्रत्येक वर्ण को उच्चारण क्रम के अनुसार लिखा जाए।
   - क) ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएँ वर्णों के ऊपर थोड़ा आगे हटा कर लगाई जाएँ, जैसे– के ला, मे ला।
   - ख) ''इ'' की मात्रा 'ि' अपवाद स्वरूप बाईं ओर ही लगाई जाती रहे।
   - ग) उ, ऊ तथा ऋ की मात्राएँ भी वर्ण के ठीक नीचे न लगाकर थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लगाई जाएँ। जैसे :

     सुन सूना कृपा
   - घ) अनुस्वार तथा अनुनासिक के चिह्न को दाहिनी ओर हटाकर लगाया जाए, जैसे : हँस हंस
   - ङ) संयुक्त व्यंजनों में दूसरा व्यंजन ''र'' है तो उसे सामान्य रूप में ही लिखा जाए, जैसे प्र, त्र, क्र आदि।
   - च) संयुक्त व्यंजनों में वर्णों को उच्चारण क्रम के अनुसार एक के पीछे एक लिखा जाए जैसे–

     विद्यालय (विद्यालय नहीं)

     द्वार (द्वार नहीं)
3. स्वरों उनकी मात्राओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए ''अ'' वर्ण पर ही सारी मात्राएँ लगाकर लिखा जाए, जैसे :

   अ, आ, अि, अी आदि।
4. दक्षिण की लिपियों में ''ए'' ता ''ओ'' स्वरों के ह्रस्व रूप प्राप्त होते हैं। इनके लिए देवनागरी में ह्रस्व मात्रा चिह्न बनाए जाएँ।
5. अनुस्वार के स्थान पर (.) लगाया जाए तथा अनुनासिकता के लिए (ँ) का प्रयोग किया जाए।
6. अक्षरों की मूल ध्वनियों तथा आगत अथवा नवविकसित ध्वनियों में अंतर करने के लिए वर्णों के नीचे बिंदी अवश्य लगाई जाए, जैसे :

   क – क़

   ख – ख़

   ग – ग़

   ज – ज़

   फ – फ़

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 288 8/18/2021 12:21:55 PM

7. वर्तमान ''ख'' के स्थान पर गुजराती ख (ख) ले लिया जाए।
8. ''अ, झ, ण'' के स्थान पर मराठी अ, झ, ण रखे जाएँ तथा ''ळ'' के स्थान पर ''ल'' रखा जाए।
9. ''क्ष'' के स्थान पर ''क्ष'' कर दिया जाए।
10. राठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु की विशिष्ट ध्वनि के लिए प्रयुक्त ''ळ'' को यथावत स्वीकार किया जाए।
11. खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूपों के पहले व्यंजन रूप में उनकी खड़ी पाई हटा कर लिखा जाए जैसे ''ख्'', ''च्'', ''ज्'' आदि तथा क, फ को ''क्'' तथा ''फ्'' के रूप में लिखा जाए।
12. घ तथा ध एवं म तथा भ में परस्पर अंतर प्रकट करने के लिए ध को ''ध'' के रूप में तथा भ को ''भ'' के रूप में लिखा जाए।

ऊपर दिए गए सुझावों को राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा ने तो अपने यहाँ के प्रकाशनों में अपनाया परंतु अन्य संस्थाओं ने इन सुझावों को मान्यता नहीं दी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने तो इनका विरोध भी किया।

सन् 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने यह प्रयास किया कि पुनः सुधार किया जाए। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रमुख पत्रों में यह सूचना निकाली कि लोग नागरी लिपि में सुझावों से संबंधित अपने–अपने विचार उनके पास भेजें। कुछ लोगों के सुझाव भी आए पर कोई निष्कर्ष सामने न आ सका। सन् 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने नागरी लिपि में सुधार से संबंधित कुछ सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं–

1. ''अ'' की बारहखड़ी को (जिसमें काका कालेलकर ने सुझाया था कि ''अ'' के ऊपर ही मात्राएँ लगाकर सभी स्वर लिखे जाएं) अस्वीकार कर दिया गया।
2. अनुस्वार तथा पंचम वर्ण के स्थान पर (ं) का प्रयोग किया जाए।
3. किसी व्यंजन के नीचे कोई दूसरा व्यंजन न लगाया जाए।
4. मुद्रण और टाइपिंग की सुविधा के लिए मात्राओं को थोड़ा हटाकर दाहिनी ओर लगाया जाए।
5. शिरोरेखा लगाई जाए।
6. ह्रस्व ''इ'' की मात्रा भी बाईं ओर के स्थान पर दाहिनी ओर लगाई जाए और इसकी खड़ी पाई थोड़ी छोटी बनाई जाए जैसे– '' ि ''

   सिलाई – सीलाई

   मिल – मील

   बहिन – बहीन
7. जिन वर्णों के दो रूप मिले हैं उनमें से अ, झ, ध, भ, ल तथा त्र को रखा जाए। दूसरों का प्रयोग न किया जाए।
8. विराम चिह्न अंग्रेजी के ही स्वीकार कर लिए जाएं। केवल पूर्ण विराम खड़ी पाई (।) के रूप में लगाया जाए।
9. संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन की खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटा दी जाए तथा शेष व्यंजनों पर हलंत का चिह्न लगाया जाए।
10. ''श्र'', ओऽम तथा ळ को विशिष्ट अक्षरों के रूप में स्थान दिया जाए।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 289 8/18/2021 12:21:56 PM

इन सुझावों में कुछ सुझाव तो वे ही थे जो काका कालेलकर समिति द्वारा दिए गए थे, कुछ नए सुझाव भी थे। इनके सुझावों में ''इ'' की मात्रा को दाहिनी ओर लगाए जाने वाली बात पर काफ़ी विवाद रहा।

स्वतंत्रता के बाद सुधार

सन् 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार परिषद् बनाई जिसमें विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री तथा अनेक विद्वानों को रखा गया। इस समिति ने नरेन्द्र देव समिति के सुझावों पर भी पुनर्विचार किया और अपने सुझाव इस प्रकार दिए–

1) ''ख'' के स्थान पर गुजराती ख् **ખ** रखा जाए।
2) ''इ'' की मात्रा को दाहिनी ओर लिखा जाए तथा उसकी पाई को आधा कर दिया जाए।
3) ''क्ष'' को यथावत रखा जाए।
4) संयुक्त व्यंजनों के लिए वे सुझाव ही मान लिए गए गए जो नरेन्द्र देव समिति ने दिए थे।

इन सुझावों में से केवल ''इ'' की मात्रा वाला सुझाव ही ऐसा था जो लोगों को मान्य नहीं हुआ। अतः पुनः चार वर्ष बाद 1957 में ''इ'' की मात्रा को अपने पुराने स्वरूप में ''ि'' बाईं ओर ही लगाने की बात पुनः स्वीकृत की गई।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देवनागरी लिपि में सुधारों का भी एक लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद तो देवनागरी लिपि का महत्व और भी इसलिए बढ़ गया कि उसे राजलिपि घोषित कर दिया गया। इधर लेखन के साथ–साथ टंकण मुद्रण क्षेत्र का विकास हुआ तो लिपि में पुनः अनेक प्रकार के परिवर्तन एवं सुधार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। 1961 में भारत के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस समिति में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने भाग लिया तथा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए–

1) स्वरों में से दीर्घ ''ॠ'' को अलग कर दिया जाए।
2) संयुक्ताक्षरों में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की खड़ी पाई हटा दी जाए, जैसे – ण, ग, ज, प आदि। कुछ उदाहरण देखिए–

   पुण्य

   लज्जा

   लुप्त आदि
3) ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, तथा द के संयुक्ताक्षर बनाते समय हलंत लगाया जाए। जैसे :

   मिट्टी

   अड्डा

   बुड्ढा

   वाङ्मय आदि
4) संयुक्त ''र'' के तीनों रूपों – र्, ्र, तथा ् रखें जाएँ, जैसे–

   सर्प – कर्म

   प्राप्त – आम्र

   राष्ट्र – ड्रामा आदि।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 290 8/18/2021 12:21:56 PM

5) त्र के स्थान पर त्र रूप रखा जाए।

6) शिरोरेखा लगाई जाती रहे।

7) पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) तथा शेष विराम चिह्न अंग्रेज़ी के ग्रहण कर लिया जाएँ।

8) टंकण के लिए कुछ नए चिह्न सम्मिलित किए जाएँ, जैसे–

(प्रतिशत) :

(उद्धरण चिह्न) " "

(कोष्ठक) ( )

(धन) +

(गुणा) ×

(भाग) ÷

(बराबर) =

9) अनुस्वार (ं) तथा अनुनासिक (ँ) दोनों का यथा स्थान प्रयोग किया जाए।

10) भारतीय अंकों (१, २, ३, ४, ५ आदि) के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय (1, 2, 3, 4, 5, आदि) प्रयुक्त किए जाएँ।

इस प्रकार समिति ने जो संशोधित वर्णमाला प्रस्तुत की उसका स्वरूप इस प्रकार है–

स्वर – अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः ।

मात्राएँ– ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ ं ः

व्यंजन– क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व श
ष स ह ड़ ढ़
क्ष त्र ज्ञ श्र

अंक– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ये संशोधन भारत सरकार ने स्वीकृत कर लिए और सरकारी कामकाज में इन्हीं का प्रयोग किया जाने लगा।

बाद में हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की बात भी उठाई जाने लगी और केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकृत रूप में निम्नलिखित कुछ वर्णों का मानक रूप इस रूप में स्वीकार किया–

मानक रूप

रव – ख जिससे 'ख' व्यंजन तथा 'रव' शब्द में भ्रम न हो।

भ – भ म/भ में भ्रम न हो।

ध – ध ध/घ में भ्रम न हो।

द्द – छ

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 291 8/18/2021 12:21:56 PM

देवनागरी के मानकीकरण के विषय में आप इकाई 16 में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

15.7 देवनागरी लिपि की सार्थकता

आज देवनागरी लिपि की सार्थकता पर कोई प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जा सकता। इसकी कुछ सीमाएँ हो सकती हैं, परंतु यह एक ऐसी लिपि है जिसे भारत की सभी भाषाओं के लिए व्यवहार में लाया जा सकता है। आज इस लिपि की सार्थकता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि अब इसका प्रयोग तार, टेलीप्रिंटर, टंकण एवं आशुलिपि, मुद्रण तथा कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है। आइए देवनागरी के इन नूतन क्षेत्रों में प्रयोग के जो आयाम खुल गए हैं उन पर भी एक नज़र डाली जाए–

टेलीप्रिंटर – पहले लोग यह सोचते थे कि देवनागरी में टेलीप्रिंटर का विकास नहीं हो सकता। परंतु नागरी के टेलीप्रिंटर्स का विकास ही नहीं हुआ बल्कि आज ये अपना कार्य भी बखूबी निभा रहे हैं।

टंकण एवं आशुलिपि : जिस समय देवनागरी को संविधान में स्वीकृति मिली उस समय राजकीय कामकाज के लिए यह संदेह व्यक्त किए गए कि देवनागरी में टाइपराइटर मशीनें बनाना कठिन कार्य है। यह भी कहा जाता था कि देवनागरी में वर्णों की संख्या अधिक है अतः यदि टंकण मशीनें बनाई गईं तो लोगों को सीखने में कठिनाई होगी। परंतु अब यह भ्रम भी दूर हो गया है। शायद ही कोई ऐसा कार्यालय हो जहाँ देवनागरी में टंकण मशीनें उपलब्ध न हों। टंकण मशीनों के साथ–साथ आशुलिपिक भी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

मुद्रण : मुद्रण कला का जब विकास आरंभ हुआ तो नागरी लिपि में मुद्रण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। आगे चलकर नागरी में मुद्रण के टाइपों का निरंतर विकास होता गया और परिष्कार भी किया जाता रहा। पत्रकारिता में विकास के साथ दैनिक समाचार पत्र भी हिंदी, मराठी भाषाओं में निकलने लगे जो नागरी का ही प्रयोग करते हैं। आज नागरी लिपि में मुद्रण का कार्य उसी तेज़ी से किया जाता है जैसा कि रोमन लिपि में किया जाता है। देवनागरी के मुद्रण में आज आप सुंदर टाइप, मुद्रण कलाओं और शैलियों में विविधता सभी का सुंदर समन्वय देख सकते हैं।

कंप्यूटर और देवनागरी : आज का युग कंप्यूटर का युग है। विश्व के समस्त कार्य आज कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। प्रारंभ में केवल रोमन लिपि में ही कंप्यूटर उपलब्ध थे। परंतु आज जब विश्व में सभी भाषाओं में कंप्यूटर उपलब्ध होने लगे तो नागरी लिपि में कंप्यूटर कैसे पीछे रह सकते थे। आज ऐसे कंप्यूटर हमारे यहाँ उपलब्ध हैं जिनके पर्दे पर आप देवनागरी के अक्षर बना और देख सकते हैं।

इस प्रकार तकनीकी दृष्टि से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देवनागरी का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में बढ़ा है। देवनागरी ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता एवं सार्थकता स्थापित की है। देवनागरी का अर्थ यह नहीं है कि वह केवल हिंदी भाषा का ही लिपि है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि देवनागरी में वह क्षमता विद्यमान है कि यह देश की सभी भाषाओं की लिपि बन सकती है।

बोध प्रश्न 2

क) नीचे दिए गए कथनों में कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत। सही कथन के आगे (✓) तथा गलत के आगे (✗) का निशान लगाइए–

1) देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के लिए समय–समय पर सुधार होते रहे। ( ) ( )

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 292 8/18/2021 12:21:56 PM

2) देवनागरी लिपि में सुधार का सबसे पहला प्रयास राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने किया। ( ) ( )

3) आज़ादी के बाद देवनागरी लिपि को ''राजलिपि'' घोषित किया गया। ( ) ( )

4) देवनागरी लिपि में टेलीप्रिंटर का विकास नहीं हो सकता। ( ) ( )

5) देवनागरी लिपि का कुछ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी प्रयोग होता है। ( ) ( )

6) देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ( ) ( )

ख) नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए (8–10 पंक्तियों में)

1) काका कालेलकर समिति द्वारा नागरी लिपि के संबंध में दिए गए किन्हीं तीन प्रमुख सुझावों का उल्लेख कीजिए।

2) आज़ादी के पश्चात् लिपि सुधार परिषद् द्वारा दिए गए किन्हीं 4 सुझावों को लिखिए।

3) आज के वैज्ञानिक युग में देवनागरी लिपि की क्या सार्थकता है?

4) सन् 1961 के सम्मेलन में नागरी लिपि में सुधार संबंधी किन्हीं चार सुझावों का उल्लेख कीजिए।

15.8 सारांश

आपने इस इकाई में पढ़ा कि देवनागरी लिपि का विकास भारत में ही भारत की प्राचनीतम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि ही एक ऐसी लिपि है जिसे भारत के संविधान में राजभाषा हिंदी के साथ–साथ राजलिपि बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यदि देश की अन्य भाषाओं को व्यक्त करने के लिए कोई सामान्य लिपि बनाई जाए तो वह केवल देवनागरी ही बन सकती है। देवनागरी लिपि में अन्य लिपियों की तुलना में जहाँ अनेक विशेषताएँ हैं, वहाँ इसकी कुछ सीमाएँ भी रही हैं। इसी कारण बराबर इसके वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन भी किए गए हैं। उत्तर भारत की समस्त लिपियों का विकास भी प्राचीन नागरी से ही माना जाता है, अतः उनको तो आसानी से देवनागरी में परिवर्तित किया ही जा सकता है। यद्यपि अधिकांश लोग देवनागरी का अर्थ यह लगा लेते हैं कि यह हिंदी भाषा की ही लिपि है और इसलिए वे देवनागरी में लिखी हुई सामग्री को केवल हिंदी ही मान लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संस्कृत का संपूर्ण साहित्य देवनागरी में ही लिखा गया है।

जहाँ तक आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रश्न है, देवनागरी ने सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया है और अपनी सार्थकता कायम की है। तकनीकी क्षेत्रों में चाहे वह मुद्रण और टंकण हो या कंप्यूटर का क्षेत्र हो, आज नागरी लिपि किसी भी क्षेत्र में संसार की किसी भी लिपि से पीछे नहीं है।

15.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) नागरी लिपि और वर्तनी : अनन्त चौधरी (1973), बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 293 8/18/2021 12:21:56 PM

2) हिंदी भाषा और लिपि का विकास एवं स्वरूप : भवानीदत्त उप्रेती (1976), प्रयोग।

15.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

क) 1) ✓ 4) ✗
2) ✗ 5) ✓
3) ✓ 6) ✓

ख) इकाई से स्वयं जाँच करें।

बोध प्रश्न 2

(क) 1) ✓ 4) ✗
2) ✗ 5) ✓
3) ✓ 6) ✓

ख) स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करें तथा इकाई से स्वयं जाँच करें।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 294 8/18/2021 12:21:56 PM

इकाई 16 : देवनागरी लिपि का मानकीकरण

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 देवनागरी लिपि का मानकीकरण

16.2.1 मानकीकारण से तात्पर्य

16.2.2 देवनागरी के मानकीकरण की आवश्यकता

16.3 मानक हिंदी वर्णमाला

16.3.1 संयुक्त वर्णों का मानकीकरण

16.3.2 अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिह्न

16.3.3 विसर्ग

16.4 परिवर्धित देवनागरी

16.4.1 परिवर्धित देवनागरी : संदर्भ और आवश्यकता

16.4.2 अन्य भाषाओं के लिए लिपि–चिह्न

16.5 सारांश

16.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

इससे पूर्व की इकाई में देवनागरी लिपि का सामान्य परिचय आपको मिल चुका है। इस इकाई में देवनागरी लिपि के मानकीकरण की आवश्यकता और प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। इसके साथ हिंदी से इतर भाषाओं के लिए देवनागरी में जिन लिपि–चिह्नों को निर्धारित किया गया है उनका परिचय भी दिया जाएगा।

इस इकाई को पढ़कर आप :

- मानकीकरण की संकल्पना को समझ सकेंगे;
- देवनागरी वर्णों के मानकीकरण की समस्या पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे;
- देवनागरी के मानक वर्णों का परिचय दे सकेंगे;
- संयुक्त वर्णों को सही रूप में लिख सकेंगे;
- परिवर्धित देवनागरी से परिचित हो सकेंगे;
- हिंदी से इतर अन्य भाषाओं की कुछ विशिष्ट ध्वनियों के बारे में बता सकेंगे; और
- अन्य भाषाओं के लिए देवनागरी में प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट लिपि–चिह्नों का भी परिचय दे पाएँगे।

16.1 प्रस्तावना

हम सभी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखते और पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता मिलती है उसी प्रकार देवनागरी लिपि

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

के लेखन में लिपि–चिह्नों की भिन्नता दिखाई देती है। एक ही ध्वनि को कुछ लोग एक ढंग से लिखते हैं और कुछ दूसरे ढंग से। उदाहरण के लिए 'अ' ध्वनि के लिए कुछ लोग '**अ**' लिपि–चिह्न का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग 'अ' का। प्रश्न है कि हम क्या लिखें? कौन से लिपि–चिह्न को सही मानें? लिपि–चिहनों की अनावश्यक विविधता को कैसे समाप्त करें? विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास भारत सरकर ने मानक देवनागरी लिपि के माध्यम से किया है। इस मानक देवनागरी लिपि के उद्देश्य और प्रकृति से परिचित होना आज हम सबके लिए जरूरी हो गया है।

लिपि भाषा को दृश्य–चिह्नों से व्यक्त करने का साधन है। वह स्वयं भाषा नहीं है। यही कारण है कि किसी एक लिपि के माध्यम से कई भाषाओं को लिपिबद्ध करना भी संभव है। उदाहरण के लिए मराठी, नेपाली आदि भाषाएँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यह देखना भी आवश्यक है कि देवनागरी लिपि कहाँ तक हिंदी से इतर अन्य भारतीय भाषाओं को लिपिबद्ध करने में सक्षम है। अगर किसी अन्य भाषा की ध्वनि–विशेष के लिए कोई लिपि–चिह्न बनाना हो या मान्य देवनागरी लिपि में संशोधन करना हो तो उसका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक आधार क्या बने? भारत सरकार ने इस समस्या को परिवर्धित देवनागरी के माध्यम से सुलझाने का प्रयत्न किया है। आपको इस पाठ में देवनागरी के मानक रूप के साथ–साथ उसके परिवर्धित रूप का परिचय भी दिया जाएगा। इस अध्ययन एवं प्रयोग से आप अपने लेखन में एक–रूपता ला सकेंगे तथा अन्य भारतीय भाषाओं को देवनागरी के माध्यम से लिपिबद्ध कर सकेंगे।

16.2 देवनागरी लिपि का मानकीकरण

'भाषा–भेद' किसी भी जीवित भाषा की प्रकृति होती है। जो भाषा जितनी ही जीवंत होती है, उसमें समय (काल), स्थान (क्षेत्र) और प्रयोग (प्रकार्य) के आधार पर उतनी ही भिन्नता आती रहती है। यह हम जानते हैं कि लेखन भाषा के बदलते मौखिक रूप को स्थिरता प्रदान करता है। परन्तु इस इकाई में देखेंगे कि लेखन भी एक सीमा तक परिवर्तनशील है। लेखन में कई स्तरों पर व्यवहार–परक विभिन्नता आज भी दिखाई देती है, जैसे : अ, **अ**; झ, **झ**; पक्का, पक्का; वक्ता, वक्ता; आदि। इस विभिन्नता के कारण कभी–कभी लिखित भाषा अबोधगम्य भी हो जाती है। कई बार यह बताना कठिन हो जाता है कि कौन सा लिखित रूप मान्य (सही) है और कौन सा अमान्य (गलत)। लिपि–चिह्नों की यह विभिन्नता टंकण और मुद्रण के क्षेत्र में भी कठिनाई उत्पन्न करती है। आगे मानकीकरण की संकल्पना की चर्चा की जाएगी। मानकीकरण के आधार पर भाषा या लिपि की विभिन्नता में एकता स्थापित करना संभव होता है। इसके सहारे आप यह भी जान सकेंगे कि देवनागरी लिपि का कौन सा रूप मानक तथा शिक्षा की दृष्टि से सही या स्वीकार्य है और कौन सा रूप व्यवहार में प्रचलित होने के बावजूद भी अमानक या अस्वीकार्य है।

16.2.1 मानकीकरण से तात्पर्य

जैसा हम पहले संकेत दे चुके हैं कि मानकीकरण एक प्रक्रिया है जिसके सहारे लिपि गत विभिन्नता में एकता लाई जाती है। मानकीकरण के बाद भाषा अधिक स्थिर हो जाती है। उसकी संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। उसका प्रयोग अधिक बोधगम्य हो जाता है। इस तथ्य को समझने के लिए आप नीचे दिए गए 'आ' ध्वनि के लिपि–चिह्न पर ध्यान दें :

1) आम
2) काम
3) कण
4) बच्चा, सत्य

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 296 8/18/2021 12:21:56 PM

पहले तथा दूसरे शब्दों को ध्यान से देखिए। 'आम' की पहली ध्वनि 'आ' है जिसे पूर्ण स्वर लिपि द्वारा लिखा गया है। इसी 'आ' ध्वनि को 'काम' शब्द में मात्रा 'ा' चिह्न द्वारा लिपिबद्ध किया गया है अर्थात् 'आ' ध्वनि के लिए दो लिपि–चिह्न हैं–पूर्ण 'आ' और मात्रा चिह्न 'ा'। क्या आप बता सकते हैं कि कब स्वरों का पूर्ण रूप लिखा जाता है और कब इसका मात्रा रूप? थोड़ा भी ध्यान दें तो यह बात समझ में आ जाएगी कि अक्षर में अगर स्वर पहले आए तब उसे पूर्ण लिपि–चिह्न से लिखा जाता है लेकिन जब अक्षर में व्यंजन के बाद स्वर को जोड़कर बोला जाता है तब मात्रा–चिह्न का प्रयोग किया जाता है जैसे 'काम' शब्द के 'का' अक्षर में 'ा' लिपि–चिह्न का प्रयोग।

इसी प्रकार व्यंजन लिपि–चिह्न में हम भेद पाते हैं। जैसे : यदि किसी अक्षर के बाद स्वर आता है तब उस व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखते हैं जैसे 'कण' शब्द 'क् + अ' और 'ण् + अ' को 'क' और 'ण' पूर्ण लिपि–चिह्न द्वारा व्यक्त किया गया है। लेकिन जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं (संयुक्त व्यंजन) तो पहले व्यंजन के रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है जैसे 'बच्चा', 'सत्य' आदि।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि पूर्ण व्यंजन के भीतर 'अ' की ध्वनि विद्यमान रहती है। 'कण' शब्द के 'क' में क् + अ दोनों ध्वनियाँ समाहित हैं। अन्य स्वर को जब व्यंजन के साथ संयुक्त किया जाता है तब उसे मात्रा चिह्न द्वारा संकेतित किया जाता है। जैसे 'काम' शब्द का 'का'।

अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि एक ही स्वर के लिए प्रयुक्त पूर्ण स्वर–लिपि चिह्न जैसे– 'आ', 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', आदि तथा उसके रूप–' ा ि ी ु ू ' आदि विविध रूप, सार्थक क्यों हैं? थोड़ा भी ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये दो भिन्न रूप 'अक्षर' में अपनी स्थिति के अनुरूप ही अपना रूप ग्रहण करते हैं।

इसका एक उदाहरण 'र' के लिपि चिह्न के प्रयोग में भी दिखाई देता है जैसे–

रथ	–	(र)
कर्म	–	(र्)
क्रम	–	(्र)
राष्ट्र	–	(्र)

ये चारों प्रयोग सार्थक हैं क्योंकि इन चारों का प्रयोग अपने स्थान द्वारा निर्धारित होता है। इस नियम को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे लिखी बातों पर ध्यान दीजिए :

i) यदि 'र' के बाद स्वर आए तब पूर्ण 'र' लिखा जाता है।

ii) दो व्यंजनों के बीच में जब पहला व्यंजन आधा 'र' हो तब 'र' अर्धचन्द्राकार रूप में व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है जैसे सर्प, धर्म आदि।

iii) जब दो व्यंजनों के बीच में दूसरा व्यंजन 'र' हो तब उसे पहले व्यंजन के नीचे एक छोटी तिर्यक रेखा के रूप में लिखा जाता है, जैसे–ग्राम, प्राण आदि।

iv) ट, ठ, ड, ढ के साथ दूसरे व्यंजन के रूप में आने पर र अपना (्र) रूप ले लेता है, जैसे– राष्ट्र, ड्रामा आदि।

यहाँ ध्यान दीजिए–ऊपर की गई चर्चा में आपने देखा कि एक ही वर्ण को दो ढंग से लिखा जाता है। एक ही स्वर को दो लिपि–चिह्नों (अ, **ऄ**) द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिपि–चिह्न संबंधी लेखन की ऐसी दो शैलियों से हमें कोई नई सूचना नहीं मिलती। इसके साथ इसके चुनाव का कोई नियम या उपनियम नहीं बनाया जा सकता। ऐसी विविधता को निरर्थक विविधता माना जाता है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 297 8/18/2021 12:21:56 PM

मानकीकरण वस्तुतः ऐसे ही प्रयोजनहीन विविध प्रयोगों में से किसी एक को मानक निर्धारित करता है और उसी को मान्यता प्रदान करता है। आइए, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

16.2.2 देवनागरी के मानकीकरण की आवश्यकता

लिपि का संबंध भाषाई कौशल के दो पक्षों से जुड़ा होता है– (1) लेखन और (2) पठन। लेखन कौशल के द्वारा व्यक्ति सार्थक भाषिक इकाइयों को लिखित चिह्नों द्वारा व्यक्त करता है। इसके विपरीत पठन–कौशल के अंतर्गत पाठक दो प्रक्रियाओं से संबद्ध होता है। पहली प्रक्रिया का संबंध अर्थ ग्रहण से होता है। दूसरी प्रक्रिया का संबंध लिखित चिह्नों द्वारा व्यक्त भाषिक इकाइयों का सस्वर पाठ करने से है।

आप यह जान लें कि सभी भाषाओं में लेखन में एकरूपता नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी की वर्तनी–व्यवस्था पर ध्यान दें। उसके स्वर "C" के उच्चारण को देखें, वहाँ "Call", "Cool" आदि शब्दों में "C" का ध्वनि–मूल्य ''क'' है पर "Cell" और "Twice" में उससे भिन्न ''स'' ध्वनि है। हम कह सकते हैं कि यहाँ एक लिपि चिह्न के लिए दो ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार इस लेखन व्यवस्था में ध्वनि ''फ़'' के लिए इन लिपि–चिह्नों का प्रयोग संभव है– "f" (father), "Ph" (Physics) "gh" (rough)।

इसके विपरीत देवनागरी लिपि में ध्वनि और लिपि के संबंध मूल रूप में ''एक के लिए एक'' की ओर प्रवृत्त हैं। इसकी चर्चा हम पहले खंड में कर चुके हैं। जैसे : ''प्'', ''त्'', ''क्'' के रूप में ही उच्चारित होंगे ओर इनके लिए हमेशा ''प'', ''त'', ''क'' लिपि–चिह्नों का प्रयोग ही किया जाएगा।

यहाँ एक–दो तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। देवनागरी में लिपि–चिह्न के रूप में स्वर और व्यंजन के दो रूप मिलते हैं– (1) प्रमुख और (2) गौण। इनके विषय में नीचे लिखी बातों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है।

1) क) स्वर के लिए प्रमुख लिपि–चिह्न :

अक्षर में अगर स्वर पहले आए तब उसे प्रमुख (पूर्ण) स्वर–लिपि चिह्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, यथा आग (आ); ईख (ई); ऊन (ऊ) आदि।

ख) स्वर के लिए गौण लिपि–चिह्न :

जब अक्षर में व्यंजन के बाद उससे जोड़कर स्वर को बोला जाता है तब उसे गौण (मात्रा) लिपि–चिह्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, यथा नाम (ा), गीत (ी), खून (ू) आदि।

2) क) व्यंजन के लिए प्रमुख लिपि–चिह्न :

जब किसी व्यंजन के बाद स्वर आता है तब उसे प्रमुख (पूर्ण) व्यंजन लिपि–चिह्न द्वारा लिखा जाता है जैसे ''धन'' शब्द में ''ध'' और ''न'' को पूर्ण व्यंजन लिपि–चिह्न द्वारा व्यक्त किया जाता है।

ध्यान रखिए कि पूर्ण व्यंजन लिपि–चिह्न अक्षर का प्रतीक है, जिसमें ''व्यंजन + स्वर'' होता है यथा ''घ् + अ'', ''न् + अ''। यदि पूर्ण व्यंजन लिपि–चिह्न को मात्र व्यंजन के लिए संकेतित करना हो तो उसे हल चिह्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे ''खट्टा''।

ख) व्यंजन के लिए गौण लिपि–चिह्न :

जब किसी अक्षर में व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब पहला व्यंजन आधे रूप में व्यक्त होता है जैसे ''कथ्य'। यहाँ ''थ्'' व्यंजन के बाद ''य'' व्यंजन आने से पहले व्यंजन का रूप बदल कर आधा ''थ'' हो गया है।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 298 8/18/2021 12:21:56 PM

उपर्युक्त विवेचन से आप समझ गए होंगे कि देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए दो लिपि–चिह्न दिखाई देते हैं तथा इसी प्रकार व्यंजन लिपि–चिह्न के भी दो रूप दिखाई देते हैं। यह विविधता भाषा में विकल्पन को बल देती है। विकल्पन दो प्रकार के होते हैं–नियंत्रित और अनियंत्रित। मुक्त विकल्पन अनियंत्रित होता है, क्योंकि उसके विकल्प रूपों के लिए नियम या उपनियम नहीं बनाए जा सकते, जैसे अ– **अ**, झ– **झ**, आदि। इसके विपरीत नियंत्रित विकल्पन के विकल्प रूपों को नियमों, उपनियमों द्वारा नियंत्रित करना संभव है। जैसा आपने ऊपर पढ़ा कि स्वर और व्यंजन के दो रूप–प्रमुख और गौण लिपि–चिह्न अपने स्थान संबंधी नियम द्वारा नियंत्रित हैं।

ध्वनियों की तरह लिपि में भी मुक्त विकल्पन के कारण दुरूहता आ जाती है। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि–चिह्न, पठन, टंकण तथा मुद्रण आदि क्षेत्रों में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मुक्त विकल्पन को समाप्त करने की दिशा में देवनागरी के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। यह मुक्त विकल्पन एक दो उदाहरण तक ही सीमित नहीं है वरन् इसे कई वर्णों के प्रयोग में देखा जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनके मानक रूप को समझिए।

स्वर के लिए प्रमुख लिपि– चिह्न

ख ~ रव

छ ~ **छ**

झ ~ **झ**

ण ~ **ण**

ध ~ **ध**

ल ~ **ल**

क्ष ~ **क्ष**

व्यंजन के लिए गौण लिपि–चिह्न

पक्का ~ पक्का

मुक्त ~ मुक्त

चिह्न ~ चिन्ह

टट्टू ~ टट्टू

गड्ढा ~ गड्ढा

ध्यान दीजिए कि ऊपर बाईं तरफ लिखे हुए वर्ण तथा शब्द मानक मान लिए गए हैं और दाईं तरफ लिखे गए वर्ण और शब्द, अमानक।

बोध प्रश्न 1

क) नीचे दिए हुए वाक्यों में कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत। सही (✓) या गलत (✗) का निशान लगाइए :

1) देवनागरी लिपि शाश्वत है अतः अपरिवर्तनशील है। ( )

2) अ को दो तरह से लिखते हैं अ – **अ**। ( )

3) यह निरर्थक विविधता का उदाहरण है। ( )

4) मानकीकरण विविधता में एकता लाने की प्रक्रिया का नाम है। ( )

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 299 8/18/2021 12:21:57 PM

5) 'र' ध्वनि को चार लिपि–चिह्नों द्वारा व्यक्त करना संभव है। रण, धर्म, भ्रम तथा ड्रामा जो निरर्थक विविधता का उदाहरण है। ( )

6) लिपि भाषा को दृश्य चिह्नों से व्यक्त करने का साधन है। वह स्वयं भाषा नहीं है। ( )

ख) कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1) मानकीकरण एक ..... है। (प्रक्रिया / विचार)

2) मानकीकरण के बाद भाषा अधिक ..... हो जाती है। (स्थिर / अस्थिर)

3) मानकीकरण से भाषा .....हो जाती है। (बोझिल / बोधगम्य)

4) अक्षर में यदि स्वर पहले आए तो ..... लिपि चिह्न से लिखा जाता है। (पूर्ण स्वर / मात्रा)

5) जब किसी अक्षर में व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब उसका रूप बदल जाता है। ऐसे व्यंजन संयोग को .....कहते हैं। (संयुक्त व्यंजन / पूर्ण व्यंजन)

16.3 मानक हिंदी वर्णमाला

आपने देखा कि देवनागरी के वर्ण कई प्रकार से लिखे जाते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखने वालों का क्षेत्र विस्तृत है। हर क्षेत्र में कुछ वर्णों के लिखने के ढंग में विविधता दिखाई देती है। इस विविधता के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसे–

i) भाषा सीखने–सिखाने में कठिनाई।

ii) टंकण–यंत्र (की–बोर्ड) की कठिनाई।

iii) मुद्रण की कठिनाई।

उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय हिंदी निदेशालय को मानक देवनागरी लिपि निर्धारित करने का काम सौंपा। इस निदेशालय ने विद्वानों से विचार–विमर्श करके देवनागरी के वर्णों का मानक रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने यह विचार किया कि वर्णों का कौन–सा रूप मानक होगा और कौन सा अमानक। यह मानक रूप प्रस्तुत करते समय यह भी ध्यान रखा गया कि उसमें एकरूपता हो, ताकि टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि आधुनिक यंत्रों के उपयोग में लिपि की अनेकरूपता बाधक न बन सके। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि शिक्षा, पाठ्य–पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं जैसे अन्य क्षेत्रों में लोग इसी मानक रूप का प्रयोग करें।

नीचे मानक वर्णों (स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि) की सूची दी जा रही है। आप ध्यान से इन्हें देखें तथा अपने लेखन में इनका प्रयोग करें–

मानक हिंदी वर्णमाला

वर्णमाला का क्रम इस प्रकार होगा –

स्वर

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

टिप्पणी : स्वर की मात्राओं को स्वर वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया गया है। अध्यापन के अवसर पर बारहखड़ी सिखाते समय इनका व्यंजनों के साथ यथा रूप संयोजन बताया जाना चाहिए।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 300 8/18/2021 12:21:57 PM

संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला में तो ऋ, ऌ ॡ भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है,

मूल व्यंजन

क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	श
ष	स	ह	ड़	ढ़

टिप्पणी : मूल व्यंजनों के शुद्ध रूप को दर्शाते समय प्रत्येक व्यंजन के साथ हल चिह्न (्) लगाया जाना चाहिए था, किंतु यहाँ वर्णमाला में इन्हें अंतर्निहित स्वर वर्ण 'अ' के साथ ही प्रस्तुत किया गया है।

16.3.1 संयुक्त वर्णों का मानकीकरण

खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ। यथा–

ख्याति, लग्न, विघ्न	व्यास
कच्चा, छज्जा	श्लोक
नगण्य	राष्ट्रीय
कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास	स्वीकृति
प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य,	यक्ष्मा
शय्या	त्र्यंबक
उल्लेख	

अन्य व्यंजन

क और फ के संयुक्ताक्षर :–

संयुक्त, पक्का आदि की तरह न कि संयुक्त, पक्का की तरह।

ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाएँ। यथा–वाङ्मय, लट्टू, बुड्ढा, विद्या, चिह्न, ब्रह्मा आदि।

संयुक्त ''र'' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा–प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

''श्र'' का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे श्र के रूप में नहीं लिखा जाएगा।

''इ'' की मात्रा

हल् चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ''इ'' की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा न कि पूरे युग्म से पूर्व। जैसे, कुट्टिम, चिट्ठियाँ, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि (कुट्टिम, दि्वतीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं)।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 301 8/18/2021 12:21:57 PM

16.3.2 अनुस्वार तथा अनुनासिकता चिह्न

भाषाविद् यह मानते हैं कि अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिकता स्वर का नासिक्य विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थ भेदक भी हैं। अतः हिंदी में अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्न (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे।

अनुस्वार (शिरोबिंदु / बिंदी)

संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहेगा। जैसे :– संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, अंश, कंस, हिंस्र आदि। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण / लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे– पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, संत, संबंध आदि। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे– वाङ्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि। पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में (दुबारा) आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता। जैसे – अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि।

अंग्रेजी, उर्दू से गृहीत शब्द में अधि वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्य व्यंजन को पूरा लिखना ही उचित है। जैसे, लिमका, तनख्वाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि।

संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म् का सूचक है। जैसे– अहं (अहम्) एवं (एवम्) शिवं (शिवम्)।

अनुनासिकता (चंद्र बिंदु)

हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य है। अनुनासिकता व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में नाक से भी हवा निकलती है जैसे– आँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, आएँ।

चंद्रबिंदु के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे हंस : हँस, अंगना : अँगना, स्वांग (स्वअंग) : स्वाँग आदि में, अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट रहेगी। जैसे–नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथास्थान अवश्य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्र बिंदु का उच्चारण अभीष्ट हो, वहाँ मोटे अक्षरों में उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे– कहाँ, हँसना, आँगन, मैँ, मैँ आदि।

16.3.3 विसर्ग (:)

संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे–दुःखानुभूति। यदि उस शब्द के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे–दुःख–सुख के साथ। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। यथा–अतः पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, वस्तुतः, क्रमश : आदि। ''ह'' का अघोष उच्चरित रूप विसर्ग है। अतः उसके स्थान पर (स) घोष ''ह'' का लेखन किसी हालत में न किया जाए (अतः, पुनः, आदि के स्थान पर अतह, पुनह आदि लिखना अशुद्ध है)।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 302 8/18/2021 12:21:57 PM

दुःसाहस/दुस्साहस, निःशब्द/निश्शब्द के उभय रूप मान्य होंगे। इसमें भी द्वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए।

निःस्वार्थ मान्य है (निस्स्वार्थ उचित नहीं है)

निस्तेज, निर्वचन, निश्चल आदि शब्दों में विसर्ग वाला रूप (निःतेज, निःवचन, निःचल) न लिखा जाए।

अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातःकाल आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएँ।

तद्भव/देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए।

इस आधार पर छः लिखना गलत है। छह लिखना उचित है। प्रायद्वीप समाप्तप्राय आदि शब्दों में तत्सम रूप में विसर्ग नहीं विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कोलन चिह्न (उपविराम :) शब्द से कुछ दूरी पर हो। जैसे : – अतः।

16.4 परिवर्धित देवनागरी

पहले संकेत दिया जा चुका है कि लिपि भाषा नहीं होती और न ही वह भाषा का कोई अभिन्न अंग होती है। वह भाषा की इकाई को लिखित चिह्नों द्वारा व्यक्त करने का मात्र एक साधन है। यही कारण है कि एक लिपि–संकेत के द्वारा कई भाषाओं को लिपिबद्ध करना संभव है और एक भाषा को कई लिपियों द्वारा व्यक्त करना भी संभव है। जैसे, सामान्यतः संस्कृत भाषा के पाठ को देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध किया जाता है पर उसे रोमन लिपि में भी लिखना संभव है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि हिंदी के लिए प्रयुक्त लिपि है पर इससे अन्य भारतीय भाषाओं को लिपिबद्ध भी करना संभव है।

यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। देवनागरी के लिपि–चिह्न संस्कृत और हिंदी की ध्वनि व्यवस्था को संकेतित करने में अधिक समर्थ हैं। हिंदी में अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी के कुछ ऐसे शब्द ले लेने के कारण लेखन में कठिनाई दिखाई देने लगी जिनकी ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि में चिह्नों की कमी थी। कुछ विशेषक चिह्नों द्वारा उस कमी को पूरा किया गया ऐसे कुछ विशेष चिह्न हैं– (1) नुक्ता (़) तथा (2) अर्धचंद्राकार (ॅ) चिह्न। यथा : (1) ताक–ताक़; बेगम–बेग़म; फन–फ़न आदि, (2) बॉल, हॉल; डॉल आदि।

अब आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्दों में ये विशेषक चिह्न लगाना क्यों ज़रूरी है। इन चिह्नों के बिना उन शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ये लिपि–चिह्न देवनागरी व्यवस्था के अंग बन चुके हैं और हिंदी में पूरी तरह स्वीकृत हो चुके हैं। ध्यान दीजिए कि मानक वर्णमाला में आगत ध्वनियों के लिपि–चिह्न के रूप में इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ एक दो बातों पर ध्यान देना चाहिए :

i) अंग्रेजी, अरबी या फ़ारसी के वे शब्द जो हिंदी भाषा में घुलमिल गए हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, वे हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे : कलम, किला, वाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं) लेकिन जहाँ उनका विदेशी रूप में प्रयोग आवश्यक हो अथवा उनके उच्चारण का भेद बताना जरूरी हो, (भ्रम की स्थिति से बचने के लिए) वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाना चाहिए। यथा खाना–ख़ाना, बेगम–बेग़म, जीना–ज़ीना आदि।

ii) अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत "ओ" ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्धरूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर "आ" (ा) की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र (ऑ) ॅ) का प्रयोग किया जाए। जैसे :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 303 8/18/2021 12:21:57 PM

बाल – बॉल

हाल – हॉल

काफ़ी – कॉफ़ी आदि

16.4.1 परिवर्धित देवनागरी : संदर्भ और आवश्यकता

परिवर्धित देवनागरी वस्तुतः देवनागरी वर्णमाला का वह विस्तृत रूप है, जिसके माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को लिप्यंतरित करना संभव है। इसमें परिवर्धित रूप बनाने में भारत की प्रमुख भाषाओं की ध्वनिगत विशेषताओं को लिखित रूप देने के लिए विशेषक चिह्नों के प्रयोग की योजना भी सम्मिलित है।

यहाँ कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। परिवर्धित देवनागरी वस्तुतः अपनी प्रकृति में संपर्क लिपि है। हिंदी भाषा के दो संदर्भ दिखाई देते हैं। पहला संदर्भ उन भाषाओं की लेखन–व्यवस्था से है जिनके लिए देवनागरी परंपरा से प्रयुक्त होती आई है, यथा संस्कृत, हिंदी आदि। इसका दूसरों संदर्भ संपर्क लिपि का है, जो उन भारतीय भाषाओं के लिप्यंकन के लिए साधन रूप में विकसित की जा रही है, जिनकी या तो परंपरा से कोई लेखन व्यवस्था है अथवा अपनी कोई लेखन व्यवस्था नहीं है।

ध्यान दीजिए कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, बंगला आदि भाषाओं की अपनी लिपि–व्यवस्था है। इसके विपरीत भारत की कई जन–जातियों की ऐसी भाषाएँ हैं, जिनकी कोई लिपि है ही नहीं। परिवर्धित देवनागरी मुख्यतः उन भाषाओं के लिए संपर्क लिपि के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है।

संपर्क–लिपि के रूप में देवनागरी में भारत की सभी भाषाओं की ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि अन्य भाषाओं की प्रत्येक ध्वनि के लिए देवनागरी में लिपि–चिह्न को बढ़ाया नहीं गया है बल्कि उस भाषा के लिपि–चिह्नों के समतुल्य देवनागरी के लिपि–चिह्नों को देखा और परखा गया है। उदाहरण के लिए उच्चारण के स्तर पर हम जानते हैं कि मराठी और तेलुगु लिपि में दोनों ''च'' को अभिव्यक्त करने के लिए एक ही ''च'' लिपि–चिह्न का प्रयोग है। इसलिए परिवर्धित देवनागरी में भी दोनों (दन्त्य और वर्त्स्य च) ध्वनियों के लिए एक ही लिपि–चिह्न मान्य हुआ है। इसके विपरीत कश्मीरी भाषा में ''च'' और ''छ'' दो अतिरिक्त ध्वनियाँ हैं जो हिंदी के ''च'' ''छ'' से भिन्न हैं। इसीलिए परिवर्धित देवनागरी में कश्मीरी च–वर्ग के लिए विशेषक चिह्न की आवश्यकता पड़ी। इन विशिष्ट ध्वनियों को च और छ के नीचे बिंदु लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे च़, छ़ आदि।

ऊपर की चर्चा से यह स्पष्ट है कि परिवर्धित देवनागरी में ध्वनियों के सूक्ष्म भेद तथा विभेदों के आधार पर लिपि–चिह्नों का विस्तार नहीं किया गया, वरन् हर भाषा में प्रयुक्त अक्षरों या लिपि–चिह्नों के आधार पर विशेषक चिह्नों का प्रयोग किया गया है।

अब तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि देवनागरी लिपि संस्कृत एवं हिंदी जैसी महत्वपूर्ण भाषाओं को लिखित अभिव्यक्ति देने वाली लिपि है। विद्वानों ने इस लिपि के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं (विशेषकर अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएँ) को लिपि–बद्ध करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। केन्द्रीय हिंदी निदेशालय का एक प्रमुख उद्देश्य देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का एक सशक्त माध्यम बनाना भी रहा है। इसके लिए ज़रूरी था कि देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं की ध्वनियों के लिए विशेषक चिह्न (सूचक–प्रतीक) विकसित किए जाएँ।

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला का जो रूप निदेशालय द्वारा स्वीकृत हुआ है, वह निम्नलिखित है :

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 304 8/18/2021 12:21:57 PM

परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला

देवनागरी वर्णमाला

स्वर : अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ

मात्राएँ : ा ि ी ु ू ृ ॄ े ै ो ौ

अनुस्वार : (अं) ं

विसर्ग : (अः)

अनुनासिकता : चिह्न ँ

व्यंजन :

क	ख	ग	घ	ङ		
च	छ	ज	झ	ञ		
ट	ठ	ड	ढ	ण	ड़	ढ़
त	थ	द	ध	न		
प	फ	ब	भ	म		
य	र	ल	व	ळ		
श	ष	स	ह			

संयुक्त व्यंजन : क्ष त्र ज्ञ श्र

हल् चिह्न :

विशेषक चिह्न

स्वर :

(1) ह्रस्व ए और ओ — ऎ ऒ
मात्राएँ — ॆ ॊ

(2) कश्मीरी के विशिष्ट स्वर — उ॒ ऊ॒ अ॒ आ॒ ॲ ऑ
मात्राएँ : — ु॒ ू॒ ॖ ॗ ॅ ॉ

व्यंजन :

(1) कश्मीरी चवर्ग — च़ छ़

(2) सिंधी अंतः स्फोटी व्यंजन — ग॒ ज॒ ड॒ ब॒

(3) तमिळ और मलयाळम — ऴ

(4) बंगला–असमिया — य़

(5) दक्षिण भारतीय भाषाओं
के ''र'' का कठोर उच्चारण — ऱ

(6) तमिऴ — ऩ

(7) मलयाळम ൻ का वत्सर्य उच्चारण — ऩ

(8) फ़ारसी–अरबी और
अंग्रेज़ी से गृहीत स्वन — क़ ख़ ग़ ज़ झ़ फ़

(9) उर्दू अ़ैन (ع) — अ़
स्थिति के अनुसार — आ़ (आ़दत), इ़ (इ़बादत),
ई़ (ई़द), उ़ (उ़मर),
ऐ़ (ऐ़ब), औ़ (औ़रत), आदि

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 305 8/18/2021 12:21:57 PM

16.4.2 अन्य भाषाओं के लिए लिपि–चिह्न

हिंदी एक विकासशील भाषा है। अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में आकर और उनसे बहुत कुछ ग्रहण करके उसका एक अखिल भारतीय रूप विकसित हो रहा है। देवनागरी के अखिल भारतीय रूप को भी विकसित करने की आज आवश्यकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देवनागरी को अन्य भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाया जाए। इसलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं (अष्टम् अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएँ) को देवनागरी लिपि में सही ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेषक चिह्नों (सूचक प्रतीक) के प्रयोग पर बल दिया गया। अन्य भाषाओं में कुछ लिपि–चिह्न ऐसे हैं, जिनके लिए देवनागरी में सूचक चिह्न नहीं थे। इसके लिए भाषा–विशेषज्ञों की एक समिति ने विचार–विमर्श करके अन्य भाषाओं के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी लिपि में कुछ अपेक्षित परिवर्तन किए। इस तथ्य को अच्छी तरह समझने के लिए नीचे लिखी बातों को ध्यान से पढ़िए :

स्वर एवं मात्रा

i) दक्षिण की चारों भाषाओं (कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम) के ह्रस्व ''ए'' के लिए ''ऐ'' (ॆ) तथा कश्मीरी के ह्रस्व ''आ'' के लिए ओ (ॊ) विशेषक चिह्न का प्रयोग करना चाहिए।

ii) कश्मीरी के कुछ विशिष्ट स्वर तथा मात्राओं के लिए भी विशेषक चिह्न सुझाए गए हैं जैसे–

स्वर – उ॑ ऊ॑ अ॑ आ॑ ॲ ऑ

मत्रा– ु॑ ू॑ ॏ ॊ ॅ ॉ

व्यंजन

i) कश्मीरी चवर्ग हिंदी के च–वर्ग से भिन्न है इसलिए उसके लिए च़ छ़ का प्रयोग निश्चित किया गया।

ii) सिंधी के अंतः स्फोटी व्यंजनों की अभिव्यक्ति देवनागरी के ग ज द ब लिपि चिह्नों द्वारा होगी। ध्यान रखिए कि हिंदी में ''ग ज द ब'' हिस्फोटी व्यंजन हैं।

iii) तमिल ''ழ'' और मलयालम ''ऊ'' के लिए ''ळ'' का प्रयोग मान्य होगा।

v) तमिल ''ढम'' तथा मलयालम ''ല' के वर्त्स्य उच्चारण के लिए ''न'' का प्रयोग मान्य होगा।

vi) फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी से आए हुए स्वनों को नुक्ता के साथ ही लिखना चाहिए, जैसे क़ ख़ ग़ ज़ फ़ झ़ आदि।

vii) उर्दू ''अ़ैन'' ''ع'' के लिए देवनागरी में ''अ़'' लिपि चिह्न का प्रयोग मान्य होगा तथा प्रयोग की स्थिति के अनुसार उनका रूप इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा– ''आ'' (आ़दत), अि़ (अि़बादत) अी़, (अीद) अु (अुमर), ''अै'' (अ़ैब) औ (औ़रत), आदि।

बोध प्रश्न 2

क) नीचे दिए गए शब्दों में आवश्यकतानुसार अनुस्वार चिह्न का प्रयोग कीजिए–

1) सङ्गीत ....

2) चञ्चल ....

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 306 8/18/2021 12:21:57 PM

3) सम्बोधन .....

4) सन्तान .....

5) ठण्डक .....

6) बन्दूक .....

ख) नीचे दिए गए संयुक्त शब्दों को मानक रूप में लिखिए–

1) चक्की .....

2) चिह्न .....

3) मट्ठा .....

4) बुद्धि .....

5) गड्ढा .....

ग) नीचे दिए गए कथनों में सही कथन के आगे (✓) तथा गलत के आगे (✗) का निशान लगाइए–

1) विसर्ग अघोष ''ह'' ध्वनि है।

2) एक लिपि द्वारा कई भाषाओं को लिपिबद्ध करना संभव है। ( )

3) अन्य भारतीय भाषाओं को देवनागरी में लिप्यंतरित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। ( )

4) संस्कृत भाषा के पाठ को रोमन लिपि में भी लिखना संभव है। ( )

5) एक भाषा को किसी दूसरी लिपि में लिपिबद्ध करना असंभव है। ( )

6) कश्मीरी च वर्ग के लिए परिवर्धित देवनागरी में कोई विशेषक चिह्न नहीं है। ( )

16.5 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखते और पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता मिलती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि के लेखन में भिन्नता दिखाई देती है।

लिपि के लेखन विधि की भिन्नता के कारण सीखने–सिखाने तथा टंकण और मुद्रण में कठिनाई आती है। इसलिए देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया। मानकीकरण एक प्रक्रिया है, जिसके सहारे विभिन्नता में एकता लाई जाती है। इसके द्वारा भाषा की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है।

आपने पढ़ा कि अन्य भारतीय भाषाओं को देवनागरी में लिप्यंतरित करने का प्रयास भी किया गया। इसके लिए अन्य भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों के लिए देवनागरी में विशेषक चिह्न भी बनाए गए।

परिवर्धित देवनागरी वस्तुतः देवनागरी वर्णमाला का वह विस्तृत रूप है जिसके माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को लिप्यंतरित करना संभव है।

16.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

परिवर्धित देवनागरी : केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, 1966 नई दिल्ली : भारत सरकार।

हिंदी वर्तनी का मानकीकरण : केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, 1967, नई दिल्ली : भारत सरकार।

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 307 8/18/2021 12:21:57 PM

हिंदी भाषा की लिपि संरचना : तिवारी, भोलानाथ, 1988, दिल्ली : साहित्य सहकार।

देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण : केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, 2006 नई दिल्ली।

16.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

क) 1) ✗ 2) ✓
3) ✓ 4) ✗
5) ✓

ख) 1) प्रक्रिया 2) स्थिर
3) बोध्यगम्य 4) पूर्ण स्वर
5) संयुक्त व्यंजन

बोध प्रश्न 2

क) 1) संगीत 2) चंचल
3) संबोधन 4) संतान
5) ठंडक 6) बंदूक

ख) 1) चक्की 2) चिह्न
3) मट्ठा 4) बुद्धि
5) गड्ढा

ग) 1) ✓ 2) ✓
3) ✗ 4) ✓
5) ✗ 6) ✗

BHDC-108_Hindi_3rd Proof.indb 308 8/18/2021 12:21:57 PM